

**Arora IAS**

**Polity-**

**Laxmikant**

**New 6<sup>th</sup> Edition**

**(Updated)**

**Revision**

**Notes**

**Complete**

# Hindi Medium

[www.AroraIAS.com](http://www.AroraIAS.com)

## Chapter 1


### 1773 का रेग्युलेटिंग एक्ट

- बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल (लार्ड वारेन हेस्टिंग्स)
- मद्रास, मुंबई गवर्नर - बंगाल के अधीन 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना
- कंपनी का निजी व्यापार, रिश्वत लेना बंद
- कोर्ट आफ डायरेक्टर के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर नियंत्रण

### 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट

- 1781 में एक आफ सेटेलमैंट राजनैतिक, वाणिज्यिक कार्य अलग

दो कारणों से महत्वपूर्ण



### 1833 का चार्टर अधिनियम

- बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल (लॉर्ड विलियम बैटिक)
- मद्रास, मुंबई विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित
- पहले बने कानून - नियामक, नए कानून अधिनियम
- ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासनिक निकाय बना
- व्यापारिक गतिविधियां खत्म
- सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू पर कोर्ट आफ डायरेक्टर के विरोध के कारण भारतीय शामिल नहीं

### 1853 का चार्टर अधिनियम

- विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग

- छह पार्षद बने, विधान परिषद बनी जिसने छोटी संसद की तरह कार्य किया
- सिविल सेवा में भारतीय भी शामिल - मैकाले समिति 1854 में
- कार्यकाल निश्चित नहीं
- केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व,
- गवर्नर जनरल की परिषद के 6 नये सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई, आगरा से

### 1858 का भारत शासन अधिनियम

- भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम
- महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन
- गवर्नर जनरल - वायसराय (प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग )
- निदेशक मंडल, नियंत्रण बोर्ड खत्म
- नया पद राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य
- राज्य सचिव के लिए 15 सदस्यीय सलाहकार समिति
- भारत और इंग्लैंड पर मुकदमा करने का अधिकार
- राज्य सचिव पर भी मुकदमा हो सकता था
- उद्देश्य - प्रशासनिक मशीनरी में सुधार

### 1861 में भारत शासन अधिनियम

- कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय शामिल
- बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव शामिल
- मद्रास मुंबई की शक्तियां वापस, 1773, 1833 का चार्टर अधिनियम उलट
- 1937 तक प्रांतों को अतिरिक्त स्वायत्ता हासिल
- बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद

### 1862, 1866, 1897 अधिनियम

- 1859 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू इसके तहत परिषद का एक सदस्य एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बन सकता
- वायसराय को आपातकाल में अंतिम अध्यादेश जारी करने की शक्ति

### 1892 का अधिनियम

- केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी संख्या बढ़ी (बहुमत सरकारी)
- विधान परिषदों में बजट पर चर्चा शुरू
- केंद्रीय विधान परिषदों में वायसराय के शक्तियों का प्रावधान

### 1909 का अधिनियम (मार्ले मिंटो सुधार)

- केंद्रीय- प्रांतीय विधान परिषद के आकार में वृद्धि (16-60)
- प्रांतों में गैर सरकारी बहुमत

- विधान परिषदों में चर्चा का दायरा बड़ा
- वायसराय के कार्यपालिका के साथ एसोसिएशन बनाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिंहा जी (विधि सदस्य )
- सांप्रदायिक निर्वाचन ( मुस्लिम को मुस्लिम बोट) लॉर्ड मिंटो द्वारा शुरू

### **1919 का भारत शासन अधिनियम**

- केंद्रीय और प्रांतीय विषय अलग, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय है
- प्रांतीय हस्तांतरित -मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी आरक्षित - उत्तरदायी नहीं
- लोकसभा राज्यसभा शुरू (प्रत्यक्ष निर्वाचन )वायसराय के परिषद में 6 में से 3 सदस्य भारतीय
- सांप्रदायिक निर्वाचन में सिक्खो, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय यूरोपीय भी शामिल
- कर, संपत्ति ,शिक्षा के आधार पर मताधिकार
- लंदन में भारत के उच्चायुक्त
- 1926 में केंद्रीय लोकसेवा आयोग का गठन
- केंद्रीय बजट ,राज्य बजट से अलग वैधानिक आयोग का गठन

### **1935 का भारत शासन अधिनियम**

- अखिल भारतीय संघ की स्थापना राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची अलग
- अवशिष्ट शक्ति गवर्नर के पास
- प्रांतों में द्वैध प्रणाली खत्म ,केंद्र में शुरू
- 11 में से 6 राज्यों में विधान सभा का विधान परिषद
- सांप्रदायिक निर्वाचन =दलितों, महिलाओं मजदूर वर्ग तक
- 1858 वाली भारत परिषद समाप्त मताधिकार का विस्तार -10 परसेंट जनता को मत का अधिकार
- रिजर्व बैंक की स्थापना
- प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना
- 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना

### **1947 का भारत शासन अधिनियम**

- 3 जून को भारत- पाक विभाजन की योजना
- वायसराय खत्म -गवर्नर जनरल शुरू
- भारत का समाट- उपाधि खत्म
- पहले गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के -लॉर्ड माउंटबेटन
- पहले प्रधानमंत्री स्वतंत्र भारत के- जवाहरलाल नेहरू

## Chapter -2 संविधान का निर्माण

- 1934 में पहली बार संविधान के गठन का विस्तार
- 1935 में कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग
- 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा, संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी गई संविधान सभा द्वारा
- 1940 में इस मांग को अगस्त प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया
- 1942 में क्रिप्स मिशन जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकारा
- कैबिनेट मिशन

### कैबिनेट मिशन योजना

- कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव
- संविधान सभा के कुल संख्या 389
- 296 ब्रिटिश प्रांत 93 देशी रियासतें
- जनसंख्या के अनुपात में सीटें -1000000 पर एक सीट
- सीटों का निर्धारण 3 समुदाय -मुस्लिम सिख व सामान्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से (जिस तरह राष्ट्रपति का होता है )
- देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन, रियासतों के प्रमुख द्वारा
- सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के चुनाव जुलाई - अगस्त 1946 में
- संविधान सभा का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ

### संविधान सभा की कार्यप्रणाली

- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई जिसमें अस्थाई अध्यक्ष सचिवदानंद सिन्हा बने
- 11 दिसंबर 1946 को राजेन्द्र प्रसाद अध्यक्ष बने और एचसी मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी उपाध्यक्ष बने


### उद्देश्य प्रस्ताव

- 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ

## इसमें कहा गया

- संविधान सभा स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य भारत को घोषित करती है
- जो भारत में शामिल होंगे वे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे
- सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा होगा
- शक्तियों का स्रोत भारत की जनता होगी
- सभी लोगों को न्याय राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने की स्वतंत्रता और लोक नैतिकता की स्थापना
- ST, OBC और SC को सुरक्षा
- संघ की एकता और भू- क्षेत्र, समुद्र और बायो क्षेत्र को सुरक्षा
- प्राचीन भूमि को विश्व में उसका स्थान दिलाया जाएगा


## भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में तीन परिवर्तन



## संविधान सभा की समितियां

### बड़ी समितियां

1. संघ शक्ति समिति
2. संघीय संविधान समिति
3. राज्यों के लिए समिति
4. प्रक्रिया नियम समिति
5. संचालन समिति



6. प्रारूप समिति- बी आर अंबेडकर
7. प्रांतीय संविधान समिति -सरदार पटेल
8. मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति- सरदार पटेल

#### इसके अंदर उप समितियाँ

- मौलिक अधिकार -जे बी कृपलानी
- अल्पसंख्यक - एच सी मुखर्जी
- उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र - गोपीनाथ बरदोई
- छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र - ए वी टक्कर

#### प्रारूप समिति

गठन 29 अगस्त 1947 , 7 मेंबर

1. डॉ बी आर अंबेडकर (अध्यक्ष)
  2. एन गोपाल स्वामी आयंगर
  3. अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर
  4. डॉक्टर के एम मुंशी
  5. सैयद मोहम्मद सादुल्ला
  6. एन माधवराव (बी एन मित्र की जगह)
  7. टीटी कृष्णमाचारी (डीपी खेतान की जगह)
- 26 नवंबर 1949 को प्रारूप पर 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए
  - जिसमें 1 प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी

#### किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया

#### भारतीय शासन अधिनियम, 1935 से

- संघीय व्यवस्था
- राज्यपाल का कार्यालय
- न्यापालिका का ढाँचा
- आपातकालीन उपबंध
- लोक सेवा आयोग
- शक्तियों के वितरण की तीन सूचियाँ

#### ब्रिटेन का संविधान से

- संसदीय व्यवस्था
- मंत्रिमंडल प्रणाली
- विधायी प्रक्रिया

- राज्याध्यक्ष का प्रतीकात्मक या नाममात्र का महत्व
- एकल नागरिकता
- परमाधिकार रिटै
- द्विसदनवाद
- संसदीय विशेषाधिकार

#### **अमेरिका का संविधान से**

- मूल अधिकार
- न्यापालिका की स्वतंत्रता
- न्यायिक पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का सिद्धांत
- सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग
- उपराष्ट्रपति का पद

#### **कनाडा का संविधान से**

- केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति
- सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था
- उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय-निर्णयन
- अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना

#### **आयरलैंड का संविधान से**

- राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन
- राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत
- राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति

#### **ऑस्ट्रेलिया का संविधान से**

- समवर्ती सूची
- संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

#### **जर्मनी का संविधान से**

- आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन

#### **दक्षिणी अफ्रीका का संविधान से**

- राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन
- संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

#### **फ्रांस का संविधान से**

- गणतंत्रात्मक ढाँचा
- स्वतंत्रता समता और बंधुता के आदर्श

#### **सोवियत संघ का संविधान से**

- प्रस्तावना में सामजिक, आर्थिक और राजनीति न्याय का आदर्श

- मौलिक कर्तव्य

**जापान का संविधान से**

- विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

### Chapter 3 संविधान के प्रमुख विशेषताएं

**प्रस्तावना**

- 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए विशेष रूप से 7वें 42वें 44वें में 73वें एवं 97वें संशोधन में
- 42 वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टट्यूशन कहा जाता है
- केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ए 368 के तहत संशोधन में मूल ढांचा ना बदलें

**संविधान की विशेषताएं**

- सबसे लंबा लिखित संविधान
- संविधान दो प्रकार - लिखित (अमेरिका) अलिखित (ब्रिटेन)
- भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है
- मूल रूप से इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूची थी
- वर्तमान में एक प्रस्ताव 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं

**इसके लंबा होने के पीछे कारण हैं**

- भौगोलिक कारण- भारत का विस्तार और विविधता
- ऐतिहासिक कारण - 1935 का प्रभाव जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश का एक संविधान
- संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व

**विभिन्न स्रोतों से विहित**

- ढांचागत हिस्सा - 1935 अधिनियम से
- संविधान का दार्शनिक भाग = अमेरिका (FR), आयरलैंड (DPSP)
- (मौलिक अधिकार, DPSP )
- राजनैतिक भाग - ब्रिटेन से  
(संघीय सरकार)

अन्य प्रावधान = कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मनी USSR फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका जापान से।

**नम्यता एवं अनन्यता का समन्वय (तालमेल)**

- अनन्य (कठोर)- अमेरिकी जिसमें संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया हो
- नम्य (लचीला) - ब्रिटेन आम कानून जैसे संशोधन की प्रक्रिया

- हमारा संविधान ना तो लचीला ना तो कठोर बल्कि दोनों का मिश्रण है
  - 368 में संशोधन के दो रूप हैं
  - विशेष बहुमत - दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का  $\frac{2}{3}$  बहुमत। प्रत्येक सदन का कुल बहुमत जो 50% से अधिक हो
  - विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन

**एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था**

- **संघीय** - दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि
  - **एकात्मकता** - एक सशक्त केंद्र, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति आपातकालीन प्रावधान इत्यादि
  - जब आपातकालीन लगती है तो संघीय ढाँचा, एकात्मक में बदल जाता है

## सरकार का संसदीय रूप

- अमेरिका में - अध्यक्षीय प्रणाली, ब्रिटेन में संसदीय
  - हमने ब्रिटेन को अपनाया है
  - संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण

## संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय

( ब्रिटिश ) (अमेरिका )

- हमारी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अमेरिकी न्यायालय से कम है क्योंकि अमेरिका में विधि दवारा नियत प्रक्रिया और भारत में विधि दवारा स्थापित प्रक्रिया है

## एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका

- हमारी न्यायपालिका एकीकृत होने के साथ-साथ स्वतंत्र है सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है शीर्ष न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक है

## 1. मौलिक अधिकार - अमेरिका से

6 मौलिक अधिकार भाग-3 Art 12 से 35

1. समानता का अधिकार (A-14 to 18 )
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (A-19 to 22)
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार(A 23-24)
  4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार(A 25 to 28)
  5. सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार ( A 29-30)
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार ( A -32)

अनुच्छेद 20- 21 को छोड़कर बाकी अधिकार आपातकाल में स्थगित हो जाते हैं

## राज्य के नीति निदेशक तत्व

- भाग -4 , Art 36 से 51
- तीन प्रकार -सामाजिक ,गांधीवादी और उदार बौद्धिक
- उद्देश्य - कल्याणकारी राज्य की स्थापना
- राज्यों के लिए निर्देश
- गैर न्यायोचित
- मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है

### मौलिक कर्तव्य

- भाग -4 क 51a
- संशोधन द्वारा शामिल - 1976 के 42वें संविधान संशोधन में
- आपातकाल में
- 11वा कर्तव्य, 86 वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड
- गैर न्यायोचित

### एक धर्मनिरपेक्ष राज्य

- संविधान धर्मनिरपेक्ष है यह धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता
- प्रस्तावना में यह शब्द 42 वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल

### सार्वभौम वयस्क मताधिकार

- कोई भी नागरिक जिसकी की उम्र कम से कम 18 वर्ष मत दे सकेगा बिना कोई भेदभाव के
- 1989 में 61 वा संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई

### एकल नागरिकता

- हमारा संविधान फेडरल है इसके नागरिकों को केवल एकल नागरिकता प्राप्त है ताकि बंधुत्व की भावना बनी रहे
- अमेरिका में 2 नागरिकता - राज्य एवं देश की

### स्वतंत्र निकाय

- निर्वाचन आयोग
- भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार
- UPSC -संघ लोक सेवा आयोग
- SPSC -राज्य लोक सेवा आयोग

### आपातकालीन प्रावधान

#### **तीन प्रकार**

**राष्ट्रीय आपातकाल** (Art 352)- युद्ध आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह

पैदा हुई राष्ट्रीय शांति की अवस्था

**राज्य में आपातकाल** (Art 356) -राज्य में संवैधानिक तंत्र की असफलता या  
केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने की असफलता

**वित्तीय आपातकाल** (Art 360) भारत की वित्तीय स्थिरता या प्रत्यय संकट में हो

- आपातकाल के दौरान सत्ता केंद्र के हाथ में
- संविधान संशोधन किए बगैर देश का ढाँचा एकात्मक

#### त्रिस्तरीय सरकार

- मूल रूप से केंद्र और राज्य थे
- 1992 में 73वें एवं 74 वें संविधान संशोधन में तीन स्तरीय सरकार का प्रावधान
- विश्व के किसी संविधान में नहीं
- भाग -9 अनुसूची- 11 पंचायत
- भाग - 9 अनुसूची -12 नगर पालिका

## Chapter 4

### संविधान की प्रस्तावना

#### प्रस्तावना

- संविधान का परिचय एवं भूमिका, संविधान का सार
- सबसे पहले अमेरिकी संविधान में थी
- 42 संविधान संशोधन में इसे 1976 में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल
- प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित
- N. A. पालकीवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा

“हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष ,लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक राजनीतिक, न्याय विचार ,अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर ,अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को द्वारा संविधान को अंगीकृत ,अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं ”

**संविधान के स्रोत**

**भारत शासन अधिनियम, 1935**

**संसदीय तंत्र, न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, आपातकालीन उपबन्ध**

**ब्रिटेन का संविधान**  
संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नायिकता, द्विसंसदीय, मत्रिमण्डल प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार

**आयरलैंड का संविधान**  
नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति

**संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान**  
मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक प्रशासनोकन का सिस्यान, उप राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाप्रियोग, उच्चतम व उत्तम न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना

**ऑस्ट्रेलिया का संविधान**  
समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

**जापान का संविधान**  
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

**फ्रांस का संविधान**  
प्रस्तावना में स्रोतत्रया, समानता और बन्धुत्व के आदर्श, गणतान्त्रिकता

**जर्मनी का संविधान**  
आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन

**कनाडा का संविधान**  
राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र में निहित होना।

**सोवियत संघ पूर्व का संविधान**  
मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में व्याप (सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक) का आदर्श

**दक्षिण अफ्रीका का संविधान**  
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया

### प्रस्तावना के तत्व

- अधिकार का स्रोत भारत की जनता होगी
- यह बताती है कि भारत एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राजव्यवस्था वाला देश है
- न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है
- 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ

### प्रस्तावना के मुख्य शब्द

- संप्रभुता - मतलब ना तो भारत के थी अन्य देश पर निर्भर है ना ही किसी देश का डोमिनियन।
- इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है

### समाजवादी

- 42 वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल
- हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है यह मिश्रित अर्थव्यवस्था में आस्था रखता है
- लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी की असमानता को समाप्त करता है
- भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिलाजुला रूप है
- उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति 1991 में समाजवाद को थोड़ा लचीला बना दिया

### धर्मनिरपेक्ष

- 42 वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया
- हमारे देश में सभी धर्म समान हैं उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है


- 25 to 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

### **लोकतांत्रिक**

लोकतंत्र दो प्रकार -प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष

- लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करें (स्विट्जरलैंड)
- प्रत्यक्ष के चार औजार - परिपृच्छा, पहल, प्रत्यावर्तन, जनमत, संग्रह
- हमारे यहां अप्रत्यक्ष लोकतंत्र - लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथ में शक्ति

अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का



- सामाजिक लोकतंत्र में स्वाधीनता समानता और भातृत्व को मान्यता
- 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संविधान का लक्ष्य सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना है जिसके प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके

### **गणतंत्र**

दो वर्ग

ब्रिटेन	अमेरिका
राजशाही	और
(राजा या रानी )	गणतंत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित समय के लिए चुनाव

प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात् राष्ट्रपति चुनाव के जरिए सत्ता में आता है (5 वर्ष अप्रत्यक्ष रूप से) गणतंत्र के अर्थ में दो बातें शामिल 1. राजनीतिक संप्रभुता लोगों के हाथ में

2. किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति

### **न्याय**

- रूसी क्रांति से लिया गया

### **तीन रूप**

#### **सामाजिक**

(जाति, रंग धर्म लिंग  
के बिना भेदभाव  
के समान व्यवहार)

#### **स्वतंत्रता**

#### **आर्थिक ,**

( आय, सम्पत्ति की असमानता  
को दूर करना)

#### **राजनैतिक**

(सभी को राजनीतिक  
अधिकार प्राप्त)

- फ्रांस की क्रांति से
- लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक-टोक नहीं
- स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी करने का लाइसेंस बल्कि कुछ सीमाएं भी होती हैं

### **समता**

- फ्रांस क्रांति से समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार के अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपबंध
- समता में तीन आयाम शामिल
  1. नागरिक
  2. राजनैतिक
  3. आर्थिक

### **बंधुत्व**

- फ्रांस की क्रांति से
- भाईचारे की भावना
- एकल नागरिकता भाईचारे की भावना को प्रकट करती है
- मौलिक कर्तव्य भी भाईचारे को प्रोत्साहन करते हैं

### **बंधुत्व के दो आयाम**

1. व्यक्ति का समान
2. देश की एकता और अखंडता

मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भी बंधुत्व की भावना प्रकट होती है

### **प्रस्तावना का महत्व**

- उन आधारभूत दर्शन और राजनैतिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों का उल्लेख संविधान का आधार है
- एस अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर के शब्दों में, प्रस्तावना दीर्घकालीन सपनों का विचार
- संविधान का सबसे सम्मानित भाग, संविधान की आत्मा

### **संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना**

- बेरुबाड़ी संग मामले (1960) में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है
- केशवानंद भारती मामले (1973) में प्रस्तावना संविधान का एक भाग है एलआईसी बैंक ऑफ इंडिया मामला (1995) में प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है

### **दो उल्लेखनीय तथ्य**

- ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत ना तो शक्ति पर पाबंद लगाएगी
- गैर न्यायिक

### **प्रस्तावना में संशोधन की संभावना**

- 368 संशोधन के जरिए इसकी मूल विशेषताओं में बदलाव कि नहीं होना चाहिए
- 42 संविधान संशोधन 1976 में इसमें तीन शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए

**Chapter 5**  
**संघ एवं इसके क्षेत्र**

### संघ एवं इसके क्षेत्र

- भाग -1 ,Article -1 to 4, इस वक्त 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं
- अनुच्छेद - 1 = भारत राज्यों का संघ होगा

#### दो तथ्य

- एक देश का नाम
- राज्य पद्धति का प्रकार

#### भारत का संघ कहने के दो कारण हैं

- संघ राज्यों के बीच कोई सहमति का परिणाम नहीं है
- यह विभक्त नहीं हो सकता

#### अनुच्छेद- 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है

- राज्यक्षेत्र

2. संघ क्षेत्र

3. ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है

- पहली अनुसूची - राज्य एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र विस्तार
- जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी पर व्यवस्था समान रूप से लागू
- आग- 21 के अंतर्गत कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध

1. महाराष्ट्र

2. गुजरात

3. नागार्जेंड

4. असम

5. मणिपुर

6. आंध्र प्रदेश

7. तेलंगाना

8. सिक्किम

9. मिजोरम

10. अरुणाचल प्रदेश

11. गोवा

- पांचवीं छठी अनुसूची में -अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध
- भारत का क्षेत्र, भारत के संघ से ज्यादा बड़ा है क्योंकि भारत के क्षेत्र में राज्य संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी लिया जा सकता है
- संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है (संधि, व्यवसाय, जीतकर)

#### Art -2

- संसद ,संघ में नए राज्यों का प्रवेश का गठन कर सकेगी
- नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करें (जो पहले से अस्तित्व में राज्य हैं)
- नए राज्यों के गठन करने की शक्ति- (नए राज्यों की स्थापना )

#### Art -3

नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है

1. किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग करने 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना
2. किसी राज्य को क्षेत्र को बढ़ाना घटाना सीमाओं में परिवर्तन नाम में परिवर्तन कर सकेगी

अनुच्छेद 3 में 2 शर्तें हुई हैं

1. राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी ऐसा करने से पहले
2. राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित राज्य के विधान मंडल का मत ले गा मत निश्चित सीमा के भीतर प्राप्त हो राष्ट्रपति मत को मानने के लिए बाध्य नहीं
- संघ सरकार राज्य को समाप्त कर सकती हैं पर राज्य सरकार संघ को नहीं समाप्त कर सकती

#### Art -4

- यह कहता है कि अनुच्छेद 2 अनुच्छेद ,3 लागू करने के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। वह सामान्य बहुमत से पारित होंगे
- क्या संसद किसी राज्य के क्षेत्र को समाप्त कर भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को दे सकती है
- संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और भारतीय क्षेत्र को अन्य देश को देने की नहीं है यह कार्य अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर किया जा सकता है
- इस तरह 9वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रभावी होने पर उक्त क्षेत्र को पाकिस्तान को दे दिया गया
- बेरुबाड़ी संघ (1960) - पश्चिम बंगाल
- 1969 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भारत और अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है यह कार्य कार्यपालिका द्वारा किया जा सकेगा इसने भारतीय क्षेत्र को विदेशों को सौंपना शामिल नहीं

#### **देसी रियासतों का एकीकरण**

- आजादी के बाद देसी रियासतों को तीन विकल्प दिए गए या तो भारत में शामिल हो या पाकिस्तान में शामिल हो यह स्वतंत्र रहे
- 552 में से 549 भारत में शामिल

हैदराबाद

पुलिस कार्यवाही द्वारा

जूनागढ़

जनमत द्वारा

और

कश्मीर

विलय पत्र द्वारा

#### **1950 में भारतीय संघ के राज्य के 4 भाग**

1. भाग- क (गवर्नर का शासन)
2. भाग -ख (शाही शासन)
3. भाग ग (ब्रिटिश भारत के आयुक्त का शासन एवं कुछ में शाही केंद्रीयकृत प्रशासन)
4. भाग -घ (अंडमान निकोबार)

#### **धर आयोग**

- जून 1948 में गठन एस के धर की अध्यक्षता में
- आयोग ने दिसंबर 1948 में रिपोर्ट दी
- कहा राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक सुविधा अनुसार हो
- असंतोष फैल गया

#### **जेवीपी समिति**

- जवाहरलाल नेहरू ,वल्लभभाई पटेल पट्टाभि सीतारामय्या
- दिसंबर 1948 में गठन
- 3 अप्रैल 1949 में रिपोर्ट ,भाषा का पुनर्गठन अस्वीकारा।
- 3 अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पुनर्गठन करना पड़ा ( मद्रास में तेलुगु भाषा -आंध्र प्रदेश)
- 56 दिनों की हड्डताल पोट्टी श्री रामल्लू ने की थी

#### **फजल अली आयोग**

- आंध्र प्रदेश के गठन के कारण अन्य राज्यों से मांग उठी
- 3 सदस्य के एम पणिकर, एक एन कुंजरू, फजल अली
- 1955 में रिपोर्ट पेश की कहा राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए पर
- एक राज्य एक भाषा को अस्वीकार किया

#### 4 बड़े कारण कहे

1. देश की एकता एवं सुरक्षा के अनुरक्षण एवं संरक्षण
  2. भाषाई व सांस्कृतिक एकरूपता
  3. वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क
  4. प्रत्येक राज्य एवं पूरे देश में लोगों के कल्याण की योजना और इसका संवर्धन
- इसने कहा 16 राज्य, 3 केंद्र शासित क्षेत्रों का निर्माण किया जाए
  - बहुत कम परिवर्तनों से इसे स्वीकार किया
  - 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग क, ख की दूरी समाप्त भाग ग खत्म
  - 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य से केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना

#### 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र

- 15वा राज्य गुजरात (बंबई से निकला)
- दादरा नगर हवेली - 1954 में पुर्तगाल का शासन
- 10 संविधान संशोधन 1961 में (केंद्र शासित प्रदेश)

दमन एवं दीव - 12वे संविधान संशोधन 1962 में (संघ शासित)

पुदुचेरी - भारत में पुदुचेरी, कराईकल, माहे, यनम के रूप में जाना गया  
14वां संविधान संशोधन 1962 में संघ शासित

- नागालैंड - 16 वा राज्य 1963 में
- हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश - 1966 में 17 वा राज हरियाणा 1966 में चंडीगढ़ (संघ शासित) 1971 में हिमाचल प्रदेश 18व राज्य बना
- शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब से हरियाणा अलग हुआ
- मणिपुर, त्रिपुरा एवं मेघालय 22वा का संविधान संशोधन से मेघालय स्वायत शासित राज्य बना

#### सिक्किम - 1947 तक शाही राज्य

- 35व संविधान संशोधन सिक्किम को संबंध राज्य का दर्जा
- नया अनुच्छेद 2 क (सिक्किम) हालांकि है अधिक नहीं चला
- 1975 में जनमत से चौंगयाल शासन खत्म
- 36वे संविधान संशोधन के बाद पूर्ण राज्य बना
- 22 वा राज्य
- मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में
- 1986 के समझौते के आधार पर जिस पर भारत सरकार और मिजो नेशनल फ्रंट ने हस्ताक्षर किए
- 1972 में अरुणाचल प्रदेश संघ शासित प्रदेश बना

छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड 2000 में

(मध्य प्रदेश से अलग हुआ)	(उत्तर प्रदेश से अलग हुआ)	(बिहार से अलग हुआ)
26 वा	27 वा	28 वा
○ तेलंगाना 2014 में 29 वां राज्य बना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ		
○ राजधानी हैदराबाद उच्च न्यायालय हैदराबाद		

### नामों में परिवर्तन


- संयुक्त प्रांत पहला राज्य जिसका नाम परिवर्तन किया गया
- उत्तर प्रदेश 1950 में
- मद्रास तमिलनाडु 1969 में
- मैसूरु -कर्नाटक 1973 में
- लकादीव मिनिकाय एवं अमनदीप- लक्षदीप
- दिल्ली का नाम -राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली 69 संविधान संशोधन 1991 द्वारा
- उत्तरांचल -उत्तराखण्ड 2006 पांडिचेरी -पुकुचेरी
- उड़ीसा -ओडिशा 2011 में

## Chapter 6 नागरिकता

भारत

(इकहरी नागरिकता)

अमेरिका (दोहरी नागरिकता)



स्वीजट्जरलैंड (तीहरी नागरिकता)

### अर्थ एवं महत्व

भारत में दो तरह के लोग

नागरिक

और

पूर्ण सदस्य,

विदेशी

नागरिक नहीं

(राजनीतिक अधिकार प्राप्त)

(राजनैतिक अधिकार नहीं)

विदेशी

<b>मित्र</b>	<b>शत्रु</b>
सकारात्मक संबंध	युद्ध चल रहा हो जिससे कम अधिकार प्राप्त

विदेशी गिरफ्तारी व नजरबंदी से सुरक्षित नहीं (अनुच्छेद - 22)

नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त विदेशियों को नहीं

- धर्म, मूल वंश, जाति लिंग या जन्म के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद- 15)
- अनुच्छेद - 16
- अनुच्छेद - 19
- अनुच्छेद 29 व 30
- लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार
- संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार
- सार्वजनिक पदों - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने का अधिकार

भारत का नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं जबकि अमेरिका में केवल जन्म से संवैधानिक उपबंध

- भाग-2 अनुच्छेद 5 से 11
- संविधान निर्माण के उपरांत चार श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने

**Art - 5**

वह जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है

- जन्म भारत में हुआ हो
- माता-पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो
- संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो

**Art-6**

एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता-पिता अविभाजित भारत में पैदा हुए हो और निम्न में से एक शर्त पूरी करता हो

- 19 जुलाई 1948 से पहले स्थानांतरित हुआ हो आपने प्रवासन की तिथि से उसने सामान्यता भारत में निवास किया हो
- यदि 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवासन किया हो तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो लेकिन पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास जरूरी है

**Art-7**

- एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया हो लेकिन फिर भारत लौट आए तो उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक भारत रहना होगा

**Art- 8**

- एक ही व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हो लेकिन भारत के बाहर रह रहे हों पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीकों या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो

**Art- 9**

- जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा वह भारत का नागरिक नहीं होगा

**Art- 10**

- प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है कि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करें
- इसका अर्थ कि संसद कोई भी कानून का निर्माण करेगी तो वह हर नागरिक पर लागू रहेगा

**Art-11**

- संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से संबंधित अन्य विषयों पर कानून बना सकती हैं

**नागरिकता अधिनियम 1955**

अर्जन एवं समाप्ति के बारे में उपबंध जन्म से

- यदि कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदा हुआ तो वे उसी दशा में भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता-पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिकों या माता या पिता में से एक उस समय भारत का नागरिक हूं दूसरा अवैध प्रवासी ना हो
- भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिक एवं शत्रु देश के बच्चों को भारत की नागरिकता अर्जन करने का अधिकार नहीं

**वंश के आधार पर**

- 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर भारतीय कांसुलेट में पंजीकरण ना कर दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से अवधि के बाद पंजीकरण ना हुआ हो
- बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए

**पंजीकरण द्वारा**

- वह व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो तो पंजीकरण करा सकता है आवेदन देने से पहले 7 वर्ष पूर्व भारत में रह चुका हूं
- वह जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो
- जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो आवेदन से 7 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो
- भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे
- कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो और उसके माता-पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो
- कोई व्यक्ति पूरी आयु व क्षमता का हो तथा वह या उसके माता-पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो या वह पंजीकरण आवेदन से पहले 12 महीनों से साधारणतया निवास कर रहा हो
- व्यक्ति आयु, क्षमता का हो वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 माह से साधारण निवास कर रहा हो

### प्राकृतिक रूप से

- अवैध प्रवासी ना हो
- ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते
- वह खुद के देश की नागरिकता को त्याग दें
- भारत सरकार की सेवा में हो आवेदन से पहले कम से कम 12 माह पूर्व भारत में रह रहा हो
- यदि 12 माह की अवधि के 14 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा इसकी अवधि 11 वर्ष से कम ना हो
- उसका चरित्र अच्छा हो
- आठवीं अनुसूची में लिखित भाषाओं का अच्छा ज्ञाता
- भारतीय सरकार इससे अपना दावा हटा भी सकती है

### क्षेत्र समाविष्ट द्वारा

- अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाए तो वहां के नागरिक भारत के नागरिक हो जाएंगे

### असम समझौता नागरिकता प्रावधान

- जो 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम आए और जो अपने प्रवेश के बाद से ही साधारणतया असम के निवासी हैं को एक जनवरी 1966 से भारत का नागरिक मान लिया जाएगा
- 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले बांग्लादेश से असम आया हो और अपने प्रवेश के समय से ही साधारणतया असम का निवासी है विदेशी रूप से पहचाना गया हो स्वयं को निबंधित करना होगा। विदेशी के रूप में पहचाने जाने के बाद 10 वर्षों की अवधि के बीच उसे भारत के नागरिक के समान अधिकार होंगे लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा

### लोकसभा में पारित हुआ नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016

#### चर्चा में क्यों?

- हाल ही में नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 (Citizenship Amendment Bill 2016) जो नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) में संशोधन करता है, लोकसभा में पारित हुआ।

#### विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

- 1. अवैध प्रवासियों की परिभाषा-** नागरिकता अधिनियम, 1955 अवैध प्रवासियों के भारत की नागरिकता हासिल करने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता है ताकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अवैध प्रवासियों (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सके।
- लेकिन इन अवैध प्रवासियों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने लिये केंद्र सरकार को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत भी छूट प्रदान करनी होगी।
- 2. देशीयकरण द्वारा नागरिकता-** 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों (Qualification) को पूरा करने वाले किसी भी व्यक्ति को देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति के लिये आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। लेकिन इस प्रकार नागरिकता प्राप्ति हेतु आवेदन करने के लिये यह अनिवार्य है कि नागरिकता के लिये आवेदन करने वाला व्यक्ति आवेदन करने से पहले एक निश्चित समयावधि से भारत में रह रहा हो अथवा केंद्र सरकार की नौकरी कर रहा हो और-

- (i) नागरिकता के लिये आवेदन करने वाला व्यक्ति आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले से भारत में रह रहा हो।
- (ii) 12 महीने से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष उसने भारत में बिताए हों।

लेकिन नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई प्रवासियों के लिये 11 वर्ष की शर्त को 6 वर्ष करने का प्रावधान करता है।

- ### 3. भारत के विदेशी नागरिकता (Overseas Citizenship of India-OCI) कार्डधारकों का पंजीकरण रद्द-
- 1955 के अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार निम्नलिखित आधारों पर OCI के पंजीकरण को रद्द कर सकती है-
- (i) यदि OCI ने धोखाधड़ी के ज़रिये पंजीकरण कराया हो।
  - (ii) यदि पंजीकरण कराने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के अंदर OCI कार्डधारक को 2 वर्ष अथवा उससे अधिक समय के लिये कारावास की सजा सुनाई गई हो।
  - नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 पंजीकरण रद्द करने के लिये एक और आधार जोड़ने का प्रावधान करता है। इस नए आधार के अनुसार, यदि OCI ने देश के किसी कानून का उल्लंघन किया हो तो उसका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

#### **नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 से संबंधित प्रमुख मुद्दे**

**क्या धर्म के आधार पर अंतर करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है?**

- विधेयक के अनुसार, जो अवैध प्रवासी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के हैं, उनके साथ अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इन देशों से आने वाले अवैध प्रवासी जिनका संबंध इन छः धर्मों से नहीं है, वे नागरिकता के लिये पात्र नहीं हैं।
- ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि यह अवैध प्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर करता है।
- संविधान का अनुच्छेद 14 समानता की गारंटी देता है। लेकिन यह कानून को व्यक्ति अथवा समूहों के बीच अंतर करने की अनुमति देता है वह भी उस स्थिति में जब किसी उपयुक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिये ऐसा करना तार्किक हो।
- नागरिकता संशोधन विधेयक, 2016 के उद्देश्यों तथा कारणों के वक्तव्य में अवैध प्रवासियों के बीच धर्म के आधार पर अंतर करने के पीछे के तर्क को स्पष्ट नहीं किया गया है।

**OCI पंजीकरण को रद्द करने का नया आधार कितना उचित है?**

- इस विधेयक के अनुसार, सरकार अब किसी भी उल्लंघन की स्थिति में OCI पंजीकरण को रद्द कर सकती है। इसमें हत्या जैसे गंभीर अपराध और ट्रैफिक कानून के उल्लंघन (जैसे नो पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना या लाल बत्ती पार करना आदि) जैसे मामूली अपराध भी शामिल होंगे।
- ऐसी स्थिति में प्रश्न यह उठता है कि क्या मामूली उल्लंघनों के कारण OCI पंजीकरण रद्द होना चाहिये जिसके कारण भारत में रहने वाले किसी OCI को देश छोड़कर जाना पड़ सकता है।

## राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का आखिरी मसौदा जारी

### चर्चा में क्यों?

- असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (National Register of Citizens-NRC) का दूसरा और आखिरी मसौदा जारी कर दिया गया। इसके तहत 2.90 करोड़ लोगों को राज्य का वैध नागरिक माना गया है। करीब 40 लाख लोग अपनी नागरिकता के वैध दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में नाकाम रहे हैं। इससे उनका भविष्य अधर में लटक गया है।

### राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर National Register of Citizens (NRC)

- NRC वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- NRC उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

### प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि जिनका नाम सूची में नहीं है उन्हें फिलहाल विदेशी घोषित नहीं किया जाएगा।
- एनआरसी में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम-पते और फोटो हैं जो 25 मार्च, 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जारी करने वाला असम देश का पहला राज्य बन गया है।
- राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यह हमेशा लोगों की यादों में बना रहेगा। राज्य में एहतियातन सभी 33 ज़िलों में धारा 144 लागू कर दी गई है।
- असम में वैध नागरिकता के लिये 3,29,91,384 लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 2,89,83,677 लोगों के पास ही नागरिकता के वैध दस्तावेज़ मिले।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा मसौदा पिछले वर्ष दिसंबर में जारी किया गया था। इसमें केवल 1.9 करोड़ लोगों को ही भारत का वैध नागरिक माना गया था।
- नागरिक रजिस्टर बनाने की पूरी प्रक्रिया सीधे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में संपन्न की गई है।

### नाम दर्ज कराने का मिलेगा मौका

- NRC के अनुसार यह अंतिम मसौदा है, फाइनल लिस्ट नहीं। छूट गए लोगों के नाम दर्ज करने के लिये 2500 ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है।
- इन गठित ट्रिब्यूनल में 25 मार्च, 1971 से पहले के नागरिकता संबंधी वैध दस्तावेज़ पेश करने होंगे। इसके लिये उन्हें एक फॉर्म भरना होगा।
- इसके बाद उन्हें अपने दावे को दर्ज कराने के लिये अन्य निर्दिष्ट फॉर्म भरना होगा, जो 30 अगस्त से 28 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। फाइनल लिस्ट 31 दिसंबर तक जारी होगी।

- किन्हें अवैध करार दिया गया
- जो एनआरसी में वैध दस्तावेज़ संबंधी कार्रवाई पूरी नहीं कर सके।
- जिनके पास 25 मार्च, 1971 से पहले की नागरिकता के कानूनी दस्तावेज़ नहीं हैं।
- चोरी-छिपे बांग्लादेश से आए लोग भी भारतीय दस्तावेज़ पेश नहीं कर पाए।
- संदिग्ध मतदाताओं, उनके आश्रितों, विदेशी न्यायाधिकरण में गए लोगों और उनके बच्चों को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है।

### **पृष्ठभूमि**

- असम में अवैध रूप से रह रहे लोगों को निकालने के लिये सबसे पहले 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) बनाया गया था।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अवैध रूप से रह रहे लोगों की सही तरह पहचान कर उन्हें वापस उनके देश भेजना है।
- घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिये पहला आंदोलन 1979 में ऑल असम स्ट्रॉडेंट यूनियन और असम गण परिषद ने शुरू किया। इस आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया और करीब 6 साल तक चला। इसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई।
- 1985 में केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ ऑल असम स्ट्रॉडेंट यूनियन और असम गण परिषद के नेताओं की वार्ता हुई।
- इस वार्ता में 1951 से 1971 के बीच भारत आए लोगों को नागरिकता देने और 1971 के बाद बांग्लादेश से आए लोगों को वापस भेजने की बात तय हुई। लेकिन यह वार्ता आगे नहीं बढ़ सकी।

### **नागरिकता की समाप्ति**

#### **स्वैच्छिक त्याग**

- वह नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का अगर वह चाहें तो भारत की नागरिकता त्याग सकता है।
- यदि जब युद्ध चल रहा हो तो सरकार पंजीकरण एक तरफ रख सकता है।
- जो नागरिक त्याग देता है उसका नाबालिक बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं रहता है। अगर बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है।

#### **बर्खास्तगी के द्वारा**

- अगर कोई स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता बर्खास्त हो जाएगी।
- युद्ध के दौरान नहीं

#### **वंचित करने पर**

- यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो।
- यदि नागरिक संविधान का अनादर करें।
- युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैरकानूनी संबंध।
- पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष कैद हो।
- नागरिक भारत से बाहर 7 वर्ष रह रहा हो।
- इन सभी कारणों से नागरिक को वंचित दिया जाएगा।

### एकल नागरिकता - कनाडा की तरह

- भारत में एक नागरिकता -अमेरिका में दोहरी
- दोहरी नागरिकता भेदभाव पैदा करती है
- हालांकि एकल नागरिकता में भी कुछ अपवाद है 80
- (A-16) राज्य विशेष में रहने वालों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है
- (A-15) निवास के आधार पर किसी को विशेष सुविधा
- (A-19) जनजातीय क्षेत्रों में निवास पर प्रतिबंध

**Chapter 7**  
**मूल अधिकार**

### मूल अधिकार

- भाग - 3 ,Art - 12 to 35
- अमेरिकी संविधान के लिए गया
- भाग - 3 भारत का मैग्नाकार्टा राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति
- उद्देश्य - कानून की सरकार बनाना ना कि व्यक्तियों की
- चहुमुखी विकास :भौतिक ,बौद्धिक नैतिक एवं आध्यात्मिक
- संपत्ति का अधिकार 44वे संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया
- अब यह कानूनी अधिकार है भाग -12 में ,अनुच्छेद 300क मे

क्र.सं.	संविधान में वर्णित मूल अधिकार	
1.	समानता का अधिकार	अनुच्छेद 14-18
2.	स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 19-22
3.	शोषण के विरुद्ध अधिकार	अनुच्छेद 23-24
4.	धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार	अनुच्छेद 25-28
5.	संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार	अनुच्छेद 29-30
6.	संवैधानिक उपचारों का अधिकार	अनुच्छेद 32

नोट: अनुच्छेद 31-संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान

### मूल अधिकारों की विशेषताएं

- कुछ नागरिकों के लिए हैं जबकि कुछ नागरिकों व विदेशियों दोनों के लिए
- असीमित नहीं वादयोग्य है। युक्ति युक्ति प्रतिबंध लग सकते हैं
- ज्यादातर राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ
- कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक न्यायोचित
- उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी और सुरक्षा
- यह स्थाई नहीं हैं
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान (20, 21) को छोड़कर बाकी सब निलंबित। Art - 19 को तब स्थगित किया जा सकता है जब युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल हो
- अनुच्छेद 31क, 31ख, 31 द्वारा इनके कार्यान्वयन की सीमाएं हैं
- अनुच्छेद -33, 34, 35

### राज्य की परिभाषा Art -12

- कार्यकारी विधायी अंगों को संघीय सरकार में क्रियांवित करने वाली सरकार और भारत की संसद
- राज्य सरकार के विधायी अंगों को प्रभावित करने वाली सरकार और राज्य विधान मंडल
- सभी स्थानीय निकाय अर्थात नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड सुधार न्यास आदि
- अन्य सभी निकाय अर्थात वैधानिक या गैर वैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, SALE आदि
- जब मूल अधिकारों का हनन हो तो अदालत राज्य के अंतर्गत इन सभी को चुनौती दे सकती हैं
- उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी भी उस इकाई या एजेंसी को जो बतौर राज्य की संस्था काम कर रही हो वह Art 12 के तहत राज के अर्थ में आती है

### मूल अधिकारों से असंगत विधिया Art -13

- वह कोई भी विधि जो मूल अधिकारों के खिलाफ होगी उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा यह उच्चतम न्यायालय Art - 32, उच्च न्यायालय आ-226 द्वारा की जा सकती है

### Art-13 में निम्नलिखित विधियां आती हैं

- A- 1-स्थाई विधिया - संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित
- B- 2-अस्थाई विधियां राज्यपालों यह राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश
- C- 3- प्रत्यायोजित (कार्यपालिका) विधान संविधानिक साधन जैसे अध्यादेश आदेश उपविधि नियम विनिमय या अधिसूचना
- D- 4- विधि के गैर विधायी स्रोत
- विधि का बल रखने वाली रुढ़ि या प्रथा
- अगर वह अधिकारों का हनन हो रहा हो तो इन सभी को चुनौती दी जा सकती है

- Art-13 कहता है कि संविधान संशोधन कोई विधि नहीं इसलिए उसे चुनौती नहीं दी जा सकती पर केशवानंद भारती मामले में कहा गया कि अगर मूलअधिकारों का हनन हो तो संशोधन को चुनौती दी जा सकती हैं अगर वह मूल ढांचे के खिलाफ हो

### समानता का अधिकार

विधि के समझ समता और विधियों का समान संरक्षण

#### **ब्रिटिश (-)**

यह एक पर लागू होगा  
चाहे गरीब हो या अमीर  
कोई भी व्यक्ति को विशेषाधिकार नहीं  
सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार  
कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं  
समान विधियां समान नियम

#### **अमेरिका (+)**

यह समान व्यक्तियों पर लागू होगा  
समान परिस्थितियों में समान व्यवहार  
समान विधियां समान नियम  
बिना भेदभाव के साथ समान व्यवहार

- Art-14 नागरिक और विदेशी दोनों पर लागू
- व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति कंपनियां पंजीकृत समितियां या किसी भी तरह का अन्य विधिक व्यक्ति शामिल
- उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां समान और असमान के बीच अलग-अलग व्यवहार हो वहां Art-14 लागू नहीं

### विधि का शासन Art-14

ए. बी. डायसी ने कहा

- विधि के समक्ष समता, विधि के शासन का मूल तत्व है

उनके अनुसार तीन अवधारणायें

- विधि के उल्लंघन के सिवाय किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता
- कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं
- संविधान व्यक्तियों के अधिकार का परिणाम है न कि स्रोत

पर हमारे संविधान में पहले दो बात लागू होती हैं तीसरी नहीं हमारे यहां संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है

विधि के शासन को किसी भी विधि द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि है मूलभूत तत्व है

**समता के अपवाद**

- राष्ट्रपति राज्यपाल किसी निर्णय के प्रति न्यायालय में जबावदेह नहीं राष्ट्रपति राज्यपाल के प्रति उनके कार्य कार्य दौरान कोई दाइंडक कार्यवाही नहीं
- राष्ट्रपति राज्यपाल की पदावधि में गिरफ्तारी या कार्यवाही के लिए न्यायालय में कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं
- राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए कोई दीवानी मुकदमा चलना है तो उन्हें 2 माह पहले सूचना दी जाए
- अगर कोई संसद के किसी सदस्य राज्य विधान मंडल की कारवाई का प्रकाशन समाचार पत्र में करें तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं
- संसद में, किसी सदस्य द्वारा कही गई कोई बात या दिया गए मत के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं
- राज्य विधान मंडल में भी दिए गए मत के संबंध में न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं Art-194
- जहां A-31G आता है वहां A-14 चला जाता है
- विदेशी शासक, राजदूत, कूटनीतिज व्यक्ति दीवानी फौजदारी मुकदमे से मुक्त होंगे

- संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी एजेंसियों को भी कूटनीतिक मुक्ति प्राप्त है

#### **Art-15 कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेद**

- Art-15 की पहली व्यवस्था कहती है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश जाति लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा
  - भेदभाव का अर्थ - एक के विरुद्ध रहना और दूसरे के पक्ष में रहना
  - केवल का अर्थ - कि इन पांचों के अलावा यह प्राथमिक रूप से भेदभाव नहीं, द्वितीय रूप में हो सकता है
  - Art-15 की दूसरी व्यवस्था कहती है कि कोई नागरिक दूसरे नागरिक से केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर भेदभाव नहीं करेगा
1. दुकानों सार्वजनिक भोजनालय होटलों सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश
  2. कुओं, तालाबों में प्रवेश आदि

#### **अपवाद**

1. बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था हो सकते हैं
2. राज्य, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध करें
3. राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है
- इसे 93वें संशोधन 2005 में शामिल किया जिससे पिछड़े वर्गों के लिए 27 सीटें आरक्षित की अप्रैल 2008 में इसे उच्चतम न्यायालय द्वारा वैधता दी गयी लेकिन केंद्र सरकार को कहा गया क्रीमीलेयर के सिद्धांत का पालन करें

#### **क्रीमीलेयर**

- ऐसे बहुत से OBC जिनका स्तर अच्छा हो चुका है उन्हें आरक्षण ना दे
- Q. इनमें एससी एसटी शामिल नहीं क्यों
- Ans. क्योंकि अभी उनका उतना विकास नहीं हो पाया है

#### **क्रीमी लेयर में कौन कौन शामिल**

- संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति
- वर्ग A, वर्ग A, B या क्लास 2 के अधिकारी जो केंद्रीय सेवाओं में हैं बैंक बीमा कंपनियों विश्वविद्यालयों आदि
- सेना में कर्नल या ऊपर के रैंक के अधिकारी या नौसेना वायु सेना या अर्धसैनिक बलों
- डॉक्टर अधिवक्ता इंजीनियर कलाकार लेखक सलाहकार आदि
- व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग में लगे व्यक्ति
- शहरी क्षेत्रों में जिनके पास भवन हैं जिनके पास निश्चित सीमा से अधिक रखी भूमि हैं
- सालाना आय 6 लाख है

#### **Art -16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता**

- Art-16 मर्म में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी
- केवल भारत के नागरिकों के लिए

- धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए आयोग नहीं ठहराया जाएगा

#### अपवाद

- संसद विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त रख सकती है जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए
- राज नियुक्तियों के लिए आरक्षण व्यवस्था कर सकता है
- विधि के तहत किसी संस्था के सदस्यों के लिए धार्मिक आधार पर व्यवस्था हो सकती है

#### मंडल आयोग और उसके परिणाम

- 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बी पी मंडल की अध्यक्षता में किया
- Art-340 के तहत संविधान एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उन्नति की व्यवस्था प्रस्तुत करता है आयोग ने 3743 जातियों की पहचान की, जनसंख्या का 52%, SC, ST इसमें शामिल नहीं
- 27% आरक्षण की बात
- एससी एसटी को मिलाकर 50% हो गया
- 1990 में बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दे दिया

नरसिंह राव ने दो परिवर्तन पेश किए

- 27% पिछड़े वर्ग के लिए
- 10% आम गरीब जनता के लिए

उच्चतम न्यायालय ने 10% वाली बात तो करा कर केवल 27% स्वीकार किया

#### Condition

- क्रीमीलेयर वाले लोग आरक्षण के बाहर
- प्रोन्नति में आरक्षण नहीं
- कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं
- आगे ले जाने का नियम रिक्त पदों के लिए वैद्य
- स्थाई गैर विधायी इकाई जो देखें किसको आरक्षण देना किसको नहीं

#### सरकार के कदम

- रामनंदन समिति 1993 में ओबीसी बच्चों को क्रीमी लेयर में रखना है देखने के लिए
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में जो देखे किसका आरक्षण में नाम रखना किसका नहीं
- प्रोन्नति में आरक्षण को समाप्त करने के मामले में 77वें संशोधन अधिनियम 1995 पास। राज्य को शक्ति दे दी के आरक्षण दे सकता है प्रोन्नति में अगर राज्य चाहे तो
- 81वें संविधान संशोधन 2000 के तहत बैकलॉग रिक्तियां रद्द
- बैकलॉग रिक्तियों में 50% सीमा समाप्त
- 76वें संशोधन अधिनियम 1994 में तमिलनाडु आरक्षण अधिनियम 1994, 9वीं सूची के तहत 69% आरक्षण को 50% कर दिया

#### अस्पृश्यता का अंत

- जो व्यक्ति Art-17 के तहत दोषी करार हो उसे संसद या राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य करार कर दिया जाएगा

- अस्पृश्यता को समाप्त करता है
- अस्पृश्यता को ना तो संविधान में ना ही अधिनियम में परिभाषित किया गया
- मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार पर सामाजिक निर्यात की व्यक्ति को अपराध मानता है

जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत ₹500 जुर्माना छह माह की सजा का प्रावधान

यह निम्नलिखित को अपराध मानता है

1. सार्वजनिक पूजा स्थल में प्रवेश
2. धार्मिक दार्शनिक आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना
3. दुकान होटल मनोरंजन में प्रवेश से इनकार
4. अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बेइज्जती
5. अस्पतालों हॉस्टल में प्रवेश पर रोक
6. प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना

#### उपाधियों का अंत Art-18

#### 4 प्रावधान

1. सेना या विधा संबंधी उपाधि के सिवाय और कोई उपाधि नहीं
2. भारत का कोई नागरिक विदेश से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा
3. कोई विदेशी जो भारत के अधीन लावा विश्वास के पद पर है वह किसी भी देश से बिना राष्ट्रपति की सहमति से उपाधि प्राप्त नहीं करेगा
4. राज्य के अधीन कोई पद धारण करने वाला व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेट राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा
- न्यायालय ने 1996 में कहा पदम विभूषण, पदम श्री, पदम भूषण कोई उपाधि नहीं है बस कोई अपने नाम के पहले इन्हें इस्तेमाल ना करें वरना उन्हें यह पुरस्कार को त्यागना होगा

#### स्वतंत्रता का अधिकार Art-19

6 अधिकारों की गारंटी देता है

#### 1. वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता

- किसी भी व्यक्ति को बोलने का अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति दर्शाने मत देने का अधिकार है इस पर तभी प्रतिबंध लगेगा अगर वह भारत की एकता एवं संप्रभुता राज्य की सुरक्षा विदेशी राज्य से मित्रवत संबंध सार्वजनिक आदेश नैतिकता के स्थापना न्यायालय की अवमानना किसी अपराध में संलिप्तता में हो

#### 2. शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता

- किसी भी नागरिक को बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार है
- इनमें शामिल है
- सार्वजनिक बैठकों में भाग लेने का अधिकार एवं प्रदर्शन
- बिना हथियार के हो
- हड्डाल का अधिकार शामिल नहीं

#### दो प्रतिबंध

- भारत की एकता ,अखंडता एवं सार्वजनिक आदेश सहित संबंधित क्षेत्र में यातायात नियंत्रण
- धारा 144 के अंतर्गत एक नया दे किसी संगठित बैठक को किसी व्यवधान के खतरे के तहत रोक सकता है
- धारा 141 के तहत 5 या उससे अधिक लोगों का संगठन गैरकानूनी हो सकता है

### 3. संगम या संघ बनाने का अधिकार

- सभी नागरिकों को सभा संघ अथवा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है
- उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था के कि श्रम संगठनों को मोलभाव करने हड्डताल करने एवं तालाबंदी करने का कोई अधिकार नहीं

### 4. अबाध संचरण की स्वतंत्रता

- प्रत्येक नागरिक को कहीं भी घूमने का अधिकार देता है

### दो प्रतिबंध

आम लोगों का है

अनुसूचित जाति की सुरक्षा तथा हित

- किसी वेश्या को कहीं भी घूमने की मनाही है
- एड्स पीड़ित व्यक्ति के संचरण पर प्रतिबंध

### संचरण की स्वतंत्रता के दो भाग

- आंतरिक (देश के अंदर) A-19
- बाहरी (देश के बाहर घूमने का अधिकार) A-21

### निवास का अधिकार

- देश के किसी भी हिस्से में बसने का अधिकार

### 2 भाग

- अस्थाई रूप से (किराए वगैरह पर)
- स्थाई रूप से (अपना घर बनाना)

### दो प्रतिबंध

- आम लोगों का हित
- अनुसूचित जनजातियों का हित
- कुछ लोगों के घूमने पर प्रतिबंध
- वेश्या या पेशेवर अपराधी

### व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता

- सभी नागरिकों को किसी भी व्यवसाय को करने पेशा अपनाने और व्यापार शुरू करने का अधिकार है

### युक्तियुक्त प्रतिबंध

- किसी पैसे के लिए कोई तार्किक तकनीकी योग्यता को जरूरी ठहरा सकता है
- किसी व्यापार व्यवसाय उद्योग या सेवा को आंशिक रूप से जारी रख सकता है

### अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण Art-20

- अगर किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध हो जाने पर संरक्षण

### तीन व्यवस्था

- 1 - कोई पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं
  - कोई पहले कि कानून की सजा नहीं दी जाएगी

2- दोहरी क्षति नहीं

- एक कानून की दो बार सजा नहीं

3- स्व अभिसंशन नहीं

- किसी को अपना गुनाह या अपने खिलाफ सबूत देने को नहीं कहा जाएगा

### Art-21 प्राण या दैहिक स्वतंत्रता

- Art-21 में कहा गया कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं
- गोपालन मामले 1950 में बोला कि केवल कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध ही संरक्षण मिलेगा अन्यथा नहीं
- मेनका मामला 1978 में बोला केवल कार्यकारी प्रक्रिया के विरुद्ध कारण नहीं बल्कि विधानमंडल प्रक्रिया के विरुद्ध भी प्राप्त है
- प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार निजता का अधिकार
- 14 वर्ष की उम्र तक निशुल्क शिक्षा का अधिकार
- पर्यावरण की सुरक्षा करो स्वच्छ रहो

(National green tribunal बनाया गया)

### शिक्षा का अधिकार

- Art-21 (A) Fundamental right 1993 में जुड़ा
- DPSP-45
- Duty-51 (क) 86वें 200वें संशोधन में। (नागरिक का कर्तव्य)
- राज्य 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा

### निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण Art-22

- Art-20 में यह बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है तो उसके बाद उसे क्या कदम उठाने चाहिए पर Art-22 में यह बताया गया गिरफ्तारी से पहले क्या-क्या सुरक्षा है
- दंड विषयक - सजा देने वाला
- निवारक - बचाना (दंड विषयक से बेहतर)

### Art-22 के दो भाग

1. साधारण कानूनी मामले से संबंधित
2. निवारक हिरासत मामले से संबंधित

### पहले में

विदेशी और निवारक हिरासत वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं

- गिरफ्तार होने के आधार पर सूचना का अधिकार
- वकील से बात करने का अधिकार
- दंडाधिकारी के सामने 24 घंटे में, (यात्रा के समय को मिलाकर) पेश होने का अधिकार

- अगर दंडाधिकारी के सामने प्रस्तुत ना हो 24 घंटे में रिहा होने का अधिकार
- वहाँ Implement नहीं जहाँ court ने गिरफ्तारी करने के order दिया हो जब अधिकार है, गिरफ्तारी आयकर ना देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के कपड़े जाने पर

## दूसरा भाग

### विदेशियों के लिए उपलब्ध

- उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है जो दंड विषयक के अंतर्गत गिरफ्तार हुए हैं

- A- 1-अगर किसी पर संदेह हो तो उसे 3 महीने के लिए हिरासत में रख सकते हैं उसके बाद सलाहकार बोर्ड से राय लेनी पड़ती है (बोर्ड के सदस्य उच्च न्यायालयों के अध्यक्ष )
- B- 2-जिसको गिरफ्तार किया उसको बताना है कि क्यों गिरफ्तार किया
- C- 3-व्यक्ति को अधिकार केवल खुद को निर्दोष साबित कर सके
- Art-22 संसद को कहता है कि अगर वह 3 माह से अधिक किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की आज्ञा के बिना रखती है तो वह बताएगी की परिस्थिति क्या है
  - 44वें संशोधन 1978 में 3 माह की अवधि बिना सलाहकार बोर्ड के घटा कर दो माह की हालांकि यह प्रयोग में नहीं आई
  - निवारक के मामले संसद और विधानमंडल के बीच बांटे गए
- 1- संसद -निरोध, रक्षा ,विदेश मामले भारत की सुरक्षा के संबंध में
- 2- संसद एवं विधान मंडल के पास वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के मामले आदि

### शोषण के विरुद्ध अधिकार

मानव दुरव्यापार एवं बलात श्रम का निषेध Art-23 ( विदेशी नागरिक दोनों के लिए )

- इसमें मानव के साथ दुर्व्यापार या बच्चों द्वारा श्रम बेगार शामिल
- व्यक्तियों को व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान

### मानव दुरव्यापार में शामिल –

1 पुरुष महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री

2-महिलाओं और बच्चों से अनैतिक व्यवहार

3-देवदासी

4- दास

- बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, ठेका श्रमिक अधिनियम 1970, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाए गए
- Art-23 में कहा गया कि अगर राज्य से हैं तो सैन्य सेवा ले सकता है नागरिकों से चाहे तो वेतन दे या ना दे लेकिन इसमें भेदभाव नहीं कर सकता (कि ऐसा नहीं है कि SC-ST से सेवा ले बाकियों से नहीं)

### कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध Art-24

- 14 साल से कम के बच्चों को पटाखे की फैक्ट्री या रेलवे वगैरह में काम ना करवाया जाए जहाँ पर भी बच्चों को नुकसान होता है वहाँ पर बच्चों को काम नहीं करवाना है
- उच्चतम न्यायालय के निर्देश 1996 में
- जो बच्चों को काम दे रहा है उसे प्रति बालक 20000 रुपये जुर्माना बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में

- राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग का गठन
- बच्चों के लिए कोर्ट बनाए गए
- 2006 में सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटलों ढाबा रेस्टोरेंट दुकानों कारखानों और चाय की दुकानों आदि में नियोजन पर रोक
- 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही

### **बाल श्रम संशोधन 2016**

- 1986 को संशोधित किया
- 14 साल से कम के बच्चों से कार्य नहीं
- 14 से 18 वर्ष की गई
- 2 वर्ष कैद 5000 जुर्माना अपराध दौरा जाने की स्थिति में कैद 1 से 3 वर्ष

### **धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार**

- Art-25 अंत करण की स्वतंत्रता और धर्म के अवैध रूप से मानने आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता ( सभी व्यक्तियों के लिए विदेशी नागरिक दोनों के लिए)

### **अंत करण के स्वतंत्रता**

- किसी भी व्यक्ति को भगवान् या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध बनाने के आंतरिक स्वतंत्रता

### **मानने का अधिकार**

- अपने धार्मिक विश्वास और आस्था की सार्वजनिक और बिना भय के घोषणा का अधिकार

### **आचरण का अधिकार**

- धार्मिक पूजा परंपरा तमारों करने और अपनी आस्था और विचारों के प्रदर्शन की स्वतंत्रता

### **प्रसार का अधिकार**

- अपने धर्म का प्रसार करने का अधिकार बस दूसरे को जबरदस्ती अपने धर्म में बदलने का अधिकार नहीं

### **राज्य को आज्ञा**

- अगर कोई उल्टी-सीधी हरकत करें धर्म के मामले में तो प्रतिबंध लगा सकता है
- सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए हिंदुओं के धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए खोलना

### **अनुच्छेद 25 में 2 अनुबंध**

1-कृपाण धारण करना एक धर्म का अंग होना

2-हिंदू, जैन, बौद्ध इसमें शामिल होंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता Art 26 समुदाय के लिए

### **धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार**

- धर्म विषयक का प्रबंध करने का अधिकार
- गाड़ी, संपत्ति के अर्जन और ownership का अधिकार
- ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन का अधिकार

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि धार्मिक समुदाय तीन शर्त पूरी करें 1-यह व्यक्तियों का समूह जिनका एक ही धर्म में विश्वास हो

2-सामान्य संगठन हो

3- एक विशिष्ट नाम हो

रामकिशन मिशन और आनंद मार्ग धार्मिक समुदाय है अरविंदो सोसाइटी धार्मिक संप्रदाय नहीं है

### धर्म की अभिवृद्धि के लिए करो के संदाय Art-27

- धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करो के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा
- राज्य कर को किसी विशिष्ट धर्म में इस्तेमाल नहीं करेगा
- कर नहीं ले सकता शुल्क कर ले सकता है (तीर्थयात्री)

### धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता Art-28

1-जो संस्थान राज्य द्वारा चलाया जा रहा है उसमें धार्मिक शिक्षा ना दिया जाए

2-उन संस्थाओं में लागू नहीं जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हो (धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं)

राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान

स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है

ऐसे जो राज्य द्वारा वित्र प्राप्त करें

### संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

### अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण Art-29

(धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक की रक्षा)

- यह कहता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी भाग को जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है (समूह की रक्षा)
- इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उसे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश रोका नहीं जा सकता (व्यक्तिगत सुरक्षा) अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए
- अपनी भाषा को सुरक्षित करने के लिए आंदोलन कर सकते हैं

### शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

- केवल अल्पसंख्यक के लिए (धार्मिक भाषाई)

किसी को अल्पसंख्यक घोषित करने के लिए तीन condition

1- देश के किसी भी हिस्से में जिन लोगों की संख्या कम

2-हमारे देश के अंदर ही हो

3-वह चाहते हो कि हमें अल्पसंख्यक का Status दिया जाए

### अधिकार

- अपना स्कूल बना सकते हैं शिक्षा संस्थान
- संपत्ति का अधिकार (अगर उनकी संपत्ति ले ली गई है तो उन्हें दूसरी जगह संपत्ति दे दी जाएगी) राज्य आर्थिक सहायता में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित संस्थाओं में विभेद नहीं करेगा
- ससद निर्णय लेगी कौन अल्पसंख्यक है कौन नहीं
- अल्पसंख्यक अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षित कर सकते हैं
- अल्पसंख्यक में तीन प्रकार के शिक्षा केंद्र

A- 1-राज्य से आर्थिक सहायता और मान्यता प्राप्त केंद्र

B- 2- ऐसे जो राज्य से मरता लेते हैं पर आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं

C- 3-ऐसे जो ना तो मान्यता लेते हैं और ना ही सहायता

पहले दो में राज्य का हाथ होगा राज्य तक कुछ डिसाइड करेगा तीसरे वाले में खुद तय करेंगे

### संविधानिक उपचारों का अधिकार Art-32

- डॉ बी आर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा
- मूल अधिकारों का संरक्षक, स्वयं में मूल अधिकार
- उच्चतम न्यायालय की Duty -FR की रक्षा करें

### चार प्रावधान

1-अगर अधिकारों का हनन हो तो उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं 2-उच्चतम न्यायालय को किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा रिट जारी कर सकता है

3- संसद रिट जारी करने की शक्ति अन्य न्यायालय को भी दे सकता है (उच्चतम न्यायालय Art-32, उच्च न्यायालय Art-226)

4-उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को सामान्य तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता (संविधान में लिखे अनुसार होगा) राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इन्हें स्थगित कर सकता है

### रिट प्रकार एवं क्षेत्र - English law से Borrow की गयी

उच्चतम न्यायालय = A-32

उच्च न्यायालय = A-226 द्वारा जारी करता है

#### उच्चतम

केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करता है

Power सभी क्षेत्रों में यह किसी नागरिक को रक्षा के लिए मना नहीं कर सकता

सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटी देने वाला कहा गया बंदी प्रत्यक्षीकरण -को प्रस्तुत किया जाए

- उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है (अगर मामला अवैध तो व्यक्ति को रिहा कर दिया जाता है) सरकारी और निजी दोनों के खिलाफ जारी हो सकता है
- तब जारी नहीं किया जा सकता

जब

1-अगर किसी को Proper कानून के द्वारा गिरफ्तार किया गया हो

2-किसी ने विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना की हो

3- न्यायालय द्वारा हिरासत मिली हो 4-हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर हो

#### उच्च

यह किसी भी उद्देश्य के लिए रिट जारी कर सकता है

उच्च न्यायालय की केवल अपने क्षेत्र में

यह कर सकता है

परमादेश -हम आदेश देते हैं

- जिसे कोर्ट द्वारा सरकारी अधिकारियों के लिए issue किया जाए ताकि उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके
- सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालय, Tribunal, सरकार के खिलाफ जारी

### किसके खिलाफ जारी नहीं

- निजी व्यक्तियों या इकाई के खिलाफ गैर संवैधानिक विभाग के खिलाफ
- जिसका कर्तव्य जरूरी नहीं है
- संविदात्मक दायित्व को लागू करने के विरुद्ध
- राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध

### प्रतिषेध - रोकना

- उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थों को रोकना
- यह परमादेश की तरह नहीं यह किसी व्यक्ति के गलत काम करने के बाद लागू होती है
- केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के विरुद्ध
- प्रशासनिक प्राधिकरण विधाएं निकायों एवं निजी व्यक्ति के लिए उपलब्ध नहीं

### उत्प्रेषण - सूचना देना

- उच्च न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को
- अगर किसी ने पूरा काम अपने क्षेत्र के बाहर आकर कर दिया है तो उसे कैसे ठीक करना है देखा जाता है
- पहले यह केवल न्यायिक अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी होता था 1991 के बाद प्रशासनिक अधिकरण के लिए भी

### कौन शामिल नहीं

- विधायी निकाय
- निजी व्यक्तियों और इकाई

### अधिकार पृच्छा - प्राधिकृत या वारंट के द्वारा

- न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में गमते में घुसकर कार्य करने लगता है उसके खिलाफ
- व्यक्ति के लोग कार्यालय के अवैध अनाधिकरण ग्रहण से रोकता है
- इसमें पीड़ित व्यक्ति भी जा सकता है और इच्छुक भी

#### कहाँ issue होगा

- सार्वजनिक कार्यालय जब
- उसका निर्माण संविधानिक हो

#### कहाँ issue नहीं होगा

- मंत्रित्व कार्यालय में
- निजी कार्यालय में

### सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार A-33

- यह बताता है कि जो भी हमें अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा में कुछ ना कुछ हाथ सशस्त्र बलों, पुलिस बलों का भी है संसद सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बलों पुलिस बलों पर युक्तियुक्त प्रबंध लगा सकती है ताकि यह लोग अनुशासन में रहकर कार्य करें क्योंकि अगर इन्हें सभी अधिकार दिए जाएं तो यह ऐसे कार्य करेंगे जो इन्हें नहीं करना चाहिए अगर यह खुद FR use करेंगे तो कर्तव्य follow नहीं कर पाएंगे

- A-33 की विधि का निर्माण केवल संसद कर सकती है विधानमंडल नहीं (संसद के कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती)

### प्रतिबंध

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता श्रमिक संघों या राजनीतिक संगठन बनाने का अधिकार
- संगठन बनाने का अधिकार
- प्रेस से मुखातिब होने का अधिकार
- सार्वजनिक बैठकों या प्रदर्शन का अधिकार
- यह सब National condition में प्रतिबंध लगते हैं
- जब मार्शल ला लगता है तो A-33 नहीं लगता, writs भी नहीं लगते

### मार्शल ला

- जब मार्शल ला लगता है तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लग जाता है संसद को इस बात की शक्ति किसी सरकारी कर्मचारी कोई अन्य व्यक्ति को उसके द्वारा दिए जाने वाली व्यवस्था को बरकरार रखें
- मार्शल ला वाले क्षेत्र में संसद दंड या अन्य आदेश को वैधता दे सकती है ऐसा शासन जहां पर सेना द्वारा सामान्य कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए
- संविधान में रखा तो है पर define नहीं किया गया
- मार्शल ला के वक्त सेना के हाथ में बहुत ज्यादा शक्ति
- मार्शल ला के वक्त बंदी प्रत्यक्षीकरण निलंबित नहीं होगी

### कुछ मूल अधिकारों का प्रभाव A-35

- इसमें संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है कई बार 2-3 स्टेट मिलकर केंद्र से कानून बनवा सकते हैं
- संसद के पास निम्नलिखित मामलों में अधिकार होगा
- A-16
- A-32 writ देने की शक्ति अधीनस्थ न्यायालयों को
- A-33
- A-34

### दंडित करने का अधिकार

- A-17 के तहत, A-23 के तहत

### Chapter – 8 राज्य के नीति निर्देशक तत्व

- भाग - 4 Art-36-51
- 1937 के आयरलैंड के संविधान से लिए गए
- डॉ भीमराव अंबेडकर ने इसे विशेषता वाला कहा
- FR के साथ DPSP, संविधान की आत्मा एवं दर्शन है
- गैनविल ऑस्टिन ने संविधान की मूल आत्मा कहा

### विशेषताएं

- राज्य कानून बनाते समय इन निर्देशों का ध्यान रखेगा


- 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान है
- राज्य में आर्थिक सामाजिक और राजनीति विषयों में निदेशक तत्व महत्वपूर्ण है
- उद्देश्य -उच्च आदर्श, स्वतंत्रता समानता बनाए रखना है
- उद्देश्य -लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है ना कि पुलिस राज्य का
- गैर न्यायोचित
- राज्य का कर्तव्य विधि बनाने में इसे इस्तेमाल करें
- चाहे गैर न्यायोचित पर संवैधानिक मान्यता के आधार पर न्यायालय इन्हें देखता है

**Art -36** राज्य की परिभाषा Art-36 में राज्य वैसा ही है जिस प्रकार Art-12 में

**Art -37** गैर न्यायोचित

अर्थव्यवस्था को सामाजिक अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं

#### निदेशक तत्वों का वर्गीकरण



#### समाजवादी

- लक्ष्य -सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना
- **Art-38** लोक कल्याण बढ़ाने के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानता समाप्त करना

#### **Art-39 सुरक्षित करना**

- 1- सभी को जीविका के साधन मिले
  - 2- सबके हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सामान वितरण
  - 3- धन और उत्पादन के संकेद्रण रोकना
  - 4- पुरुष स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले
  - 5- कर्मगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग के संरक्षण
  - 6- बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर
- **Art-39a** समाज न्याय एवं गरीबों को निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना
  - **Art-41** काम पाने के लिए शिक्षा पाने के और बेकारी बुढ़ापा बीमारी और निश्क्रियता की दशाओं में लोग सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना
  - **Art-42** काम के न्याय संगत और मानवजीत दशाओं का अतः प्रसुति सहायता का उपबंध करना
  - **Art-43** सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी शिष्ट जीवन उत्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर
  - **Art-43a** उद्योगों के प्रबंध में कर्म कारों के भाग लेने के लिए कदम उठाया
  - **Art-47** पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करना

#### गांधीवादी

- **Art-40** ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां देना
- स्व सरकार के कार्य के रूप में कार्य करने की शक्ति देना
- **Art-43** : ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन

- Art-43b : सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन स्वायत्त संचालन लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यवसाय प्रबंध को बढ़ावा देना
- Art-46 : अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को प्रोत्साहन सामाजिक अन्याय एवं शोषण सुरक्षा
- Art-47 : स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दबाव मदिरा ड्रग के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग पर प्रबंध
- Art-48: गाय बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोग और उनके नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन

### उदार बौद्धिक सिद्धांत

- Art-44 : भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
- Art-45: सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी होने तक निशुल्क शिक्षा
- Art-48 : कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना Art-48a
- पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा
- Art 49 : राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक यह ऐतिहासिक अभिरुचि वाले स्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण
- Art-50 : राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना
- Art -51 : अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा शांति को बढ़ाना तथा राष्ट्रों के बीच न्याय पूर्ण और सम्मान पूर्ण संबंधों को बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना

### नए निदेशक तत्व

#### संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए

- Art-39 : बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना
- Art-39a : समान न्याय के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता
- Art-43a
- Art-48a : 44वे 1978 में Art-38 को जोड़ा गया (आय ,प्रतिष्ठा ,अवसर)
- 86वे संशोधन 2002 में Art 45 जुड़ा
- 97वे संशोधन Art-43 B जुड़ा

### निदेशक तत्वों के पीछे संस्तुति

सर वी एन राव सलाहकार ने व्यक्ति के अधिकारों को दो भागों में रखा

**न्यायोचित**

FR

**गैर न्यायोचित**

DPSP

- राज्य का कर्तव्य विधि बनाने में इसे इस्तेमाल करें
- अल्लादी कृष्णस्वामी अच्यर ने कहा- लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय इनकी अवहेलना नहीं करेगा

### गैर न्यायोचित क्यों DPSP

- 1-देश के पास आर्थिक संसाधन नहीं हैं कि सभी को सब कुछ उपलब्ध करवा सके
- 2- विविधता और पिछेपन वाला देश है

3-नया स्वतंत्र भारत था तो पैसे कहां से आते हैं इन वालों से स्वतंत्र रखा जाए कि उनके क्रम समय स्थान एवं पूर्ति का निर्णय लिया जा सके इसलिए संविधान बनाने वालों ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया

### आलोचना

- कोई कानूनी शक्ति नहीं है** अगर DPSP Follow ना हो तो हम न्यायालय नहीं जा सकते
- तर्कहीन व्यवस्था** इन्हें सही तरीके से रखा नहीं गया हमने गांधीवादी सिद्धांत तो लिए गए पर उनकी व्यवस्था नहीं मतलब उन्हें वर्गीकृत नहीं किया गया है
- रुढ़ीवादी** यह 19वीं सदी जैसे कुछ प्रावधान रखे गए हैं

### संवैधानिक टकराव

- केंद्र और राज्य के बीच टकराव लाता है क्योंकि केंद्र सरकार राज्य को निर्देश दे सकता है और लागू न करने पर राज्य को बर्खास्त कर सकता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संसद के बीच अगर कोई कानून पास होकर आए तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है

### राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव

अंतर	
<b>FR</b> Part 3 Art-12 to 35 Negative क्योंकि यह state को कुछ ना कुछ करने से रोकते हैं न्यायोचित राजनीतिक लोकतंत्र व्यवस्था स्थापित करते हैं कानूनी रूप से मान्य व्यक्तियों के आधार पर अगर कोई कानून हमारे अधिकारों का हनन करता है तो उसे खत्म किया जाएगा	<b>DPSP</b> Part 4 Art 36 to 51 Positive यह state को कुछ ना कुछ करने के लिए promote करते हैं गैर न्यायोचित सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं इन्हें राजनैतिक तथा नैतिक मान्यता प्राप्त समुदाय के कल्याण के लिए पर DPSP के लिए ऐसा नहीं

### Important cases

#### चंपाकम दोराईजन मामला 1951

- DPSP से ज्यादा FR का अधिकार FR की सहायक DPSP

#### गोलकनाथ मामला 1967

- इसमें बोला FR को कोई नहीं बदल सकता वह पवित्र है संशोधन नहीं हो सकता पर 1975 -77 आपातकाल हुआ तब DPSP को ज्यादा शक्ति DPSP को लागू करने के लिए Art -14,19,31 को side में रखा जा सकता है (Art-39 वाले)

#### मिनर्वा मिल्स मामला 1980

- DPSP और FR में संतुलन होना चाहिए बोला हम FR संशोधित कर सकते हैं लागू करने के लिए पर Basic structure change ना हो

## भाग 4 से बाहर निर्देश

- 1- सेवाओं के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे (भाग 16 A-350 क)
- 2- मातृभाषा में शिक्षा ( भाग 17 A-350 क)
- 3- हिंदी भाषा का विकास ( भाग 17 A-351)

अनुच्छेद	विवरण
36	परिभाषा
37	इस भाग में अतिरिक्त तत्वों का लागू होना
38	राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए समाजिक व्यवस्था बनाएगा
39	राज्य द्वारा अनुसूचीय कुछ नीति तत्व
39क	समाज न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
40	श्रम पंचायतों का संगठन
41	कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
42	काम की न्यायसमग्र और मानवोंचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध
43	कामकारों के लिए निवास मजदूरी आदि
43क	उदायों के प्रबंध में कामकारों का भाग लेना
44	नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहित
45	ज्ञानकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपलब्ध
46	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
47	पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
48	कृषि और पशुपालन का संगठन
48क	पर्यावरण का संरक्षण और संर्वर्धन और वन तथा कन्या जीवों की रक्षा
49	राष्ट्रीय महत्व के संस्कारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण देना
50	कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृष्ठांकरण
51	अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

मौलिक अधिकार	नीति-निदेशक तत्व
1। मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है।	1। नीति-निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं तो जा सकती है।
2। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक है ये राज्य के अधिकारों पर प्रतिवध तगाते हैं।	2। नीति-निदेशक सिद्धांतों की प्रकृति को सकारात्मक कहा गया है, जो राज्य को कुछ करने के आदेश व निर्देश देते हैं।
3। मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है।	3। नीति-निदेशक सिद्धांतों का विषय राज्य है अर्थात् ये राज्य के लिए निर्देश हैं न किसी व्यक्ति के लिये।
4। मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य में निवास करने वाले नागरिकों तक ही सीमित है।	4। नीति-निदेशक सिद्धांतों का क्षेत्र मौलिक अधिकारों से व्यापक है। नीति-निदेशक सिद्धांतों का क्षेत्र अनारोपी है।
5। मौलिक अधिकारों को सीमित अवधा स्थगित किया जा सकता है।	5। नीति-निदेशक सिद्धांतों को कभी-कभी किसी अवस्था में सीमित नहीं किया जा सकता है।
6। मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार है।	6। नीति-निदेशक सिद्धांत समाज के विकास पर बल देते हैं।
7। मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रताओं पर बल देते हैं।	7। नीति-निदेशक तत्व समाजिक व आर्थिक अधिकारों पर बल देते हैं।
8। मौलिक अधिकारों की सरकार द्वारा अवहेलना की जा सकती है।	8। नीति-निदेशक सिद्धांत मूलतः जनमत पर आधारित होने के कारण कोई भी सरकार इनकी अवहेलना नहीं करती है।
9। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है।	9। निदेशक सिद्धांत नीतिक आदेश माना है।

## Chapter 9 मौलिक कर्तव्य

- Part -4 Art 51 क
  - मूल कर्तव्य को मूल संविधान में नहीं रखा गया
  - मूल कर्तव्य को 1976 में जोड़ा (42वे संशोधन)
  - 2002 में एक अन्य मूल कर्तव्य जोड़ा
  - रूसी संविधान से
  - स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर मूल कर्तव्य को जोड़ा
- स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश**

- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जुड़ी (1975 -77 में)

### स्वर्ण सिंह की सिफारिशें जिसे कांग्रेस ने नहीं माना

- अगर कोई कर्तव्य का पालन ना करें तो आर्थिक दंड
- मूल कर्तव्य के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थ दंड या सजा लगाने का प्रावधान
- कर अदायगी भी मूल कर्तव्य होगा

### मूल अधिकारों की सूची

- संविधान का पालन करें
- राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें
- भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करें
- देश की रक्षा, राष्ट्र की सेवा
- भाईचारे की भावना स्त्रियों का सम्मान भेदभाव से दूर
- सांस्कृतिक गैरवशाली परंपरा का महत्व समझें
- प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास
- सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करें जनता से दूर रहें हैं
- व्यक्तिगत और सामूहिक अतिथियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जितने राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि के नई ऊंचाइयों को छू ले
- 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना (86वें संशोधन 2002 में)

### मूल कर्तव्यों की विशेषताएं

- कुछ नैतिक हैं तो कुछ नागरिक
- यह मूल्य भारतीय परंपरा पौराणिक कथा, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित हैं
- केवल नागरिकों के लिए हैं ना कि विदेशियों के लिए
- गैर न्यायोचित

### मूल कर्तव्य की आलोचना

- कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है
- कुछ कर्तव्य अस्पष्ट बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के समझने में कठिन हैं
- गैर न्यायोचित छवि के चलते उन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया
- संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया
- संविधान के भाग 4 में रखना मूल कर्तव्यों के महत्व को कम करता है

### मूल कर्तव्यों का महत्व

- नागरिकों की तब मूल कर्तव्य संचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब भी अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं
- मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों के खिलाफ चेतावनी के रूप में काम करते हैं
- प्रेरणा के स्रोत अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं
- मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं
- मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं इनके असफल रहने पर संसद अर्थ दंड या सजा का प्रावधान कर सकती हैं

### वर्मा समिति के टिप्पणियां

- मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए
- राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के भारत के संविधान राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय ज्ञान के अनादर का निवारण
- अपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश जन्मस्थान धर्म आदि के आधार पर विभेद फैलाने वालों को दंड देने का व्यवस्था करते हैं
- सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम- जाति एवं धर्म अपराध दंड के लिए
- विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1976 - सांप्रदायिक संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 मांगने -धर्म के आधार पर की व्यवस्था
- वन अधिनियम 1980- वनों की कटाई से संबंधित

**Chapter 10**  
**संविधान का संशोधन**

### संशोधन

- परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार बदलाव
- ब्रिटेन के संशोधन प्रक्रिया = आसान
- अमेरिका की = कठिन
- भारत की = लचीली

### संविधान का संशोधन

- भाग 20

- Art-368
- संविधान में परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन
- उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो मूल ढांचे से संबंधित हो (केशवानंद भारती मामला)

### संशोधन प्रक्रिया

- संसद के किसी भी सदन में शुरू
- कोई भी मंत्री या गैर मंत्री द्वारा पेश राष्ट्रपति की स्वीकृति की जरूरत नहीं
- दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य
- (कुल संख्या का बहुमत )
- (उपस्थित का दो तिहाई)
- प्रत्येक में अलग-अलग पारित करवाना अनिवार्य
- असहमति पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं
- अगर विधेयक संघीय व्यवस्था के मुद्रे पर हो तो आधे राज्यों के विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित हो (बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच)
- संसद में पारित होने के बाद एवं राज्य विधान मंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है
- राष्ट्रपति विधायक को सहमति देंगे वह ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं न ही पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं
- सहमति के बाद विधायक -अधिनियम

### संशोधनों के प्रकार

368 में दो प्रकार के

विशेष बहुमत

आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत साधारण बहुमत 368 के तहत नहीं आता

### संसद के साधारण बहुमत द्वारा

- दोनों सदनों के साधारण बहुमत द्वारा
- 368 की सीमा के बाहर है

### व्यवस्थाएं

- Art-2,3
- राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति
- दूसरी अनुसूची
- संसद में गणपूर्ति
- संसद सदस्यों के वेतन
- पांचवीं छठी अनुसूची
- नागरिकता प्राप्त और समाप्ति

संसद के विशेष बहुमत द्वारा (सदस्य शामिल हो या ना हो )

**विशेष बहुमत** = कुल सदस्यों का बहुमत 38 प्रतिशत से अधिक और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों का दो तिहाई बहुमत

### विशेष बहुमत में

- मूल अधिकार, DPSP, प्रथम एवं तृतीय श्रेणियों से संबंधित

### संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा

- संघीय ढांचे से संबंधित - विशेष बहुमत +आधे राज्य विधानमंडल में साधारण बहुमत द्वारा यदि एक कुछ या बच्चे राज्य दे पर कोई कदम नहीं उठाते तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता
- आधे राज्य अपनी संस्कृति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है
- स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा नहीं है

### संशोधन प्रक्रिया की आलोचना

- संशोधन के लिए विशेष निकाय नहीं
- संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है
- संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद के विशेष बहुमत यह साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है
- संविधान में राज्य विधान मंडलों द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की सीमा निर्धारण नहीं की
- संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं
- संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडल प्रक्रिया के सामान
- संशोधन प्रक्रिया के संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है
- प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए

### Chapter 11

### संविधान की मूल संरचना

#### मूल संरचना का प्रादुर्भाव

- शंकरी प्रसाद मामला 1951 में पहले संशोधन अधिनियम के संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई इसमें कोर्ट ने कहा Art-368 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों की शक्ति अंतर्निहित है Art-13 के अंतर्गत संविधान संशोधन को विधि नहीं माना जाएगा
- गोलकनाथ मामले 1967 में पहली बार व्यवस्था बदल दी इसमें कहा मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती होगी ना वापस लिया जाएगा Art-13 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है

इसमें संशोधन हुआ और कहा Art-368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकारों को वापस लेने की शक्ति है Art -13 के तहत इसे कानून नहीं माना जाएगा

- केशवानंद भारती मामले 1973 में कहा की मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए
- इंदिरा गांधी मामले 1975 में 39वा संशोधन अधिनियम जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनाव भी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया था न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधन कार्य शक्ति से बाहर है क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे पर चोट करता है
- 42वे संशोधन 368 में कहा कि संसद के विधायी शक्तियों के कोई सीमा नहीं संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर चाहे अधिकारों का उल्लंघन क्यों ना हो और मिनर्वा मिल्स केस में कहा यह मान्य नहीं क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था जो कि संविधान के मूल विशेषता है
- वामन राव मामले 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना को स्पष्ट करते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद हुए संविधान संशोधनों पर लागू होगा

#### **मूल संरचना के तत्व**

- 368 के अंतर्गत संशोधन हो सकता है बशर्ते मूल ढांचा ना बदले

#### **तत्व**

- संविधान की सर्वोच्चता
- विधायिका ,कार्यपालिका, न्यायपालिका के व्यक्ति का बंटवारा
- संसदीय प्रणाली
- कानून का शासन
- मौलिक अधिकार,DPSP न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- न्यायिक समीक्षा
- संघीय स्वरूप
- राष्ट्र की एकता और अखंडता

### **Chapter 12** **संसदीय व्यवस्था**


#### **संसदीय व्यवस्था**

- केंद्र में 74 और 75
- राज्य में 163 और 165
- वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है
- इसके अलग-अलग नाम =कैबिनेट सरकार ,उत्तरदायी सरकार सरकार का वेस्टमिस्टर स्वरूप
- जापान ,ब्रिटेन, कनाडा, भारत में प्रचलित

- आइवर जेनिक्स ने इसे कैबिनेट व्यवस्था कहा
- शक्ति का बिंदु कैबिनेट
- कैबिनेट संसद के प्रति उत्तरदार्यों, कार्यकाल तब तक चलेगा जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त होगा

#### संसदीय सरकार की विशेषताएं

##### नाभिक एवं वास्तविक कार्यपालिका



- A-74 प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की व्यवस्था करता है जो राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी जितने मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा

#### बहुमत प्राप्त दल का शासन

- जो ज्यादा बहुमत प्राप्त करता है वही सरकार बनाता है
- प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त

#### सामूहिक उत्तरदायित्व

- मंत्रियों का संसद के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा A-75

#### राजनीतिक एकरूपता

- मंत्री एक ही राजनीतिक दल से संबंधित
- सामान राजनीतिक विचारधारा गठबंधन सरकार के मामले में मंत्री सर्वसम्मति के प्रति बाध्य हैं

#### दोहरी सदस्यता

- मंत्री विधायक एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य
- यदि कोई संसद का सदस्य नहीं है मंत्री बनता है तो उसे 6 महीने के अंदर मंत्री बनना पड़ेगा

#### प्रधानमंत्री का नेतृत्व

- मंत्री परिषद और सत्तारूढ दल का नेता प्रधानमंत्री

#### निचले सदन का विघटन

- लोकसभा का प्रधानमंत्री की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्वारा विघटन

#### गोपनीयता

- कार्य ग्रहण करने से पूर्व मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं

#### राष्ट्रपति शासन

- कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी
- विभिन्न नाम = गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय, निश्चित कार्यकारी व्यवस्था
- अमेरिका, ब्राजील, रूस, श्रीलंका आदि में प्रचलित

#### राष्ट्रपति शासन व्यवस्था की विशेषताएं

- एकल सदस्यता - इसमें कानून बनाने वाले अलग रहते हैं और कार्यपालिका अलग रहते हैं निर्वाचन - निश्चित कार्यकाल
- गैर उत्तरदायी
- यहां पर राजनीतिक एकरूपता हो भी सकती है और नहीं भी
- राष्ट्रपति का प्रभुत्व

- विघटन नहीं होगा
- विधायिका कार्यपालिका की शक्ति अलग-अलग होती है

### संसदीय व्यवस्था के गुण व दोष

गुण	दोष
विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच में सहयोग होता है	अस्थिर सरकार
उत्तरदायी सरकार कार्यकारी समूह में होती है ना की व्यक्ति में	नीति की निश्चितता का अभाव शक्तियां अलग अलग नहीं होती
व्यापक प्रतिनिधित्व वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था होती हैं	अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन

### राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के गुण व दोष

गुण	दोष
स्थिर सरकार	विधायिका और कार्यपालिका में असहयोग रहता है
नीतियां निश्चित रहती हैं	गैर उत्तरदायी सरकार
शक्तियां अलग अलग होती हैं	एक तंत्र के लिए नेतृत्व होता है
कुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार	जितना राष्ट्रपति चाहता है
का संचालन होता है	उतना ही नेतृत्व होता है

### संसदीय व्यवस्था की स्वीकार्यता के कारण

व्यवस्था से निकटता - क्योंकि हम शुरू से ही संसदीय व्यवस्था इस्तेमाल कर रहे हैं (ब्रिटिश के समय से )

### उत्तरदायित्व को अधिक वरीयता -

विधायिका एवं कार्यपालिका के टकराव को रोकने की आवश्यकता - अमेरिका में विधायिका और कार्यपालिका अलग-अलग हैं इसलिए बहुत टकराव है हमारे यहां विधायिका कार्यपालिका एक साथ काम करती है

### भारतीय समाज की प्रकृति

हमारे यहां बहुत धर्म पाए जाते हैं नई व्यवस्था लाना मुश्किल होगा

### भारत एवं ब्रिटिश मॉडल में विभेद

- गणतंत्र पद्धति हमारी, ब्रिटिश में राजा रानी होते हैं
- संविधान संप्रभु है पर ब्रिटेन में संसद संप्रभु है
- प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चुना जा सकता है पर ब्रिटिश में केवल लोकसभा (हाउस ऑफ कॉमन) का ही सदस्य हो
- ब्रिटेन में संसद के सदस्य के मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं पर हमारे यहां कोई भी 6 माह के लिए मंत्री बन सकता है
- ब्रिटिश में छाया कैबिनेट एक अनोखी संस्था है हमारे यहां ऐसी कोई संस्था नहीं है

# AroRaiAS

Chapter 13  
संघीय व्यवस्था

**एकल या एकात्मक सरकार**


- वह जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित हो
- ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, इटली बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में

**संघीय सरकार**

- जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित हो
- अमेरिका, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रूस, ब्राजील, अर्जेंटीना

- संघ शासन शब्द को लेटिन शब्द फोएडस से लिया गया है जिसका अभिप्राय है संधि या समझौता
- संधि या समझौते के जरिए जो मिलकर रहते हैं किसी संघ के साथ छोटे-छोटे क्षेत्र मिले हैं को संघ बोलते हैं

## संघ शासन



### भारत की संघीय व्यवस्था

- कर्नाटक मॉडल पर आधारित

### दो कारण

- देश का बड़ा आकार
- सांस्कृतिक सामाजिक विविधता
- संविधान में संघ शब्द का इस्तेमाल की वजह राज्यों का संघ का गया
- संघ मॉडल के नाम = संघीय सरकार, केंद्रीय सरकार, केंद्र सरकार
- क्षेत्रीय सरकार = राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार

### बी आर अंबेडकर ने राज्यों के संघ के दो कारण बताएं

1. भारतीय संघ राज्यों के बीच सहमति का प्रतिफल नहीं है
2. राज्यों को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं को संघ से अलग कर दे

#### संघीय सरकार

- दो स्तरीय सरकार
- केंद्र + राज्य शक्तियां share करते हैं
- संविधान में सब कुछ लिखा रहता है
- दो अलग-अलग कानून
- केंद्र + राज्य
- संविधान सर्वोच्च होता है

#### एकात्मक सरकार

एकात्मक सरकार = केंद्र  
केवल केंद्र के हाथ में शक्ति  
कुछ नहीं लिखा flexible है  
एक ही कानून बनता है केंद्र द्वारा

संसद सर्वोच्च होती है

### संघ के अलग-अलग नाम

- राज्य USA
- कैंटोन Switzerland
- प्रांत Canada
- गणराज्य Russia

### संघीय विशेषताएं

**द्वैथ राज पद्धति** - केंद्र और राज्य दोनों की राजनीति है

**लिखित संविधान** - इसमें लिखा है कि केंद्रीय और राज्य सरकार

शक्तियों का इस्तेमाल कैसे करें

### शक्तियों का विभाजन

सातवीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों ने संबंधित सूची निहित

केंद्र सूची = 100 विषय

राज्य सूची = 61 विषय

समवर्ती सूची = 52 विषय केंद्र राज्य दोनों अवशेषीय केंद्र कानून बनाएगी

**संविधान की सर्वोच्चता - संविधान सबसे ऊपर है**

- जैसा संविधान में लिखा है वैसा ही कार्य हो

### कठोर संविधान

- विशेष बहुमत+ आधे राज्यों की संस्तुति चाहिए इसलिए कठोर संविधान है

### स्वतंत्र न्यायपालिका

- जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा, निश्चित सेवा शर्त हैं

### द्विसदनीय

राज्यसभा लोकसभा

### एकात्मक विशेषताएं

- सशक्त केंद्र
- राज्य अनश्वर नहीं - कोई भी राज्य बाहर नहीं जा सकता
- एकल संविधान - भारतीय संविधान केवल केंद्र का नहीं राज्यों का भी है
- संविधान का लचीलापन - संशोधन प्रक्रिया कम कठोर है
- राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव - जनसंघ्या के हिसाब से सीटें दी जाती हैं
- आपातकालीन प्रावधान
- एकल नागरिकता
- एकीकृत न्यायपालिका - सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय अखिल भारतीय सेवाएं
- एकीकृत लेखा जांच मशीनरी - राष्ट्रपति द्वारा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, वह राज्यों के खातों की जांच करता है ताकि उनकी वित्तीय स्वायत्ता पर अंकुश लगा सके
- राज्य सूची पर संसद का अधिकार
- राज्यपाल की नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा
- राज्यपाल इसके माध्यम से केंद्र सरकार राज्य पर नियंत्रण करती है
- एकीकृत निर्वाचन मशीनरी - चुनाव आयोग (स्थापना- राष्ट्रपति) केंद्र के साथ-साथ राज्य विधानमंडल के चुनाव भी करवाता है
- राज्यों के विधेयक पर वीटो - राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विधेयक को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रखने का अधिकार है

### संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन

- K C वेरे - अर्द्ध संघ
- Pal apple B - यह पूरी तरह संघीय है

- मॉरिस जॉन्स- सहमति वाला संघ आईवर जेनिक्स- यह मजबूत केंद्र वाला संघ है
- ग्रेनवेल ऑस्ट्रिन - यह सरकारी संघ व्यवस्था है
- बी आर अंबेडकर - संविधान उतना ही संघीय संविधान है जितनी दोहरी राज्य पद्धति
- बोम्मई मामले 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे को कहा कि संघ भी भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है

# AroRaiAS

Chapter 14  
केंद्र राज्य संबंध

केंद्र राज्य संबंधों को तीन भागों में बांटा गया है

1. विधायी संबंध
2. प्रशासनिक संबंध
3. वित्तीय संबंध

## विधायी संबंध

- Art-245 to 255 ,भाग -11
- 4 भाग

## केंद्र और राज्य विधान का क्षेत्रिय विस्तार

- संसद भारत के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है
- भारत के क्षेत्र - राज्य +केंद्र शासित प्रदेश +अधिग्रहित क्षेत्र
- राज्य विधानमंडल, राज्य के किसी विषय के लिए कानून बना सकता है वह केवल राज्य में लागू होगा
- संसद अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान के लिए कानून बना सकते हैं

## संसद पर कुछ प्रतिबंध

- राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेशों (अंडमान निकोबार, लक्षदीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन व दीव) की उन्नति के लिए अधिनियम बना सकती है इसलिए यहां पर संसद द्वारा बनाया गया अधिनियम निरसित हो सकता है
- राज्यपाल को शक्ति है की वह संसद के विधेयक को लागू ना करें या उसमें संशोधन करें
- असम का राज्यपाल संसद के किसी विधेयक को (जनजातियों के लिए) लागू ना करें या विशेष परिवर्तन करें राष्ट्रपति को यह शक्ति मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्राप्त है

## विधायी शक्तियों का बंटवारा

- हमारे यहां पर शक्तियां सातवीं सूची में बांटी गई हैं कि किस तरह केंद्र और राज्य की शक्तियां होनी चाहिए
- संघ सूची -100 विषय पहले 97 थे
- राज्य सूची - 61 विषय पहले 66 थे
- समवर्ती सूची -52 विषय पहले 47 थे

42 वें संशोधन 1976 में पांच विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल

1. शिक्षा
2. वन
3. नाप एवं तौल
4. वन्यजीवों एवं पक्षियों का संरक्षण
5. न्याय का प्रशासन (उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के अतिरिक्त सभी न्यायालयों का गठन)

## अवशेष सूची

वह शक्तियां जो कि संघ, राज्य, समवर्ती में शामिल नहीं हैं

भारत में -संसद के पास

(कनाडा को follow)

USA में States को

कनाडा में - केंद्र को

हमारे ज्यादातर प्रावधान 1935 अधिनियम से लिए गए हैं

1935 अधिनियम में अवशेष सूची गवर्नर जनरल को दी गई थी

- अगर केंद्र और राज्य में कानून बनाने को लेकर कोई टकराव होता है तो केंद्र द्वारा जो कानून बनाया गया है वह मान्य होगा पर इसका अपवाद भी है कि अगर राज्य द्वारा कानून बनाया गया है और उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं तो फिर राज्य वाला कानून लागू होगा

### राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान

संसद 5 असाधारण स्थितियों में राज्य के लिए कानून बना सकती

अगर राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित कर दे

- अगर राष्ट्रहित के लिए आवश्यक हो तो राज्यसभा ऐसी घोषणा कर सकती है संसद कानून बनाए इसके लिए उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए होगा। यह प्रस्ताव 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा अवधि असंख्य बार बढ़ाई जा सकती है परंतु एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता
- सामान्य कानून राज्य विधानमंडल बना सकती है
- अगर राज्य और केंद्र में टकराव हो तो केंद्र की शक्ति अधिक होगी

### राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान

- यदि आपातकाल हो तो संसद राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है आपातकाल खत्म होने पर 6 माह के अंदर यह कानून खत्म हो जाएगा राज्य विधानमंडल सामान्य मुद्रों पर कानून बना सकती हैं
- टकराव की स्थिति में केंद्र ऊपर

### राज्यों के अनुरोध के अवस्था में

- जब दो या दो से अधिक राज्य राज्य विधानमंडल में प्रस्ताव पारित करें तब संसद उनके लिए कानून बना सकती है यह बाकी राज्यों पर लागू नहीं होगा जब संसद कानून बना दे तो ऐसे मामलों में राज्य विधानमंडल की शक्ति समाप्त हो जाती है

### अंतरराष्ट्रीय समझौते को लागू करना

संसद राज्य सूची के किसी मामले में अंतरराष्ट्रीय संधि यह समझौते के लिए कानून बना सकती है

### उदाहरण

- संयुक्त राष्ट्र अधिनियम 1947
- जेनेवा समझौता अधिनियम 1960
- अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982
- TRIPS

### राष्ट्रपति शासन के दौरान

- जब राष्ट्रपति शासन चल रहा हो सकती है तो संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है अगर राष्ट्रपति शासन खत्म हो जाए तो भी यह कानून प्रभावी रहेगा पर इसे राज्य विधानमंडल निरसित या परिवर्तित ना कर दे

### राज्य विधान मंडल पर केंद्र का नियंत्रण

- संविधान केंद्र को निम्नलिखित मामलों पर राज्य सूची नियंत्रित करने के लिए शक्तिशाली बनाता है राज्यपाल, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति की संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है, राष्ट्रपति को उस पर विशेष वीटो का अधिकार है
- राज्य से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लाएंगे
- राष्ट्रपति, विधान मंडल द्वारा आपातकाल के दौरान पारित धन या वित्त विधेयक को वित्तीय आपातकाल के दौरान सुरक्षित रख सकता है

सरकारिया आयोग कहा यदि केंद्र की सर्वोच्चता की स्थिति को समाप्त कर दिया जाए तो इसके नकारात्मक प्रभावों का अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता

### प्रशासनिक संबंध

- Art- 256 to 263 ,भाग -11

### कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा

- कार्यकारी शक्तियां - कानून लागू करना
- कुछ मामलों को छोड़कर केंद्र व राज्यों के बीच विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत हैं

1-उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं

2-किसी संधि या समझौते के तहत अधिकार प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य

- राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यों की सीमाओं तक हैं
- समवर्ती सूची की कार्यपालिका शक्तियां राज्य में निहित हैं सिवाय तब तक जब तक कोई संवैधानिक विधि या संसद विधि केंद्र को अधिकार ना दें

### राज्य एवं केंद्र के दायित्व

- राज्य की कार्यकारी शक्ति केंद्र से कम है

### दो प्रतिबंध

1-राज्य का कर्तव्य है कि संसद द्वारा बनाए गए साधारण दायित्व विधान का पालन करें

2-राज्य केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित नहीं करेगा

केंद्र का कानून ज्यादा मान्य होगा

Art-365 भी कहता है कि यदि राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन ना करें तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लग सकता है

### राज्य को केंद्र के निर्देश

केंद्र राज्य को निम्नलिखित निर्देश भी दे सकता है

1. संचार के साधनों का रखरखाव
2. रेलवे संपत्ति की रक्षा
3. अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए मातृभाषा भाषा सीखने की व्यवस्था
4. अनुसूचित जातियों के कल्याण की योजना

### कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व

- केंद्र और राज्यों को मिलकर कार्य करना चाहिए क्योंकि कई सारी समस्या हैं ऐसी होती हैं जहां पर दोनों को मिलकर काम करना पड़ता है राष्ट्रपति, राज्य सरकार की सहमति पर केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है
- राज्य का राज्यपाल, केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में कराता है

### केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग

### अखिल भारतीय सेवाएं

- IAS, IPS, IFS
- केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त पर राज्य में सेवा देते हैं

- राज्य के पास transfer की शक्ति है
- 1947 में ICS को IAS में ,IP को IPS में बदला,IFS भी आ गयी
- अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती राज्यसभा निकालती है Art -312 के अंदर

### लोक सेवा आयोग

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा पर हटाया राष्ट्रपति द्वारा

- संसद - संयुक्त राज्य लोक सेवा की नियुक्ति विधानमंडल के अनुरोध पर करेगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा
- UPSC, राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य की आवश्यकता अनुसार कर सकता है
- UPSC योजनाओं के क्रियान्वयन संयुक्त भर्ती आदि पर राज्यों की सहायता करता है

### एकीकृत न्याय व्यवस्था

- उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है यह ही केंद्र एवं राज्य दोनों का विधान सुनिश्चित करता है यह टकराव को समाप्त करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से - हटाना या transfer राष्ट्रपति द्वारा
- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संसद एक ही उच्च न्यायालय बना सकती है

### आपातकालीन अवधि में उपबंध

- आपातकाल के समय प्रशासनिक व विधायी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाते हैं

### अन्य उपबंध

- A-355 के तहत जब राज्य को बाहरी खतरा हो तो केंद्रों उसे सुरक्षा देंगे और राज्य उस समय केंद्र के प्रावधान मानेगा
- राज्य निर्वाचन आयोग -गवर्नर द्वारा नियुक्त, हटाना -राष्ट्रपति द्वारा
- राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल नियुक्त, केंद्र का एजेंट बनकर कार्य करता है

### वित्तीय संबंध

भाग -12 ,Art-268 to 293

### कराधान शक्तियों का आवंटन

- संघ सूची -संसद लेगी यह कर
- राज्य सूची -राज्य लेगा
- समवर्ती सूची- राज्य विधानमंडल + संसद
- अवशेषीय -संसद
- राज्य और संसद दोनों का इस्तेमाल करते हैं
- संविधान में राज्यों के कर निर्धारण शक्ति पर निम्न पाबंदी लगाई है
- व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकती है पर यह 2500 रुपए प्रति वर्ष से अधिक ना हो
- वस्तु की खरीद बिक्री पर लगा सकती है पर वह राज्य के बाहर की वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकती आयात निर्यात के दौरान खरीद विक्री पर कर नहीं
- अंतर राज्य व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान कर नहीं
- संसद द्वारा अंतरराज्यीय व्यापार के तहत महत्वपूर्ण मसलों पर कर नहीं बिजली की बिक्री पर कर
- केंद्र के उपभोग पर कर नहीं


- रेलवे द्वारा उपभोग पर कर नहीं
- अंतरराज्यीय नदी या नदी धारा के विकास हेतु संसद द्वारा स्थापित प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली उत्पादन का पद पर लगा सकती है (राष्ट्रपति की सहमति पर)

### कर राजस्व का वितरण

- राज्य का कर राज्य वसूलता है और केंद्र का कर केंद्र वसूलता है
- अखबार पर राज्य को कर लगाने का अधिकार नहीं
- अखबार पर कोई कर नहीं लगता (किताब वाले टैक्स जीएसटी के पहले के हैं )

### राज्यों के लिए सहायतार्थ अनुदान

केंद्र राज्य को अनुदान दे सकता है



### अन्य अनुदान

- अल्पावधि के लिए

### राज्य के हितों का संरक्षण

- अगर कोई विधेयक राज्य से संबंधित परिचित करवाना है तो संसद राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत कर सकती है
- ऐसा विधेयक जिसमें राज्यों का हित हो और वह किसी कर या शुल्क को आध्यारोपित करें
- ऐसा विधेयक जो भारतीय आयकर को लागू करने संबंधी परियोजनाओं हेतु परिभाषिक अभिव्यक्ति कृषि आय के अर्थ में परिवर्तन करें
- ऐसा विधायक जो राज्यों में वितरण की जाने वाली राशियों के नियम को प्रभावित करें
- ऐसा विधेयक जो राज्य के प्रयोजन हेतु विशिष्ट कर या शुल्क अध्यारोपित करें

### केंद्र एवं राज्यों का ऋण - (संचित निधि से धनराशि)

- केंद्र एवं राज्य द्वारा ऋण लिया जा सकता है
- केंद्र सरकार भारत से या बाहर से भारत की संचित निधि की गारंटी देकर ऋण ले सकती है पर सीमा का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है
- same as राज्य विधान मंडल सीमा निर्धारण राज्य विधान मंडल द्वारा
- केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है
- राज्य केंद्र अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता है

### अंतर सरकारी कर उन्मुक्ति

- जो केंद्र सरकार की संपत्ति राज्य में होती है उसे कर से छूट होती है
- जो राज्य सरकार के संपत्ति हो उसे केंद्र के कर से छूट होती है
- 1963 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा यह छूट ऐसी होनी चाहिए जिससे सीमा और उत्पाद शुल्क पर प्रभाव ना पड़े

### केंद्र राज्य संबंधों में प्रवृत्तियाँ

- 1967 तक केंद्र राज्य संबंध सही थे क्योंकि एक ही दल का शासन था उसके बाद जब कांग्रेस 9 राज्यों में हार गए तो केंद्र में उसकी स्थिति कमज़ोर हुई
- गैर कांग्रेसी ने कई मसलों पर केंद्रीयकरण का विरोध किया राज्यों की स्वायत्तता का मुद्दा उठाया

### केंद्र राज्य संबंधों में टकराव

- जब केंद्र और राज्यों में अलग-अलग सरकार होती हैं तो राज्यपाल बदलते रहते हैं
- राष्ट्रपति शासन देखने को मिलता है गवर्नर के द्वारा बिल आरक्षित
- जहां पर same government नहीं वहां पर भेदभाव
- IAS IPS IFS कभी केंद्र की बात बातें Follow करते कभी राज्य की

इन सब को ठीक करने के लिए कई कार्य हुए हैं

### प्रशासनिक सुधार आयोग

- 1966 में गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में
- इसकी रिपोर्ट के अध्ययन के लिए M.C. सीतलवाड़ के अधीन दल का गठन, अंतिम रिपोर्ट 1969 में
- 22 सिफारिशें

### मुख्य सिफारिशें

- A-263 के तहत अंतर राज्य परिषद का गठन
- जो राज्यपाल हो उसका सार्वजनिक प्रशासन में लंबा अनुभव
- राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन
- राज्य को अधिक वित्त मिले ताकि केंद्र पर राज्य के निर्भरता कम हो
- अगर state किसी चीज की request करें तो वह बदलाव माने जाए

### राजमन्नार समिति

- यह राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जाहिर हैं यह राज्य का फायदा देखेंगे
- 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर बी पी राजमन्नार की अध्यक्षता में
- केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने एवं राज्यों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए
- इनकी रिपोर्ट - problem
- उन्होंने कहा केंद्र को ज्यादा शक्ति दी गई है
- एकल पार्टी - सरकार केंद्र व राज्य दोनों में
- राज्य संसाधनों की कमी के कारण केंद्र पर निर्भर है
- केंद्र में योजना बनती है और राज्य से पूछा भी नहीं जाता

### सिफारिशें

- अंतरराज्यीय परिषद का गठन हो वित्त आयोग को स्थाई निकाय बनाया जाए
- A-356,357,365 को समाप्त कर दिया जाए
- राज्यपाल और राज्य मंत्री परिषद के पद धारक करने का प्रावधान समाप्त करो
- संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों को राज्य सूची में डालो अवशेषी शक्तियां राज्य को दो
- IAS, IPS, IFS सेवाओं को समाप्त करो

- केंद्र सरकार ने इसकी कोई सिफारिश स्वीकार नहीं की

### आनंदपुर साहिब प्रस्ताव

यह कोई समिति नहीं थी

- केवल प्रस्ताव था
- 1973 में अकाली दल के द्वारा पंजाब में राजनैतिक और धार्मिक बातों के संबंध में प्रस्ताव था
- मांगे
- रक्षा, विदेश संबंध, संचार, मुद्रा केंद्र को दो बाकी सभी विषय राज्य को दो
- संविधान को संघीय बनाओ ऐसा नहीं जब केंद्र चाहे एकात्मक बन जाए
- सभी राज्यों को समान अधिकार दो
- केंद्र के द्वारा इन सभी को अस्वीकार कर दिया गया

### पश्चिम बंगाल स्मरण पत्र

1977 में केंद्र सरकार के लिए स्मरण पत्र था

#### सुझाव

- इन्होंने कहा संघ शब्द को हटाकर संविधान में संघीय शब्द रखो
- केंद्र का फोकस केवल रक्षा विदेश मामले संचार एवं आर्थिक तालमेल तक हो
- अन्य सभी मामलों में राज्यों को शक्ति दो
- A-356,356,360 को पूर्णतया समाप्त कर दो
- नए राज्यों के निर्माण में राज्यों की सहमति लो
- केंद्र द्वारा वसूले गए कर का 75% हिस्सा राज्यों को दो
- राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्ति दो
- केंद्र, राज्य सेवाएं हो। अखिल भारतीय सेवाएं समाप्त करो
- केंद्र के द्वारा इन सभी को अस्वीकार कर दिया गया

सरकारिया आयोग - केंद्र राज्य relation देखे जाते हैं इसमें

- 1983 में केंद्र सरकार द्वारा
- तीन सदस्यीय आयोग अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश आरएस सरकारिया
- इसमें कहा गया यह देखें कि संविधान बनने के बाद किस तरह व्यवस्था चल रही है
- केंद्र और राज्य के क्या संबंध हैं किस तरह से बदलाव होना चाहिए

- अक्टूबर 1987 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की
- इन्होंने ढांचा बदलने में ध्यान नहीं दिया। इन्होंने संविधान के ढांचे के अंदर ही ढंग से काम करने की बात की। ऐसा नहीं कहा एकात्मक संविधान को संघीय बनाना चाहिए और जो ढांचे में बदलाव की जरूरत थी वो इन्होंने कहें

इन्होंने 247 सुझाव दिए

कुछ प्रमुख (बाकी Book से)

- A-263 के तहत स्थाई अंतरराज्यीय परिषद हो
- A-356 का संभलकर इस्तेमाल हो
- अखिल भारतीय सेवाओं को मजबूत बनाओ
- राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित विधेयक का कारण राज्य को बताया जाए
- क्षेत्रीय परिषद बनाओ
- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष हो
- केंद्र सरकार ने सरकारी आयोग के 180 सिफारिशों लागू की
- इसमें सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केंद्र राज्य परिषद का गठन है

**पूँछी आयोग** 2nd commission (310 सिफारिशें)

- केंद्र सरकार द्वारा 2007 में गठन
- केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पूँछी की अध्यक्षता में सरकारिया आयोग के बाद इन्होंने बदलते हुए राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्त्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके थे
- इन्होंने सरकारी आयोग की सिफारिशों को ज्यादा explain किया
- आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा कर केंद्र सरकार को उचित सिफारिश दी

इसमें बोला

- समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य मिलकर कार्य करें
- गवर्नर राज्य के बाहर का सदस्य हो राजनीति से संबंधित ना हो अगर हो तो भी वह 5 साल पहले चलेगा पर अब नहीं
- राज्यपाल का कार्यकाल फिक्स हो इसका भी महाभियोग हो
- अगर कोई भी सभा बहुमत में नहीं है तो जो guidelines हैं उसे संविधान में लिखा जाए

A-356, S. R. बोम्मई vs Union of India (1994) मामले में कहा यह केंद्र सरकार राज्य को तंग करने के लिए कार्य करती है उसको वह नहीं करने चाहिए

- वित्तीय आयोग को स्थाई बनाओ

सरकारिया आयोग की कुछ प्रमुख बातें जो उसमें सुझाव दिए गए

- रेडियो, टेलीविजन को स्वायत्ता नहीं दी जाए
- राष्ट्रीय विकास परिषद का नाम बदलकर राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद कर दो (यह अब नहीं रही)
- संघवाद को promote करो
- केंद्र सैन्य बलों की तैनाती से पहले state से भी पूछे
- समवर्ती सूची में बदलाव से पहले भी राज्य से पूछे
- राज्यपाल से related matter को संविधान में लिखो
- गवर्नर का कार्यकाल 5 साल हो

पूछी commission में सरकारिया कमिशन की बातों को ही explain किया

### Chapter 15

#### अंतरराज्यीय संबंध

- संघीय सफलता केवल तभी नहीं बनी रह सकती है जब केंद्र राज्य सहयोग से रहे बल्कि इसके लिए राज्य का राज्य से मिलकर रहना भी जरूरी है संविधान ने इस संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए हैं

1. अगर कोई जल को लेकर लड़ाई होती है तो उसका न्याय निर्णयन हो
2. अंतर राज्य परिषद
3. सार्वजनिक कानूनी दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं को पारस्परिक मान्यता
4. अंतरराज्य व्यापार, वाणिज्य तथा समागम की स्वतंत्रता

**अंतरराज्यीय जल विवाद - 2016 तक 8 अंतरराज्यीय न्यायाधिकरण बन गए थे**

अगर कोई पानी को लेकर लड़ाई होती है तो उससे संबंधित

### दो प्रावधान

1. अगर किसी राज्यों में पानी को लेकर लड़ाई होती हैं संसद कानून बना सकती है लड़ाई नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग को लेकर हो सकती है संसद कानून बनाकर लड़ाई का निपटारा कर सकती है
2. अगर लड़ाई हो रही होगी तो कोई भी court कुछ नहीं कहेगा संसद इसका खुद ही solution निकालेगी संसद ने पानी से संबंधित एकट भी निकाले हैं
3. नदी बोर्ड अधिनियम 1956 - यह विकास का कार्य करता है
4. अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 - अगर कोई लड़ाई हो जाए तो यह निपटारा करने का काम करता है इसका निर्णय अंतिम तथा सभी पक्षों के लिए मान्य होगा

कोई जल विवाद जो इसके अधीन होगा वह उच्चतम न्यायालय तथा किसी दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा

### न्यायिक तंत्र का role

अगर जल विवादों से विधिक हित जुड़े हो तो उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर सकता है

- कृष्णा जल विवाद - महाराष्ट्र, कर्नाटक आंध्र प्रदेश
- कावेरी जल विवाद - कर्नाटक, केरल तमिलनाडु, पुदुचेरी
- वंशधारा जल विवाद - उड़ीसा, आंध्र प्रदेश
- महादार्यी जल विवाद - गोवा कर्नाटक एवं महाराष्ट्र

### अंतरराज्यीय परिषदे

- A-263 में राज्य तथा केंद्र के बीच में और राज्य तथा राज्य के बीच में तालमेल बनाने का काम करते हैं इसका गठन सार्वजनिक हित में राष्ट्रपति कर सकता है और इसकी प्रक्रिया define कर सकता है

### A-263 के तहत कर्तव्य

- राज्यों के मध्य विवादों की जांच करना

- उन विषयों से ऊपर विचार करना जो राज्य और केंद्र के समाज हित के लिए हो
- ऐसे विषयों तथा विशेष तौर पर नीति तथा इसके क्रियान्वयन में बेहतर तालमेल के लिए संस्तुति करना
- इसका कार्य सलाहकारी है ना कि अनिवार्य रूप से मान्य

#### A-263 में राष्ट्रपति द्वारा गठित परिषदे

- केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद
- केंद्रीय सरकार तथा शहरी विकास परिषद
- बिक्री हेतु उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी क्षेत्रों के लिए चार क्षेत्रीय परिषदे

#### अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना

- सरकारिया की सिफारिश पर
- V. P. सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने परिषद का गठन किया

#### सदस्य

- अध्यक्ष -प्रधानमंत्री
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री
- उन केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक जहां विधानसभा नहीं हैं
- राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल
- प्रधानमंत्री द्वारा नामित 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (गृह मंत्री सहित)
- अध्यक्ष - 5 कैबिनेट मंत्री परिषद के स्थाई आमंत्रित सदस्य होते हैं

#### कार्य

- साझे वाले मुद्दे पर विचार करना
- वर्ष में कम से कम 3 बैठके करना बैठके पारदर्शी होती हैं

#### लोक अधिनियम, दस्तावेज तथा न्यायिक प्रक्रियाए

- संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्य क्षेत्र उस राज्य तक ही सीमित है यह संभव है कि एक राज्य के कानून और दस्तावेज दूसरे राज्य में अमान्य हो ऐसी परेशानियों को दूर करने के लिए संविधान में पूर्ण विश्वास तथा साख इस प्रकार वर्णित है
  - केंद्र तथा प्रत्येक राज्य के लोग अधिनियम, दस्तावेजों तथा न्यायिक प्रक्रिया को संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास प्रदान किया जाएगा
  - ऐसे अधिनियम संसद द्वारा नियम बनाकर प्रदान किए जाएंगे

3. भारत के किसी भी भाग में दीवानी न्यायालय की आज्ञा तथा अंतिम निर्णय प्रभावी होगा। यह फौजदारी पर लागू नहीं

### अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य (भाग -13 Art -301 to 307)

#### तीन बातें

- व्यापार - वस्तुओं को खरीदा बेचा जाना व्यापार है
- वाणिज्य - खरीदे सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना समागम- वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह जारही है
- Art -301 मे कहा गया है व्यापार वाणिज्य और समागम पूरे भारत क्षेत्र में स्वतंत्र होगा। राज्यों के बीच में अवरोधों को हटाने का कार्य करता है

#### Art -302 to 305, भाग -13

- संसद को शक्ति है जो कार्य लोगों के हित में नहीं उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है
- दो राज्यों में अगर वस्तु same बेची जा रही है तो किसी एक राज्य की वस्तु को ज्यादा महत्व नहीं देना है अगर एक राज्य में वस्तु की कमी है तो उसी वस्तु को दूसरे राज्य में नहीं भेजा जा सकता
- अगर कोई राज्य दूसरे राज्य से आ रहे सामान पर बेफालतू प्रतिबंध लगाना चाहता है तो ऐसा करने के लिए उन्हें कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति से पूछना पड़ेगा केवल तभी पास हो सकता है

#### क्षेत्रीय परिषद

- सांविधिक निकाय
- 1956 में स्थापना
- पांच भागों में देश को बाटा
- उत्तरी, मध्य -पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी
- प्रत्येक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय परिषद

#### क्षेत्रीय परिषद के सदस्य

- केंद्र सरकार का गृह मंत्री
- क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के दो अन्य मंत्री क्षेत्र में स्थित प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक
- कुछ सलाहकार भी सकते हैं

#### उद्देश्य क्षेत्रीय परिषदों के

- देश का एकीकरण प्राप्त करना

- समाज में सब मिलजुल कर रहे हैं
- आर्थिक विकास के matter में सब मिलजुल कर रहे
- मुख्य विकास योजनाओं के सफल तथा तीव्र क्रियान्वयन के लिए एक दूसरे की सहायता करना
- देश के अलग-अलग क्षेत्रों के मध्य राजनैतिक साम्य सुनिश्चित करना

### पूर्वोत्तर परिषद

- 1971 में गठन
- कार्य क्षेत्रीय परिषद वाले ही
- सदस्य- असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय त्रिपुरा तथा सिक्किम शामिल

### Chapter 16

#### आपातकालीन प्रावधान


##### आपातकाल

- वह स्थिति जब केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाता है सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है
- इसके लिए के तहत संशोधन की जरूरत नहीं होती

- डॉ बी आर अंबेडकर जी ने बोला कि हमारा संविधान समय और स्थितियों के हिसाब से संघीय और एकात्मक हो सकता है

### आपातकालीन प्रावधान

- Art -352 to 360
- जर्मनी से लिए गए



### राष्ट्रीय आपातकाल

- | बाहरी  | अंदरूनी   |
|--|---|
| • युद्ध या बाहरी आक्रमण वाली   | सशस्त्र विद्रोह वाली<br>यह पूरे देश या देश के किसी हिस्से में भी लग सकती है<br>यह 42 वें संशोधन 1976 में शामिल किया गया |
| • Art -352 के तहत लगाई जाती है राष्ट्रपति ,आपातकाल की घोषणा करता है और 1975 में राष्ट्रपति ने केवल प्रधानमंत्री की सलाह से आपातकाल लगा दी थी पर अब ऐसा संभव नहीं है<br>अब मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश भी अनिवार्य है |   |
| • 44 वें संशोधन 1978 में आंतरिक गड़बड़ी को सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया<br>अब आधार पर आपातकाल लगाना संभव नहीं जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया था  |   |
| • 38वें संविधान संशोधन 1975 में यह कहा कि आपातकाल में न्यायालय picture में नहीं आएगा पर 44 वें संविधान संशोधन 1978 में कहा गया कि न्यायालय की राय भी ली जाएगी  |   |
| • मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को पूरी तरह बाटा प्रभाव तथा असम्बद्ध तथ्यों के आधार पर की गई हो तो अदालत में चुनौती दी जा सकती                                   |   |

### संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि

- जब आपातकाल लग जाए तो उसके 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से आपातकाल approve होनी चाहिए पहले 2 माह का समय था (44वे संशोधन 1978 में इसे 1 माह कर दिया गया)

Q. अगर लोकसभा का विघटन हो जाए उस 1 माह के भीतर जब आपातकाल को approve नहीं किया गया है तो क्या होगा

- Ans उस स्थिति में जब कोई नई लोकसभा आएगी उसकी पहली बैठक होगी उसकी पहली बैठक के 30 दिनों तक आपातकाल पारित हो जानी चाहिए (जब लोकसभा नहीं थी तब तक राज्यसभा में आपातकाल approve हो जाना चाहिए) आपातकाल 6 माह तक रहेगी
- आपातकाल जितने मर्जी देर से चला सकते हैं यह है कि हर 6 माह में इसे दोनों सदनों में approve करवाना होगा
- इसे 44वे संशोधन में जोड़ा गया अगर 6 माह होने से पहले ही लोकसभा विघटित हो गए तो जब तक लोकसभा नहीं आती और उसके आने के 30 दिन बाद तक आपातकाल होगा (बशर्ते राज्यसभा में approve हुई हो)
- पहले यह अनुमोदन साधारण बहुमत द्वारा पर करवाया जाता था पर अब विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है

### उद्घोषणा की समाप्ति

- राष्ट्रीय आपातकाल की समाप्ति किसी भी वक्त कर सकता है इसके लिए संसदीय approval की भी जरूरत नहीं (44 में संशोधन 1978)

### 44 वे संशोधन 1978

- 1/10 सदस्य लोकसभा के सदस्यों का, अगर अध्यक्ष को लेकर नोटिस दें तो 14 दिन के अंदर उद्घोषणा के जारी रहने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए सदन की विशेष बैठक विचार-विमर्श बुलाई जा सकती है

आपातकाल को अस्वीकार करने का प्रस्ताव जारी करने से दो तरह से भिन्न है

- आपातकाल को approve दोनों सदनों द्वारा ,Disapprove लोकसभा द्वारा
- जब आपातकाल approve करनी हो तो विशेष बहुमत से, जब disapprove करनी हो तो साधारण बहुमत से

### राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव

#### तीन वर्गों पर

- केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव
- लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव
- मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

#### केंद्र राज्य संबंधों पर प्रभाव

- कार्यपालिका** -राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्ति बढ़ जाती है
- विधायी** -राष्ट्रीय आपातकाल के समय केंद्र को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है

- वित्तीय - लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के कार्यकाल पर प्रभाव
- ✓ लोकसभा का कार्यकाल उसके सामान्य कार्यकाल से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है
- ✓ यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता
- ✓ Same as राज्य विधानसभा

### मूल अधिकारों पर प्रभाव

- Art-358,359 राष्ट्रीय आपातकाल में मूल अधिकार पर प्रभाव का वर्णन करते हैं

### अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन


- Art-358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू की जाती है तो Art-19 स्वयं खत्म हो जाता है जब आपातकाल खत्म हो जाता है तो फिर Art-19 जीवित हो जाता है
- 44 वें संशोधन 1978 ने Art-358 में दो प्रकार प्रतिबंध लगा दिए हैं
- Art-19 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर आपातकाल लगती है तभी निलंबित होता है सशस्त्र विद्रोह वाली आपातकाल के आधार पर नहीं
- ऐसी विधियां और कार्यकारी निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती जो आपातकाल में बनी है

### अन्य मूल अधिकारों का निलंबन

- Art-359 के अंतर्गत मूल अधिकार नहीं उनका लागू होना निलंबित होता है अधिकार तो जीवित होते हैं पर इनके उपचार निलंबित हो जाते हैं
- Art-20,21 आपातकाल में भी प्रभावी रहता है

### अब तक आपातकाल

अब तक तीन बार लग चुकी हैं




### राष्ट्रपति शासन

- राज्य आपातकाल, संवैधानिक आपातकाल
- Art-355 कहता है कि प्रत्येक राज्य सरकार संविधान के प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप ही कार्य करें

- Art-356 के अंतर्गत राज्य में संविधान तंत्र के विफल हो जाने पर राज्य सरकार को नियंत्रण में ले सकता है इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं

356 को दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है



### संसदीय अनुमोदन तथा समय अवधि

- घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों से approve हो जाना चाहिए
- अगर लोकसभा approve के पहले विघटित हो जाती है तो लोक सभा की पहली बैठक के 30 दिन तक बना रहता है बशर्ते राज्यसभा में इसे निश्चित समय में स्वीकृत कर दिया हो
- अवधि - 6 माह ,3 साल की अवधि के लिए चल सकता है पर हर 6 माह बाद approve करवाना है
- अगर लोकसभा दोबारा आपातकाल को permission दिए बिना विघटित हो जाती है तो जब तक लोकसभा दोबारा जारी नहीं होती, जारी होने के 30 दिन बाद तक आपातकाल की permission लेनी
- इस आपातकाल के लिए प्रत्येक सदन का साधारण बहुमत चाहिए होता है 44 संविधान संशोधन में कहा के राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता अगर 1 वर्ष के बाद, 6 माह के लिए बढ़ाना भी है निम्नलिखित परिस्थितियां पूरी होनी चाहिए
  - यदि पूरे भारत में अथवा पूरे राज्य या उसके किसी भाग में राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई हो
  - चुनाव आयोग यह प्रमाणित करें कि संबंधित राज्य में विधानसभा के चुनाव के लिए कठिनाइयां उपस्थित हैं राष्ट्रपति, आपातकाल को किसी भी समय वापस ले सकता है

### राष्ट्रपति शासन के परिणाम

- राष्ट्रपति के हाथ में राज्य सरकार के कार्य
- वह घोषणा कर सकता है कि संसद राज्य विधायिका के शक्तियों का प्रयोग करेगी
- मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद भंग कर सकता है
- राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति के नाम पर राज्य सचिव के सहायता से राज्य का प्रशासन करता है
- राज्य के उच्च न्यायालय राष्ट्रपति शासन का कोई लेना देना नहीं है

### अनुच्छेद 356 का प्रयोग

- 100 से अधिक बार लग चुका है
- 1951 में पंजाब में प्रथम
- जब केंद्र वाली सत्ता राज्य में नहीं होती है तो राज्य में आपातकाल लग जाता है

### **न्यायिक समीक्षा की संभावनाएं**

- 1975 में 38वें संशोधन अधिनियम ने कहा कि राष्ट्रपति को संतुष्ट किया जाएगा इसे किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती
- 44वें संशोधन में इसे समाप्त कर दिया गया
- बोम्बई मामले 1994 में उच्चतम न्यायालय ने Art-356 के अंतर्गत निम्नलिखित निर्णय लिए
  1. राष्ट्रपति शासन को न्यायिक समीक्षा में देखा जाएगा
  2. राष्ट्रपति के संतुष्टि तर्कसंगत संसाधनों पर आधारित होनी चाहिए अगर सही ना हो तो राष्ट्रपति के कार्य पर रोक लगा सकता है
  3. केंद्र की जिम्मेदारी होगी राष्ट्रपति शासन आने वाले कारण बताएं
  4. अगर न्यायालय को लगे आपातकाल ठीक कारण से नहीं है तो मैं राज्य से आपातकाल हटा सकता है
  5. यदि कोई राज्य सरकार सांप्रदायिक राजनीति करती है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है
  6. अनुच्छेद 356 का प्रयोग यदा-कदा ही करना चाहिए

### **वित्तीय आपातकाल**

- Art-360, जब भारत अथवा उसके क्षेत्र की वित्तीय स्थिति अथवा प्रत्यय में हो तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है
- 38वें संविधान संशोधन में कहा कि वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा न्यायालय इसमें कुछ नहीं कहेगा पर 44 वें संशोधन ने कहा कि यह आपातकाल न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है

### **संसदीय अनुमोदन एवं समय अवधि**

- आपातकाल की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद से स्वीकृति मिलना आवश्यक है अगर लोकसभा विघटित हो जाए तो नई लोकसभा के 30 दिन के भीतर इसे मंजूरी मिल जानी चाहिए बशर्ते उस अवधि में राज्यसभा से मंजूरी मिल गई हो

Approve होने के बाद अनिश्चितकाल तक चलेगी जब तक वापस नहीं ले ली जाती

1. इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है
2. जारी रखने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक नहीं
- सामान्य बहुमत द्वारा, संसद के किसी भी सदन में

- राष्ट्रपति द्वारा ली जा सकती है, किसी संसदीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं

### वित्तीय आपातकाल के प्रभाव

1. राज्य का वित्तीय स्वराज्य छीन लिया जाता है
2. सभी सरकारी अधिकारियों की तनखा घटाई जा सकती है
3. वित्तीय निर्णय केंद्र के हाथ में चले जाते हैं
4. H N कुंजरू ने कहा यह राज्य का स्वराज बिल्कुल खत्म कर देगी

1991 में यह बात चल रही थी कि वह सकता है कि वित्तीय आपातकाल लग जाए पर नहीं लगा

### आलोचनाएं

- संघीय ढांचा खत्म हो जाता है
- राज्य की शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती हैं
- वित्तीय स्वायत्तता खत्म हो जाती है राष्ट्रपति तानाशाह बन जाता है
- मूल अधिकार अर्थहीन हो जाते हैं

### Chapter 17

### राष्ट्रपति

### संघ की कार्यपालिका

- Part -5 ,Art 52 to 78
- संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी शामिल हैं
- राष्ट्रपति, भारत का राज्य प्रमुख होता है।
- भारत का पहला नागरिक, राष्ट्र की एकता अखंडता एवं सुदृढ़ता का प्रतीक है

## राष्ट्रपति का निर्वाचन

- जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है
- निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा जिनमें निम्न लोग शामिल होते हैं
  1. संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य
  2. राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य
  3. केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य

## अर्थात्

- संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य और दिल्ली विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते
- अगर कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या का निर्धारण

## एक विधायक के

मत का मूल्य = राज्य की कुल जनसंख्या / राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य  $\times 1/1000$

- संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या

## एक संसद सदस्य के

मतों का मूल्य = सभी राज्यों के विधायकों के मतों की कुल संख्या / संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या

किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए, मतों का एक निश्चित भाग होना चाहिए

निश्चित मतों का भाग = कुल वैध मत / 1+1 +1

## समानुपातिक प्रतिनिधित्व

मान लो राष्ट्रपति के निर्वाचन में 1,2,3,4 लोग खड़े हैं

अब जिसे 1st preference ज्यादा मिली होगी

A1	B2	C3	D4
1	4	2	3
3	4	1	2

और 2nd preference ज्यादा मिली होगी

उन्हें अलग कर दिया जाएगा बाकी सब game से बाहर like A1

और D4 को अलग कर दिया गया A को 1st preference ज्यादा

मिले हैं तो अब जो B और C वाल...

2	1	3	4
1	4	3	2
2	3	4	1
1	2	3	4

अगर कोई फैसला निकला तो ठीक नहीं तो

A और D में होगा जिसे 1st preference ज्यादा हासिल

होगी वह मुकाबला जीत जाएगा

### In Book language

- मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता 1,2,3,4 आदि अंकित करनी होती है इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है यदि उम्मीदवार निर्धारण मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता
- राष्ट्रपति से जुड़े विवादों का फैसला उच्चतम न्यायालय द्वारा होता है उसका फैसला ही अंतिम माना जाता है अगर किसी को राष्ट्रपति के रूप में अवैध घोषित करता है तो उसे राष्ट्रपति द्वारा कार्य किए गए हैं उन्हें वैद्य माना जाएगा

### राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव करवाने का कारण

- क्योंकि राष्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यकारी होता है
- प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला होता है

### अहर्ताएं शपथ एवं शर्तें

- वह भारत का नागरिक हो
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो
- लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो
- केंद्र या राज्य सरकार में लाभ के पद पर ना हो

- जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा हो उसके साथ कम से कम 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए और आरबीआई में
- 15000 रुपये जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। उम्मीदवार अगर कुल डाले गए मतों का 1/6 प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो उसके द्वारा जमा राशि जफ्त कर ली जाएगी

### **राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान**

#### **शपथ**

- श्रद्धा पूर्वक कार्य करूंगा
- संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा
- भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है

#### **शर्तें**

- राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो यदि है तो उसे पद धारण करने से पहले त्यागपत्र देना होगा
- वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा
- उसे बिना कोई किराया चुकाया राष्ट्रपति भवन मिलेगा
- उपलब्धियां, भत्ते मिलेंगे जो कि उसकी कार्यविधि दौरान कम नहीं करे जाएंगे

2008 से वेतन 50000 से बढ़ाकर 1.5 लाख प्रतिमाह

### **पदावधि, महाभियोग एवं पदरिक्तता**

#### **पदावधि**

- 5 वर्ष
- हालांकि किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है
- महाभियोग चला कर भी हटाया जा सकता है
- जब तक कोई और राष्ट्रपति का पद धारण ना कर ले तब तक पूर्व राष्ट्रपति पद पर बना रहता है चाहे 5 वर्ष क्यों ना पूरे हो गए हो
- वह पद पर पुन निर्वाचित भी हो सकता है कितनी भी बार
- अमेरिका का राष्ट्रपति केवल दो बार निर्वाचित हो सकता है

### **महाभियोग (हटाना)**

- संविधान का उल्लंघन करने के आधार पर (हालांकि संविधान के उल्लंघन शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है )
- संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है आरोपों के लिए सदन के सदस्यों के 1/4 हस्ताक्षर चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए
- जब एक सदन से महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाए तो उसे दूसरे सदन में भेजा जाता है दूसरा सदन इन आरोपों की जांच करता है
- राष्ट्रपति को इस में उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है
- यदि दूसरा सदन आरोपों को सही पाए तो वह भी महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित कर दे और राष्ट्रपति को हटना होगा

### दो बातें

- संसद के नामांकित सदस्य भी महाभियोग में भाग ले सकते हैं
- राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली केंद्र शासित राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला

### राष्ट्रपति के पद की रिक्तता

राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है

- 5 वर्ष समाप्त होने पर - इसके बाद नया चुनाव होगा
- उसके त्यागपत्र देने पर
- महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर
- उसकी मृत्यु पर

अन्यथा -निर्वाचन अवैध हो

- पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की तरह कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए यदि मृत्यु हो जाए तो तुरंत नया निर्वाचन होगा (6 माह के भीतर) (निष्कासन या त्यागपत्र पर विनया निर्वाचन होगा)
- यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के आने तक as a राष्ट्रपति कार्य करेगा या वर्तमान राष्ट्रपति बीमारी या अन्य कारणों से पद पर रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनर्पद ग्रहण होने तक पद पर रहेगा
- अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश As a राष्ट्रपति काम करेंगे अगर मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो मुख्य न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश As a राष्ट्रपति काम करेंगे
- इस वक्त इन्हें विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी

## राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य

1. कार्यकारी शक्तियां
2. विधायी शक्तियां
3. वित्तीय
4. न्यायिक
5. कूटनीतिक
6. आपातकालीन

### कार्यकारी शक्तियां

- सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं
- वह नियम बना सकता है ताकि उसके द्वारा दिए जाने वाले आदेश, अनुदेश वैध हो
- ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके वह प्रधानमंत्री, अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है
- महान्यायवादी की नियुक्ति करता है उसका वेतन तय करता है
- महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक मुख्य चुनाव आयुक्त, UPSC के सदस्य, राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति करता है
- केंद्र के प्रशासनिक कार्यों के संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है
- किसी मंत्री के निर्णय का प्रतिवेदन मांग सकता है प्रधानमंत्री से, जो कि मंत्रिपरिषद ने approve नहीं किया हो
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग की नियुक्ति करता है
- अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकता है
- केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन चलाता है
- किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है

### विधायी शक्तियां

- संसद की बैठक बुला सकता है स्थगित, विघटित कर सकता है, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है
- संसद का प्रथम अधिवेशन संबोधित करता है
- किसी विधेयक से संबंध संसद में संदेश भेज सकता है
- लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकता है
- 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है
- लोकसभा में दो आंगल भारतीय को नियुक्त कर सकता है

- चुनाव आयोग से सलाह कर संसद सदस्यों की निरहर्ता के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है
- कुछ विधायकों को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत होती है
- विधेयक को स्वीकृति दे सकता है सुरक्षित रख सकता, है यदि धन विधेयक नहीं है तो वापस लौटा सकता है
- संशोधन किए बिना भेजें तो सहमति देनी होती है
- जब राज्यपाल राष्ट्रपति के पास विधायक भेजता है तो वह उसे स्वीकृति देता है, सुरक्षित रखता है पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है
- अध्यादेश जारी कर सकता है
- UPSC, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग से रिपोर्ट मांग सकता है

### **वित्तीय शक्तियां**

- धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पर प्रस्तुत होता है
- केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है
- अनुदान की कोई मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं हो सकती
- आकस्मिक निधि से किसी अदृश्यव्यय हेतु भुगतान की व्यवस्था करता है
- राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है

### **न्यायिक शक्तियां**

- न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है
- उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है पर सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं
- किसी अपराध के लिए दोषीसिद्धि व्यक्ति को माफ कर सकता है

### **कूटनीतिज्ञ शक्तियां**

- अंतर्राष्ट्रीय संधियों व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं हालांकि संसद की अनुमति जरूरी है
- अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है

### **सैन्य शक्तियां**

- भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है
- थल सेना, जल सेना, वायु सेना की नियुक्ति करता है
- युद्ध की समाप्ति की घोषणा करता है जबकि संसद की अनुमति होती है

### **आपातकालीन शक्तियां**

- राष्ट्रपति की वीटो शक्ति

- वीटो - मतलब चीजों को रोकना मतलब राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है

## दो कारण

1. संसद को जल्दबाजी वाले विधेयक को रोकना
2. असंवैधानिक विधान को रोकना

## अत्यांतिक वीटो

- वह शक्ति जिसमें राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और विधायक अधिनियम नहीं बन पाता

## यह दो मामलों में इस्तेमाल किया जाता है

1. जो बिल गैर मंत्री प्रस्तुत करते हैं
2. सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को विधेयक पर सहमति ना देने की सलाह दे

1954 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने विधेयक पर निर्णय रोका था

1991 में राष्ट्रपति वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता पैशान विधेयक को रोक कर रखा गया

## निलंबनकारी वीटो

- राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार हेतु लौटाता है पर अगर संसद दोबारा वही विधेयक को बिना किसी संशोधन के वापस दे दे तो उसे सहमति देनी ही होगी

## पॉकेट वीटो

- विधेयक पर ना तो कोई सहमति, न अस्वीकृति ना लौटाना परंतु अनिश्चितकाल के लिए विधेयक को लंबित कर देना इसे पॉकेट वीटो कहते हैं
- 1986 में राष्ट्रपति जेल सिंह द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में का प्रयोग किया गया
- संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो नहीं है
- 24 वें संविधान सदस्य संशोधन अधिनियम 1971 ने संशोधन पर स्वीकृति के लिए बांधकारी होना

## राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो

राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है जब कोई विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो

A-200 के अंतर्गत उसके पास चार विकल्प हैं

1. वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है राज्यपाल जब राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रखता है उसके पास तीन विकल्प हैं
2. विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, सुरक्षित रख सकता है, राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दे अगर राज्य विधायिका फिर वापस भेज दें तो राष्ट्रपति पर सहमति के लिए बाध्य नहीं है इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती

संविधान में यह समय सीमा भी नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे (पाकेट वीटो का इस्तेमाल हो सकता है)

### राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति

- Art-123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास यह संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होते हैं परंतु इनकी प्रकृति अल्पकालीन होती है

### अध्यादेश जारी करने की शक्ति की चार सीमाएं

1. तभी अध्यादेश जारी हो सकता है जब संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो
  2. अगर किसी परिस्थिति में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो और सदन ना चल रहा हो
  3. अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर बनाया जा सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है अध्यादेश की वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून को होती हैं
  4. जब सदन दोबारा शुरू हो तो अध्यादेश उस अवधि में जो बना होगा उस अवधि में बने हो वह संसद के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे अगर दोनों सदनों से पारित कर दें तो वह अध्यादेश कानून बन जाएगा अगर संसद अध्यादेश पर कोई कार्यवाही ना करें तो संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते पश्चात यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा अगर दोनों सदन इसे Disapprove कर देते हैं तो 6 हफ्ते पहले भी इसे खत्म कर सकते हैं
- राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है (मंत्रिमंडल की सलाह पर)
  - संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता

### राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति

- A-72 क्षमादान की शक्ति है
- माफी निम्नलिखित में दी जा सकती है
  1. संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड को
  2. सैन्य न्यायालय में दिया गया दंड को
  3. यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो

राष्ट्रपति की इस शक्ति के दो रूप हैं

1. न्यायिक गलती को सुधारने के लिए
2. दंड का स्वरूप कड़ा हो तो

### **क्षमा**

1. दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है
2. पूर्ण मुक्त कर देना

### **लघुकरण**

- दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना

### **परिहार**

- इसका अर्थ है दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना

### **विराम**

- किसी दोषी को मूल रूप में दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना

### **प्रविलंबन**

- किसी दंड (विशेषकर मृत्युदंड) पर अस्थाई रोक लगाना

### **उद्देश्य**

- दोषी व्यक्ति का क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप परिवर्तन करने की याचना के लिए समय देना
- A-161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां हैं
- उसे यह पांच शक्तियां प्राप्त हैं (राष्ट्रपति वाली)
- पर दो condition हैं
  1. राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय वाली सजा कम कर सकता है, राज्यपाल नहीं
  2. राष्ट्रपति मृत्यु दंड को कम कर सकता है राज्यपाल नहीं

### **Chapter 18**

## उपराष्ट्रपति

### **उपराष्ट्रपति**

- दूसरा सर्वोच्च पद
- अधिकारिक क्रम में राष्ट्रपति के बाद इसका स्थान

### **निर्वाचन**

- जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है

### **निर्वाचक मंडल**

1. संसद के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं
2. राज्य विधान सभा के सदस्य शामिल नहीं होते
- बी आर अंबेडकर ने कहा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है इसलिए उसके चुनाव में राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग लेते हैं
- उपराष्ट्रपति के कार्य सामान्य हैं उसका मुख्य कार्य राज्य सभा की अध्यक्षता करना है
- उपराष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति की तरह अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा गुप्त मतदान से होते हैं

### **अहर्ताएं**

- वह भारत का नागरिक हो
- वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो
- वह राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य हो
- वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो
- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संघ एवं राज्यमंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते हैं इसलिए वह उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होते हैं
- उपराष्ट्रपति के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवार के पास कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होनी चाहिए (RBI में 15000 जमानत राशि )

### **शपथ या प्रतिज्ञान**

- भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगा
  - मैं अपने पद और कर्तव्य का निर्वह श्रद्धा पूर्वक करूंगा
- राष्ट्रपति या उसके द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है

### **शर्तें**

- वह संसद के किस सदन अथवा राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य ना हो अगर हो तो उसे उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व सदन की सीट त्याग दें
- लाभ के पद पर ना हो

### पदावधि

- उपराष्ट्रपति पद पर कितनी बार निर्वाचित हो सकता है
- 5 वर्ष
- त्यागपत्र दे सकता है
- पदावधि पूर्ण होने से पहले भी 14 दिन का नोटिस जारी कर उसे हटाया जा सकता है (महाभियोग की आवश्यकता नहीं) राज्यसभा द्वारा संकल्प करके पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है लोकसभा की सहमति जरूरी संविधान में उसे हटाने के लिए कोई आधार नहीं है

### पद रिक्तता

- जब कार्यकाल खत्म होने वाला हो तो कार्यकाल खत्म होने से पहले निर्वाचन करवाना होगा
- 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर त्यागपत्र देने पर
- उसे बर्खास्त करने पर
- उसकी मृत्यु पर
- यदि निर्वाचन अवैध हो

### चुनाव विवाद

निर्वाचन मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती

- चुनाव से संबंधित विवाद निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए जाते हैं उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा
- अगर उच्चतम न्यायालय निर्वाचन अवैध घोषित करता है तो राष्ट्रपति द्वारा जो पहले कार्य किया गया है वह वैद्य ही होंगे

### शक्तियां और कार्य

- राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है
- इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भाँति होते हैं (अमेरिका की भाँति)
- राष्ट्रपति का पद कुछ समय के लिए रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा (6 माह तक कर सकता है)
- इस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा इस दौरान उप सभापति उसका कार्य करेगा

### भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तुलना

- हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर तब तक बना रहता है जब तक नया राष्ट्रपति ना आ जाए और अमेरिका का तब तक जब तक पूर्व राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म ना हो जाए
- उपराष्ट्रपति को कुछ लोग हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं क्योंकि उसे उसकी क्षमता अनुसार कार्य नहीं दिए गए हैं

### परिलिंग्धियां

- राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते उसे वेतन मिलता है
- 2008 में वेतन 40000 से बढ़ाकर 1.5 लाख हो गया
- निशुल्क आवास ,फोन की सुविधा, कार ,चिकित्सा सुविधा और अन्य सुविधाएं मिलती हैं
- जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के समान वेतन मिलता है

### Chapter 19

## प्रधानमंत्री

### प्रधानमंत्री

- सरकार का मुखिया

### नियुक्ति

- A-75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा हालांकि संसदीय व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में वह अपनी व्यक्तिगत विवेकता का प्रयोग कर सकता है और जिस को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करने को कहता है
- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के चुनाव व नियुक्ति के लिए अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है जब प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उसका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी ना हो तो अगर सत्ताधारी दल का नेता चुन लें तो राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त कर लेता है
- 1980 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान में यह आवश्यक नहीं है कि प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले अपना बहुमत लोकसभा में साबित करें वह प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद भी एक निश्चित समय के अंदर अपना बहुमत साबित कर सकता है
- 1997 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एक व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य ना हो 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है इस समय में उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा
- प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है (ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए)

### शपथ, पदावधि, वेतन

- राष्ट्रपति शपथ दिलाता है

### शपथ

- मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा
- मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा
- मैं श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतरण से अपने पद के दायित्व का निर्वहन करूँगा
- मैं भय या पक्षपात अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा

### पदावधि

- निश्चित कार्यकाल नहीं, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त पद पर बना रहता है इसका अर्थ यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता है जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक राष्ट्रपति उसे हटा नहीं सकता
- अगर लोकसभा में विश्वास खो देता है तो उसे त्यागपत्र देना होगा नहीं तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर देगा

### वेतन

- जितना वेतन एक संसद को प्राप्त होता है उतना ही प्रधानमंत्री को होता है
- सन 2001 में भत्ते 1500 से बढ़ाकर 3000 कर दिए गए

### प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां

- मंत्री परिषद के संबंध में
- मंत्री नियुक्त करने के लिए अपने दल के व्यक्तियों के राष्ट्रपति को सिफारिश करता है
- मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित करता है
- मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने को सलाह दे सकता है
- मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है
- मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है
- पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद खत्म कर सकता है (क्योंकि प्रधानमंत्री से ही मंत्री परिषद है)
- अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए तो मंत्री परिषद नहीं होती बल्कि उसका स्थान रिक्त होता है

### राष्ट्रपति के संबंध में

- राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी  
जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह देना कोई भी विषय  
परिषद पर विचार नहीं किया अपेक्षा किये जाने पर  
परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें
- प्रधानमंत्री** →
- राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे महान्यायवादी, भारत का महा नियंत्रक एवम महालेखा परीक्षक, UPSC का अध्यक्ष, सदस्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग का अध्यक्ष, सदस्य की नियुक्ति के संबंध में सलाह देता है

### संसद के संबंध में

प्रधानमंत्री

- संसद का सत्र बुलाने की सलाह राष्ट्रपति को देता है
- लोकसभा को किसी भी समय विघटित करने की सलाह राष्ट्रपति से करता है
- सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है

### अन्य शक्तियां व कार्य

#### प्रधानमंत्री

- योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद
- अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष
- राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देता है
- केंद्र सरकार का प्रवक्ता
- आपातकाल के दौरान राजनैतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख है
- सत्ताधारी दल का नेता
- सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख

डॉ बी आर अंबेडकर ने कहा कि किसी कार्यकारी का यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह प्रधानमंत्री है ना कि राष्ट्रपति

### राष्ट्रपति के साथ संबंध

#### Art-74

- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा पुनर्विचार के लिए कह सकता है पुनर्विचार के बाद सलाह को मानना ही पड़ेगा

#### Art-75

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा
- मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे
- मंत्री परिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी

#### Art-78

- संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को सूचित करें
- जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्री परिषद में विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें

### वे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने

6 लोग = मोरार जी देसाई, चौधरी चरण सिंह वी पी सिंह, P V नरसिंहा राव, एच डी देवगौड़ा एवं नरेंद्र मोदी (गुजरात के 2001 से 2014 तक चार बार मुख्यमंत्री) अपने राज्यों के मुख्यमंत्री थे पर यह प्रधानमंत्री बने

## **Chapter 20** **केंद्रीय मंत्री परिषद**

- संसदीय व्यवस्था - ब्रिटिश मॉडल पर आधारित
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंत्रिपरिषद होती है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है
- A-74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है
- A-75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, उत्तरदायित्व और अहर्ताओं, शपथ एवं वेतन और भत्तों से संबंधित है

**संवैधानिक प्रावधान****A-74 राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद**

- राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति काम करेगा वह उसे पुनर्विचार के लिए कह सकता है पर जो मंत्रिपरिषद कहेगी राष्ट्रपति को उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा
- मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह को न्यायालय द्वारा नहीं देखा जा सकता

**A-75 मंत्रियों के बारे में उपबंध**

- प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा
- प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद की संख्या, लोकसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती
- अगर कोई दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित हो जाता है तो वह संसद में मंत्री पद के लिए अयोग्य होगा
- मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करेंगे
- मंत्री परिषद, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी
- राष्ट्रपति, मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएगा
- अगर कोई भी 6 माह तक सदन का सदस्य नहीं है उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा

मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते हैं, संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे

**A-77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन**

- कार्यपालक, कार्यवाही या राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी
- राष्ट्रपति के नाम पर पारित आदेशों तथा अन्य दस्तावेजों को इस प्रकार अधिप्रमाणित किया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो
- राष्ट्रपति मंत्रियों के बीच कार्यों का आवंटन करने के लिए नियम बनाएगा

**Art-78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य**

- राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचित करें
- राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचनाएं दे यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले पर जिसमें की किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन मंत्री परिषद ने विचार नहीं किया है उसे मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेज दे

#### **Art-88 सदन में मंत्रियों का अधिकार**

- प्रत्येक मंत्री को किसी भी सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, संयुक्त बैठक, संसदीय समिति का सदस्य हो कि बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा

#### **मंत्रियों द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति**

- 42वे और 44वे संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया गया है और उस सलाह की जांच किसी न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती
- 1971 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकसभा के विघटन के पश्चात भी मंत्री परिषद गठित नहीं होगी

#### **मंत्रियों की नियुक्ति**

- राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कोई अगर संसद का सदस्य नहीं है वह 6 माह से अधिक मंत्री नियुक्त नहीं हो सकता अगर वह 6 माह में संसद का सदस्य बन जाता है तो वे मंत्री रहेगा
- अगर कोई मंत्री एक सदन का सदस्य है तो उसे दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार है पर मत उसी सदन में दे सकता है जिसका वह सदस्य है

#### **मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं उनका वेतन**

##### **शपथ**

- राष्ट्रपति दिलवाता है

##### **वेतन**

- समय-समय पर निर्धारित होते हैं संसद के सदस्य के बराबर मंत्री का वेतन होता है

#### **मंत्रियों के उत्तरदायित्व**

##### **सामूहिक उत्तरदायित्व**

- मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है इसका अर्थ है कि मंत्रिमंडल के निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होंगे


##### **व्यक्तिगत उत्तरदायित्व**

- A-75 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को किसी भी समय हटा सकता है (प्रधानमंत्री की सलाह पर)

##### **कोई विधिक उत्तरदायित्व नहीं**

किसी भी मंत्री के लिए किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी का कोई उपबंध नहीं है

## मंत्री परिषद की संरचना



को A-75 के तहत नियुक्त किया जाएगा  
 सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी  
 यह मंत्रिपरिषद की लोकसभा के प्रति  
 सामूहिक जिम्मेदारी को लागू करते हैं

**आंतरिक कैबिनेट** -अमेरिका और ब्रिटेन में भी  
 सत्ता का प्रमुख केंद्र

- 15-20 मंत्री से मिलकर बनती है प्रमुख- प्रधानमंत्री
- यह औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली उच्चतम संस्था है
- इसमें 2-4 व्यक्ति प्रधानमंत्री के सहयोगी, जिससे वह हर समस्या के चर्चा करते हैं
- निर्णय लेने में फायदा करता है
- इसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही नहीं बल्कि बाहर के भी सदस्य शामिल होते हैं
- भारत में प्रत्येक प्रधानमंत्री की आंतरिक कैबिनेट होती है
- एक छोटा अंग जो निर्णय लेने के मामले में कैबिनेट के विशाल आकार से अधिक प्रभावशाली है
- इसकी बैठके होती रहती है

### दोष

- कैबिनेट के अधिकारों को कम करती है
- बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश ,कानूनी प्रक्रिया को उलझा देती है

## Chapter 21

### मंत्रिमंडलीय समितियां

- **Cabinet minister** - मंत्रिमंडल में से छोटा का पोषण निकाल लिया जाता है और वह मंत्री कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं
- इनके ऊपर कार्यभार अधिक होता है यह सारा कार्य खुद नहीं कर पाते
- यह अपना काम नीचे समितियों को हस्तांतरित कर देते हैं ताकि कार्य अच्छे से हो सके
- मंत्रियों ने अपनी सहूलियत के लिए संविधान में डाला है
- इसके बारे में संविधान में नहीं लिखा गया है

#### मंत्रिमंडलीय समितियां दो प्रकार

1. स्थाई

2. अस्थाई

- यह प्रधानमंत्री द्वारा बनाई जाती है समय एवं स्थिति को देखते हुए
- कैबिनेट मंत्री के कार्य को कम करने के लिए बनती हैं
- सदस्य 3 से 8
- ज्यादातर इसमें कैबिनेट के मंत्री के बराबर के लोग रहते हैं
- अध्यक्ष प्रधानमंत्री और इसके अलावा गृह मंत्री या वित्त मंत्री किसी समिति के अध्यक्ष हो सकते हैं

#### 2013 में 10 समितियां अस्तित्व में थी

1. आर्थिक मामलों के लिए अध्यक्ष -प्रधानमंत्री
2. कीमतों के लिए
3. राजनीतिक मामलों के लिए (super कैबिनेट कमेटी)
4. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति
5. सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति
6. विश्व व्यापार संगठन के मामले के लिए
7. निवेश के लिए
8. UIDAI के लिए
9. संसदीय मामलों के लिए अध्यक्ष गृह मंत्री
10. आवास के लिए

अध्यक्ष प्रधान मंत्री



- जो भी केबिनेट द्वारा कार्य दिया जाता है उसका आखिरी निश्चय EGOM द्वारा दिया जाएगा
- 2014 में मोदी सरकार ने 9 EGOM और 21 GOM को खत्म कर दिया ताकि प्रक्रिया तेज हो ताकि केबिनेट मंत्री अपना काम करें


## Chapter 22

### संसद

- संसद, केंद्र सरकार का विधायी अंग
- A-79 to 122, भाग 5 में संसद का गठन, संरचना, अवधि, प्रक्रिया अधिकारियों विशेषाधिकार व शक्ति आदि के बारे में वर्णन है

#### **संसद का गठन**

##### **तीन भाग**



#### **दोनों सदनों की संरचना**

- राज्यसभा चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्यों की सीटों का वर्णन है
- अधिकतम संख्या - 250
  - राज्य व संघ के - 238
  - मनोनीत - 12

वर्तमान संख्या -245

राज्य -229

संघ -4

मनोनीत -12

### राज्यों का प्रतिनिधित्व

- राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं
- एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है
- सीटों का बंटवारा जनसंख्या के हिसाब से
- अमेरिका में प्रत्येक राज्यों को 2 सीटें दी गई हैं

### संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

- निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं
- एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा होता है
- केवल दिल्ली व पुदुचेरी प्रतिनिधि राज्यसभा में हैं

### नामित या नाम निर्देशित सदस्य

- 12 नामित, जो कला साहित्य विज्ञान और समाज सेवा से हो
- उद्देश्य- नामी व प्रसिद्ध व्यक्ति बिना चुनाव के राज्यसभा में जा सके

### लोकसभा की संरचना

अधिकतम	552
राज्यों के	530
संघ के	20
आंग्ल भारतीय	2

वर्तमान संख्या 545

राज्यों के 530

संघ के 13

आंग्ल भारतीय 2

## राज्य का प्रतिनिधित्व

- राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन
- हर व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक है संविधान द्वारा अयोग्य नहीं ठहराया गया, को मत देने का अधिकार है
- 61वें संविधान संशोधन 1988 में आयु सीमा को 21 से 18 कर दिया गया

## संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

संसद, निर्धारित करती है कि का चुनाव कैसे होगा

1965 में कहा, प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा

## नामित या नाम निर्देशित सदस्य

दो लोगों को नामित करता है (एंगलो भारतीयों को )

95वें संशोधन 2009 में इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया

## लोकसभा की चुनाव प्रणाली

### प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र

- जनसंख्या के हिसाब से निश्चय किया कि एक क्षेत्र में कितने लोग वोट डालेंगे जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा वह चुना जाएगा प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन
- पहले हर जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र निश्चित होते हैं उस जनसंख्या के हिसाब से सीटें वाटी जाती हैं ताकि संसद की सीटों के लिए राज्य जनसंख्या बढ़ाने की ना सोचे

## अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए आरक्षण

इनको आरक्षण दिया जाता है ताकि इन जातियों को कोई दबा न सके

इन्हें सभी वोट डाल सकते हैं

## अनुपातिक प्रतिनिधित्व ना अपनाना

- इसमें निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक प्रतिनिधि निर्वाचित होता है इसमें
- जिस व्यक्ति को अधिक बहुमत प्राप्त होता है वह जीत जाता है
  - दो कारणों से अनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं अपनाया गया
  - लोकसभा में मतदाताओं के लिए मतदान प्रक्रिया समझाने में कठिनाई क्योंकि देश में शैक्षणिक स्तर कम है
- बहुदलीय व्यवस्था के कारण संसद की अस्थिरता

## दोनों सदनों की अवधि

### राज्यसभा की अवधि

- स्थाई संस्था, इतना विघटन नहीं होता
- सदस्य कार्यकाल 6 वर्ष, पर हर 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य हटाए जाते हैं
- सेवानिवृत्त सदस्य कई बार चुनाव लड़ सकते हैं

### लोकसभा की अवधि

- 5 साल, इसके बाद खुद विघटित हो जाती है
- राष्ट्रपति को 5 साल से पहले कभी भी विघटित करने का अधिकार है आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है
- आपातकाल खत्म होने के बाद इसका विस्तार 6 माह से अधिक नहीं हो सकता

## संसद की सदस्यता

### अहर्ताएं

उसे भारत का नागरिक होना चाहिए

उसे चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होगी  
कि

भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूँगा  
भारत की सभ्यता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूँगा

### आयु

राज्यसभा - 30

लोकसभा - 25

अन्य अहर्ताएं जो संसद द्वारा मांगी गई हो

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संसद में निम्नलिखित अहर्ताएं बतायी

1. वह उसी राज्य के मतदाता सूची में होना चाहिए जिस राज्य से वह चुनाव लड़ रहा है 2003 में यह बाध्यता समाप्त कर दी गई (राज्यसभा के लिए)
2. अनुसूचित जाति तथा जनजाति सीटों के लिए चुनाव लड़ सकते हैं जो उनके लिए आरक्षित नहीं

### निरहर्ताएं

- यदि वह भारत सरकार या राज्य सरकार में लाभ का पद धारण करें यदि वह विकृतचित्र है, न्यायालय ने ऐसी घोषणा की है

- दिवालिया
- भारत का नागरिक नहीं
- संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा निरहर्त कर दिए जाने पर

### जनप्रतिनिधित्व 1951 की निरहर्ताएं

- चुनावी अपराध के चुनाव में भष्ट आचरण के तहत दोषी हो
- किसी अपराध में 2 वर्ष से अधिक सजा ना हुई हो
- निर्धारित समय के अंदर चुनावी खर्च का ब्यौरा देने में असफल रहा हो
- उसे सरकारी ठेका, काम या सेवाओं में दिलचस्पी ना हो
- जिसमें सरकार का 25% हिस्सा हो वह निगम में लाभ के पद पर ना हो
- भष्टाचारी ना हो
- छुआछूत ना करता हो
- निर्हर्ताओं संबंधी राष्ट्रपति का फैसला अंतिम होता है

### दल बदल के आधार पर निरहर्ता

अगर कोई सदस्य दसरीं सूची के अनुसार दलबदल के तहत दोषी पाया गया हो तो उसे निरह करार कर दिया जाता है

#### दलबदल के तहत

1. अगर वह अपनी मर्जी के तहत उस दल को त्यागता है जिस दल की टिकट से वह जीता था तो वह निरहर्ता हो जाएगा
2. राजनीतिक निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है
3. अगर निर्दलीय चुना गया व्यक्ति राजनीतिक दल में शामिल हो जाता अगर कोई नामित या नाम निर्देशित व्यक्ति 6 माह के बाद राजनीतिक दल में शामिल होता है

इसके तहत निरहर्ता का निपटारा राज्यसभा में सभापति, लोकसभा में अध्यक्ष करता है इनके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है

### स्थानों का रिक्त होना

इसका अर्थ है कि ऐसी कौन सी स्थितियां हो सकती हैं कि सदस्य या मंत्री का स्थान रिक्त हो जाए

### दोहरी सदस्यता

- कोई भी व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए यदि हो तो

- यदि व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाए तो उसे 10 दिनों में बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है अगर नहीं बताता तो उसकी राज्यसभा की सीट खाली हो जाएगी
- अगर किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन में भी चुन लिया जाता है तो पहले वाले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा
- अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करने का अधिकार है अन्यथा दोनों सीटें रिक्त हो जाएंगे
- कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद एवं राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं हो सकता अगर होता है तो उसे 14 दिन के अंदर वह राज्य विधानमंडल की सीट खाली कर दें अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है

### **निरहता**

अगर कोई संविधान द्वारा दी गई निरहता से ग्रस्त पाया जाता है तो पद खाली करना होगा

### **पदत्याग**

अगर कोई सभापति या अध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे तो अगर त्यागपत्र स्वीकार हो गया तो पद खाली सभापति या अध्यक्ष चाहे तो त्यागपत्र स्वीकार करें

अगर उसे यह त्यागपत्र स्वैच्छिक ना लगे

### **अनुपस्थिति**

यदि कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन के सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित किया जाता है उन 60 दिनों में अगर लगातार चार छुट्टियां होती हैं तो वह छुट्टियां शामिल नहीं होंगी

### **अन्य स्थितियां**

- अगर न्यायालय उस चुनाव को अमान्य करार दे
- यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए
- यदि वह राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति चुन लिया जाए
- यदि उसे किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया जाए

### **शपथ या प्रतिज्ञान**

राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति या समाज सदन सदस्य शपथ लेते हैं

### **वेतन और भत्ते**

संसद के द्वारा निर्धारित भत्ते व वेतन लेने का अधिकार है

संविधान में पेशन का कोई प्रावधान नहीं है पर इन्हें पेशन मिलती है अध्यक्ष, सभापति के वेतन भी संसद द्वारा निर्धारित होते हैं

### **संसद के पीठासीन अधिकारी**

संसद में लोकसभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष राज्य सभा में सभापति, उपसभापति पीठासीन अधिकारी होते हैं

#### **लोकसभा अध्यक्ष**

##### **निर्वाचन एवं पद अवधि**

पहली बैठक संसद की जब होती है तो उसमें जो सदस्य शामिल होते हैं उनमें से एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है जब लोकसभा के अध्यक्ष का स्थान खाली होता है तो उसे भरने के लिए किसी अन्य सदस्यों को चुना जाता है राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है अध्यक्ष लोकसभा जब तक है तब तक रहता है पर कई मामलों में उसका पद पहले ही समाप्त हो जाता है

1. यदि वह सदन का सदस्य ना रहे
2. यदि वह पद त्याग दें
3. यदि संकल्प पारित करके सदस्य बहुमत से उसे हटाया जाए उसे इससे पहले 14 दिन का नोटिस देना होता है इस समय उसे किसी मामले में बोलने का अधिकार तो होगा मत का अधिकार भी होगा पर जहां मामला tie हो रहा है उसे वोट का अधिकार नहीं होगा

अध्यक्ष नई लोक सभा की पहली बैठक तक अपना पद नहीं छोड़ता

#### **भूमिका शक्ति व कार्य**

लोकसभा का मुखिया = अध्यक्ष

संसद का मुखिया = प्रधानमंत्री

- सभी संसदीय मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है
- लोकसभा का अध्यक्ष 3 स्रोतों भारत का संविधान, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम तथा संसदीय परंपराओं से अपनी शक्तियां व कर्तव्यों को प्राप्त करता है

#### **लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां**

- कार्यवाही का संचालन करना
- अंतिम निर्णयकर्ता
- गणपूर्ति के अभाव में सदन स्थगित करना
- बराबर की स्थिति में मत देना
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है गुप्त बैठक बुला सकता है (सदन के नेता से आग्रह करके )

- यह तय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं
- अंतिम निर्णय दल बदल के आधार पर सदस्य के निरहता के प्रश्न का निपटारा करता है
- संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है जो कि भारत और विश्व के अन्य संसदों के बीच की एक कड़ी है
- लोकसभा की संसदीय समितियों के सभापति नियुक्त करता है और उनके कार्यों की निगरानी करता है

### स्वतंत्रता व निष्पक्षता

निम्नलिखित उपबंध अध्यक्ष की स्वतंत्रता व निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं

1. वह सदन के जीवन काल तक पद पर रहता है अगर उसे हटाना है तो विशेष बहुमत की जरूरत है और इसका केवल विचार करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है
2. उसका वेतन संसद निर्धारित करता है
3. उसके कार्यों के लोकसभा में ना तो चर्चा हो सकती है ना आलोचना
4. सदन की प्रक्रिया व्यवस्थित रखने की उसकी शक्ति न्यायालय के अधिकार से बाहर है
5. निर्णायक मत देने वाला
6. उसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ सातवें स्थान पर है

### लोकसभा उपाध्यक्ष

वेतन संसद निर्धारित करती है अध्यक्ष के चुने जाने के बाद उपाध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है जब उपाध्यक्ष स्थान रिक्त होता है लोकसभा दूसरे सदस्य को इस स्थान के लिए चुनती है सदन के जीवन तक पद धारण करता है तीन स्थितियों में उसे अपना पद पहले ही छोड़ना पड़ता है

1. उसके सदन के सदस्य ना रहने पर
  2. त्यागपत्र द्वारा
  3. संकल्प पारित होने पर (14 दिन की पूर्व सूचना अनिवार्य)
- अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो या अध्यक्ष बैठक में शामिल ना हो तो उपाध्यक्ष बतौर अध्यक्ष कार्य करता है संयुक्त बैठक में अध्यक्ष ना हो तो उपाध्यक्ष पीठासीन होता है
  - उपाध्यक्ष, अध्यक्ष से अधीनस्थ नहीं होता है

### उपाध्यक्ष का विशेषाधिकार

- वह या उसे जब भी किसी संसदीय समिति का सदस्य बनाया जाता है तो वह स्वभाविक रूप से उसका सभापति बन जाता है

- वह केवल मत बराबर होने की दशा में मत देता है (जब वह अध्यक्ष की जगह पर होता है)
- अध्यक्ष - सत्ताधारी दल का ( 11 वीं लोकसभा की सहमति के अनुसार)
- उपाध्यक्ष - विपक्षी दल का हो

### लोकसभा के सभापतियों की तालिका = पैनल

- अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से 10 सदस्यों को पैनल के रूप में नामांकित करता है अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हाजिर ना हो तो इनमें से कोई भी संसद का पीठासीन हो सकता है जब तक पद धारण करता है जब तक नई सभापति तालिका का नामांकन ना हो जब इस पैनल का सदस्य अनुपस्थित रहता है तो सदस्य किसी अन्य व्यक्ति को अध्यक्ष निर्धारित करता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो सभापति तालिका का सदस्य अध्यक्ष नहीं हो सकता इस अवधि में राष्ट्रपति को नियुक्त करेगा वह अध्यक्ष होगा

**सामायिक अध्यक्ष** - अल्पकालीन पद (राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है)

- पिछली लोकसभा का अध्यक्ष नई लोक सभा की पहली बैठक तक रहता है
- राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को सामायिक अध्यक्ष नियुक्त करता है
- आमतौर पर लोकसभा के वरिष्ठ अध्यक्ष को चुना जाता है
- वह नई लोक सभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी होता है

**कर्तव्य-** नए सदस्यों को शपथ दिलवाना

जब नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो यह पद समाप्त हो जाता है

### राज्यसभा का सभापति= उपराष्ट्रपति

- जब उपराष्ट्रपति as a राष्ट्रपति काम करता है तो वह as a सभापति काम नहीं करता
- उसे as a सभापति हटाया जा सकता है जब उसे उपराष्ट्रपति पद से हटा दिया गया हो
- शक्ति व कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान

लोकसभा अध्यक्ष की दो शक्तियां जो इसके पास नहीं हैं

1. अध्यक्ष करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं
2. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है सभापति संसद का सदस्य नहीं होता यह भी बराबर मत होने की दशा में मत दे सकता है

- जब उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह मत नहीं दे सकता पर कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है
- वेतन भरे संसद द्वारा निर्धारित होते हैं (संचित निधि पर भारित हैं)
- संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष

- जब यह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा से वेतन नहीं मिलता यह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन लेता है

### राज्यसभा का उपसभापति

- राज्यसभा स्वयं अपने सदस्यों में से उपसभापति चुनती है अगर उप सभापति का पद खाली है तो राज्यसभा के सदस्य अपने बीच में से एक नया उपसभापति चुनते हैं

तीन कारणों से अपना पद छोड़ता है

- सदस्यता समाप्त हो जाए
  - त्यागपत्र
  - संकल्प पारित (14 दिन का नोटिस)
- जब सभापति ना हो तो उसकी जगह उपसभापति कार्य करता है( पद खाली व अनुपस्थिति )
  - उप सभापति, सभापति अधीनस्थ नहीं है
  - निर्णायक मत देता है
  - जब सभापति अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है
  - संसद द्वारा वेतन मिलता है( संचित निधि पर भारित)

### राज्यसभा में उपसभापतियों की तालिका - पैनल

- सभापति राज्य सभा के सदस्यों के बीच से उपसभापति को मनोनीत करता है जो कि सभापति, उपसभापति की अनुपस्थिति में कोई एक अध्यक्षता करें
- जब पद रिक्त हो तब पैनल में से कोई सदस्य कार्यवाही का संचालन नहीं करता
- सभापति इस समय में उपसभापति की नियुक्ति करता है

### संसद का सचिवालय

- संसद के दोनों सदनों का पृथक सचिवालय स्टाफ होता है कुछ पद दोनों सदनों के लिए समान हैं
- भर्ती एवं सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित
- मुखिया- महासचिव
- स्थाई अधिकारी की नियुक्ति संसद सदस्य द्वारा

### संसद में नेता

#### सदन का नेता

- सदन का नेता - प्रधानमंत्री (यदि वह लोकसभा का सदस्य है या प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत)
- राज्यसभा में सदन का नेता- वह मंत्री जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है

## विपक्ष का नेता

- आइवर जेनिक्स ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है
- दोनों सदनों में एक-एक विपक्ष का नेता होता है
- विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्यों के दसवें हिस्से के करीब होने चाहिए

**कार्य -** सरकार के कार्यों की उचित आलोचना एवं वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना

वेतन, भत्ते कैबिनेट मंत्री की तरह मिलते हैं

## व्हिप (सचेतक)

व्हिप का उल्लेख न तो संविधान में है ना तो संसद के नियमों में

- प्रत्येक राजनीतिक दल का चाहे वह सत्ता हो या विपक्ष में संसद में अपना व्हिप होता है उसे राजनीतिक दल द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। जिम्मेवारी पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखें और संबंधित मुद्दे के खिलाफ पार्टी का सहयोग करें सदस्य व्हिप के निर्देशों का पालन करते हैं

## संसद के सत्र

### आहूत करना (सभा में उपस्थित होने का आदेश)

- संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय-समय पर जारी करता है लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल छह माह से ज्यादा नहीं होना चाहिए संसद को कम-से-कम वर्ष में दो बार मिलना चाहिए

**सामान्यता तीन सत्र होते हैं**

- बजट सत्र। - फरवरी से मई
- मानसून सत्र - जुलाई से सितंबर
- शीतकालीन सत्र - नवंबर से दिसंबर

फरवरी से मई या जुलाई से सितंबर या नवंबर दिसंबर सत्र रोज आहूत होगा जो मई से जुलाई या सितंबर से नवंबर के बीच का समय होगा उसे अवकाश कहेंगे

## स्थगन

- स्थगन द्वारा बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय जो कुछ घंटे, दिन या सप्ताह हो सकता है के लिए निलंबित किया जाता है

### अनिश्चित काल के लिए स्थगन (अध्यक्ष या सभापति करता है)

- जब सदन को बिना यह बताएं स्थगित कर दिया जाता है कि अब उसे किस दिन आहूत किया जाना है तो इसे अनिश्चितकाल के लिए कहा जाता है वह किसी भी समय बैठक आहूत कर सकता है

## सत्रावसान

- अध्यक्ष या सभापति सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता है इसके कुछ दिनों में ही राष्ट्रपति सदन सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है हालांकि राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है

### स्थगन vs सत्रावसान

स्थगन	सत्रावसान
केवल बैठक को समाप्त करता है	सत्र को समाप्त करता है
अध्यक्ष या सभापति द्वारा	इसे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है
कोई विधेयक पर असर नहीं डालता	विधेयक पर असर नहीं डालता लेकिन
किसी काम पर भी असर नहीं डालता	बचे हुए काम के लिए अगले सत्र में नया नोटिस देना पड़ता है

**विघटन** -जीवनकाल खत्म

राज्यसभा का विघटन नहीं होता, लोकसभा का विघटन होता है

### विघटन के दो कारण

- कार्यकाल पूरा हो जाने पर
- राष्ट्रपति सदन को विघटित करने का निर्णय ले
- जब लोकसभा विघटित होती है तो सारे विधेयक विघटित हो जाते हैं नई लोकसभा में इन्हें लाना जरूरी होता है  
जो विधेयक लोकसभा गठन पर समाप्त हो जाते हैं

वह निम्न प्रकार के हैं

- विचाराधीन विधेयक को लोकसभा में हैं
- लोकसभा में पारित लेकिन राज्यसभा में विचाराधीन समाप्त हो जाता है
- ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों में असहमति के कारण पारित ना हुआ हो और राष्ट्रपति ने विघटन होने से पूर्व  
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होता
- ऐसा विधेयक राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित ना हो समाप्त नहीं होता
- ऐसा विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन हो समाप्त नहीं
- ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पर विचार के लिए लौटा दिया गया हो,  
समाप्त नहीं होता

**गणपूर्ति (कोरम)** -पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा

- वह न्यूनतम संख्या जिन की उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता
- लोकसभा 55, राज्यसभा 25

- यदि कोरम पूरा नहीं तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वह या तो स्थगित कर दे या गणपूर्ति तक कार्य संपन्न ना करें

### **सदन में मतदान**

अधिकतर मामलों में साधारण बहुमत, कुछ मामलों में विशेष बहुमत लोकसभा में मत प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित बिंदु उल्लेखनीय हैं

- चर्चा के अंत में लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न पूछ कर प्रस्ताव के बारे में सदस्यों की राय आमंत्रित करते हैं जो पक्ष में हैं वो अयेस बोले और जो नहीं हैं वह no बोले
- लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं 'मैं समझता हूं 'प्रस्ताव के पक्ष में है यदि अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वे दो बार बोलेंगे अयेस हैब इट और उसी अनुसार सदन के समक्ष प्रथम का निश्चय हो जाएगा
- अध्यक्ष के निर्णय को चुनौती दी जाती है तब वह आदेश करेंगे कि लॉबी स्पष्ट हो जाए
- 3:03 सेकंड बीत जाने के बाद वह दोबारा पूछेंगे और घोषणा करेंगे कि की अयेस जीत हुई है या नोज की
- यदि फिर चुनौती मिलती है तब वह निर्देश देंगे कि मतों को स्वचालित वोट रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया जाए या अयेस नो स्लिप का प्रयोग किया जाए या फिर सदस्य लॉबी में चले जाएं
- यदि लोकसभा अध्यक्ष की राय में बंटवारे का अनावश्यक दावा किया गया हो
- वे सदस्यों से कह सकते हैं कि अयेस और नो वाले सदस्य अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं जब गिनती हो जाए तब वह सदन के निश्चय की घोषणा कर सकते हैं इसमें मतदाताओं के नाम नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे

### **संसद में भाषा**

- हिंदी व अंग्रेजी
- हालांकि पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा बोलने का अधिकार दे सकता है


### **मंत्रियों एवं महान्यायवादी के अधिकार**

- वह सदन में अपने विचार व्यक्त, कार्यवाही में भाग संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं
- यह किसी समिति जिसके वह सदस्य नहीं हैं कि बैठक या कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन मताधिकार का अधिकार नहीं
- जो लोकसभा का सदस्य है वह राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है जो राज्यसभा का सदस्य है वह लोकसभा में

### **लेम डक सत्र**

- नई लोकसभा के गठन के पहले वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र वर्तमान लोकसभा के सदस्य, जो नई लोकसभा के सदस्य नहीं बन पाते उन्हें लेम डक कहते हैं

## संसदीय कार्यवाही के साधन




## शून्यकाल → प्रश्नकाल के तुरंत बाद

- प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं
- अनौपचारिक साधन जिसमें संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं
- 1962 में भारत में ही जारी किया (शून्यकाल)

## प्रस्ताव

बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के किसी मामले पर बहस नहीं हो सकती।

## प्रस्ताव



**स्थान लेने वाला**

वाद विवाद के दौरान लाया

जाने वाला

**संशोधन**

मूल प्रस्ताव केवल एक भाग को  
परिवर्तित करता

### निंदा प्रस्ताव बनाम अविश्वास प्रस्ताव

#### निंदा अविश्वास

लोकसभा में इसे स्वीकारने का कारण  
बताना अनिवार्य  
मंत्री परिषद या मंत्री के  
विरुद्ध लाया जाता है  
मंत्री परिषद की नीतियों या कार्य  
के खिलाफ है  
अगर पारित हो जाए तो आवश्यक  
नहीं मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना

#### अविश्वास प्रस्ताव

अनिवार्य नहीं  
केवल मंत्री परिषद के  
विरुद्ध लाया जाता है  
यह मंत्रिपरिषद में लोकसभा  
के निर्धारण हेतु लाया जाता है  
त्यागपत्र देना पड़ता है

#### कटौती प्रस्ताव

- किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है

#### चार प्रकार

#### साधारण कटौती

- किसी सदस्य की ओर से रखा जाता जिस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है
- अब मतदान के लिए रखा जाए

#### घटकों में कटौती

- एक प्रस्ताव को तीन चार भागों में बांट कर चर्चा करके
- संपूर्ण पर मतदान करना

#### कंगारू कटौती

- केवल महत्वपूर्ण भाग या खंड पर चर्चा और मतदान

## गिलोटिन प्रस्ताव

- बिना चर्चा के सीधा वोट दे देना

## विशेषाधिकार प्रस्ताव

- एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन
- यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकार के उल्लंघन से संबंधित है
- जब कोई सदस्य महसूस करें कि तथ्यों को प्रकट नहीं किया जा रहा है तो सदस्य लाता है
- उद्देश्य- संबंधित मंत्री की निंदा करना

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

- भारत का, 1954 में आया
- प्रक्रिया नियमों में इसका उल्लेख
- जब कोई सदस्य, पीठासीन की अनुमति से, किसी मंत्री का ध्यान अविलंब लोक महत्व के मामले पर लाए

## स्थगन प्रस्ताव

- 2:30 घंटे से कम की चर्चा नहीं
- यदि किसी अविलम्बीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पेश हो सकते हैं कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है

## निम्न सीमाएं

- अत्यंत जरूरी मुद्दों को उठाया जाएगा
- एक से अधिक मुद्दे ना हो
- वर्तमान घटनाओं का महत्वपूर्ण विषय हो
- विशेषाधिकार के प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता
- ऐसा मुद्दा ना हो जिस पर सत्र में चर्चा हो चुकी हो
- न्यायालय में विचाराधीन मुद्दा ना हो

## अविश्वास प्रस्ताव

- A-75 कहता है कि मंत्रिपरिषद, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है अगर बहुमत नहीं होगा तो लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकती है प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है

## धन्यवाद प्रस्ताव

- इसे ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र और आम चुनाव के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करता है और नीतियों योजनाओं का खाका खीचता है। दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं उसके बाद मत दिए जाते हैं प्रस्ताव का पारित होना जरूरी है
- राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध करवाता है

### अनियत दिवस

- ऐसा प्रस्ताव जिससे अध्यक्ष चर्चा के बिना तिथि निर्धारित किए रखता है अध्यक्ष सदन के नेता या सदन की कार्यप्रणाली से बातचीत करके इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय नियत करता है

### औचित्य प्रश्न

- विपक्षी सरकार द्वारा किया जाता है जब सदन संचालन के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदन औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कर सकता है और (औचित्य प्रश्न बहस की अनुमति नहीं)
- सदन का ध्यान आकर्षित करने की असाधारण युक्ति है क्योंकि यह सदन की कार्यवाही को समाप्त करती है

**आधे घंटे की बहस** (सप्ताह में 3 दिन लोक महत्व के मामलों पर चर्चा के लिए औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता

**अल्पकालिक चर्चा -2 घंटे की चर्चा** (1 सप्ताह में 3 दिन)

सार्वजनिक महत्व के मामले के लिए


### विशेष उल्लेख

- राज्यसभा में आधे घंटे की बहस (नोटिस)
- ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता

### संकल्प

लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए संकल्प लाया जाता है

**तीन श्रेणियां**



गैर सरकारी सदस्यों का

सरकारी

सांविधिक

गैर सरकारी द्वारा लाया जाता  
बाद सोमवार से गुरुवार बैठक शुक्रवार  
प्रत्येक संकल्प एक विशेष प्रकार का प्रस्ताव है

### युवा संसद

- चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन की अनुशंसा पर प्रारंभ की गई


### उद्देश्य

- यह युवा पीढ़ी को संसद की कार्यवाही से अवगत करवाता है युवाओं के मस्तिष्क को अनुशासन एवं संबंध तथ्यों से परिचित करवाता है

### संसद में विधाय प्रक्रिया

दोनों सदनों में विधायक प्रक्रिया होती है दोनों सदनों में समान चरण होते हैं

विधेयक दो प्रकार के होते हैं



### साधारण विधेयक

#### प्रथम पाठन

- किसी भी सदन में मंत्री या गैर मंत्री द्वारा
- विधेयक प्रस्तुत करने से पहले सदन को सूचना देनी है जब शीघ्र स्वीकृति मिल जाए तो प्रस्तुतकर्ता इसका उद्देश्य बताता है
- इस चरण में किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती
- प्रस्तुत करने के बाद इस राज्य पत्र में शामिल किया जाता
- अगर पहले ही राज्य पत्र में शामिल कर ले तो अनुमति की जरूरत नहीं होती

- प्रथम पाठन - राजपत्र में प्रकाशित होना

### **द्वितीय पाठक**

- इसमें विधेयक को अंतिम रूप प्रदान किया जाता है
- इसके 3 उप चरण होते हैं

### **साधारण बहस की अवस्था**

विधायक की photocopy लोगों (सदस्यों) में बांटी जाती है इसमें विधेयक के उपवन दो पर चर्चा होती है पर विस्तार से चर्चा नहीं होती इस चरण में संसद 4 में से कोई एक कदम उठा सकते हैं

- या तो तुरंत चर्चा करें यह अन्य तिथि नियत करें
- सदन की प्रवर समिति को सौंपा जाता है
- या संयुक्त समिति को सौंपा जाता है
- जनता का विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जाता है

### **समिति अवस्था**

- विधेयक को सदन की प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है विधेयक पर विचार करती है पर मूल विषय में परिवर्तन नहीं करते परिचर्चा के बाद विधेयक को वापस सदन को सोपा जाता है

### **विचार विमर्श की अवस्था**

- इसके बाद चर्चा एवं मतदान होता है और विधेयक को अंतिम रूप मिलता है

### **तृतीय पाठन**

- इस चरण में या तो विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है इस चरण में कोई संशोधन नहीं होता अगर बहुमत इसे पारित कर दें तो विधेयक पारित हो जाता है फिर इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है अगर दोनों सदन पर कर दे तो इसे पारित समझा जाता है

### **दूसरे सदन में विधेयक**

- दूसरे सदन में भी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण होते हैं

दूसरे सदन के पास चार विकल्प होते हैं

- बिना संशोधन पारित कर दें
- संशोधन करके प्रथम सदन में पुनर्विचार के लिए भेजे
- विधेयक को अस्वीकार कर दें
- विधेयक पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही ना करके उसे लंबित कर दें

- यदि दोनों सदनों में पारित हो जाए तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है अगर कोई गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक होती है यदि संयुक्त बैठक में बहुमत मिल जाए तो विधेयक पारित होता है

### राष्ट्रपति की स्वीकृति

राष्ट्रपति या तो स्वीकार कर लेता है उसके पास तीन विकल्प होते हैं

- स्वीकृत दे दे
  - विधायक रोक दें
  - पुनर्विचार के लिए वापस दे दे
- अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता है तो यह अधिनियम बन जाता है अगर अस्वीकार कर दे तो यह खत्म हो जाता है
  - अगर पुनर्विचार के लिए भेजें और संसद संशोधन और बिना संशोधन दे दे तो उसे सहमति देनी ही पड़ेगी

### धन विधेयक

- धन विधेयक के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा
- न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं
- इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा उसमें निम्न में से कोई उपबंध होंगे

  - किसी कर का रोपण, उत्सादन, परिहार परिवर्तन या विनियमन
  - केंद्रीय सरकार द्वारा उधार लिए गए धन का विनि मयन भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा ऐसे कितनी निधि में धन जमा करना या उसमें से निकलवाना
  - भारत की संचित निधि से धन का विनियोग
  - भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की उट्ठोषणा

### निम्न कारणों से धन विधेयक नहीं माना जाता

- जुर्माने
- फीस
- स्थानीय प्रयोजनों के लिए कर अधिरोपण

धन विधेयक केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है इसे केवल मंत्री ही प्रस्तुत करता है

- लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में भेजा जाता है
- राज्यसभा अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकती सिफारिश दे सकती है 14 दिन में अगर स्वीकृति नहीं दे तो यह राज्यसभा द्वारा पारित माना जाएगा

- लोकसभा, राज्यसभा कि सिफारिश मानने के लिए बाध्य नहीं है
- अगर सिफारिश मान ले तो इसे संयुक्त रूप से पारित समझा जाता है साधारण विधेयक में दोनों की शक्ति समान है धन विधेयक में राज्यसभा की शक्ति सीमित है
- या तो राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकार कर लेता है या रोक देता है लेकिन वापस नहीं करता
- पर सामान्यता पहले राष्ट्रपति से सहमति ले ली जाती है

### वित्त विधेयक

विधेयक जो वित्तीय मामलों जैसे राज्य से संबंधित होता है

#### तीन प्रकार

##### धन विधेयक A-110

संयुक्त बैठक हो सकती है राष्ट्रपति कर सकता, रोक सकता है विचार कर सकता है लोकसभा में पेश, राष्ट्रपति के बाद होते हैं बाकी यह होता है साधारण विधेयक की तरह ही राज्यसभा द्वारा स्वीकार स्वीकार हो सकता है तब तक प्रस्ताव को समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक राष्ट्रपति सहमति ना दे दोनों सदन इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं

##### वित्त विधेयक A-117 (i)

जिसमें A-110 के सारे मामले होते हैं इसके अलावा अन्य मामले जिसमें ऋण संबंधी खण्ड हो

##### वित्त विधेयक A-117 (iii)

अनुच्छेद 110 वाला कोई मामला इसमें नहीं होता संचित निधि पर भारित व्यय सम्बन्धी उपबंध होते हैं साधारण विधेयक की तरह प्रक्रिया भी साधारण विधेयक की तरह जब राष्ट्रपति अनुशंसा दें तभी यह किसी भी सदन द्वारा पारित हो सकता है इसे शुरू करने के लिए सहमति जरूरी नहीं राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है रोक सकता है पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है

### दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

- राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है जब किसी विधेयक पर दोनों सदनों की सहमति ना बने तो संयुक्त बैठक होती है
- यह धन विधेयक, संविधान संशोधन मामले में नहीं होती

- यदि कोई विधेयक लोकसभा विघटन के कारण छूट जाता है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती लेकिन अगर राष्ट्रपति ने विघटन से पूर्व नोटिस दिया तब बुलाई जा सकती है
- अध्यक्षता -लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अगर वह भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति (सभापति नहीं करता)
- संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों का 1-10 भाग होता है
- संयुक्त बैठक लोकसभा के अनुसार चलती है
- अगर संयुक्त बैठक में विधेयक बहुमत से पारित हो तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा

### संयुक्त बैठक में दो परिस्थितियों में संशोधन

- अगर अंतिम निर्णय ना ले पा रहे हो
- वे संशोधन जो इस विधेयक के पारित होने में विलंब कारणों से अनिवार्य हो गए हो

### संसद में बजट

- संविधान में बजट को वार्षिक वित्तीय वितरण कहा गया है
- Art-112
- सरकार के अनुमानित प्राप्तियों और खर्च का विवरण जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है

### बजट में निम्नलिखित शामिल हैं

- राजस्व एवं पूँजी की अनुमानित प्राप्तिया
- राजस्व बढ़ाने के उपाय एवं साधन
- खर्च का अनुमान
- वास्तविक प्राप्ति एवं खर्च का वितरण

### संसद में बजट Art-112 बजट से related लोकसभा की शक्ति ज्यादा है

- संविधान ने बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा है (बजट word संविधान में नहीं है)
- 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का सरकार की आय और व्यय का ब्यौरा होता है
- पहले रेल बजट और आम बजट अलग था अब केवल एक ही बजट बनता है (2017 से)
- राष्ट्रपति हर वित वर्ष में बजट पेश करवाता है
- संसद किसी कर को कम या खत्म कर सकती है पर बड़ा नहीं सकती है
- बजट को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता पहले लोकसभा में ही पेश होता है
- बजट वाले व्यय में वेतन वगैरह आते हैं पेंशन केंद्र की संचित निधि से नहीं राज्य की संचित निधि से जाती है इसके अलावा संसद जो तय करें वह व्यय है

## पारित होने की प्रक्रिया

### बजट का प्रस्तुतीकरण

- 1 फरवरी को वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत होता है

### आम बहस

- प्रस्तुत करने की कुछ दिनों तक आम बहस होती है दोनों सदनों में कोई मतदान नहीं होगा (3-4 दिन)

### विभागीय समितियाँ द्वारा जांच

विभागीय समितियाँ बजट की जांच करती है यह तीन से चार हफ्ते चलते हैं इस समय सदन स्थगित होते हैं फिर यह समितियाँ दोनों सदनों में रिपोर्ट भेजती हैं यह जांच 1993 से शुरू हुई अनुदान की मांगों पर मतदान

- लोकसभा के पास शक्ति है कि वह वोट दें कि किस-किस मंत्रालय को कितना कितना पैसा दिया जाएगा जब तक बजट नहीं आ जाता हर एक मंत्रालय के लिए separate वोट की जाती है इसमें कटौती प्रस्ताव भी आ सकता है मतलब अगर किसी मंत्रालय को ज्यादा पैसा allow हुआ है तो उसे कम भी किया जा सकता है
- Policy भी cut हो सकती है मतलब किसी policy के लिए पैसा ना दिया जाए
- आर्थिक कटौती -जोकि Economy पर गलत प्रभाव डालें
- सांकेतिक कटौती -Special कोई कार्य के लिए

### गिलोटिन

26 दिन अनुदान के लिए मिलते हैं अंतिम दिन में जो शेष मांग बच जाती हैं उन्हें एक साथ चर्चित किया जाता है

That is called गिलोटिन

### विनियोग विधेयक का पारित होना

- धन से related यह bill होता है जो अनुदान की मांग की गई थी उन्हें कैसे पास कराना है इसमें यह बात होती है इसे धन विधेयक भी कर सकते हैं
- यह विल संचित निधि से पैसा निकालने के लिए होता है

### वित्त विधेयक का पारित होना

- कर से related matters
- कर को घटाना, बढ़ाना यह बजट पास करवाने की अंतिम प्रक्रिया है इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, कुल 75 दिन में बजट बनता है

### निधियाँ (सरकारी Money)

- Govt पैसा कहां से use करती है इसकी देखरेख Controller general of account करता है तीन प्रकार

- भारत की संचित निधि A- 266
- अगर इसमें से किसी को पैसा निकालना है तो संसद के approval की जरूरत होती है ( वोट डालकर)

इसमें पैसा कहां से आता है

1. यह कोई लोन ले
2. कोई revenue आए
3. अगर संसद चाहे तो इसमें surcharge वगैरह भी रख सकती है
4. वेतन वगैरह के लिए संसद की approval की जरूरत नहीं

### **भारत का लोक लेखा A-266**

- संचित निधि के अलावा जो पैसा बचता है वह लोकलेखा में जाता है संसद की approval की जरूरत नहीं बैंक आदान-प्रदान से संबंधित कार्यकारी प्रक्रिया से पैसा निकल जाता है

### **भारत की आकस्मिकता निधि A-267 राष्ट्रपति के नियंत्रण में head finance secretary**

1. अगर कोई भी बाढ़, सुनामी, दुर्घटना हो उसके लिए पैसा इसमें से निकालते हैं संसद की approval की जरूरत नहीं, कार्यकारी प्रक्रिया
2. 1950 में शुरू
3. पैसा इतना खर्च करने के बाद भरना भी पड़ेगा संचित निधि से भरा जाएगा संसद की approval चाहिए होगी संसद की बहुक्रियात्मक भूमिका

### **विधयी शक्तियां एवं कार्य**

- केंद्र संघ सूची, समवर्ती सूची और अतिशेष सूची पर कानून बना सकती है
- राज्य सूची पर कानून बना सकती है जब
- किसी मामले पर राज्य सभा प्रस्ताव पास करें
- राष्ट्रीय आपातकाल के समय
- जब दो या दो से अधिक राज्य संसद से अनुरोध करें
- अंतरराष्ट्रीय समझौते संधि के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो
- अंद्यादेश को 6 सप्ताह में स्वीकृति मिलनी चाहिए

### **कार्यकारी शक्तियां व कार्य**

- विधानों को लागू करना
- इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि balance बना रहे
- मंत्री लोकसभा के एवं संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं

### वित्तीय शक्तियां एवं कार्य

- सरकार के पास अगर पैसा नहीं होगा तो काम नहीं चल पाएगा
- इसलिए बजट के मामले में संसद के पास शक्तियां हैं
- बजट वाला धन यदि पूरा खर्च नहीं होता जाता है तो संचित निधि में पहुंच जाता है (हास का सिद्धांत)
- अगर पूरा साल पैसा खर्च किया और अंत में सारा पैसा खर्च कर दें तो वह मार्च रश कहलाता है

### संवैधानिक शक्तियां व कार्य

- मूल ढांचा संशोधित नहीं हो सकता
- तीन संशोधन- सामान्य बहुमत, विशेष विशेष+ राज्य विधानसभा

### न्यायिक शक्तियां व कार्य

- संविधान के उल्लंघन पर यह राष्ट्रपति को पद मुक्त कर सकता है
- यह उपराष्ट्रपति को हटा सकता है
- राष्ट्रपति की आज्ञा से मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त ,CAG को हटाना
- दंडित कर सकता है

### निर्वाचक शक्तियां

- संसद राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति ,अध्यक्ष उपाध्यक्ष ,उपसभापति के चुनाव में भाग लेती है
- राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति से Related कानून बनाती है इनके election के लिए उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 आदि बनाए गए हैं

### अन्य शक्तियां व कार्य

- आपातकाल से related
- अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं
- राज्य विधानसभा की समाप्ति या गठन
- Judicial function आदि

### राज्यसभा की स्थिति

#### राज्यसभा ,लोकसभा के समान

- सामान्य बिल कहीं भी पेश कर लो संवैधानिक संशोधन बिल दोनों में से कहीं भी पेश कर लो
- वित्तीय विधेयक ,संचित निधि वाला
- राष्ट्रपति का निर्वाचन या हटाओ उपराष्ट्रपति को हटाने की शक्ति राज्यसभा के पास है (विशेष बहुमत) लोकसभा में साधारण बहुमत

- जजों को हटाना ,CAG,
- निर्वाचन आयुक्त को हटाने की शक्ति दोनों की बराबर
- अध्यादेश की ,आपातकाल की (तीनों) स्वीकृति प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों का चयन
- UPSC ,CAG, Finance commission की रिपोर्ट पर दोनों सदनों में विचार
- उच्चतम न्यायालय एवं Upsc के न्याय क्षेत्र में विस्तार

### **लोकसभा के साथ असमान स्थिति**

- धन विधेयक की ज्यादा शक्ति लोकसभा के पास
- धन विधेयक को धन विधेयक अध्यक्ष बताता है
- संयुक्त बैठक को लोकसभा का अध्यक्ष देखता है
- बजट में अनुदान की मांग लोकसभा के पास
- राष्ट्रीय आपातकाल को हटाना हो तो लोकसभा अकेले ही हटा सकती हैं राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता

### **राज्यसभा की विशेष शक्तियां**

- राज्य सूची (A-249) से related कोई कानून बनाना हो तो संसद को राज्यसभा ही करती है अखिल भारतीय सेवा के बारे में राज्यसभा बताती है की कितनी vacancy निकालनी है
- हमारी राज्यसभा अमेरिका की सीनेट से कमज़ोर और ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉड से ताकतवर है
- यह secondary house नहीं है second house है
- राज्यसभा में जानी लोग 12 होते हैं
- लोकसभा के दोष को सही करते हैं ,राज्य के interest को promote करते हैं

## **Chapter 23**

### **संसदीय समितियां**

#### **अर्थ**

- संसद इतने सारे कार्य स्वयं अकेले नहीं कर सकती इसलिए वह कुछ समितियां भी बनाती हैं
- संविधान में ऐसी समितियों का अलग-अलग स्थानों में उल्लेख है पर इनके गठन से संबंधित कार्यकाल एवं कार्यों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं है इससे संबंधित संसद ही नियम बनाती है
- इस प्रकार संसदीय समिति वह समिति जो सदन द्वारा नियुक्त व निर्वाचित होती है। जिसे अध्यक्ष या सभापति नामित करते हैं

- अध्यक्ष या सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती है
- यह समितियां अपनी रिपोर्ट अध्यक्ष या सभापति को सौंपती हैं
- जिसका एक सचिवालय होता है जिसकी व्यवस्था लोकसभा या राज्यसभा सचिवालय करता है

### वर्गीकरण



इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है

### स्थाई समितियां

#### वित्त समितियां

**लोक लेखा समिति(PAC)** हर वर्ष चुनाव होता है

- 1921 में बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत बनी वर्तमान में 22 सदस्य हैं लोकसभा 15 राज्यसभा 7
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है
- सभी पार्टियों (सरकार, विपक्ष) चुनाव में भाग लेते हैं
- सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है
- संसद का कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता
- इस समिति का सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है
- 1967 तक सभापति सत्ता वाले दल का हुआ करता था
- 1967 से सभापति विपक्षी दल का होता है

### कार्य

- CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है और राष्ट्रपति वह रिपोर्ट संसद में पेश करता है
- यह सार्वजनिक खर्चों को देखता है
- कहीं पैसा खराब तो नहीं हो रहा, नुकसान, भ्रष्टाचार अपव्यय आदि देखता है
- लोकसभा के द्वारा वित्त वर्ष में किस प्रकार खर्च किया गया है उसे देखता है
- राज्य निगम व्यापार संस्थानों तथा विनिर्माण परियोजनाओं के लेखक तथा इन पर CAG के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की जांच करता है

- स्वशासी एवं अर्द्ध स्वशासी निकायों के लेखक की जांच जिनका लेखा परीक्षण CAG के द्वारा किया जाता है
- किसी भी प्राप्ति के संबंध में CAG के प्रतिवेदन पर विचार करना एवं भंडारा एवं प्रतिभूतियों के लेखक की जांच करना

**प्राक्कलन समिति (अनुमान)** पहली बार 1921 में

- पहली बार जॉन मथाई जी ने इस समिति की सिफारिश की और 1950 में अनुमान समिति बनाई गई (वित्त मंत्री )
- पहले 25 सदस्य, 1956 से 30 सदस्य कर दिए गए
- सभी सदस्य लोकसभा के ही होंगे राज्यसभा के नहीं
- हर साल गठित की जाती है (1 साल कार्यकाल )
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन ,समानुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत द्वारा
- सभी पक्षों के प्रतिनिधि
- मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते (संसद के सदस्य होते हैं पर मंत्री नहीं )
- सभापति =अर्द्धयक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
- सभापति सत्ता दल का होता है

### कार्य

- सरकार की नीतियों पर खर्चों का अनुमान लगाना
- इसको सतत किफायत समिति कहा जाता है
- प्रशासन में कार्यकुशलता और किफायत लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों के बारे में सुझाव देना
- यह बताती है कि कहां पर खर्चा करना लाभकारी होगा
- संसद में प्राक्कलन किस रूप में प्रस्तुत हो इसके बारे में सुझाव देना

### सार्वजनिक उद्यम समिति

- 1964 में यह समिति बनाई गई
- इसकी सिफारिश कृष्ण मेनन समिति ने की थी
- प्रारंभ में 15 सदस्य थे अब 22 (15 -लोकसभा 7 -राज्य सभा)
- हर वर्ष चुनाव होता है ( कार्यकाल 1 वर्ष )
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल हस्तांतरित मत द्वारा
- सभी पक्षों के प्रतिनिधित्व होते हैं

- मंत्री कमेटी के सदस्य नहीं हो सकते
- सभापति अध्यक्ष द्वारा चुने जाते हैं सभापति लोकसभा का सदस्य होना चाहिए

### कार्य

- सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट की जांच करना
- CAG की जो सार्वजनिक उद्यमों की रिपोर्ट होती है उसकी जांच करता है
- यह जांच करना कि सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंधन का व्यापारिक प्रचलन के अनुसार हो रहा है या नहीं
- समय-समय पर लोकसभा अध्यक्ष सार्वजनिक उद्यमों के कुछ काम लोक लेखा समिति व प्राक्कलन समिति को देता रहता है

### समिति निम्न कार्य की जांच नहीं करती

- सरकार की बड़ी-बड़ी समितियों के मामले से संबंधित
- दैनंदिन के प्रशासन से जुड़े मामलों पर
- ऐसे मामले जिन पर विचार के लिए किसी विशेष वैधानिक प्रावधान के तहत कोई मशीनरी स्थापित की गई है जिसके अंतर्गत कोई सार्वजनिक उद्यम विशेष की स्थापना हुई है

### विभागीय स्थाई समितियां

- 1993 में 17 विभागीय स्थाई समितियां बनाई गई, 2004 में 7 और समितियां बनाई गई और कुल 24 समितियां हो गई
- उद्देश्य - संसद के कार्य को और प्रभावी बनाना
- 24 समितियों में से 8 राज्यसभा के और 16 लोकसभा के होते हैं
- हर विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं
- लोकसभा की विभागीय समिति के सदस्य नामित किए जाते हैं अध्यक्ष द्वारा
- राज्यसभा के सदस्य भी नामित होते हैं राज्यसभा के सभापति द्वारा
- मंत्री सदस्य नहीं होते अगर कोई विभागीय समिति का सदस्य मंत्री बनता है तो उसे समिति से निकाल दिया जाता है
- 1 साल का कार्यकाल होता है

### कार्य

- जब अनुदानों की मांग होती है तो यह समितियां बताती हैं कि कितनी मांगे जरूरी हैं
- संबंधित मंत्रालय या विभाग के विधेयकों की जांच करता है
- संबंधित मंत्रालय या विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करता है

- राष्ट्र पर जो नीति लंबे समय के लिए प्रभाव डालने वाली है वह देखती है और विचार करती है

### **सीमाएं**

- दैनंदिन की गतिविधियों पर चर्चा नहीं करेंगे
- अगर कोई और समिति को कार्य दिया गया है तो यह उस पर चर्चा नहीं करती है (अगर critical issue हो तब कर सकती है)
- इनकी सलाह माने या ना माने बाद्य नहीं

### **लाभ**

- किसी पार्टी के लिए कार्य नहीं करते यह संसद के लिए कार्य करते हैं
- लचीली है
- यह कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है
- यह व्यवस्था सार्वजनिक खर्च और कुशलता सुनिश्चित करती है
- समितियां संसद सदस्य को सरकार की कार्यप्रणाली समझने में मदद करते हैं
- समितियां विशेषज्ञों की राय अथवा जनमत के पर प्रतिवेदन बना सकते हैं
- राज्यसभा मनी बिल पर तो चर्चा नहीं कर सकती पर समितियों में राज्यसभा के भी सदस्य होते हैं तो थोड़ा नियंत्रण बनता है

### **जांच समितियां**

#### **आवेदन समिति**

- राज्यसभा लोकसभा में यह दोनों में अलग-अलग होती है
- जो संसद में बिल आता है तो अगर बिल से संबंधित जो याचिका आती है यह समिति उसकी जांच करती है

#### **विशेषाधिकार समिति**

- राज्यसभा लोकसभा दोनों में यह समिति अलग-अलग होती है 15 लोकसभा से 10 राज्य सभा से
- यह सदन और इसके सदस्यों के विशेषाधिकार हनन संबंधी मामलों की जांच करती है

#### **आचार समिति**

- संसद में Discipline बनाने के लिए 1997 में यह समिति आई (राज्यसभा में )
- 2000 में लोकसभा में आयी

#### **जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां**

#### **सरकारी आश्वासन समिति**

- यह समिति अलग-अलग लोकसभा राज्यसभा में

- मंत्री जो समय-समय पर हाउस में जो आश्वासन देते हैं यह समितियां उसकी जांच करती हैं
- लोकसभा 15, राज्यसभा 10

### अधीनस्थ विधायन समिति

- यह समिति लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में अलग-अलग होती है 1953 में बनी थी
- यह check करती है कि जो बिल बनाए जा रहे हैं संसद में दो हमारे संविधान के हिसाब से हैं या नहीं सदस्य 15

### संसद के पटल पुनः स्थापित दस्तावेजों की समिति

- 1975 में बनी
- लोकसभा राज्यसभा में यह समिति अलग-अलग होती है
- लोकसभा 15, राज्यसभा 10
- यह पटल पर रखे गए दस्तावेजों की जांच करती है

### अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति

- एक ही समिति
- 30 सदस्य
- लोकसभा 20 और राज्यसभा 10 यह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट की जांच करती है
- अधिकार अच्छे से लागू हो रहे हैं या नहीं उसकी जांच करती है

### महिला सशक्तिकरण समिति

- 1997 में बनी
- Single कमेटी
- Women commission से कोई रिपोर्ट आती है तो यह उसकी जांच करती है
- 30 सदस्य लोकसभा 20 राज्य सभा 10

### लाभ के पदों पर संयुक्त समिति

- सदस्य 15 लोकसभा राज्यसभा 5
- यह check करती है कि संसद का कोई सदस्य लाभ के पद पर तो नहीं है

### सदन के दैनंदिन के कामकाज से संबंधित समितियां

#### कार्य सलाहकार समिति

- संसद का कार्य किस तरह चलता है यह देखती है

- लोकसभा में इसके 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा का अध्यक्ष है इस समिति का अध्यक्ष होता है राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं और राज्यसभा का सभापति इसका अध्यक्ष होता है

#### **निजी सदस्यों के विधेयक तथा संकल्पों के लिए समिति**

- (निजी) गैर मंत्री के बिल की जांच करती है
- केवल लोकसभा में है
- कुल 15 सदस्य
- अध्यक्ष लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है

#### **नियम समिति**

- किसी में अगर संशोधन करने होते हैं तो उन संशोधनों की सिफारिश यह समिति करती है 15 सदस्य होते हैं लोकसभा में इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है 16 सदस्य राज्यसभा में सभापति इस समिति का अध्यक्ष होता है

#### **सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति**

- केवल लोकसभा में है
- 15 सदस्य
- अगर कोई सदस्य 60 दिन या इससे अधिक के लिए अनुपस्थित है तो यह देखती है

#### **गृह व्यवस्था समिति**

#### **सामान्य प्रयोजन समिति**

- अगर कोई काम किसी विभाग के अंदर नहीं किया गया है तो यह समिति वह कार्य करती है

#### **आवास समिति**

- समिति के सदस्यों को सुविधाएं देने से संबंधित

#### **पुस्तकालय समिति**


- संसद की पुस्तकों की देखरेख से संबंधित
- कुल 9 सदस्य
- लोकसभा 6 राज्यसभा 3

#### **सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित संयुक्त समिति**

- वेतन, भत्ते देखने के लिए यह देखती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है
- 1954 में इसका गठन हुआ कुल 15 सदस्य
- लोकसभा 10 राज्यसभा 5

## तदर्थ समिति

यह अस्थाई है जब कार्य होगा तब बनेगी अगर कार्य खत्म तो समिति खत्म



समस्या क्या है

## जांच समिति

- लोकसभा में भी होती है राज्यसभा में भी
- पंचवर्षीय योजना के लिए
- संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिए etc

## सलाहकारी समिति

- जब कोई बिल आता है तो बिल के लिए सलाह मांगी जाती है तो यह Solution के लिए
- किसी बिल के लिए कुछ समय के लिए बनाई जाती है (लोकसभा, राज्यसभा दोनों में है)
- इसकी सिफारिशें बाध्य नहीं हैं

## प्रवर समिति

- कोई विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिए कोई guideline नहीं होती मंत्रालय के द्वारा इसकी संरचना होती है
- अधिकतम 30 सदस्य
- कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए आमतौर पर यह तब बनाई जाती है जब नई लोकसभा आती है जब लोकसभा विघटित समिति विघटित

## Chapter 24

### संसदीय मंच

एक ऐसा मंच जहां पर नीतियों के बारे में बातचीत की जा सके  
**मंच की स्थापना**

2005 में पहला फोरम बना जल संरक्षण एवं प्रबंधन

**कुल 8 फोरम हैं**

- युवाओं पर (2006)
- बच्चों पर ( 2006)
- जनसंख्या एवं जन स्वास्थ के लिए (2008)
- भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर (2008)
- आपदा प्रबंधन (2011)

- शिल्पकारों एवं दस्तकारों पर (2013) सहस्रबदि विकास लक्ष्य ( 2013)

### **उद्देश्य**

- महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना
- सदस्यों तक महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जानकारी पहुंचाई जाएगी
- समाचार पत्रों रिपोर्टों से डेटाबेस तैयार करना और सदस्यों तक पहुंचाना ताकि वह फोरम की बैठकों में सार्थक ढंग से भाग ले

### **संरचना**

- जनसंख्या पर तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य फोरम का अध्यक्ष राज्य सभा का सभापति होता है बाकी सभी फोरम का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है
- सदस्य 31 से अधिक सदस्य नहीं
- लोकसभा की 21 अधिकतम ,राज्यसभा से 10 अधिकतम
- इन फोरम के सदस्य (अध्यक्ष ,सह अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष को छोड़कर) लोकसभा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं इनमें अलग-अलग राजनीतिक दलों के सदस्यों एवं विशेषज्ञों को नामित किया जा सकता है

### **त्यागपत्र**

- अध्यक्ष या सभापति को दिया जाएगा (जो भी पढ़ेन अध्यक्ष हो)

### **फोरम के कार्य**

#### **जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम (2005)**

### **कार्य**

- जल से संबंधित समस्याओं की पहचान करना ,सुझाव देना
- संसद सदस्यों द्वारा अपने-अपने राज्यों में समस्या को चिन्हित करना
- जागरूकता फैलाना
- अन्य कार्य जिसे उचित समझा जाए

#### **युवाओं के लिए संसदीय फोरम (2006)**

- युवाओं के अंदर जो मानव पूँजी है उसे बाहर निकाल कर
- जागरूकता पैदा करना ,युवाओं की क्षमता के बारे में
- युवा प्रतिनिधियों एवं नेताओं के साथ नियमित अंतः क्रिया करना
- उन तरीकों को अपनाना जिनके माध्यम से संसद के विभिन्न वर्गों के युवाओं तक पहुंच को बढ़ाया जा सके

- विशेषज्ञों, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के साथ चर्चा करके युवा सशक्तिकरण से संबंधित सार्वजनिक नीति की पुनर्रचना की जा सके

#### **बच्चों के लिए संसदीय फोरम (2006)**

- हर किस तरह से child labor को घटा सकते हैं
- बच्चों के कल्याण पर प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाना
- सांसदों को नागरिक समाज के साथ आमने-सामने होने का अवसर देना के
- UNISEF बारे में बातचीत करने का अवसर प्रदान करना
- बाकी जो फोरम अच्छा समझे

#### **जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए संसदीय फोरम**

- जनसंख्या कम रखने के बारे में चर्चा करना
- जन स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर चर्चा करना
- WHO, UNPF ऐसे संगठनों के साथ चर्चा करना

#### **भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन पर संसदीय फोरम (2008)**

- सभी मंत्रालय साथ में कार्य करें वह भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित समस्याओं को चिह्नित कर कार्यवाही करना
- विशेषज्ञों के साथ बातचीत करना
- जागरूकता फैलाना
- बाकी जो फोरम उचित समझें

#### **आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम (2011)**

- समस्याओं की पहचान करना
- विचार करना
- उपयुक्त कार्यवाही करना
- विशेषज्ञों से बातचीत
- जागरूकता फैलाना

#### **दस्तकारों एवं शिल्पकरों के लिए (2013)**

- हाथ से की गई कारीगरी को कैसे सुरक्षित रखें
- जागरूकता फैलाना (मेला बगैरा लगते हैं जो)

- बाकी जो फोरम उचित समझे

#### **सहसाब्दी विकास लक्ष्यों के लिए (2013)**

- अब ये खत्म हो चुके हैं और नए सतत विकास लक्ष्य आ चुके हैं
- यह गरीबी, भुखमरी के बारे में जागरूकता फैलाते हैं

#### Chapter 25

#### संसदीय समूह

#### **समूह का औचित्य**

- विभिन्न सांसदों के बीच संबंधों की स्थापना करना
- यह दुनिया के विभिन्न सांसदों का एक फोरम है जहां वे अपनी समस्याओं की चर्चा करते हैं उनका समाधान करते हैं
- यह केवल पुरानी एवं नई पीढ़ी के सांसदों का समूह नहीं बल्कि अलग-अलग संसदीय व्यवस्था के सांसदों के बीच भी विचारों का आदान प्रदान करता है और नए विचार निकलते हैं
- भारत और अन्य देशों की सांसदों के बीच संबंध

#### **समूह का गठन**

- एक स्वायत निकाय है स्थापना 1999 में संविधान सभा के प्रस्ताव के अनुपालन में हुई

- प्रत्येक संसद सदस्य इसमें शामिल हो सकता है
- भूतपूर्व सांसद भी सदस्य हो सकते हैं पर सहयोगी को सीमित अधिकार मिलते हैं उन्हें IPU, CPU की बैठकों की पात्रता हासिल नहीं होती
- लोकसभा अध्यक्ष समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति समूह के पदेन अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के महासचिव समूह के पदेन महासचिव होते हैं।

### समूह एवं अंतर संसदीय समूह

- अंतरराष्ट्रीय संगठन, सभी संप्रभु राज्य के सांसदों का
- 153 देशों की संसद शामिल हैं

### उद्देश्य

- दुनिया भर के लोगों के बीच शांति व सहयोग के लिए काम करना प्रतिनिधित्व संस्थाओं की स्थापना करना
- गठन 1889
- HQ - स्विट्जरलैंड जेनेवा
- Founder - Willium Pandal cremer

### समूह एवं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ (CPA)

- इसमें 175 संसद एवं 17000 सांसद हैं
- उद्देश्य - ज्ञान एवं समाज को बढ़ाना संस्कृति को समझाना सभी देशों से कुछ ना कुछ सीखना सहयोग करना

### समूह के उद्देश्य


- संसद सदस्यों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना
- सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों का हल निकालना
- राजनैतिक सुरक्षा संबंधी, आर्थिक सामाजिक एवं शिक्षा संबंधी समस्याओं का व्याख्यान करना
- हम विदेश के लोगों के साथ कैसे संपर्क बना सकते हैं यह उद्देश्य हैं

### समूह के कार्य

- यह समूह भारत की संसद तथा विश्व की अन्य सांसदों के बीच की कड़ी है
- समूह IPU, CPA की मुख्य शाखा के रूप में कार्य करते हैं
- विदेशी राज्य अध्यक्षों का संबोधन एवं प्रमुख व्यक्तियों द्वारा वार्ता का आयोजन समूह करता है जो सदस्य 6 माह पूर्व संसद के सदस्य बन चुके हैं वह विदेश जाने वाले भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल में उन्हें को शामिल किया जाता है

- 1995 में सर्वोत्कृष्ट सांसद के लिए एक पुरस्कार का गठन किया गया था
- अध्यक्ष 5 सदस्यों की समिति का गठन करता है जो कि पुरस्कार के लिए एक नाम नामांकित एवं तय करती है
- जिस देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं उनके साथ अच्छे से चीजें Discuss की जाती हैं

Chapter 26  
उच्चतम न्यायालय



- भारत शासन अधिनियम 1935 से निकलता है कि हमारे देश में कानून कैसे लागू होने हैं
- अमेरिका का ढांचा संघीय है भारत का ढांचा अर्ध संघीय है
- अमेरिका में 2 न्यायालय हैं हमारी एकीकृत न्याय व्यवस्था है
- भाग 5 में Art-124 to 147 उच्चतम न्यायालय के गठन स्वतंत्रता न्याय क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि का उल्लेख

### उच्चतम न्यायालय

गठन - 1 अक्टूबर 1937 (संघीय न्यायालय)
28 जनवरी 1950 को आज ऐसा उच्चतम न्यायालय बना
Location - तिलक मार्ग, नई दिल्ली
Motto - जहां सत्य है वहीं पर जीत है
Judge term - 65 years
Total judges $30+1 = 33$ Present - 25 judge

### उच्चतम न्यायालय का गठन

- 2009 से पहले 26 जज होते थे पर 2009 में 31 हो गए
- Originally उच्चतम न्यायालय में 8 जज हुआ करते थे
- 10 जज 1956, 13 जज 1960, 17 जन 1977, 25 जज 1986 में कर दिए गए

### न्यायाधीश

#### न्यायाधीश की नियुक्ति

- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बाद करता है इसी तरह अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक है
- 1993 से पहले जजों को Law minister द्वारा नियुक्त किया जाता था
- 1993 में कॉलेजियम प्रणाली आ गई (इसमें जजों का group होता है जितने मुख्य न्यायाधीश तथा कई वरिष्ठ जज हुआ करते थे)

2014 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) आया

इसमें छह सदस्य मुख्य न्यायाधीश दो वरिष्ठ न्यायाधीश, law minister दो उत्कृष्ट व्यक्ति होते थे

### परामर्श पर विवाद

- A-124 में बोला है कि अगर उच्चतम न्यायालय के जज को नियुक्त करना है तो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ली जाएगी

- प्रथम जज केस 1982 में न्यायालय ने कहा कि परामर्श का मतलब केवल पूछना है, विचारों का आदान-प्रदान है (7 जज)
- दूसरे जज केस 1993 में बोला कि राष्ट्रपति जब परामर्श लेगा तो उसे सलाह माननी ही पड़ेगी पर केवल मुख्य न्यायाधीश ही नहीं बल्कि 2 वरिष्ठ न्यायाधीश भी शामिल होंगे (9 जज)
- तीसरा जज केस 1998 में आया इसमें बोला कि परामर्श मुख्य न्यायाधीश + 4 वरिष्ठ जज होंगे और यह परामर्श राष्ट्रपति को माननी होगी पर मुख्य न्यायाधीश इन चार जजों से सलाह नहीं करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं होगी (कॉलेजियम प्रणाली) 2002 में वेकेनेट चलईया कमीशन का गठन किया
- उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम प्रणाली के कारण अपने हिसाब से काम करते हैं काम में पारदर्शिता नहीं है इसलिए उन्होंने बोला NJAC लाओ जिसमें Judiciary + Govt दोनों हो
- 2014 में NJAC आ गया अब जब तक 4 सदस्य मानेंगे नहीं तब तक नियुक्ति नहीं होगी
- NJAC को न्यायपालिका ने बोला कि यह मूल ढांचे का हनन कर रहा है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता का हनन कर रहा है इसलिए खत्म हो गया और कॉलेजियम सिस्टम बना रहा अगर न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति के पास भैजता है तो वह इनकार भी कर सकता है पर अगर दोबारा भेजा जाए तो उसकी नियुक्ति करनी ही होगी

### जजों की अहर्ताराएं

- वह भारत का नागरिक हो
- किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील हो या राष्ट्रपति की निगाह में काबिल न्यायवादी हो
- आयु का कोई उल्लेख नहीं है

### शपथ या प्रतिज्ञान

- राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा जिस व्यक्ति को कहा जाए वह शपथ दिलाता है

### जजों का कार्यकाल

- संविधान के द्वारा कार्यकाल तय नहीं किया गया है
- यह 65 वर्ष तक पद पर बना रह सकता है या संसद कार्यकाल का निर्धारण करें
- राष्ट्रपति को लिखित त्यागपत्र दे दे संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया जा सकता है

### जजों को हटाना

दो कारण

1. या तो Misbehavior हो
2. या असक्षम हो

राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है

जब किसी जज को हटाना होता है तो यह संसद में पहुंचता है संसद उसे 2/3 विशेष बहुमत से पास करना होता है  
**महाभियोग की प्रक्रिया**

न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध है

1. अगर किसी जज को हटाना है तो अगर लोकसभा में शुरू करना है यह प्रक्रिया तो 100 सदस्य support में हो, अगर राज्यसभा में यह प्रक्रिया शुरू हो तो 50 लोगों का support हो जब यह हस्ताक्षर कर देंगे तो अध्यक्ष या सभापति को देंगे
2. अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार भी कर सकते हैं और अस्वीकार भी
3. यदि स्वीकार हो जाए तो अध्यक्ष या सभापति तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करेंगे
4. समिति में शामिल होना चाहिए
  - (i)मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश
  - (ii)किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
  - (iii)प्रतिष्ठित न्यायवादी

5. यदि समिति दोषी माने जज को तो सदन इस प्रस्ताव पर विचार कर सकता है
6. विशेष बहुमत से दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित करने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा
7. अंत में राष्ट्रपति उच्च न्यायाधीश को हटाने का आदेश जारी कर देता है

आज तक किसी भी जज को नहीं हटाया गया

पर जज वी रामा स्वामी (1991-1993) के लिए महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी पर लोकसभा द्वारा पारित न होने के कारण इन्हें हटाया नहीं जा सका

**वेतन एवं भत्ते**

- संसद द्वारा निर्धारित होते हैं पर संसद किसी जज की नियुक्ति के बाद उसका वेतन नहीं बदल सकती
- 2009 में salary 33000 से 1लाख कर दी गई ( मुख्य न्यायाधीश) बाकियों की 90000
- अब इनकी salary बढ़ाने की 28,0000 मुख्य न्यायाधीश की 250000 वरिष्ठ न्यायाधीश की

**उच्चतम न्यायालय का स्थान**

- दिल्ली में है

- पर मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह उच्चतम न्यायालय का स्थान कहीं भी घोषित कर सकता है पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही
- कोई भी राष्ट्रपति या उच्चतम न्यायालय को नहीं बोल सकता कि उच्चतम न्यायालय की नई शाखा बना लो

### **कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश**

राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है जब

- मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो
- अस्थाई रूप से मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो
- मुख्य न्यायाधीश अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हो

### **तदर्थ न्यायाधीश (अस्थाई)**

- कोरम - Means इतनी सारी संख्या तो होनी ही चाहिए जब कभी कोरम पूरा करने में स्थाई न्यायाधीशों की संख्या कम हो रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थाई काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है
- जिस न्यायालय से हम लेकर आ रहे हैं उसके मुख्य न्यायाधीश से पूछना पड़ता है पर इससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जितनी इसकी अहर्ता होती है
- सारी facilities as a उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह मिलेगी

### **सेवानिवृत्त न्यायाधीश**

- जिसे नियुक्त करना है उससे पूछना पड़ेगा
- किसी रिटायर जज को अल्पकाल के लिए उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी
- भत्ते, राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे पर इन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं समझा जाएगा

### **न्यायालय की प्रक्रिया**

- उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय के संचालन हेतु नियम बना सकता है
- अगर कोई संवैधानिक मामला आता है तो उस मामले को सुनने के लिए कम से कम 5 जज होने चाहिए
- आम मामलों में कम से कम तीन जज होने चाहिए
- फैसला खुले न्यायालय में दिया जाता है

## उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता

- मूल अधिकारों का रक्षक है
- संविधान का Guardian है
- अगर यह स्वतंत्र रहेंगे तभी अपना काम सही से कर पाएंगे

## नियुक्ति का तरीका

- राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह से

## कार्यकाल की सुरक्षा

- जब तक वह हनन नहीं करता तब तक बना रहता है पर जब हनन करें तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है

## निश्चित सेवा शर्तें

- वेतन, भत्ते संसद द्वारा निर्धारित जो decide हो गई पूरे कार्यकाल में वही सेवाएं मिलेंगी (सिवाय वित्तीय आपातकाल के)

## संचित निधि से व्यय

- वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं

## न्यायाधीशों के आचरण पर बहस नहीं हो सकती

- संसद में discuss नहीं किया जा सकता कि उच्चतम न्यायालय में क्या चल रहा है

## सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर रोक

- जब रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें किसी न्यायालय में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं ऐसा इसलिए कि वह निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान ना रखें

## अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति

- जो उच्चतम न्यायालय की अवमानना करें उसे दंड देने का अधिकार है Court को

## अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता

- मुख्य न्यायाधीश अपना स्टाफ नियुक्त कर सकता है

## इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं की जा सकती

- संसद को उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कटौती का अधिकार नहीं है

## कार्यपालिका से पृथक

- कार्यपालिका, न्यायपालिका से स्वतंत्र रहे ताकि कोई एक दूसरे के काम में interference ना करें

## उच्चतम न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार

- अमेरिका+ ब्रिटेन की शक्तियां = भारत की
- अधिकारों का गारंटर
- हमारे उच्चतम न्यायालय के पास इतनी शक्ति है जितनी विश्व के किसी भी न्यायालय के पास नहीं है (अल्लादी कृष्ण अच्यर ने कहा)

## 7 शक्तियां

**मूल क्षेत्राधिकार** कुछ ऐसे मामले जहां पर केवल सुप्रीम कोर्ट को ही शक्ति है

**विवाद** - जो केवल वही सुलझा सकता है

1. केंद्र एक या एक से अधिक राज्यों के बीच
2. केंद्र और कोई राज्य का एक तरफ होना और दूसरे राज्यों का एक तरफ होना
3. दो या दो से अधिक राज्यों के बीच

**उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं हैं**

1. कोई संधि समझौता जो संविधान से पहले लागू हुआ हो
2. अंतरराज्यीय जल विवाद
3. वित्त आयोग के पास जो मामले हैं उन पर
4. केंद्र राज्यों के बीच व्यापार वाला विवाद
5. अगर राज्य केंद्र की प्रॉपर्टी खराब कर दें यह सब मामले सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझाएंगा

## न्यायादेश क्षेत्राधिकार

उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है ताकि मूल अधिकार सुरक्षित रहें उच्च न्यायालय के पास रिट के मामले में उच्चतम न्यायालय से अधिक शक्तियां हैं

## अपीलीय क्षेत्राधिकार

अगर lower court से कोई खुश नहीं है तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है

4 अपीलें हो सकती हैं

1. संवैधानिक मामले में
2. दीवानी मामले में
3. अपराधिक या फौजदारी मामले में
4. विशेष अनुमति द्वारा अपील

## सलाहकार क्षेत्राधिकार (परामर्श क्षेत्राधिकार)

Art 143 के तहत राष्ट्रपति को दो श्रेणियों में सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है

1. सार्वजनिक महत्व के मामले पर - दे भी सकता है सुप्रीम कोर्ट और नहीं भी
2. अगर कोई संधि संविधान बनने के पहले की है इसमें advice देनी ही पड़ेगी पर राष्ट्रपति माने या न माने उसकी इच्छा

### अभिलेख का न्यायालय

- यह अपने पास मामले का record रख सकता है और वह record का दूसरे न्यायालय इस्तेमाल करके फैसला सुना सकते हैं अगर कोई कोर्ट की अवमानना करता है (कोई भी कोर्ट की high,lower) तो उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है

### न्यायिक समीक्षा की शक्ति

सुप्रीम कोर्ट के पास न्यायिक समीक्षा के सकती है अगर कोई कानून संविधान के हिसाब से ना हो उसे खत्म कर सकती हैं

### अन्य शक्तियां

- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव से related कोई dispute है तो उसे केवल सुप्रीम कोर्ट देखेगा
- UPSC के सदस्य ने अगर Misbehavior कर दिया है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच करने को कहेगा अगर उसकी गलती निकली तो उच्चतम न्यायालय का निर्णय बाध्य होगा कि उस सदस्य को हटाना है
- उच्चतम न्यायालय को अगर उसका कोई decision गलत लगता है तो वह खुद गलती सुधार सकता है
- अगर उच्च न्यायालय में कोई मामला pending पड़ा है तो यह उस मामले को अपने under ले सकता है
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हर जगह लागू रहेगा

### भारतीय उच्चतम न्यायालय

इसके वास्तविक न्याय क्षेत्र संघीय नौसेना समुद्री व राजदूतों के मामले में है इसकी अपीलीय क्षेत्राधिकार में संवैधानिक मामले संवैधानिक जन अधिकार व अपराधिक मामले शामिल हैं

किसी भी न्यायालय के खिलाफ छोड़कर )

अपील की जा सकती है

सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है

न्यायिक समीक्षा सीमित है

### अमेरिकी उच्चतम न्यायालय

इसके वास्तविक क्षेत्र संघीय मामले मामले तक सीमित है इसमें केवल शामिल हैं

इसके पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है (सैन्य न्यायालय को

यहां पर नहीं है

व्यापक है

विधि के हिसाब से अधिकारों  
जाती है

इसकी न्याय क्षेत्र व शक्तियों को  
संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है  
एकीकृत न्याय व्यवस्था सभी  
उच्च न्यायालय इसके नियंत्रण में है

अगर विधि गलत लगेगी तो उसे भी  
check करेंगे विधिवत प्रक्रिया के तहत  
अधिकारों की रक्षा करता है

सीमित (संविधान जो कहे वही)

दोहरी न्याय व्यवस्था

### **उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता**

**वरिष्ठ अधिवक्ता** - मामले के Bases पर ,experience के bases पर वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता मिलती है  
याचिका अगर दायर करनी हो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पास दायर की जाती है  
**एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड** - केवल यही उच्चतम न्यायालय के सामने रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं यह उच्चतम न्यायालय  
के सामने किसी पार्टी की ओर से पेश हो सकते हैं

**अन्य अधिवक्ता** - अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत यह किसी पार्टी की ओर से जाकर सुनवाई कर सकते हैं

A-124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना तथा गठन
A-125	न्यायाधीशों का वेतन
A-126	मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति

### **Chapter 27** **न्यायिक समीक्षा**

**न्यायिक समीक्षा** - जो भी कानून बने उसे संविधान में लिखी बातों के साथ compare करना सही है तो ठीक वरना  
उसे खत्म कर दो

- यह दोनों विधायिका और कार्यपालिका में बने कानून की समीक्षा करती है चाहे फिर केंद्र द्वारा कानून बनाया गया हो या राज्य द्वारा कोट्ट दोनों की समीक्षा करता है अगर सही नहीं है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है और कानून खत्म हो जाता है

**न्यायाधीश शेद शाह मोहम्मद कादरी ने न्यायिक समीक्षा को तीन भागों में बांटा है**

- अगर कोई संविधान संशोधन कर रहा है
- अगर कोई विधि बनाई जाती है। संसद राज्य विधायिका या अधीनस्थ विधायिका द्वारा
- अगर कोई भी प्रशासनिक कार्य जो कि संविधान के हिसाब से नहीं है चाहे वह केंद्र का हो, राज्य का हो या UT का हो
- न्यायिक समीक्षा हमने अमेरिका से लिया है
- न्यायिक समीक्षा की शक्ति उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के पास है
- न्यायिक समीक्षा मूल ढांचे का भाग है

**सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को विभिन्न मामलों में इस्तेमाल किया**

**गोलकनाथ (1967)** इसमें बोला कि संसद के हाथ में मौलिक अधिकारों का हनन कर संशोधित कर सकता है फिर केशवानंद में बोला संसद कर सकती है पर मूल ढांचा ना बदलें

- 1970 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया
- 1971 में प्रिवीकाउंसिल खत्म कर दिया गया (राजा रजवाड़े को पेंशन देना खत्म)
- केशवानंद भारती 1973
- मिनर्वा मिल्स केस 1980
- NJAC (2015) जिससे NJAC खत्म कर दिया गया (99वा संशोधन)

**न्यायिक समीक्षा की जरूरत क्या है**

- इसकी वजह से संविधान की सर्वोच्चता बनी हुई है
- संघवाद का ढांचा इसी की वजह से बना हुआ है
- मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है
- न्यायिक समीक्षा परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से संविधान को बदलता रहता है

**न्यायिक समीक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान**

संविधान में कहीं भी न्यायिक समीक्षा के बारे में नहीं लिखा गया है

यह निम्नलिखित अनुच्छेद से निकलता है

- A-13 मूल अधिकारों से असंगत विधियां

2. A-32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार
3. A-131 उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार
4. A-132,133,134 अपीलीय क्षेत्राधिकार
5. A-135 संघीय न्यायालय
6. A-136 सैन्य मार्शल ला को छोड़कर बाकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है
7. A-246 संघ राज्य एवं समवर्ती सूची
8. A-143 राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है

A  
r  
o  
r  
a  
I  
A  
S

## Chapter 28

### न्यायिक सक्रियता

**न्यायिक सक्रियता** जब न्यायपालिका अपने दायरे से बाहर आकर विधायिका और कार्यपालिका के कार्य में हस्तक्षेप करने लगे तो इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं

- यह अमेरिका में पैदा हुई
- यह शब्द पहली बार 1947 में आर्थर शेलसिंगर जूनियर एक अमेरिकी इतिहासकार द्वारा प्रयुक्त की गई
- भारत में न्यायमूर्ति वी आर कृष्ण अच्यर, पी एन भगवती और ओ चिनप्पा रेड्डी, D A देसाई ने देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी

### **न्यायिक सक्रियता का कारण**

1. नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए
2. जब चीजें संविधान के दायरे से बाहर जाएं तो समाज को न्याय उपलब्ध करवाना
- जब-जब विधायिका और कार्यपालिका अपने कर्तव्य पूरे नहीं कर पाते हैं तब तब न्यायपालिका इनका कर्तव्य अपने हाथ में लेती है
- जनहित याचिका, न्याय सक्रियता का एक भाग है
- शक्तियों का विभाजन खत्म होकर सभी शक्तियां न्यायपालिका के हाथ में आ जाती हैं जब न्यायिक सक्रियता आती है

### **न्यायिक सक्रियता के प्रमुख कारण**

1. जब विधायिका कार्यपालिका अपने कर्तव्य निभाने में फेल हो जाए (संविधान के हिसाब से काम ना करें)
2. जब नागरिक अपने अधिकार और स्वतंत्रता को protect करने को कहें
3. जब किसी चीज पर proper कानून नहीं बनता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके लिए guideline देती है
4. संविधान में भी इतना scope है कि कल को अगर विधायिका और कार्यपालिका सही से काम ना करें तो न्यायपालिका active हो जाए
5. अगर सच्च निर्णय जो की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे हैं पर जनता उसे नहीं समझेगी इसलिए ऐसे निर्णय सरकार नहीं लेगी तो भी न्यायिक सक्रियता picture में आ जाती है
6. अगर सरकार द्वारा कानून का गलत इस्तेमाल किया जाए तो भी न्यायिक सक्रियता आ जाती है

### **न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम**

**न्यायिक संयम** - ज्यादा active ना होना, संयम बना कर रखना

मतलब कि सरकार के साथ सहयोग करना

### **सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियां**

2007 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग अलग रह कर काम करना चाहिए अच्छे से काम अच्छे से करें ताकि किसी को interference करने की जरूरत ना

**संतुलन बनाने के लिए शक्तियों का विभाजन होना चाहिए और साथ साथ Check एंड balance भी होना चाहिए**

# AroRaiAS

Chapter 29

जनहित याचिका

जनहित याचिका (PIL) –

- अगर public के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके protection लिए कानूनी action लेना

- यह एक व्यक्ति के लिए नहीं होती पूरे समूह के लिए दायर होती है

### उत्पत्ति एवं विकास

- 1960 में अमेरिका में आया
- जो section दबा रह जाता है उनके हितों की रक्षा के लिए PIL निकली

### PIL के अलग-अलग नाम

- सामाजिक क्रिया याचिका
- सामाजिक हित याचिका
- वर्गीय क्रिया याचिका

### भारत में कब शुरू हुआ

- 1980 में न्यायमूर्ति वीआर कृष्ण अच्यर, न्यायमूर्ति पी एन भगवती द्वारा
- यह न्यायिक सक्रियता से निकला है

### कौन PIL को लेकर न्यायालय में जा सकता है

- कोई भी नागरिक या कोई भी संगठन जनता के हित वाले मुद्दे को लेकर न्यायालय में जा सकता है किसी समूह के हित के लिए

### PIL का असली मकसद

- विधि के शासन को जारी रखने के लिए PIL बहुत आवश्यक है
- यह प्रमाण है कि कानून के हिसाब से लागू हो रहा है
- सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़े वर्ग की न्यायालय नहीं जा सकते उनकी बातें PIL के जरिए पहुंच जाती हैं
- अगर किसी तरह के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो PIL दायर हो सकती है

### PIL की विशेषताएं

- गरीब जनता तक न्याय पहुंचाना है
- जनता के हित के लिए
- न्यायालय इस पर तुरंत Action लेता है निपटारा करता है
- समूह के लिए

### PIL की विषय वस्तु

- 1998 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई है कि कौन-कौन इसमें आ सकता है
  - 2003 में Modified
- बंधुआ श्रमिक

2. उपेक्षित बच्चे
3. श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी ना मिलना
4. जेल में कैदियों को हरास करना, मौत होना जेल में
5. औरतों के साथ गलत करना
6. ग्रामीणों का उत्पीड़न
7. पर्यावरण से संबंधित मुद्दे
8. दंगा पीड़ितों की याचिका
9. पारिवारिक पेंशन

### जहां पर PIL नहीं होती

- मकान मालिक और किराएदार के बारे में मुद्दा
- State center की शिकायतें
- मेडिकल तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन
- जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालय में दाखिल याचिका

### PIL के सिद्धांत

- अनुच्छेद - 32, 226 के तहत जनता हित के लिए न्यायालय जाया जा सकता है
- किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो कोर्ट सामने आता है
- अगर कोर्ट को PIL सही नहीं लगती तो वह वापस भेज देती है
- अगर दो समूहों के बीच लड़ाई हो रही है तो वह कोर्ट में नहीं जाएगा
- कोर्ट situation चेक करने के लिए कमीशन बना सकता है
- PIL का Basic Nature Human Right की रक्षा करना है

### Chapter 30 राज्यपाल

- संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार आती है (जम्मू कश्मीर के लिए नहीं)
- Art 153 to 167 भाग 6 में राज्य कार्यपालिका

- राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता
- राज्य में उपराज्यपाल का कोई कार्यालय नहीं होता

### राज्यपाल

- राज्य का कार्यकारी प्रमुख (संवैधानिक मुखिया)
- केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है
- प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होता है पर 1956 के 7 वें संशोधन के अनुसार एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है

### राज्यपाल की नियुक्ति

- संवैधानिक कार्यालय, केंद्र सरकार के अधीन नहीं
- ना तो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है ना ही अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति की तरह
- उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से से होती है
- वह केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होता है 1979 की व्यवस्था के अनुसार राज्यपाल केंद्र के अधीन रोजगार नहीं है

### राज्यपाल की इस प्रकार की नियुक्ति के कारण (कनाडा जैसा)

- राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य की संसदीय व्यवस्था के प्रतिकूल हो सकता है
- सीधे चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच स्थिति पैदा हो सकती है
- राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होता है इसलिए भारी खर्च का कोई अर्थ नहीं
- यह चुनाव पूरी तरह से वैयक्तिक मामला है भारी संख्या में मतदाताओं को शामिल करना ठीक नहीं
- अगर निर्वाचन होगा तो अवश्य ही राज्यपाल किसी न किसी दल से जुड़ा होगा तो वह निष्पक्ष मुखिया नहीं बन सकता
- राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होने के कारण राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण बना रहेगा
- राज्यपाल का सीधा निर्वाचन, राज्य में आम चुनावों में समस्या उत्पन्न करेगा
- मुख्यमंत्री चाहेगा कि राज्यपाल के लिए उसका उम्मीदवार चुनाव लड़े

### अहर्ताएं

1. भारत का नागरिक हो
2. 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका हो
3. जिस राज्य में उसे as a राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का ना हो
4. जब राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त कर रहा हो तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह करें

## शर्तें

- वह ना तो संसद का सदस्य हो ना ही विधानमंडल का अगर है तो पद ग्रहण करने से पहले सदन का पद छोड़ दें
- लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए
- बिना किसी किराए के उसे राज भवन उपलब्ध होगा
- संसद द्वारा निर्धारित भत्ते उसे मिलेंगे
- अगर वह 2 राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति तय करेगा भत्ते
- कार्यकाल के दौरान भत्तों को कम नहीं किया जा सकता
- 2008 में वेतन 36000 से बढ़कर 1.10 लाख कर दिया गया
- उसे कारावास में नहीं डाला जा सकता
- अगर राज्यपाल के खिलाफ कोई कार्यवाही करनी है तो तो 2 माह का नोटिस दिया जाए

## शपथ

- निष्ठापूर्वक दायित्व का निर्वहन करेगा
- संविधान और विधि की रक्षा, संरक्षण और प्रतिरक्षा करेगा
- स्वयं को राज्य की जनता के हित व सेवा में समर्पित करेगा
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं अगर वह ना हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं

## पदावधि

- 5 वर्ष की अवधि, वास्तव में राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है
- वह कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है
- राष्ट्रपति राज्यपाल के बचे कार्यकाल के लिए उसे दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर सकता है
- अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो चुका है उसे उसी राज्य या दूसरे राज्य में नियुक्त किया जा सकता है
- वह तब तक पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य ग्रहण ना कर ले
- अगर राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थाई तौर पर राज्यपाल बनाया जा सकता है

## राज्यपाल की शक्तियां व कार्य

### कार्यकारी शक्तियां

- राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर होते हैं
- वह नियम बना सकता है कि उसके नाम पर बनाए गए आदेश पर कैसे कार्य होगा
- वह राज्य सरकार के लेन-देन को सुविधाजनक और मंत्रियों के आवंटन के लिए नियम बना सकता है
- मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है
- राज्य के महाधिवक्ता को नियुक्त करता है
- राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करता है
- SPSC के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करता है पर हटाया राष्ट्रपति द्वारा जाता है
- मुख्यमंत्री से प्रशासनिक मामलों या विधायी मामलों की जानकारी ले सकता है
- राष्ट्रपति से संवैधानिक आपातकाल के लिए सिफारिश सकता है
- राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होता है तथा कुलपतियों की नियुक्ति करता है

### विधायी शक्तियां

- राज्य विधायिका का सत्र बुलाना और विघटित करना
- पहले सत्र को संबोधित करना
- जब विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली हो तो किसी और सदस्य को कार्यवाही के लिए कह सकता है
- विधान परिषद के कुल सदस्यों में से 1/6 भाग को नामित कर सकता है
- एक आंगल भारतीय सदस्य की नियुक्ति कर सकता है
- विधानसभा सदस्य की निरहर्ता के मुद्रे पर निर्वाचन आयोग से विचार विमर्श कर सकता है
- राज्य विधान मंडल द्वारा किसी विधायक को राज्यपाल के पास भेजे जाने पर
  1. वह विधायक स्वीकार कर लेगा
  2. स्वीकृति के लिए रोक सकता है
  3. पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है अगर बिना संशोधन के विधानसभा वापस कर दे तो उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी
  4. राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है जो विधायक उच्च न्यायालय के तिथि को खतरे में डाले उसे सुरक्षित रखना अनिवार्य है

इसके अलावा निम्न परिस्थितियां हैं

- a) संविधान के उपबंधों के विरुद्ध हो
- b) DPSP के विरुद्ध हो

- c) देश के हित के विरुद्ध हो
- d) राष्ट्रीय महत्व का हो
- e) संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो

- अध्यादेश ला सकता है
- राज्य वित्त आयोग लोक सेवा आयोग आदि की रिपोर्ट को विधानसभा में प्रस्तुत करता है

### **वित्तीय शक्तियां**

- बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखना
- धन विधेयक को पहले इसकी स्वीकृति दी जाती है
- इनकी सहमति के बिना किसी तरह के अनुदान की मांग नहीं हो सकती
- व्यय के वहन के लिए राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम ले सकता है
- पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति के हर 5 वर्ष बाद समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करता है

### **न्यायिक शक्तियां**

- अपराध में दोषी सिद्धि व्यक्ति को जमा कर सकता है
- उच्च न्यायालय की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति से विचार कर सकता है
- उच्च न्यायालय के साथ विचार कर जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण और प्रोन्नति कर सकता है
- राज्य न्यायिक आयोग से जुड़े लोगों की नियुक्ति भी करता है इन नियुक्तियों में व उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग से विचार करता है

### **क्षमादान**

#### **राष्ट्रपति**

केंद्रीय विधि के लिए क्षमा  
मृत्युदंड की सजा माफ  
को माफ कर सकता है

सैन्य अदालत के तहत दी गई  
सजा को माफ कर सकता है

#### **सामान्य विधेयक से संबंधित**

#### **राज्यपाल**

राज्य विधि के लिए क्षमा दान कर सकता है कर सकता है  
मृत्यु दंड की सजा  
नहीं कर सकता पर पुनर्विचार के लिए कह  
सकता है  
यह नहीं

जब कोई विधेयक सदनों में पास होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आता है तो वह

या तो विधायक पर स्वीकृति दे सकता है  
या अपनी स्वीकृति के लिए रोक सकता है  
अगर वापस कर दे तो उस को  
फिर से दोनों सदनों द्वारा पारित कराकर भेजे तो राष्ट्रपति को स्वीकार करना ही होगा

जब विधेयक राज्यपाल के पास आता है  
तो उसके पास चार विकल्प हैं

स्वीकृति दे दे  
स्वीकृति के लिए रोक सकता है  
अगर बिना संशोधन के विधायक फिर राज्यपाल को दे तो उसे स्वीकृति देनी ही होगी  
इसे स्थगन वीटो कहते हैं  
वह विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है

### धन विधेयक से संबंधित

#### राष्ट्रपति

जब ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसके पास दो विकल्प हैं  
स्वीकृति दे सकता है  
अगर स्वीकृत ना दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है  
पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है  
पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है  
जब राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति की विचार के लिए रखे तो  
स्वीकार कर सकता है  
स्वीकृति के लिए रोक सकता है

#### राज्यपाल

जब ऐसे विधेयक राज्यपाल के पास आए तो उसके पास तीन विकल्प हैं  
स्वीकृति दे सकता है  
स्वीकृति ना दे तो विधेयक समाप्त हो जाता है  
राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकता है ऐसे विधेयक के लिए

#### अध्यादेश

#### राष्ट्रपति

#### राज्यपाल

वह तब अध्यादेश ला सकता है जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो और किसी Matter पर दोनों सदनों के permission चाहिए तो ला सकता है	same (विधानसभा)
जब किसी परिस्थिति पर तुरंत कदम उठाना हो	same
उन्हीं विषयों पर अध्यादेश बन सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है प्रभावी रहता है	same (संसद की जगह विधानमंडल आएगा अध्यादेश उसी तरह
जिस तरह संसद का कानून वह एक अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है	same (विधानमंडल)
वह मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश बना या वापस ले सकता है (प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्री परिषद) है	वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से ही अध्यादेश बना सकता और वापस ले सकता है
उसके द्वारा जारी अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों में रखना चाहिए जब संसद शुरू होगी तो उसके छह माह के उपरांत अध्यादेश समाप्त हो जाएगा अगर दोनों सदन इसे स्वीकार ना करें तो यह पहले खत्म होगा	विधानमंडल में रखना चाहिए
उसे अध्यादेश बनाने में कितनी निर्देश की आवश्यकता नहीं	same (बस राज्य विधानमंडल आएगा)
	इसे तीन मामलों में अध्यादेश बनाने की इजाजत नहीं (बिना राष्ट्रपति के निर्देश के)
	जो विधायक राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना अवैध माना जाएगा
	यदि वह राष्ट्रपति का विचार जरूरी माने हैं
	राज्य विधान मंडल में इसकी प्रस्तुति के लिए

राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो

# AroRaiAS

## Chapter 31

### मुख्यमंत्री

- राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री वास्तविक
- राज्यपाल राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री सरकार का  
**मुख्यमंत्री** - दोनों सदनों (विधानमंडल) में से किसी का भी सदस्य हो सकता है

- मुख्यमंत्री की स्थिति राज्य में उसी तरह है जिस तरह केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है
- A-164 में कहा है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा
- संसदीय व्यवस्था में राज्यपाल राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करता है यदि स्पष्ट बहुमत ना हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है जिसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है उसे 1 महीने के भीतर सदन में विश्वासमत प्राप्त करने के लिए कहता है
- राज्यपाल अपने व्यक्तिगत फैसले द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति तक कर सकता है जब कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए
- जो राज्य विधान मंडल का सदस्य नहीं भी हो वह 6 माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है इस समय के दौरान उसे राज्य विधान मंडल का सदस्य बनना होगा
- सामान्यता मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है लेकिन विधान परिषद का भी हो सकता है

### शपथ ,कार्यालय व वेतन

- राज्यपाल उसे शपथ दिलाता है कार्यकाल निश्चित नहीं, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद पर रहता है जब तक उसे विधानसभा में विश्वास प्राप्त है राज्यपाल उसे हटा नहीं सकता
- वेतन ,भत्ते राज्य विधान मंडल द्वारा निश्चित किए जाते हैं

### मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियां


#### मंत्रिपरिषद के संदर्भ में

1. मंत्री को त्यागपत्र देने को कह सकता है
2. राज्यपाल से मंत्री को नियुक्त करने की सिफारिश करता है
3. मंत्रियों के विभागों में फेरबदल करने वाला
4. मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है
5. मंत्रियों के कार्य में सहयोग करने वाला
6. अगर मुख्यमंत्री त्यागपत्र दे तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी

#### राज्यपाल के संबंध में

राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी

मुख्यमंत्री



वह महत्वपूर्ण अधिकारियों महाधिवक्ता  
SPSC, राज्य निर्वाचन आयोग की  
नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह देता है

### राज्य विधानमंडल के संबंध में

- मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने व भंग करने की सलाह देता है
- विघटित करने की सलाह देता है
- सरकारी नीतियों की घोषणा करता है

### अन्य शक्तियां

- राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष
- क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कार्यकाल 1 वर्ष
- अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य (इसका अध्यक्ष- प्रधानमंत्री )
- राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता
- आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक
- सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख

### राज्यपाल के साथ संबंध

- **A-163** राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा
- **A-164** मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा
- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करेंगे
- मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, राज्य विधानसभा के प्रति होगी
- **A-167** मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह
- मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करें
- जो जानकारी राज्यपाल मांगे वह उसे दे
- किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने निश्चय कर दिया है, किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखें

# AroRaiAS

## Chapter 32

### राज्य मंत्रीपरिषद

Same जैसे केंद्र की मंत्रिपरिषद केंद्र में वैसे ही राज्य में राज्य की मंत्रीपरिषद

संवैधानिक प्रावधान

A-163 राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्री परिषद

- उन मामलों को छोड़कर जिनका राज्यपाल को अपने विवेकानुसार कार्य करना है बाकियों में राज्यपाल को मंत्रिपरिषद को सलाह देनी
- इस प्रश्न का किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती

#### A-164 मंत्रियों संबंधी अन्य उपबंध

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी
- मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की संख्या विधानसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो होनी चाहिए 12 से कम नहीं इसे 91 संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया
- यदि कोई मंत्री दलबदल कर लेता है तो वह मंत्री नहीं रहेगा
- मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत पद धारण करेगा
- मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी
- राज्यपाल, मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे
- एक मंत्री जो सदन का सदस्य हो उसे 6 माह के भीतर सभा का सदस्य बनना होगा
- मंत्री के वेतन, भत्ते राज्य विधान मंडल द्वारा निर्धारित किए जाएंगे

#### A-166 राज्य के राज्यपाल द्वारा कार्यवाही का संचालन

- सारे काम राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे
- राज्यपाल के नाम पर आदेश उसी तरह प्रभावी होंगे जिस तरह उसने नियम बनाएं
- राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन को लेकर नियम बनाए जाएंगे

#### A-167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य

- राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णय के बारे में सूचित करेगा
- राज्यपाल जो सोचना मांगे वह उसे दे
- यदि राज्यपाल चाहे तो मंत्री परिषद के समक्ष किसी ऐसे मामले को विचारार्थ जिस पर निर्णय तो किसी मंत्री द्वारा लिया जाना है लेकिन उस पर मंत्रिपरिषद में विचार नहीं किया

#### A-177 सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार

- प्रत्येक मंत्री को विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा वह जिस सदन का सदस्य नहीं है उसे वहां मत देने का अधिकार नहीं होगा

#### मंत्रियों द्वारा दिए गए परामर्श की प्रकृति

- राज्यपाल मंत्रियों द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार कार्य करेगा तथा न्यायालय उसकी जांच नहीं करेगा

- वह किसी मामले पर राज्यपाल अपने विवेकानुसार कार्य करेगा उसका निर्णय ही अंतिम माना जाएगा
- मंत्रियों की नियुक्ति**

- मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाएगी लेकिन छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा में एक आदिवासी मंत्री भी होना चाहिए
- मंत्री किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए अगर नहीं है तो मंत्री नियुक्त होने के 6 माह के भीतर उसे सभा का सदस्य बनना होगा
- मंत्री मतदान उसी सदन में करेगा सदन का सदस्य है पर कार्यवाही में भाग ले सकता है

### Chapter 33

#### राज्य विधान मंडल

संविधान के भाग 6 में Art-168 to 212 तक राज्य विधानमंडल का संगठन, गठन, कार्यकाल, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार तथा शक्तियों आदि के बारे में बताया गया है

संसद में दो सदन

राज्यसभा

लोकसभा      ← संसद

राज्य में दो सदन भी हो सकते हैं और एक भी

1. विधान परिषद (ऊपरी सदन) = अधिक ताकत नहीं
  2. विधानसभा (निचला सदन)
- आज के समय में 7 राज्यों में विधान परिषद एवं विधानसभा हैं बाकी 22 राज्यों में केवल विधानसभा है
  - 7 राज्य = आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर
  - 2010 में तमिलनाडु में विधान परिषद बनाने के लिए एकट पास किया गया पर अभी तक विधान परिषद नहीं बनी क्योंकि राष्ट्रपति को अधिसूचना जारी करनी होती है जो उसने नहीं की
  - आंध्र प्रदेश में 2005 में बनाई, 7वा संशोधन 1956 में मध्यप्रदेश के लिए भी एकट पास हुआ पर राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी न होने के कारण नहीं बनी
  - विधान परिषद का गठन भी कर सकते हैं और इसका विघटन भी कर सकते हैं
  - संसद के पास यह सकती है अगर किसी राज्य को विधान परिषद चाहिए तो राज्य को विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है तब विधान परिषद बनती है। इसे संशोधन नहीं कहते इसे सामान्य बिल की तरह समझा जाता है
  - संविधान सभा ने बोला था कि राज्य में विधान परिषद नहीं होनी चाहिए क्योंकि खर्च बहुत होंगे और यह प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने हुए नहीं होते हैं
  - प्रक्रिया में देरी होगी बाद में यह बात राज्य पर छोड़ दी गई
  - 1986 में तमिलनाडु ने विघटित कर दी
  - बस बात यह है राज चाहे तो रखे ना चाहे तो ना रखें

## दो सदनों का गठन

### विधानसभा का गठन

संख्या कम से कम 60 अधिक से अधिक 500

- अरुणाचल प्रदेश, गोवा, सिक्किम में 30
- मिजोरम 40, नागालैंड 46 बाकी सभी कि 60 से ज्यादा और 500 से अधिक नहीं
- प्रत्यक्ष मतदान द्वारा निर्वाचित
- सिक्किम व नागालैंड के कुछ अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं

## नामित सदस्य

- एक आंगल भारतीय सदस्य राज्यपाल द्वारा
- पहले यह 1960 तक था। इसे 95वें संशोधन 2009 में इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया

### **क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र**

- प्रत्यक्ष निर्वाचन पर नियंत्रण के लिए राज्य को क्षेत्रीय विभाजन के आधार पर बांटा जाता है यह विभाजन जनसंख्या के आधार पर होता है Latest जनगणना के हिसाब से कितनी जनसंख्या क्षेत्र में होगी देखा जाता है 2026 तक जनसंख्या को fix रखा है (2001 में 84 वा संविधान संशोधन )

### **अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण**

- अनुसूचित जाति, जनजाति को आरक्षण मिलेगा जो 1960 तक था पर 95 संविधान संशोधन द्वारा इसके 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया

### **अवधि, विधानसभा का कार्यकाल**

- 5 साल
- अवधि समाप्त होने से पहले चुनाव कर लिए जाते हैं यह तब सीट छोड़ेंगे जब नई सभा आ जाएगी
- राष्ट्रीय आपातकाल लगी हो तो उसे 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने पड़ते हैं

### **विधान परिषद का गठन**

**संख्या -** अप्रत्यक्ष निर्वाचन जितने विधानसभा की सीट होगी उसका 1/3 विधान परिषद की होगी पर कम से कम 40 होनी चाहिए यह बात जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होती

### **निर्वाचन पद्धति**

- जितने भी कुल सदस्य विधान परिषद के निश्चित हुए हैं उसमें 1/3 स्थानीय निकायों से (नगर पालिका, जिला बोर्ड)
- 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं (यह विधानसभा के सदस्य ना हो)
- 1/12 graduate students के द्वारा चुने जाएंगे
- 1/12 माध्यमिक स्कूलों से ज्यादा के अध्यापकों द्वारा चुने जाएंगे (10 वीं लोकसभा के ऊपर)
- बाकी बचे राज्यपाल द्वारा नामांकित होंगे (साहित्य, ज्ञान, कला, सहकारिता आदि )
- 5/6 अप्रत्यक्ष, 1/6 नामांकन होंगे

### **कार्यकाल -स्थाई सदन**

- 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर उनकी जगह नए सदस्य निर्वाचित व नामांकित होंगे

### **राज्य विधान मंडल की सदस्यता**

## अहर्ताएं

- चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है
- आयु - विधानसभा -25  
विधान परिषद - 30
- विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति में विधान सभा का सदस्य बनने के काबिलियत हो, उसी राज्य का निवासी हो जिसे राज्यपाल द्वारा नामित किया गया हो
- विधानसभा में निर्वाचित होने वाले को उसी राज्य की मतदाता सूची में होना चाहिए
- अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए

## निरहता

- लाभ के पद पर हो
- पागल, दिवालिया हो, भारत की नागरिकता त्यागने वाला
- अष्ट आचरण, अपराधी, सरकारी ठेके में रुचि ना लें,
- अगर वह दल बदल लेता है तो अध्यक्ष उसका फैसला करेगा

## शपथ

- राज्यपाल दिलवाता है

## स्थानों का रिक्त होना

- See संसद chapter जहां पर लोकसभा है वहां विधानसभा मानना है जहां राज्य सभा है विधान परिषद मानना है

## विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी

### पीठासीन अधिकारी

- विधानसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष विधान परिषद में सभापति एवं उपसभापति

### विधानसभा अध्यक्ष

जब सभा शुरू होती है तब से सभा के जीवन काल तक अध्यक्ष बना रहता है

वह मामले जब वह अध्यक्ष नहीं बना रहता

1. अगर उसकी विधानसभा की सदस्यता ही ना रहे
2. त्यागपत्र दे दे उपाध्यक्ष श्री को
3. संकल्प पारित करके (14 दिन का नोटिस देकर)

### अध्यक्ष की शक्तियां व कार्य

- सदन में शिष्टाचार बनाए रखना ( अंतिम निर्णय इसी का होगा)
- कोरम ना हो तो सदन को स्थगित करना
- अगर tie हो रहा हो तो वोट डाल सकता है
- गुप्त बैठक, सदन के नेता के आग्रह पर करवाता है
- धन विधेयक का निर्णय करता है
- दल बदल के आधार पर निर्ह कर सकता है
- सभी समितियों के अध्यक्ष नियुक्त करता है
- कार्य मंत्रणा ,नियम समिति, सामान्य उद्देश्य समिति का अध्यक्ष यह खुद होगा

### **विधानसभा उपाध्यक्ष**

- हटाव के तीन कारण same as अध्यक्ष
- अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष ही की तरह काम करता है
- पहले अध्यक्ष को चुना जाता है फिर उसी तरह उपाध्यक्ष को
- अगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष ने जो पैनल बनाया होगा उस पैनल का सदस्य पीठासीन अधिकारी होगा
- जो भी मीटिंग preside करें उसे सारी सुविधाएं अध्यक्ष की तरह मिलेंगी

### **विधान परिषद का सभापति**

- अध्यक्ष - विधानसभा वाले की एक शक्ति सभापति की शक्ति से ज्यादा है और वह धन विधायक के मामले में
- 14 दिन से अधिक विधान परिषद बिल नहीं रख सकती बाकी सभी अध्यक्ष की तरह ही हैं
- राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है

### **विधान परिषद का उपसभापति**

- सभापति की तरह चुना जाता है
- अगर सभापति अनुपस्थित हो तो यह सभापति की तरह कार्य करता है
- जब दोनों पद पर ना हो तो पैनल में से कोई सदस्य अध्यक्षता करेगा

### **राज्य विधानमंडल सत्र**

#### **आहूत करना**

- राज्यपाल बैठक बुलाता है 6 माह में कम से कम 1 सत्र होना चाहिए (1 वर्ष में 2 सत्र)

#### **स्थगन**

- बैठक को रोक देना या तो 1 घंटे 1 दिन 1 हफ्ते के लिए( अध्यक्ष या सभापति द्वारा)

### अनिश्चित काल के लिए स्थगन

- जिसका समय निश्चित ना हो कितने समय के लिए सत्र रुक रहा है ( अध्यक्ष या सभापति द्वारा सत्रावसान
- अध्यक्ष /सभापति कार्य संपन्न होने पर सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगन की घोषणा करता है इसके कुछ दिन बाद राज्यपाल सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है

### विधटन

- विधानसभा विधटित होती है विधान परिषद नहीं
- नई विधानसभा में चुनाव के बाद आती है

### जब विधटित हो विधानसभा तो

- कोई भी बिल चाहे विधान परिषद में बना है या विधानसभा में अगर बिल विधानसभा में पड़ा हुआ है तो उसी वक्त बिल खत्म हो जाएगा जिस वक्त विधानसभा विधटित हुई हो
- अगर बिल सभा में बना हो और परिषद में गया हो तो बिल भी खत्म हो जाएगा
- अगर विधान परिषद में पास हुआ है और विधान परिषद में ही पड़ा है तो वह बिल खत्म नहीं होगा
- बिल अगर दोनों सदनों के पास से होकर पास हो गया है और राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है तो वह खत्म नहीं होगा
- अगर गवर्नर और राष्ट्रपति को सही नहीं लगता तो वह पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो वह बिल समाप्त नहीं होता

### कोरम

- पीठासीन अधिकारी ,अगर कोरम ना हो तो मीटिंग स्थगित कर सकता है कोरम
- कार्य करने के लिए उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या को कोरम कहते हैं यह सदन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का दसवां हिस्सा होता है( जो ज्यादा हो include अध्यक्ष )

### सदन में मतदान

- अगर कोई बिल पास करना है तो तो साधारण बहुमत चाहिए होगी अगर किसी को हटाने की बात होती है तो विशेष बहुमत
- अध्यक्ष या सभापति केवल तब वोट जब tie हो रहा हो

### विधानमंडल में भाषा

- संविधान में कहा या तो हिंदी बोलो या अंग्रेजी
- अध्यक्ष को शक्ति है कि वह किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा बोलने की इजाजत दे सकता है

- यह कहा गया था कि 1965 के बाद अंग्रेजी भाषा खत्म हो जाएगी

### **मंत्रियों एवं महाधिवक्ता के अधिकार**

- यह किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते क्योंकि यह सदन का सदस्य नहीं होता

### **विधानमंडल में विधायी प्रक्रिया**

#### **साधारण विधेयक**

##### **विधेयक का प्रारंभिक सदन**

दोनों सदनों में से किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तुत हो सकता है इसके बाद बिल तीनों पाठन से गुजरेगा

1. प्रथम पाठन
2. द्वितीय पाठन
3. तृतीय पाठन

विधेयक को इन पाठन में परखा जाता है पहले सदन के बाद दूसरे सदन में जाएगा अगर केवल एक ही सदन है तो बिल direct गवर्नर या राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है

#### **दूसरे सदन में विधेयक**

जब कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में भेजा जाता है तो वहां तीन विकल्प होते हैं

1-या तो वैसे ही पास कर दें (ऐसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा)

2-संशोधन के बाद पारित कर विचारार्थ (इसे विधानसभा को भेजा जाएगा)

3-विधेयक को अस्वीकृत कर दिया जाए

4-विधेयक को लंबित कर रखा जाए

विधान परिषद कुल 4 महीने तक रोक सकती हैं

#### **राज्यपाल की स्वीकृति**

राज्यपाल के पास चार विकल्प होते हैं

1. या तो बिल्कुल आराम से पास कर दे (बिल बन जाता )
2. रोक ले (बिल खत्म हो जाएगा)
3. पुनर्विचार के लिए रख ले (अगर सभा ऐसे ही वापस कर दे तो राज्यपाल को बिल पास ही करना पड़ता है)
4. राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रोकना।

#### **राष्ट्रपति की स्वीकृति**

amend करके पास हो सकता है अगर दूसरा सदन amend ना करें तो 3 माह का इंतजार किया जाएगा अगर कोई response ना आए तो फिर से बिल लाया आएगा फिर दूसरे सदन में भेजा जाएगा परिषद इस बिल को 1 माह के लिए रोक सकती है अगर पास करें तो ठीक नहीं तो इसे पास मान लिया जाता है

1. या बिल पास कर देंगे( एकट बन जाएगा)
2. रोक ले (तो बिल खत्म)
3. बिल वापस करें ,दोबारा अगर सभा वैसे ही वापस कर दे (तो राष्ट्रपति बिल वापस कर सकता है)

### **धन विधेयक**

- केवल विधानसभा में से लाया जा सकता है पहले राज्यसभा की सहमति लेनी पड़ती है तब बिल सदन में लाया जा सकता है
- केवल मंत्री ही इसे प्रस्तुत करेंगे
- इसे विधान परिषद अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती केवल 14 दिन के लिए अपने पास रख सकती हैं यह सिफारिश दे सकती है विधानसभा की इच्छा हो इसे स्वीकार करें या स्वीकार ना करें
- उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल या तो स्वीकार करेगा, रोक लेगा, राष्ट्रपति के लिए रख लेगा पर वापस नहीं करेगा राष्ट्रपति इसे स्वीकार कर ले, रोक ले पर वापस नहीं करेगा

### **साधारण विधेयक**

संसद	विधानमंडल
किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है	किसी भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है मंत्री एवं गैर मंत्री द्वारा
मंत्री एवं गैर मंत्री द्वारा	
1st,2nd,3rd पाठन होता है	1st,2nd,3rd पाठन होता है
अगर दोनों सदन पास कर दें तो	इसमें भी अगर दोनों सदन पास कर दें
दोनों सदनों द्वारा पास माना जाता है	तो इसे पास माना जाता है
अगर पास नहीं होता तो संयुक्त	अगर 3 महीने तक पास नहीं होगा तो
माह में अगर पास नहीं होगा)	बैठक होगी( 6 दोबारा बिल लाया जाएगा और एक माह में पास नहीं होता तो इसे पास मान लिया जाएगा

अगर संयुक्त बैठक ना की जाए तो  
बिल खत्म हो जाएगा

अगर विधान परिषद द्वारा बिल लाया गया  
था और विधानसभा पास नहीं करती तो  
यह बिल खत्म हो जाएगा

### **संसद**

### **विधानमंडल**

### **धन विधेयक**

केवल लोकसभा में प्रस्तुत होगा	केवल विधानसभा में प्रस्तुत होगा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश चाहिए
राज्यपाल की सिफारिश चाहिए	
केवल मंत्री द्वारा	केवल मंत्री द्वारा
राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर	Same as विधान परिषद
सकती सिफारिश दे सकती है (14 दिन में लौटाना होता है )	
लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश	विधान सभा विधान परिषद की सिफारिश को स्वीकार या
अस्वीकार कर सकती	स्वीकार या अस्वीकार कर सकती
अगर सिफारिश भी ना माने तो भी	Same
दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा	
संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं	संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं

### विधान परिषद की स्थिति

#### जहां विधान परिषद विधानसभा के बराबर हो

- साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है पर दोनों सदनों में असहमति हो तो विधानसभा ज्यादा प्रभावी होती है
- राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृति
- मंत्री या मुख्यमंत्री विधानसभा एवं विधान परिषद दोनों में से चुना जा सकता है
- संवैधानिक निकायों जैसे राज्य वित्त आयोग, SPSC, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना
- SPSC की शक्ति कितनी बढ़ानी घटानी है तो यह दोनों सदनों की शक्ति एक समान है

#### जहां पर विधान सभा विधान परिषद से अधिक हो

- वित्त विधेयक केवल विधानसभा में लाया जाएगा
- यह ना तो संशोधन कर सकती हैं ना ही अस्वीकार कर सकती है (14 दिन में वापस करेगी)
- वित्त विधेयक से संबंधित सारी शक्तियां विधानसभा के हाथ में हैं
- साधारण विधेयक को पास करने की अंतिम तिथि विधानसभा को ही है
- विधान परिषद केवल बजट पर बहस कर सकती हैं पर अनुदान की मांग नहीं कर सकती
- विधान परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को नहीं हटा सकती
- अगर परिषद बिल बनाएं और सभा अस्वीकार कर दें तो बिल खत्म हो जाएगा

- राष्ट्रपति एवं राज्यसभा के चुनाव में विधान परिषद भाग नहीं लेती
- संशोधन बिल में परिषद कुछ कर नहीं सकती
- विधान परिषद राज्य में रखनी है या नहीं यह विधानसभा तय करती है

राज्यसभा	विधान परिषद
इसका अपना अस्तित्व है	इसका अपना अस्तित्व नहीं है
यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है	विधानसभा के बिना यह कुछ नहीं
यह संघीय तालमेल बनाए रखती है	विधानसभा चाहे तो इसे कभी भी हटा दें
अखिल भारतीय सेवा की vacany	
राज्यसभा निकालती है	यह राज्यों पर ध्यान देती है
राज्यसभा का गठन समांग है	परिषद का गठन विसमाँग है
नामित सदस्य 12	नामित सदस्य 1/6
संविधान संशोधन में करती है	यह नहीं करती

यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है  
 यह संघीय तालमेल बनाए रखती है  
 अखिल भारतीय सेवा की vacany  
 राज्यसभा निकालती है  
 राज्यसभा का गठन समांग है  
 नामित सदस्य 12  
 संविधान संशोधन में करती है

इसका अपना अस्तित्व नहीं है  
 विधानसभा के बिना यह कुछ नहीं  
 विधानसभा चाहे तो इसे कभी भी हटा दें

यह राज्यों पर ध्यान देती है  
 परिषद का गठन विसमाँग है  
 नामित सदस्य 1/6  
 यह नहीं करती

### Chapter 33 उच्च न्यायालय

- उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर है(एकल समेकित न्यायिक व्यवस्था)
- सबसे पुराने उच्च न्यायालय 1862 में कोलकाता, मुंबई ,मद्रास में बने
- 1866 में इलाहाबाद में बना
- 7वें संविधान संशोधन 1956 में बोला कि दो या दो से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है
- इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं
- दिल्ली ही केवल एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है (1966 में बना)

### उच्च न्यायालय

- संविधान के भाग 6 में Art 214 तो 231 तक उच्च न्यायालयों के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया
- अगर कोई नया उच्च न्यायालय बनाना है तो वह संविधान में नहीं लिखा है यह राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार कर सकता है
- मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं

### **न्यायाधीशों की नियुक्ति**

- राष्ट्रपति द्वारा
- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है
- अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद की जाती है
- दो या दो से अधिक राज्य जो साझा उच्च न्यायालय की नियुक्ति में राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपालों से परामर्श करके करता है

### **कॉलेजियम प्रणाली (1998)**

- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश +2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करते हैं तब नियुक्ति होती है मुख्य न्यायाधीश को इनकी तरह माननी ही पड़ती है
- 99वें संविधान संशोधन 2014 में NJAC आया और फिर खत्म हो गया और कॉलेजियम प्रणाली आ गई

### **न्यायाधीशों की योग्यता**

- भारत का नागरिक हो
- उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो
- संविधान में न्यायाधीशों के लिए कोई न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की

### **शपथ या प्रतिज्ञान**

- राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है

### **न्यायाधीशों का कार्यकाल**

- 62 वर्ष, बाकी आयु के संबंध में कोई भी निर्णय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करता है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है
- त्याग पत्र राष्ट्रपति को

- संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकता है

### न्यायाधीशों को हटाना

- विशेष बहुमत द्वारा
- Same as supreme court (7 steps)
- राष्ट्रपति द्वारा अंत में उसे हटाया जाता है

### वेतन

संसद द्वारा निर्धारित

### न्यायाधीशों का Transfer (स्थानांतरण)

- भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति transfer कर सकता है
- 1977 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर लोक कल्याण के लिए transfer हो रहा है तभी होगा अन्यथा नहीं
- 1998 में कहा जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जिस उच्च न्यायालय में transfer करना है तो दोनों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी करना है अगर transfer सही नहीं लगता तो वह व्यक्ति कोट में जा सकता है और न्यायिक समीक्षा की जा सकती है

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश ▼

अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश

सेवानिवृत्त न्यायाधीश

उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता

President ही करेगा (Same as Supreme court)

### नियुक्ति की विधि

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है

### कार्यकाल की सुरक्षा

- केवल संविधान में लिखी विधि अनुसार ही इसे हटाया जा सकता है

### निश्चित सेवा शर्तें

- संसद द्वारा तय की जाती हैं

### संचित निधि पर भारित व्यय

- वेतन, भत्ते, प्रशासनिक खर्च राज्य की संचित निधि पर भारत होता है पर पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है

## न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती

- जब न्यायाधीश पर महाभियोग चल रहा हो तभी चर्चा हो सकती है अन्यथा नहीं

## सेवानिवृत्त के बाद वकालत पर प्रतिबंध

7,8,9,10 Same as supreme court

## उच्च न्यायालय का न्याय क्षेत्र एवं शक्तियां

- मूल अधिकारों का रक्षक
- यह पर्यवेक्षक एवं सलाहकार की भूमिका निभाता है
- शक्तियां

## प्रारंभिक क्षेत्राधिकार

- संसद, सदस्यों और राज्य विधानमंडल सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद
- राजस्व मामले
- शादी, तलाक संबंधित विवाद

## रिट क्षेत्राधिकार

- A-226 में दी गई है
- चंद्र कुमार मामले 1997 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार, संविधान के मूल ढांचे के अंग हैं

## अपीलीय क्षेत्राधिकार

- अधीनस्थ न्यायालय से कोई संतुष्ट नहीं है तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील लेकर जा सकता है
- दीवानी मामले, अपराधिक मामले

## पर्यवेक्षक क्षेत्राधिकार

नीचे वाले कोर्ट की निगरानी रखता है

## अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

- अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण रखता है
- Transfer, Posting सब कुछ करता है

## अभिलेख न्यायालय

- इसमें जो मामलों पर सुनवाई की जाती है उसका रिकॉर्ड रख लिया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय सुनवाई करते हुए उस रिकॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं

## न्यायिक समीक्षा की शक्ति

- संविधान में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा अगर कोई कानून संविधान के अनुसार नहीं है तो उसकी न्यायिक समीक्षा करके उस कानून को रद्द कर दिया जाता है

A-226

1. अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो
2. कोई कानून संवैधानिक उपबंधो के विरुद्ध हो

42 वें संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति कम कर दी जो कि 43वें संविधान संशोधन 1977 में फिर वही कर दी गई

## Chapter 35 अधीनस्थ न्यायालय

उच्च न्यायालय के under आते हैं

यह तीन प्रकार के होते हैं

1. दीवानी
2. आपराधिक
3. राजस्व

इनके जज न्यायालय की परामर्श से राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं

भाग 6 Art 233 to 237 में अधीनस्थ न्यायालय के संगठन एवं कार्यपालिका से स्वतंत्रता के बारे में लिखा गया है  
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

- उच्च न्यायालय के जज से परामर्श लेकर गवर्नर इनकी नियुक्ति पदस्थापना एवं पदोन्नति करता है

### योग्यता

- वह केंद्र या राज्य सरकार में किसी सरकारी सेवा में काम ना करते हो
- उसे वकील का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो
- उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति की सिफारिश की हो

### अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

- राज्यपाल, उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद ही नियुक्त करता है

### अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

- उच्च न्यायालय द्वारा

### जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय

- जिला न्यायाधीश के पास प्रारंभिक एवं अपीलीय दोनों शक्तियां हैं
- जिला न्यायाधीश को सत्र न्यायाधीश भी बोला जाता है

  - जब वह दीवानी मामले की सुनवाई करें तो जिला न्यायाधीश
  - जब वह अपराधिक मामले की सुनवाई करें तो सत्र न्यायाधीश

- जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है
- अगर कोई जिले के फैसले से संतुष्ट ना हो तो वह उच्च न्यायालय जा सकता है
- सत्र न्यायाधीश किसी को पूरी जिंदगी उम्र कैद भी दे सकता है और मृत्यु दंड भी दे सकता है पर मृत्युदंड तभी दे सकता है जब राज्य का उच्च न्यायालय कहे

### अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय एवं मुख्य दंडाधिकारी

- अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय दीवानी मामले को सुनता है (धन संबंधी )
- मुख्य दंडाधिकारी अपराधिक मामले सुनता है (केवल 7 साल तक की सजा दे सकता है )

### मुंसिफ अदालत एवं न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय

मुंसिफ अदालत - दीवानी (धन संबंधी छोटे मामले)


न्यायिक दंडाधिकारी - अपराधिक मामले ( केवल 3 साल तक की सजा)

यह तीनों चीजें जिला स्तर पर होती हैं

### उच्च न्यायालय

### जिला एवं सत्र न्यायाधीश का न्यायालय





सिविल न्यायालय - मुख्य न्यायाधीश

फौजदारी- महानगर न्यायाधीश

पंचायत न्यायालय अलग (छोटे दीवानी, फौजदारी मामले )-अलग नाम न्याय पंचायत, ग्राम कचहरी, अदालती पंचायत, पंचायत अदालत

### राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण(NALSA)

- A-39A के तहत जो समाज के गरीब लोग हैं जो कि वकीलों को अधिक पैसे देकर मामला नहीं लड़ सकते (उनके लिए NALSA बनाया गया है) उनको न्याय देना
- A-14,22 राज्य को कहते हैं कि आप लोग ऐसा कानून बनाएं जो कि सबको समान अवसर दें
- 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम संसद द्वारा बना जो कि 9 नवंबर 1995 को लागू हुआ NALSA जिसके तहत सभी को मुफ्त न्याय मिलेगा

कानूनी सेवा प्राधिकरण के तीन स्तर हैं

1. राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण - Head भारत के मुख्य न्यायाधीश  
कार्यकारी सभापति - विरिष्ठ न्यायाधीश
2. राज्य कानूनी सेवा आयोग - Head उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश  
कार्यकारी सभापति- राज्य का विरिष्ठ न्यायाधीश
3. जिला कानूनी सेवा आयोग - Head जिला न्यायाधीश  
कार्यकारी सभापति - जिले का विरिष्ठ न्यायाधीश

### उद्देश्य -

- न्यायालयों के बोझ को घटाना
- गरीबों को मुफ्त सेवा देना

### मुख्य कार्य

- कानूनी कार्यवाही मुक्त देना
- लोक अदालत आयोजित करना
- गांव के क्षेत्रों में कानूनी जागरूकता, शिविरों का आयोजन करना

### **मुक्त सेवाओं में शामिल है**

- कोर्ट की फीस, वकील मुफ्त
- पूरी कार्यवाही मुक्त
- केवल आने-जाने और रहने का खर्च

### **किसे किसे यह मुफ्त सेवा मिलेगी**

- महिलाओं एवं बच्चों को
- अनुसूचित जाति, जनजाति
- औद्योगिक मजदूर
- शिकार व्यक्ति
- दिव्यांग व्यक्ति
- हिरासत में लिए गए व्यक्ति
- वह जिसकी आय एक लाख से कम है
- मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति तथा भिखारी

NALSA ने कैदियों के लिए web portal लॉन्च Conference के जरिए

18 राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने कहा यह होना चाहिए

कानूनी सेवा प्रबंधक प्रणाली राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा विकसित की गई

(Ministry electronic and information technology)

### **लोक अदालत**

- पार्टी का यहां पर मामला लड़ने के लिए सहमत होना जरूरी है
- जब दो पार्टी कोर्ट जाने की बजाय लोक अदालत में मामला लड़ने को तैयार हो जाए तो उन्हें मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है

दो तरह के केस में इसमें आते हैं

1-जो case न्यायालय में पड़े हुए हैं

2-जो अभी शुरू ही नहीं हुए हैं

इसे “वैकल्पिक विवाद समाधान” भी कहा जाता है

- यह कोर्ट का बोझ कम करता है
- पैसे और समय की बचत करता है
- Simple procedure

जजों की बहुमत के Base पर  
solution निकाला जाता है

### लोक अदालत की वैधानिक स्थिति

- 1982 में पहली लोक अदालत गुजरात में शुरू की गई थी
- लोक अदालत को कानूनी मान्यता 1987 में दी गई
- इस अधिनियम में लोक अदालत की संरचना एवं कार्य का पता चलता है

यह अधिनियम लोक अदालतों के आयोजन तथा इसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान करता है

- राज्य वैधानिक सेवा प्राधिकरण या जिला वैधानिक सेवाप्राधिकरण या सर्वोच्च न्यायालय वैधानिक सेवा प्राधिकरण अथवा उच्च न्यायालय वैधानिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत का आयोजन करते हैं

### सदस्य

- सभापति- न्यायिक अधिकारी ,एक वकील ,सामाजिक कार्यकर्ता आदि
- दीवानी, अपराधिक (वह वाली जो victim इसमें लाना चाहे ),बैंक, घर पेशन, कोई भी मामले की बात यहां पर की जाती है ( बिजली) वरना अपराधिक मामला इसमें नहीं आएगा
- पार्टी यहां आने को तैयार हो
- यह दीवानी न्यायालय (1908) की तरह कार्य करती है
- अगर लोक अदालत के द्वारा एक बार हल निकाल दिया गया है तो वह व्यक्ति किसी दूसरे कोर्ट में नहीं जा सकता (बाध्य)

### लाभ

- कोई फीस नहीं देनी पड़ती
- अगर कोर्ट में फीस दी है और वह केस लोक अदालत में चला गया है तो वह फीस दी वापस मिल जाएगी
- पार्टी प्रत्यक्ष रूप से जज से बात करती है
- Simple procedure
- जल्दी निपटारा हो जाता है

### विधि आयोग ने भी ऐसे ही कहा है

- कम खर्चीला
- कम समय लगना
- Simple

- खुलकर चर्चा
- कोई भी पार्टी हारती नहीं है solution निकाला जाता है

### **स्थाई लोक अदालत**

- 1987 को संशोधित कर 2012 में इसे सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के लिए स्थाई लोक अदालतों का प्रावधान किया गया

### **कारण**

- कमजोर वर्ग को आसानी से न्याय मिल जाता है
- सभी को समान अवसर मिलते हैं
- समझौता किया जाता है
- जल्दी फैसला दिया जाता है

### **परिवार न्यायालय**

- परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 में आया
- तलाक, शादी, समझौता करवाने के लिए

### **अलग परिवार न्यायालय बनाने के कारण**

- खर्चा बगैरा औरतों को न झेलना पड़े
- 59वीं विधि आयोग की रिपोर्ट में भी कहा कि परिवार के लिए अलग कोर्ट हो जो समझौता करवाएं
- जल्दी निपटारा
- विशेषज्ञ भी होते हैं इसमें
- लचीला है

### **विशेषताएं**

परिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं

- उच्च न्यायालय की परामर्श पर हर राज्य सरकार को अपने राज्य में परिवार न्यायालय बनाना है
- राज्य सरकार का कर्तव्य है कि हर नगर में परिवार न्यायालय बनाए जहाँ पर जनसंख्या एक लाख से ज्यादा हो
- जब भी राज्य सरकार को लगे तो यह न्यायालय बना सकता है
- शादी विवाह के मामले solve करते हैं
- सुलह करवाती है
- कठोर नियम नहीं

- ज्यादा खर्चीला नहीं
- कोर्ट विशेषज्ञ की सलाह ले सकता है
- अगर कोई इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय जा सकते हैं
- Total -438 परिवार न्यायालय हैं पंजाब- 7, उत्तर प्रदेश- 76

### ग्राम न्यायालय

- 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम आया। इसमें कहा गांव में भी न्यायालय होना चाहिए
- यह देखता है कि सामाजिक आर्थिक अथवा अन्य आवश्यकताओं के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित ना रह जाए

### कारण

- गरीब लोगों को न्याय दिलवाना
- A-39A कहता है मुफ्त में समान न्याय उपलब्ध करवाएं, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को न्याय देना, मजबूत बनाना
- समझौता करवाना
- विधि आयोग की 114वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालय का जिक्र किया ताकि तेज, कम खर्चीला, ठोस न्याय मिल सके
- गरीबों को उनके दरवाजे पर न्याय मिले

### विशेषताएं

- ग्राम न्यायालय प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी की अदालत होगा तथा इसके न्यायाकारी की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सहमति से राज्य सरकार करेगी
- या तो यह हर पंचायत के स्तर पर provide करवाया जाए या तीन या चार पंचायतें मिलाकर ग्राम न्यायालय बनाने को कह सकती हैं
- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालयों की अध्यक्षता करता है
- Salary, दंडाधिकारी जैसे provide करवाई जाएगी जो कि उच्च न्यायालय के अधीन आती है
- यह एक चलन न्यायालय होगा (फौजदारी और दीवानी दोनों मामले)
- प्राकृतिक न्याय दिलाते हैं
- अपराधिक मामले -सत्र न्यायालय -(6 महीने के अंदर मामला solve करना)
- दीवानी मामले- जिला न्यायालय - (6 महीने के अंदर मामला solve करना)

### स्थापना

केंद्र सरकार ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए 18 लाख रुपए देता है

10 लाख- न्यायालय बनाने के लिए

5 लाख- वाहन

3 लाख- कार्यालय के सामान के लिए

केवल 10 राज्यों ने ही  
बनाए हैं पर 291 ही है (75  
working है)

- ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के जरिए 5000 न्यायालय हमारे देश में बनाए जाएंगे जिसके लिए 14 सौ करोड़ रुपए उपलब्ध करवाएं
- State govt High court से परामर्श करके इसे स्थापित करेगी
- अपने हिसाब से भी ग्राम न्यायालय बना सकते हैं जरूरी नहीं की Act 208 हिसाब से चलना है

### Chapter 36

#### जम्मू एवं कश्मीर का विशेष दर्जा

#### आजादी से पहले भारत

- आजादी से पहले जम्मू कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह शासन किया करते थे। यहां पर 10% हिंदू और 90% मुस्लिम हुआ करते थे। 10% जनसंख्या (हिंदू) के पास 90% भूमि और 90% जनसंख्या के पास 10% भूमि हुआ करती थी। 1930 में शेख अब्दुल्ला जी आए उन्होंने अच्छी शिक्षा ली और सोचा हरि सिंह के प्रशासन में मुझे भी जगह मिलेगी पर उन्हें जगह नहीं मिली। फिर उन्होंने सोचा किसी भी तरह से यह सरकार यहां से हटनी चाहिए। फिर उन्होंने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया उन्होंने 1938 में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी बनाई। उन्होंने कहा मैं पिछड़े वर्ग के लिए कार्य करूंगा। यह नेहरू जी को पसंद आ गए। धीरे-धीरे यह जनता को भी पसंद आने लगे

#### आजादी के बाद

- महाराजा हरि सिंह जी चाहते थे जम्मू एवं कश्मीर वाला क्षेत्र आजाद रहे, ना तो भारत में शामिल हो ना ही पाकिस्तान में। जिन्ना जी चाहते थे यह पाकिस्तान में मिल जाए। शेख अब्दुल्ला जी चाहते थे यहां पर

अच्छी सरकार आए , अच्छा शासन हो जवाहर लाल जी केवल अच्छे मौके के इंतजार में थे। महाराजा हरि सिंह जी ने कहा कि हम लोग तब तक स्वतंत्र रहेंगे जब तक कोई हम पर हमला नहीं बोल देता । जो हम पर हमला करेगा तो हम दूसरे देश में जाकर मिल जाएंगे। पाकिस्तान ने हमला किया और जवाहरलाल नेहरु जी ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए।

- लड़ाई हुई मामला UN पहुंचा और यह कहा गया हरि सिंह राजा अब्दुल्ला जी के यहां पीएम बन जाए इन्हें जवाहरलाल नेहरु ने Art -370 दिया

### जम्मू एवं कश्मीर

- Art-1 में जम्मू एवं कश्मीर को भारत का हिस्सा माना गया है
- भाग - 21 , अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना अलग संविधान है
- भाग 21 के तहत कुछ अन्य राज्य भी हैं जो कुछ मामलों में विशेष राज्यों के दर्जे का लाभ उठा रहे हैं
- रक्षा , विदेश , संचार को छोड़कर बाकी सभी मामलों पर ये अपने हिसाब से काम करते हैं
- Art-370, 17 नवंबर 1952 को picture में आया ।
- अगर उनके संविधान में कुछ बदलाव करना है तो उस राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा
- संपत्ति का अधिकार जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों को प्राप्त है केवल वही का नागरिक जम्मू में जमीन खरीद सकता है , बाहर का नहीं
- DPSP , जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते, यह अपने संविधान के हिसाब से चलते हैं

### आपातकाल

- राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन यहां पर लगाया जा सकता है वो भी जब जम्मू एवं कश्मीर का संविधान ढंग से काम ना कर रहा हो
- वित्तीय आपातकाल यहां नहीं लगता
- राष्ट्रीय आपातकाल तभी लगाया जाएगा जब केंद्र एवं राज्य दोनों की सहमति हो
- अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संघि को जम्मू-कश्मीर में लागू करना है तो वह तब तक लागू नहीं होगी जब तक राज्य उसे सहमति ना दें

### जम्मू एवं कश्मीर का संविधान

- जम्मू एवं कश्मीर भारत का आंतरिक हिस्सा है , अखंड भाग है
- यह राज्य के लोगों को न्याय , स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व सुरक्षित करता है

- JnK में जो पाकिस्तान के द्वारा लिया गया कि क्षेत्र है वह भी पाकिस्तान का भाग है
- अगर उच्च न्यायालय में जज को नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, राज्य के गवर्नर के साथ मिलकर, भारत का मुख्य न्यायाधीश भी
- उर्दू official भाषा है अंग्रेजी द्वितीय भाषा है
- जो भी provision हैं राज्य के फायदे के लिए हैं
- A-35A, A-370 का भाग है
- A-35, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बना था यह संसद से पास नहीं करवाया गया था
- A-35A 1954 में शामिल हुआ
- A-35A बताता है कि कौन से नागरिक J&K के स्थायी रहने वाले हैं और उन्हें कौन-कौन से विशेष अधिकार हैं

### विशेषाधिकार

- सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी
- जमीन खरीदना, समाज के कल्याण की स्कीम, scholarship केवल उन्हें मिलेगी
- वहां की विधानसभा जो भी कानून बनाएगी अगर वह संविधान के विरुद्ध है तो भी उसे संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा
- 1954 में A-370 (1) (d) में यह सब कहा गया था
- अगर जम्मू कश्मीर कि कोई औरत भारत के अन्य राज्यों के नागरिक से शादी करती है तो उसके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे

### जम्मू कश्मीर वर्तमान में (अगस्त 2019 तक)

- यह संवैधानिक राज्य है भाग 1, अनुसूची 1 में शामिल पर इसका नाम क्षेत्र या सीमा को केंद्र द्वारा बिना इसके विधान की सहमति के नहीं बदला जाएगा
- इसका अपना संविधान है इस पर भाग 6 लागू नहीं होगा
- केंद्र, संघ सूची और समवर्ती सूची के काफी विषयों पर विधि बना सकती है अवशेषी शक्तियों पर यह खुद कानून बनाएगा
- भाग 4, भाग 4क इस पर लागू नहीं
- भाग-3 को अपवादो एवं शर्तों के साथ लागू
- आपातकाल में राज्य की सहमति के बिना राज्य पर प्रभाव नहीं
- राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा का अधिकार नहीं

- कोई संशोधन इस पर लागू नहीं
- 5वीं और 6वीं अनुसूची राज्य पर लागू नहीं होती
- उच्चतम न्यायालय की विशेष अधिकार स्वीकृति तथा चुनाव आयोग महानियंत्रक तथा महालेखा अधिकार परीक्षक का अधिकार क्षेत्र राज्य पर लागू है
- जम्मू कश्मीर मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी कर सकता है अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं

### नोट

- केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन दो केंद्रशासित क्षेत्रों- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में करने का प्रस्ताव किया।

**अनुच्छेद 370 में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?**

- भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करने के लिये जोड़ा गया था। किंतु यह कश्मीरियों की भलाई करने में विफल रहा।
- इसी के चलते कश्मीर लंबे समय से उग्रवाद और हिंसा से पीड़ित रहा है।
- इसने कश्मीर और अन्य राष्ट्रों के बीच खाई को बढ़ाने का कार्य किया है।
- इसके चलते पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से भारत की सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ और जटिल हो रही थीं।

**अनुच्छेद 370 पर केंद्र का वर्तमान निर्णय**

- अब अनुच्छेद-370 का केवल खंड-1 लागू रहेगा, शेष खंड समाप्त हो गए हैं।
- खंड-1 भी राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया तथा राष्ट्रपति द्वारा ही इसे भी हटाया जा सकता है।
- जम्मू-कश्मीर को विशेषाधिकार नहीं।
- एकल नागरिकता।
- एक राष्ट्र एक द्वंज।
- अनुच्छेद 360 (वित्तीय आपातकाल) अब लागू।
- दूसरे राज्य के लोग जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हैं।
- लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग-अलग केंद्र-शासित प्रदेश का दर्जा।
- जम्मू-कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल- 5 वर्ष।
- आरटीआई व मानवाधिकार नियम लागू।

**इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस (IoA)**

- IoA तब चलन में आया जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के अनुसार ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया।

- अधिनियम के अनुसार तीन विकल्प थे- एक स्वतंत्र देश बने रहने के लिये, भारत के डोमिनियन में शामिल हो या पाकिस्तान के डोमिनियन में शामिल हो तथा 'IoA' दोनों में से किसी देश में शामिल होने के लिये था।

#### IoA में कश्मीर के लिये क्या शर्तें थीं?

- इसके अनुसार भारत की संसद को केवल रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर जम्मू और कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई।

#### कश्मीर का भारत में शामिल होना

- राजा हरि सिंह ने शुरू में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था लेकिन पाकिस्तान के आक्रमण के बाद उन्होंने भारत से मदद मांगी जिसके बदले कश्मीर को भारत में शामिल करने की बात की गई।
- हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किये और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर, 1947 को इसे स्वीकार कर लिया।
- यह भारत की घोषित नीति थी कि जहाँ कहीं भी विवाद हुआ इसे रियासत के शासक के एक पक्षीय निर्णय के बजाय लोगों की इच्छा के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

#### धारा 370 को कैसे लागू किया गया?

- संशोधन और वार्ता के बाद मूल मसौदा जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया था।
- अनुच्छेद 306A (अब 370) 27 मई, 1949 को संविधान सभा में पारित किया गया था।

#### क्या धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था?

- यह संविधान के भाग XXI का पहला लेख है। इस भाग का शीर्षक 'अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान' है।
- धारा 370 को इस अर्थ में अस्थायी माना जा सकता है कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को इसे संशोधित / हटाने / बनाए रखने का अधिकार था। एक और व्याख्या यह थी कि जनमत संग्रह तक इसे अस्थायी रखा जाएगा।
- केंद्र सरकार ने पिछले साल संसद में एक लिखित जवाब में कहा था कि अनुच्छेद 370 को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय (2017) ने भी एक याचिका को खारिज़ कर दिया जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 370 अस्थायी है और इसकी निरंतरता संविधान पर धोखाधड़ी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2018 में कहा कि "अस्थायी" शीर्षक के बावजूद, अनुच्छेद 370 अस्थायी नहीं है।

#### क्या धारा 370 को निरस्त किया जा सकता है?

- हाँ, अनुच्छेद 370 (3) राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसे निरस्त किया जा सकता है। हालांकि इस तरह के आदेश को जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा से भी सहमति लेनी होगी।
- चूंकि इस तरह की विधानसभा 26 जनवरी, 1957 को भंग कर दी गई थी, इसलिये एक विचार यह है कि अब इसे हटाया नहीं जा सकता लेकिन दूसरा दृष्टिकोण यह है कि यह कार्य किया जा सकता है, लेकिन केवल राज्य विधानसभा की सहमति से।

### भारतीय संघ के लिये अनुच्छेद 370 का क्या महत्व है?

- अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 1 का उल्लेख है, जिसमें राज्यों की सूची में जम्मू-कश्मीर का नाम शामिल है।
- अनुच्छेद 370 को एक पुल के रूप में वर्णित किया गया है जिसके माध्यम से संविधान को जम्मू-कश्मीर में लागू किया जाता है।
- भारत ने जम्मू और कश्मीर के लिये भारतीय संविधान के प्रावधानों का विस्तार करने हेतु अनुच्छेद 370 का कम-से-कम 45 बार उपयोग किया है।
- यह एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से राष्ट्रपति के आदेशों के द्वारा भारत ने जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति के प्रभाव को लगभग शून्य कर दिया है।
- 1954 के आदेश तक लगभग पूरे संविधान को जम्मू और कश्मीर तक विस्तारित किया गया था जिसमें अधिकांश संवैधानिक संशोधन भी शामिल थे।
- संघ सूची की 97 प्रविष्टियों में से 94; समवर्ती सूची की 47 वस्तुओं में से 26 जम्मू और कश्मीर पर लागू होती हैं। 395 अनुच्छेदों में से 260 को एवं 12 अनुसूचियों में से 7 को राज्य में विस्तारित किया गया है।
- अतः कुछ मायरों में अनुच्छेद 370 अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू-कश्मीर की शक्तियों को कम करता है। यह जम्मू-कश्मीर की तुलना में आज भारत के लिये अधिक उपयोगी है।

### अनुच्छेद 35A

- अनुच्छेद 35A, जो कि अनुच्छेद 370 का विस्तार है, राज्य के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिये जम्मू-कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है और उन स्थायी निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है तथा राज्य में अन्य राज्यों के निवासियों को कार्य करने या संपत्ति के स्वामित्व की अनुमति नहीं देता है।
- इस अनुच्छेद का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की जनसांख्यिकीय संरचना की रक्षा करना था।
- अनुच्छेद 35A की संवैधानिकता पर इस आधार पर बहस की जाती है कि इसे संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से नहीं जोड़ा गया था। हालाँकि, इसी तरह के प्रावधानों का इस्तेमाल अन्य राज्यों के विशेष अधिकारों को बढ़ाने के लिये भी किया जाता रहा है।

### संवैधानिक चुनौतियाँ

- राष्ट्रपति का आदेश जो जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की मांग करता है, अनुच्छेद 370 (3) के अनुसार, राष्ट्रपति को इस तरह के बदलाव के लिये जम्मू-कश्मीर की विधानसभा की सिफारिश की आवश्यकता होगी।
- हालाँकि, 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में अनुच्छेद 367 में एक उप-खंड जोड़ा गया है, जो शर्तों को प्रतिस्थापित करता है:
  - "जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा" का अर्थ है "जम्मू-कश्मीर की विधान सभा"।

- "जम्मू-कश्मीर सरकार" का अर्थ है "जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना"।
- सरकार ने संविधान में संशोधन करके अनुच्छेद 370 के तहत स्वायत्ता को कम करने की मांग की, जिसके लिये संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
- इस प्रावधान को वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई है कि इसने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 35A को केवल राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से जोड़ा।
- जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदलना अनुच्छेद 3 का उल्लंघन है, क्योंकि विधेयक को राज्य विधानसभा द्वारा राष्ट्रपति को नहीं भेजा गया था।
- राज्य के पुनर्गठन में, राष्ट्रपति के आदेश को भी राज्य की सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। हालाँकि, जम्मू-कश्मीर वर्तमान में राज्यपाल के अधीन है, राज्यपाल की सहमति को सरकार की सहमति माना जाता है।

### Chapter 37

#### कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान

- संविधान के भाग 21 में अनुच्छेद 371 से 371ङ्गा तक 12 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है
- उद्देश्य- पिछड़े राज्यों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करना या इन राज्यों के जनजातीय लोगों के आर्थिक व सांस्कृतिक हितों की रक्षा करना
- मूल संविधान में इस प्रकार के कोई प्रावधान नहीं थे

#### महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए प्रावधान (371)

- (i) विदर्भ, मराठावाड़ा एवं शेष महाराष्ट्र तथा (ii) सौराष्ट्र कच्छ एवं शेष गुजरात के लिए पृथक विकास बोर्ड की स्थापना
- यह बोर्ड हर वर्ष अपनी रिपोर्ट राज्य विधानसभा में पेश करेंगे
- विकास के लिए व्यय हेतु कानूनों का बराबर आवंटन

- तकनीकी शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाना, युवाओं के लिए राज्यों की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना

### **नागालैंड के लिए प्रावधान (371क)**

निम्न मामलों पर अगर संसद द्वारा कोई कानून बनाया जाता है तो नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा इसका अनुमोदन ना दे

- नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएं
- नागा रुढिजन्य विधि और प्रक्रिया
- सिविल और दाण्डिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय नागा रुढिजन्य विधि के अनुसार होते हैं
- भूमि और उसके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व और अंतरण
- अगर नागाओं में कुछ internal disturbance हो गई है तो शासन राज्यपाल के हाथ में आ जाएगा गवर्नर मंत्रिपरिषद से सलाह ले सकता है पर अंतिम फैसला राज्यपाल का ही रहेगा
- राज्यपाल ही धन का उचित आवंटन करेगा
- जो त्वेनसांग जिला है उसमें 35 सदस्यों की परिषद बनाई जाएगी और राज्यपाल इस परिषद की संरचना, योग्यता, कार्यकाल, वेतन आदि के लिए नियम बनाएंगे
- नागालैंड के निर्माण से 10 वर्ष की अवधि या आगे भी राज्यपाल के विवेकानुसार क्षेत्रीय परिषद त्वेनसांग जिले का प्रशासन देखेंगे
  1. धन कैसे देना है
  2. शांति देखनी है
  3. नागालैंड विधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम त्वेनसांग जिला पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक क्षेत्रीय परिषद राज्यपाल को ना कहें
  4. मंत्री, नागालैंड विधानसभा त्वेनसांग जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों में से चुना जाएगा
  5. अंतिम निर्णय राज्यपाल का

### **असम एवं मणिपुर के लिए प्रावधान 371ख**

- असम और मणिपुर में राज्यपाल/ राष्ट्रपति को अधिकार है कि यदि वह चाहे तो राज्य को पहाड़ी क्षेत्रों से मणिपुर विधानसभा के लिए चुने गए सदस्यों से एक समिति का गठन कर सकता है मणिपुर (371 ग)
- राष्ट्रपति काम चलाने के लिए राज्यपाल को जिम्मेदारी सौंप सकता है
- राज्यपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट, पहाड़ी क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रपति को भेजेगा
- इस प्रशासन के लिए केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है

### आंध्रप्रदेश, तेलंगाना के लिए प्रावधान (371 घ तथा इ)

- राष्ट्रपति रोजगार और शिक्षा के लिए उचित व्यवस्था कर सकता है
- राष्ट्रपति निश्चित करेगा की किस तरह से आरक्षण देना है
- राष्ट्रपति एक प्रशासन अधिकरण बनाएगा जो समस्या का समाधान करेगा यह अधिकरण राज्य के उच्च न्यायालयों के बाहर काम करेगी उच्चतम न्यायालय के under आता है
- A 371 इ संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार देता है

### सिक्किम के लिए प्रावधान 371 च

36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला सिक्किम विधानसभा का गठन कम से कम 30 सदस्यों से होगा

सिक्किम को लोकसभा में 1 सीट दी जाएगी तथा पूरे सिक्किम को एक संसदीय क्षेत्र माना जाएगा

उद्देश्य -हितों की रक्षा करना इसलिए संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि वह

1. विधानसभा की अधिकांश सीटों पर इन समुदाय के सदस्यों द्वारा भरी जाए
2. विधानसभा क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण में यदि इस समुदाय की किसी सीट में कोई बदलाव होता है तो वह अकेला इस सीट से चुनाव लड़ सकता है
3. राज्यपाल का विशेष दायित्व है कि वह शांति की स्थापना करने की व्यवस्था करें, अवसर दे सभी को
4. राष्ट्रपति यदि चाहे तो वह भारतीय राज्यों के लिए बनाए गए किसी नियम को सिक्किम के विशेष संदर्भ में विस्तारित कर सकते हैं

### मिजोरम के लिए प्रावधान 371 छ

- संसद द्वारा बनाया गया कानून तब लागू होगा जब राज्य विधानसभा कहे
- मिजो लोगों की सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाएं
- मिजो रुद्धिजन्य विधि और प्रक्रिया
- सिविल और दार्ढिक न्याय प्रशासन जहां विनिश्चय मिजो रुद्धिजन्य विधि के अनुसार हो
- भूमि का स्वामित्व और अंतरण
- मिजोरम विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे

### अरुणाचल प्रदेश एवं गोवा के लिए प्रावधान

#### अरुणाचल प्रदेश 371ज

- राज्यपाल के पास शक्ति है कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखें
- गवर्नर का निर्णय मंत्रिपरिषद से परामर्श के बाद अंतिम होगा( अपने विवेक से निर्णय लेगा)

- विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे

**गोवा 371ज्ञ - कम से कम 30 सदस्य**

### कर्नाटक के लिए प्रावधान 371ज

- 98वें संविधान संशोधन 2012 में बना
- राष्ट्रपति राज्यपाल को कहेगा
- हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए अलग बोर्ड बनाए
- विधानसभा के सामने हर वर्ष बोर्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करें
- फंड का सही से बटवारा करें
- क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक सीटों का आरक्षण
- क्षेत्र के लोगों के लिए राज्य सरकार के पदों का आरक्षण

### Chapter 38 पंचायती राज

- यह हमारे संविधान में मूल रूप से नहीं था
- 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया। इसका निर्माण जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के लिए हुआ है

• 24 अप्रैल - राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस

### पंचायती राज का विकास

#### बलवंत राय मेहता समिति

- जनवरी 1957 में बनी, उस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्यों की जांच करने के लिए यह समिति बनी
- नवंबर 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और बोला इन सब को बंद करो और लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण पर ध्यान दो। शक्ति को निम्न स्तर पर दो (गांव को)
- उन्होंने बोला तीन स्तरीय प्रणाली होनी चाहिए (पंचायती राज)

- उन्होंने कहा ग्राम पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन करवाने पर ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाए
- संसाधनों को हस्तांतरित कर दो( ग्राम स्तर को दो )
- राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जिसमें पंचायत बनी जो कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में बनी
- आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य 1959 में बनी
- तमिलनाडु में दो स्तरीय,पश्चिम बंगाल में चार स्तरीय पंचायत प्रणाली है

### अशोक मेहता कमेटी

- जनता पार्टी की सरकार द्वारा बनाई गई 1977 में बनी
- अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट पेश की और 132 सिफारिशें दी

### कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें

- दो स्तरीय प्रणाली रखो
  - जिला स्तर
  - तहसील स्तर
- शक्तियों का विकेंद्रीकरण करो
- राज्य का निर्वाचन आयोग होना चाहिए जो केंद्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से बातचीत करके चुनाव करवाये
- पंचायत को कर इकट्ठा करने की शक्ति दे दी जाए
- पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की अधिकारिक भागीदारी हो
- SC, ST के लिए सीट आरक्षित हो
- पर इसे लागू करने से पहले जनता पार्टी की सरकार गिर गई और यह समिति खत्म हो गई

### जे वी के राव समिति

- 1985 में योजना आयोग द्वारा बनाई गई
- इसमें कहा जिले को शक्तियां दो गांव को नहीं

### एल एम सिंघवी समिति

- राजीव गांधी जी के द्वारा 1986 में
- उन्होंने पहली बार बोला कि पंचायत को संवैधानिक रूप से मान्यता मिले

### थुंगन समिति

- सारी पिछली बातों को इकट्ठा करके बोल दिया
- संवैधानिक दर्जा देना चाहिए
- औरतों का आरक्षण दो
- संसाधन उन्हें खुद इकट्ठे करने चाहिए
- तीन स्तरीय प्रणाली हो

### गाडगिल समिति

- संवैधानिक दर्जा
- महिलाओं, SC, ST के लिए आरक्षण
- राज्य वित्त आयोग निश्चित करेगा कि कितना वित्त देना है

### संवैधानीकरण

#### राजीव गांधी सरकार

- पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी सरकार 1989 में 64 वें संविधान संशोधन लेकर आए जो कि लोकसभा में पास हो गया पर राज्यसभा ने पास नहीं किया इसमें कहा अगर आप शक्तियों का विकेंद्रीकरण करेंगे तो केंद्र कमज़ोर हो जाएगा

#### वी पी सिंह सरकार

- 1989 में यह सरकार आयी, इन्होंने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री को इकट्ठा किया और जब तक यह संसद में बिल रखते तब तक इनकी सरकार गिर गई

#### नरसिंहा राव सरकार

- इन्होंने सारे विवादों को हटाकर, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को पारित किया और 24 अप्रैल 1993 को पंचायत प्रभाव में आयी

#### 1992 का 73 वा संविधान संशोधन अधिनियम

- भाग -11 Art -243 to 243 (o), 11वीं अनुसूची
- इस सूची में 29 कार्यकारी विषय वस्तु हैं जो कि 243 (G) से संबंधित हैं
- पंचायत के आने से, A-40 को एक व्यवहारिक रूप दिया
- केवल A-40 में पंचायत की बात की गई थी पर 73वें amendment ने इसकी रूपरेखा तैयार की

#### 11वीं सूची में 29 कार्यकारी विषय वस्तु

- कृषि, मछली पालन
- भूमि में सुधार, भूमि के टुकड़ों को इकट्ठा करना, मिट्टी

- सिंचाई
- दूध, मुर्गीपालन
- खादी उद्योग
- पीने के पानी को सुधारना
- गरीबी को हटाना
- शिक्षा
- संस्कृति
- स्वास्थ्य
- महिला और बच्चों का विकास
- बाजार एवं मेले

### **अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान**

#### **अनिवार्य प्रावधान**

- गांव स्तर पर पंचायत, माध्यमिक स्तर एवं जिला स्तर पर पंचायतों के स्थापना
- प्रत्यक्ष चुनाव पंचायतों के (जिला स्तर पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन)
- अगर किसी की उम्र 21 साल की है तो वह चुनाव लड़ सकता है
- सभी स्तरों पर SC, ST के लिए आरक्षण
- सभी स्तरों पर एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित
- हर 5 साल बाद चुनाव
- पंचायत के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनाना है
- पंचायतों को वित्त भी उपलब्ध कराओ

#### **स्वैच्छिक प्रावधान**

- हर राज्य अपने हिसाब से दो स्तर तीन स्तर या 4 स्तर रख सकता है
- कर लगाने की शक्ति राज्य निश्चित करेगा
- विधायकों को पंचायत में Include करना है या नहीं
- 29 कार्यों के लिए योजना बनाए या पंचायत यह भी राज्य ही निश्चित करेगा
- पंचायत को वित्तीय अधिकार देना

#### **प्रमुख विशेषताएं**

#### **ग्रामसभा**

- एक गांव के Registered voters की संख्या ग्राम सभा होती है

### त्रिस्तरीय प्रणाली

- इसका मतलब ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत

### सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव

- तीनों स्तर के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा होने में से अप्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए

### सीटों का आरक्षण

- SC, ST को जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण और महिलाओं को भी आरक्षण
- पंचायतों का कार्यकाल
- 5 साल
- कई बार 5 साल से पहले भी विघटित हो जाती है अगर 5 साल से पहले कोई विघटित हो तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए

### निर्हरताएं

- अगर राज्य विधायिका कोई कानून बना देती है कि इस हिसाब से निरहर करना है तो उस Base पर हटाया जा सकता है

### राज्य निर्वाचन आयोग

- यह पंचायत बगैरा के चुनाव कराएगा

### शक्तियां व कार्य

- वित्त -कर की शक्ति दो या अनुदान दो

### शक्तियां और कार्य

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को सोंपा जाए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना जिसमें 11वीं अनुसूची के 29 मामलों के सूत्र भी शामिल हैं

### वित्त आयोग

- राज्य का जो वित्त आयोग हो वह देखें कि कितना वित्त दिया गया है

### लेखा परीक्षक

- जो वित्त दिया है उसका audit होना चाहिए जिससे पता चले कि घपला तो नहीं हो रहा है

### संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना

- राष्ट्रपति निर्णय लेगा संघ राज्यों में किस तरह से पंचायती राज को लागू कर सकते हैं (केंद्र)

### छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र

- यहां पर केंद्र (संसद) के हाथ में शक्ति होगी कि किस तरह से लागू करवाना है

### पंचायत के पास पैसा कहां से आता है

- केंद्रीय वित्त आयोग (280) द्वारा अनुदान प्राप्त होता है
- राज्य वित्त आयोग 243 (i) के तहत केंद्र की कई सारी स्कीमों से अनुदान मिलता है
- सबसे ज्यादा फंड केंद्र सरकार देती है

### 1996 का पेसा अधिनियम

- 1996 का पेसा अधिनियम पंचायतों से संबंधित है। संविधान का भाग 9 अनुसूची 5 में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता हालांकि संसद इन प्रावधानों को अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है

**पेसा -** इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अधिनियम 1996 पास किया

- 10 राज्यों में पांचवी अनुसूची क्षेत्र आते हैं
- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान
- इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियम किए गए हैं

### अधिनियम के उद्देश्य

- भाग 9 को जनजातियों के हिसाब से बदलना या उसमें बदलाव करना
- जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना
- ग्रामसभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना
- प्रशासन जनजातियों की परंपराओं के हिसाब से होगा
- जनजातियों की परंपराओं एवं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना
- जनजाति लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपरोक्त पंचायतों को शक्तियां
- उच्च स्तरों की पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियां एवं अधिकारों को छीनने से रोकना

### पेसा अधिनियम की विशेषताएं

- पंचायतों का अनुसूचित जातियों के अनुरूप होना
- समुदाय अपने रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है
- जिनके नाम मतदाता सूची में होंगे उन सभी सदस्यों को मिलाकर ग्रामसभा बनेगी

- इनकी ग्रामसभा को अच्छी खासी शक्ति दी जाएगी

**ग्राम सभा** -अपने रिवाजों की रक्षा कर सकेगी सामुदायिक संसाधनों की रक्षा कर सकेगी विवादों का हल निकाल सकेगी

### प्रत्येक ग्राम सभा

1. को शक्ति है कि वह अपनी सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजना को स्वीकृति देगी
2. गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी
- पंचायत को अलग फंड खर्च करना है तो उसे ग्राम सभा से प्रमाण पत्र लेना होगा
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों का आरक्षण
- अनुसूचित लोग ही अध्यक्ष होंगे
- सदस्य आधे ग्राम सभा के सदस्य अनुसूचित जनजाति के होने चाहिए अनुसूचित
- नामित सदस्यों की संख्या कुल संख्या का 1/10 से अधिक ना हो
- अगर कोई भूमि लेनी है तो ग्राम सभा एवं पंचायत से आज्ञा लेनी पड़ेगी अगर खनन सम्बन्धी लाइसेंस लेना है तो ग्राम सभा और पंचायत से आज्ञा लेनी पड़ेगी
- शराब बगैरा को रोकना है तो भी यह रोक सकते हैं
- Unlawful गतिविधियां यह रोक सकते हैं
- छठवीं अनुसूची का ध्यान रखेंगे प्रशासकीय व्यवस्था बनाते हुये

## Chapter 39 नगर निगम

- गांव के स्तर पर पंचायत शहर के स्तर पर नगर निगम
- नगरीय शासन की प्रणाली को 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला
- केंद्रीय स्तर पर "नगरीय स्थानीय शासन" तीन मंत्रालय से संबंधित है
  1. नगर विकास मंत्रालय (1985 में बना)
  2. रक्षा मंत्रालय, कैटोनमेंट बोर्ड के मामले में
  3. गृह मंत्रालय, संघीय क्षेत्रों के मामले में

### नगर निकायों का विकास

#### ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- ब्रिटिश काल के दौरान यह आयी
- 1687 - 88 में पहला नगर निगम- मद्रास
- 1726 में दूसरा- मुंबई तथा कोलकाता में
- 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित का विकेंद्रीकरण किया गया

**लॉर्ड रिपन 1882 में स्थानीय स्वशासन के पितामह, मैग्नाकार्टा है**

- 1907 में रॉयल कमिशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी इस आयोग के अध्यक्ष हॉव हाउस थे
- भारत सरकार अधिनियम 1919 में स्थानीय सरकारों को भी कुछ हस्तांतरित विषय दे दिए गए इसके लिए एक भारतीय मंत्री बनाए गए
- 1924 में कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट को केंद्रीय विधायिका द्वारा पास किया गया
- भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्ता के अंतर्गत स्थानीय प्रशासन को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया

### **संवैधानिकरण**

- 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया
- वी पी सिंह सरकार ने 1990 में, पर इनकी सरकार ही नहीं रही
- 1991 में नरसिंहा राव ने 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया जो कि 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ

### **1992 का 74वां संविधान संशोधन**

- भाग 9A A-243(P) to 243 (z) तक
- 12th अनुसूची
- 18 विषय
- राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार नई नगर पालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से वाध्य है
- उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना एवं शक्तिशाली बनाना

### **प्रमुख विशेषताएं**

#### **तीन प्रकार की नगर पालिका**

**नगर पंचायत -**परिवर्तित क्षेत्र, मतलब कि गांव वाले एवं शहर वाले क्षेत्र के बीच वाला क्षेत्र जो कि गांव से शहरों में बदल रहा हो

**नगर पालिका परिषद -**छोटे शहरी क्षेत्र के लिए

**नगर पालिका निगम -**बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए

### **संरचना**

- लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे नगर पालिका को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा। वहां के लोग वोट डालेंगे
- राज्य विधानमंडल बताएगा कि अध्यक्ष किस प्रकार चुना जाए
- अगर किसी व्यक्ति को नगरपालिका में विशेष ज्ञान है तो उसे नगरपालिका में बिना वोट के चुना जा सकता है पर वह व्यक्ति किसी मामले में वोट नहीं दे सकता
- लोक सभा और राज्य विधान सभा के सदस्यों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है अगर वह नगरपालिका वाले क्षेत्रों से आते हैं
- राज्य सभा और राज्य विधान परिषद के सदस्य जो नगर पालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हो (प्रतिनिधित्व मिल सकता है)
- समिति के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अतिरिक्त) को प्रतिनिधित्व मिल सकता है

### **वार्ड समितियां**

- 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वार्ड समितियां बनाई जाती हैं
- 1 या उससे अधिक वार्डों को मिलाकर बनती हैं
- इसके लिए राज्य विधायिका उपबंध बना सकती हैं

### **पदों का आरक्षण**

- SC, ST (महिलाओं का आरक्षण 1/3) को उनकी जनसंख्या एवं कुल नगरपालिका की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिल जाता है

### **नगर पालिकाओं का कार्यकाल**

- 5 वर्ष
- अगर पहले विघटित हो जाए तो 6 माह में चुनाव करवा कर फिर शुरू करनी है

### **निरहता**

- अगर राज्य सरकार कोई विधि बनाएं तो उसके तहत निरह घोषित किया जा सकता है

### **राज्य निर्वाचन आयोग**

- पंचायत व नगर पालिका के चुनाव करवाएगा

### **शक्तियां व कार्य**

- राज्य सरकार चाहे तो नगरपालिका को भी कुछ शक्तियां सौप सकती है
- कर इकट्ठा करने का अधिकार
- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना

- आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना
- इसमें 18 मामले भी शामिल हैं

### वित्त आयोग

- वित्त आयोग हर 5 वर्ष में
- नगरपालिका की स्थिति को देखेगा नगर पालिका को कर इकट्ठा करने की शक्ति दी जाती है
- राज्य के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं
- केंद्र के वित्त आयोग द्वारा भी पैसा दिया जाता है

### लेखाओं का लेखा परीक्षण

- राज्य विधानमंडल नगरपालिका के लेखाओं के अनुरक्षण के संबंधी उपबन्ध बना सकती है

### केंद्र शासित राज्यों पर लागू

- केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है

### छूट प्राप्त क्षेत्र

- यह अधिनियम ST पर लागू नहीं या आदिवासियों पर लागू नहीं

### जिला योजना समिति

- जिला स्तर पर होती है
  - इसमें गांव शहरों दोनों के सदस्य होते हैं, योजना दोनों क्षेत्रों के लिए बनेगी
  - 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे
  - और योजना बनाते हैं बचे हुए 1/5 सदस्य अलग तरीके से चुने जाते हैं किन बातों पर योजना बनाएंगे
  - पंचायत एवं नगरपालिका के साझे हितों पर
  - वित्तीय तथा अन्य प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का परिमाण
  - सलाह उन संस्थाओं से लेते हैं जिनसे राज्यपाल कहेगा
- राज्य विधानमंडल इसके लिए उपबंध बना सकता है

### महानगरी योजना समिति

- बड़े क्षेत्रों में महानगर में होती है, ये योजना बनाती है
- राज्य विधानमंडल इसके संरचना निर्वाचन, केंद्र, राज्य एवं अन्य संस्थाओं का प्रतिनिधित्व, समितियों के कार्य, अध्यक्ष के चुनाव का ढंग इस संबंध में उपबंध बना सकता है
- 2/3 सदस्य नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से चुने जाते हैं  
(जनसंख्या के अनुपात में)

- अध्यक्ष, विकास योजना राज्य सरकार को भेजेंगे
- साझे हितों पर योजना बना सकती हैं

### **न्यायालय**

- नगर पालिका के चुनाव में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता

### **12th अनुसूची**

- नगरी योजना
- भूमि उपयोग
- आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना
- सड़क एवं पुल
- व्यापारिक क्षेत्र
- स्वच्छता ,
- अग्निशमन
- पर्यावरण संरक्षण
- कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण झुग्गी झोपड़ी सुधार
- नगरीय निर्धनता
- पार्क, उद्यान ,मैदान
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक आयामों की अभिवृद्धि
- शव गाड़ना
- पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण जन्म मृत्यु से संबंधित सांछियकी विद्युत व्यवस्था
- शोध शाखाएं

### **शहरी शासनों के प्रकार**

- आठ प्रकार के स्थानीय स्वशासन होते हैं

### **नगर निगम**

- बड़े शहरों में, जहां पर काफी जनसंख्या पाई जाती है
- राज्यों में इसे राज्य विधायिका द्वारा बनाया जाता है और संघ शासित प्रदेशों में केंद्र द्वारा बनाया जाता है
- नगर निगम में 3 प्राधिकरण हैं जिनमें परिषद, स्थाई समिति तथा आयुक्त होते हैं

### **परिषद**

- निर्वाचित निकाय, ST, SC महिलाओं का आरक्षण। इसके मुखिया को मेयर कहते हैं
- इसमें नामित सदस्य भी हो सकते हैं जिनको नगर पालिका प्रशासन में अनुभव हो
- यह विधियां बनाते हैं

### **स्थाई समितियां**

- परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती हैं

### **आयुक्त**

- परिषद द्वारा बनाई गई विधियों को लागू करने वाला
- यह IAS Officer होता है

### **नगर पालिका**

- छोटे शहरों नगरों में
- अन्य नाम = नगरपालिका परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड, उपनगरीय नगरपालिका, शहरी नगर पालिका
- राज्य में राज्य विधायिका द्वारा बनाई जाती है संघ शासित राज्य में संसद द्वारा बनाई जाती है

**तीन प्राधिकरण -** परिषद, स्थाई समितियां, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**परिषद-** विधि बनाती है, मुखिया को अध्यक्ष कहते हैं

**स्थाई समिति-** कार्य को सुगम बनाती है

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी** - राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, दैनिक प्रशासन चलाता है

### **अधिसूचित क्षेत्र समिति**

- वह क्षेत्र जो कि विकसित नहीं हुआ है उसके विकास के लिए यह समिति बनाई जाती है
- औद्योगिक क्षेत्र में सुविधाएं देने के लिए
- सारे सदस्य नामित होते हैं कोई भी सदस्य निर्वाचित नहीं होता है (सरकार द्वारा नियुक्त)
- ना तो ये निर्वाचित निकाय हैं और ना ही सांविधिक निकाय हैं

### **नगर क्षेत्रीय समिति**

- छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है
- सफाई वगैरह काम करवाना
- या तो यह पूरी तरह से निर्वाचित होती है या पूरी तरह से नामित होती है (राज्य सरकार निर्धारण करेगी)

### **छावनी परिषद**

- 2006 में गठन

- कैंट वाले क्षेत्र में -जहां पर सेना रहती है
- इसमें कुछ आम जनता भी आती है तो छावनी क्षेत्र में सिविल (आम) जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की गई है
- रक्षा मंत्रालय इसका प्रशासन करता है
- हमारे देश में 62 छावनी बोर्ड हैं
- आम जनता के हिसाब से चार भागों में बांटा गया है

I-50000 से ऊपर

II -10000-50000

III- 2500-10000

IV- 2500 से कम

जिससे कि पता चलता रहे कि कहां पर कितने प्रशासन की जरूरत है आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल है (सेना वाले भी ,आम जनता भी )

- राष्ट्रपति द्वारा गठित
- कर मिलते हैं

### नगरीय क्षेत्र

उद्योग वाले क्षेत्रों में छोटी सी समाज का बसा होना

### न्याय पत्तन

- नगर पालिका की तरह कार्य करता है
- बंदरगाह वाले क्षेत्रों को maintain रखना
- जो लोग बंदरगाह वाले क्षेत्रों को maintain रखेंगे उन्हें सुविधाएं प्राप्त करवाना
- संसद द्वारा गठित
- इसमें निर्वाचित और गैर निर्वाचित दोनों तरह के सदस्य होते हैं

### विशेष उद्देश्य हेतु अभिकरण

- स्थानीय कार्यकारी इकाई
  - जो कि विशेष उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं  
कुछ इकाइयां इस प्रकार हैं
1. नगरीय सुधार न्यास
  2. शहरी सुधार प्राधिकरण

3. जलापूर्ति एवं मल निकासी बोर्ड आवासीय बोर्ड
4. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
5. विद्युत आपूर्ति बोर्ड
6. शहरी यातायात बोर्ड

इन्हें एक उद्देश्यीय, व्यापक उद्देश्यीय आदि कहा जाता है

### नगर पालिका कर्मी

1. पृथक
2. एकीकृत कार्मिक प्रणाली
3. समेकित न्याय प्रणाली

### निगम राजस्व

- करो से आय होती है
- गैर कर - फीस वगैरह
- अनुदान - केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा
- हस्तांतरण - निधि का हस्तांतरण, राज्य सरकार द्वारा कर्ज

केंद्रीय परिषद का गठन स्थानीय सरकार के लिए 1954 में हुआ यह सलाह देती है कि स्थानीय सरकार को किस तरह नियंत्रित करना है chairmen केंद्र एवं राज्य के शहरी विकास मंत्री होते हैं

### Chapter 40 केंद्र शासित प्रदेश

A-1 में भारत का राज्य क्षेत्र तीन भागों में बांटा जाता है

1. राज्य क्षेत्र
  2. केंद्र शासित प्रदेश
  3. ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाए
- वर्तमान में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं किंतु कोई अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है (मतलब किसी भी राज्य को बाहर से नहीं लिया गया है)
  - केंद्र शासित प्रदेश वह प्रदेश है जिन्हें केंद्र नियंत्रित करता है

### केंद्र शासित प्रदेशों का गठन

- 1874 में इन्हें अनुसूचित जिले का जाता था बाद में इन्हें मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र कहा जाने लगा
- 1947 के बाद इन्हें भाग घ तथा भाग ग की श्रेणी में रखा गया

- 1956 में सातवें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया।
- हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश थे लेकिन अब यह सभी पूर्ण राज्य हैं

## 9 UT's

1. अंडमान एवं निकोबार दीप समूह -1956
2. दिल्ली ( राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)-1956
3. लक्षदीप (लकादीव, मिनिकॉय एवं अमनदीव ) -1956
4. दादरा एवं नगर हवेली 1961
5. दमन दीप 1962
6. पुड़चेरी ( पांडिचेरी )1966
7. चंडीगढ़ 1966
8. जम्मू 2019
9. लद्दाख 2019

## केंद्र शासित प्रदेश के कारण

1. दिल्ली व चंडीगढ़ -राजनीतिक व प्रशासनिक सोच
2. पुड़चेरी, दादरा एवं नगर हवेली- सांस्कृतिक भिन्नता
3. अंडमान और निकोबार दीप समूह तथा लक्षदीप -सामरिक महत्व ( जो कि सेना व सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो)
4. मिजोरम ,मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश (अब यह राज्य हैं)- पिछड़े एवं अनुसूचित क्षेत्रों के कारण

## केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन

- भाग 8 A-239 to 241 में उपबंध है
- हर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन अलग-अलग है
- केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रपति द्वारा (केंद्र सरकार) संचालित होता है
- प्रशासक केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं
- प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है पर प्रशासक राज्य का प्रमुख नहीं होता ,राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे सकता है
- उपराज्यपाल दिल्ली, पुड़चेरी और अंडमान निकोबार दीप समूह में है

- प्रशासक -चंडीगढ़, दमन और दीव तथा लक्षदीप में है और दादरा एवं नगर हवेली में है
- राज्य के राज्यपाल को भी शक्ति दी जा सकती है कि वह अपने राज्य के साथ सटे केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक बन सके
- दिल्ली एवं पुदुचेरी में मुख्यमंत्री चुने जाते हैं
- बाकियों में उपराज्यपाल एवं प्रशासक होते हैं
- पुदुचेरी में 1963 और दिल्ली में 1992 में विधानसभा गठित की गई जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है
- संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों के विषयों पर विधि बना सकती है। संसद की यह शक्ति दिल्ली तक भी है
- पर दिल्ली व पुदुचेरी भी राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बना सकती है
- दिल्ली केवल एक क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है (1966 से)
- मुंबई उच्च न्यायालय -दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव
- कोलकाता उच्च न्यायालय- अंडमान एवं निकोबार
- पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय- चंडीगढ़
- केरल उच्च न्यायालय- लक्षदीप
- मद्रास उच्च न्यायालय- पुदुचेरी

अगर हम कोई देश या क्षेत्र अधिग्रहण कर लेते हैं तो उसके लिए कोई अलग विधि बनाने की जरूरत नहीं है पुरानी विधियां ही चलेगी अगर वह राज्य बनेगा तो राज्य वाली विधि का इस्तेमाल अगर संघ शासित प्रदेश बनेगा तो उसका इस्तेमाल होगा

#### दिल्ली के लिए विशेष उपबंध

- 1991 में 69 वें संविधान संशोधन में
- इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहा गया
- इसके प्रशासक को लेफिटनेंट गवर्नर कहा जाता है
- इसकी विधानसभा में 70 सीटें हैं( पहले महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी)
- लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते थे
- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन करवाए जाते थे
- राज्य, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची पर कानून बना सकता है पर लोक व्यवस्था ,पुलिस व भूमि को छोड़कर ( संसद द्वारा बनाई गई विधि अधिक प्रभावी )
- विधानमंडल की कुल संख्या का 10% मंत्रिमंडल होना चाहिए ( मुख्यमंत्री सहित )

- राष्ट्रपति मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है (मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत होंगे )
- मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है
- मुख्यमंत्री उपराज्यपाल को सलाह देते हैं
- अगर मंत्रियों और गवर्नर की राय आपस में ना मिले तो मामला राष्ट्रपति के पास जा सकता है
- अगर संविधान के हिसाब से काम ना चले तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है (उपराज्यपाल के कहने पर या केंद्र स्वयं महसूस करें)
- अध्यादेश को 6 हफ्तों में पास करवाना होता है (किसी भी समय अध्यादेश वापस लिया जा सकता है)

### **संघीय क्षेत्रों के लिए सलाहकार समितियां**

- भारत सरकार नियमावली 1961 के अंतर्गत संघीय क्षेत्रों का बजट, उपराज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति यह सब कार्य गृह मंत्रालय के अधीन आता है (जहां पर विधायिका नहीं है) गृह मंत्रालय सलाहकारी समिति की अध्यक्षता गृहमंत्री करता है
- प्रशासक सलाहकार समिति की अध्यक्षता प्रशासक करते हैं
- स्थानीय निकायों के सदस्य तथा संसद इसके सदस्य होते हैं

### **उद्देश्य - सामाजिक ,आर्थिक विकास**

<b>राज्य</b>	<b>केंद्र शासित प्रदेश</b>
केंद्र से संघीय संबंध	केंद्र से एकात्मक संबंध
केंद्र के साथ शक्ति का बंटवारा इन्हें स्वायत्ता है ( अपने कानून खुद बना सकते हैं)	यह सीधे तौर पर केंद्र के प्रशासन व नियंत्रण में होते कोई स्वायत्ता प्राप्त नहीं
सारे राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था एक जैसी होती हैं	इसमें नहीं
कार्यपालिका प्रमुख- राज्यपाल	कार्यकारी प्रमुख प्रशासक, उपराज्यपाल , मुख्य आयुक्त
राज्यपाल- संवैधानिक प्रमुख संसद को राज्य सूची पर विधि बनाने का अधिकार नहीं (जब तक असामान्य	प्रशासक राष्ट्रपति के अभिकर्ता की तरह है संसद को तीनों सूचियों पर विधि बनाने का अधिकार है

परिस्थिति ना हो )

## Chapter 41

### अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र

- भाग 10 ,Art-244,कुछ ऐसे क्षेत्र जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र नामित किया गया है उनके प्रशासन की विशेष व्यवस्था बताता है
- संविधान की पांचवीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है
- इनमें असम ,मेघालय ,त्रिपुरा और मिजोरम शामिल नहीं हैं
- संविधान की छठी अनुसूची में असम मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की बात की गई है

### अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

#### पांचवीं अनुसूची में प्रशासन की विशेषताएं

### अनुसूचित क्षेत्र की घोषणा

- राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है और राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने ,नामों को बदलने का अधिकार है और उन क्षेत्रों को हटा भी सकता है

## केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्ति

- जिस राज्य में अनुसूचित क्षेत्र है वहां पर भी राज्य की कार्यकारी शक्ति तो चलेगी पर राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी होगी
- और राज्यपाल इनसे संबंधित वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, तब भी देगा जब राष्ट्रपति मांगे
- इन क्षेत्रों के बारे में केंद्र भी राज्य को निर्देश दे सकता है

## जनजातीय सलाहकार परिषद

- ऐसे क्षेत्रों के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद होगी वह कल्याण की सलाह देगी
- कुल सदस्य 20
- जिसमें 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होंगे

## अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधि

- अगर गवर्नर चाहे तो संसद और राज्य विधान मंडल वाले विधान लागू होने दे भी सकता है और नहीं भी या उसमें परिवर्तन कर लागू कर सकता है
- गवर्नर, शांति के लिए जनजाति सलाहकार समिति से विचार करके नियम बना सकता है
- गवर्नर के पास भूमि वगैरह से संबंधित मामले
- परंतु यह सब के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है
- राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र के कल्याण के लिए आयोग का गठन कर सकता है और जो उसे रिपोर्ट सौंपे पर संविधान की शुरुआत को कम से कम 10 वर्ष हो चुके हो

## जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन

छठवीं अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम )

क्योंकि यह लोग आधुनिकीकरण में घुल नहीं पाए इसलिए इन्हें जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है

## 6वीं अनुसूची की विशेषताएं

- इन्हें स्वायत्ता प्राप्त हो यह अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं लेकिन राज्य की कार्यकारी प्राधिकार से बाहर नहीं
- राज्यपाल क्षेत्र बड़ा, घटा या नाम बदल सकते हैं और सीमा में परिवर्तन भी कर सकते हैं
- अगर एक ही जिले में अलग-अलग जनजातियां हैं तो उसे भी तोड़ा जा सकता है और अलग-अलग जिला बनाया जा सकता है
- हर जिले की जिला परिषद होगी इसमें 30 सदस्य होंगे चार राज्यपाल द्वारा नामित होंगे और 26 सदस्य निर्वाचित होंगे

- 5 साल कार्यकाल ( निर्वाचित का) मनोनीत वाले जब तक गवर्नर चाहे तब तक रहेंगे
- संसद के अधिनियम इन पर लागू नहीं अगर होंगे भी तो परिवर्तन के बाद ही होंगे
  
- जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बना सकते हैं यह इनसे परामर्श भी ले सकते हैं
- गवर्नर प्रशासन से संबंधित किसी मुद्रे की समीक्षा के लिए आयोग का गठन कर सकता है
- आयोग कहे तो जिला परिषद भी रद्द हो सकती है
- जिला एवं प्रादेशिक परिषद राज्यपाल की स्वीकृति पर भूमि, शादी विवाह ,तलाक ,वन आदि पर कानून बना सकते हैं
- जिला व प्रादेशिक परिषद राज्यपाल की स्वीकृति पर स्कूल ,औषधालय बाजार ,फेरी मत्स्य क्षेत्रों ,सड़कों आदि का निर्माण कर सकते हैं
- जिला परिषद न्याय भी कर सकते हैं उच्च न्यायालय के कोई फैसले को भी गवर्नर देखेंगे
- जिला परिषद के ही कानून यहां पर लागू होंगे

## Chapter 42

### निर्वाचन आयोग

- A-324
- यह एक संवैधानिक निकाय है ,स्थाई निकाय (कभी ना खत्म होने वाला) आजाद निकाय ( किसी का कोई दबाव नहीं)
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करवाना इसका कार्य है ( ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो)
- कुल सदस्य -3

#### अनुच्छेद 324 के तहत शक्तियां

- इसमें देखरेख, दिशाएं और नियंत्रण यह सारी बातें चुनाव से संबंधित यहां पर आती हैं चार ऐसे क्षेत्र जो कि निर्वाचन आयोग के अंदर होते हैं

  1. संसद
  2. राष्ट्रपति
  3. राज्य विधानसभा
  4. उपराष्ट्रपति

- अखिल भारतीय निकाय -राज्य और केंद्र के लिए एक ही निर्वाचन आयोग होता है
- यह केंद्र और राज्य के चुनाव करवाती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के चुनाव, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव
- यह पंचायत और नगरपालिका के चुनाव नहीं करवाते यह दोनों राज्य के निर्वाचन आयोग के अधीन आते हैं

## संरचना

- मुख्य निर्वाचन अधिकारी या दूसरे निर्वाचन अधिकारी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं पर इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया नहीं जा सकता
- अगर किसी अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया जाता है तो उस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा
- राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है
- निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं
- 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एकल सदस्य निकाय थी जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था
- 16 अक्टूबर 1989 को दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों की स्थापना की गई क्योंकि उसी वक्त वोट डालने की न्यूनतम आयु 21 से 18 कर दी गई थी (बहुसदस्यीय)
- जनवरी 1990 में फिर से यह एकल निकाय हो गई
- 1993 में फिर बहुसदस्यीय निकाय बन गए और आज तक ऐसी ही है
- जिस तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त के वेतन, भत्ते, शक्तियां होती हैं उसी तरह same दोनों निर्वाचन आयुक्तों की होती हैं मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होती हैं
- अगर इन तीनों अधिकारियों की सलाह में कोई अंतर होता है तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और दो अन्य निर्वाचन अधिकारी तीनों में से जो 2 लोगों की सलाह same होगी वही सलाह मान ली जाएगी

## कार्यकाल

6 वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो जाए) इनको आजाद रहना है और किसी के दबाव में नहीं आना है

## स्वतंत्रता

- राष्ट्रपति इन्हें हटा नहीं सकते
- जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है उसी तरह इन्हें हटाया जाता है। जब संसद के द्वारा विशेष बहुमत प्रस्ताव पास किया जाता है तो इन्हें राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है

## इनको हटाने के कारण

1. अगर यह किसी से दुराचार करें
2. अगर इनमें कार्य करने की क्षमता ना हो
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर एक बार नियुक्त कर दिया गया है तो उसको मिलने वाली सभी सेवाओं को बदला नहीं जा सकता
- जब निर्वाचन अधिकारी या प्रादेशिक अधिकारी को हटाने की बात आती है तो मुख्य निर्वाचक द्वारा सिफारिश की जाती है
- पर संविधान में इनकी योग्यता, सदस्य के बारे में कुछ नहीं लिखा है राष्ट्रपति पर depend है
- अगर कोई एक बार नियुक्त हो गया तो वह दोबारा भी नियुक्त हो सकता है (अन्य नियुक्तियों पर)

### शक्ति व कार्य

निर्वाचन से संबंधित हर एक राय देना स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव करवाना

1. प्रशासनिक
2. सलाहकारी
3. अर्धन्यायिक
- भू-भाग का निर्धारण करना
- निर्वाचक नामावली तैयार करना, मतदाताओं को पंजीकृत करना
- निर्वाचन की तिथि, समय सारणी तैयार करना
- राजनैतिक दलों को मान्यता देना
- निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच करना
- निरहता संबंधी मामले पर राष्ट्रपति को सलाह देना
- संसद, विधान परिषद संबंधी मामलों में राज्यपाल को सलाह देना
- निर्वाचन रद्द करना (संकट में, लड़ाई में)
- राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में 1 वर्ष समाप्त होने के बाद निर्वाचन करवाएं या नहीं राजनैतिक दलों को पंजीकृत करना

कलेक्टर बगैरा चुनाव करवाते हैं (जिले में)

कलेक्टर, निर्वाचन अधिकारी और मतदान केंद्र के अध्यक्ष नियुक्त करता है

## Chapter 43

### संघ लोक सेवा आयोग

- UPSC , यह केंद्र की तरफ से पद निकालती है
- यह एक स्वतंत्र ,संवैधानिक संस्थान है
- भाग 14 Art-315 to 323, संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता ,शक्तियां व कार्य ,नियुक्ति, हटाव आदि के बारे में लिखा गया है

#### संरचना

- अध्यक्ष व सदस्य -राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- संविधान में आयोग की संख्या का कोई उल्लेख नहीं है इसमें अध्यक्ष को मिलाकर अनुमानित सदस्य संख्या 9 से 11 है
- संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं है हालांकि आधे सदस्यों को राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो
- राष्ट्रपति द्वारा अध्यक्ष या सदस्य की सेवा शर्तें निर्धारित
- कार्यकाल - 6 वर्ष या 65 वर्ष
- त्यागपत्र -राष्ट्रपति को दे सकते हैं
- अगर हटाना हो तो संविधान में लिखी विधि अनुसार हटाया जा सकता है

**राष्ट्रपति दो स्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है**

1. जब पद रिक्त पड़ा हो
2. जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य कारणों से ना कर पा रहा हो

यह तब तक रहेगा जब तक पुराना अध्यक्ष ना जाए

कार्यवाहक अध्यक्ष वह व्यक्ति जो कि केवल अध्यक्ष के ना होने पर अध्यक्ष की तरह काम करेगा

**निष्कासन (हटाव)** -राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा

- अगर उसे दिवालिया घोषित किया गया हो
- अगर वो कहीं और भी कार्यरत हो
- अगर राष्ट्रपति की निगाह में वह कार्य करने में असक्षम हो

**इसके अतिरिक्त**

वह अगर किसी के साथ कदाचार करता है

पर इस को जांचा जाएगा

लाभ प्राप्त करना चाहे या केंद्र या राज्य सरकार  
के पास लाभ के पद पर हो

सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सलाह देगा और वह सलाह

राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी

जब सुप्रीम कोर्ट जांच करता है तो उस समय अध्यक्ष और अन्य सदस्य को निलंबित किया जाएगा (राष्ट्रपति द्वारा)

**स्वतंत्रता**

- कोई भी मनगढ़त कहानी बनाकर इसको नहीं हटाया जा सकता, इन्हें संवैधानिक तरीके से हटाना है
- नियुक्ति करते समय जो सेवा, शर्तें थीं वह हमेशा वैसे ही रहेंगी
- तनखावाह, टैशन, भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे
- अगर कोई एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो वह कभी भी केंद्र और राज्य में कार्य करने में नियोजन का पात्र नहीं हो सकता
- UPSC सदस्य, UPSC का अध्यक्ष और SPSC का अध्यक्ष बन सकता है पर कोई और पद के लिए नियोजन का पात्र नहीं होता
- अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं

**कार्य**

- यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्रशासित क्षेत्रों के लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करते हैं

- अगर कोई दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अनुरोध करते हैं तो उनकी संयुक्त भर्ती की योजना बना सकता है
- UPSC, राज्यपाल के अनुरोध के बाद और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद किसी मामले पर राज्य को सलाह दे सकता है
- निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर सलाह देता है
  1. सिविल पदों की भर्ती
  2. Promotion, Transfer

UPSC, हर वर्ष अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में ले जाता है संसद द्वारा अधिनियम बनाकर, UPSC की न्यायिक समीक्षा बढ़ाई जा सकती है

**सीमाएं (वह बातें जो UPSC के अंतर्गत नहीं आती)**

- पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर यह केंद्र निश्चित करता है
- आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का UPSC से कोई लेना-देना नहीं है
- अगर कोई अस्थाई नियुक्ति करनी है तो उसका UPSC से कोई लेना-देना नहीं है

### **भूमिका**

- मेरिट पद्धति का प्रहरी
- इनकी भूमिका सीमित नहीं है, यह सरकार को सलाह भी देते हैं पर वह सलाह वाद्य नहीं है
- 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC आया। इससे UPSC का टकराव रहता है
- UPSC आजाद संवैधानिक निकाय है और CVC सांविधिक निकाय है

**संयुक्त लोक सेवा आयोग**

- दो या दो से अधिक राज्य मिलकर केंद्र को कहकर Exam करवाना
- यह संसद द्वारा बनाया जाता है यह सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं
- 1964 में पंजाब, हरियाणा का संयुक्त लोक सेवा आयोग बना था
- अध्यक्ष, सदस्य -राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
- कार्यकाल -6 वर्ष या 62 वर्षों (पहले जो हो जाए)
- हटाव- राष्ट्रपति द्वारा
- त्याग पत्र -राष्ट्रपति को
- सेवा, शर्त- राष्ट्रपति तय करता है
- वार्षिक रिपोर्ट राज्य के गवर्नर को और राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल में रखेगा

- UPSC, राज्यपाल के अनुरोध एवं राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्य की आवश्यकतानुसार कार्य कर सकता है
- 1926 में केंद्रीय लोकसेवा आयोग का गठन
- 1935 में संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन

## Chapter 44 राज्य लोक सेवा आयोग

- UPSC केंद्र
- SPSC राज्य
- स्वतंत्र संवैधानिक निकाय
- भाग 14 Art 315 to 323

### संरचना

- अध्यक्ष व सदस्य राज्यपाल द्वारा नियुक्त (संविधान में संख्या का उल्लेख नहीं) राज्यपाल पर निर्भर संविधान में योग्यता का उल्लेख नहीं पर यह आवश्यक है कि आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष का अनुभव हो
- सेवा, शर्तें - अध्यक्ष व सदस्य की राज्यपाल द्वारा निर्धारित
- कार्यकाल - 6 वर्ष और 62 वर्ष (जो पहले हो जाए)
- त्याग पत्र - राज्यपाल को देता है

राज्यपाल दो परिस्थितियों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है

1. जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो
2. जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य दूसरी वजह से नहीं कर पा रहा हो

जब तक पुराना अध्यक्ष ना जाए तब तक कार्यवाहक अध्यक्ष रहेगा

### निष्कासन (हटाव)

राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है गवर्नर द्वारा नहीं

### हटाने का आधार

- अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया
- पदावधि के दौरान कहीं और कार्यरत हो
- राष्ट्रपति उसको असक्षम समझे (मानसिक या शारीरिक तौर पर)

### इसके अतिरिक्त

अगर वह किसी के साथ कदाचार करें

पर इस को जांचा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और सलाह देगा और वह सलाह राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी

(राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा )

- जब सुप्रीम कोर्ट जांच करता है तो उस समय अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को राज्यपाल द्वारा निलंबित किया जाएगा

### स्वतंत्रता

- संविधान में लिखे अनुसार राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा
  - सेवाएं राज्यपाल द्वारा तय, जो कभी कार्यकाल के दौरान बदली नहीं जा सकती
  - भर्ते, तनख्वाह, पेशन कभी बदली नहीं जाएगी (राज्य की संचित निधि से दी जाएगी)
1. SPSC के अध्यक्ष को, UPSC का अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है
  2. SPSC का सदस्य, UPSC का अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस SPSC का अध्यक्ष या अन्य SPSC का अध्यक्ष बनने का पात्र होगा

उपरोक्त दोनों इसके अलावा और कोई पद के पात्र नहीं

SPSC के अध्यक्ष या सदस्य को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता

### कार्य

- SPSC की परीक्षा का आयोजन करती है
- भर्ती करती है
- प्रोन्नति और तबादला करती है
- हर भर्ती अपनी रिपोर्ट गवर्नर को देती गवर्नर यह रिपोर्ट दोनों सदनों में विधानमंडल और विधानसभा में रखता है

- राज्य विधानसभा द्वारा एकट बनाकर SPSC की न्यायिक समीक्षा को बढ़ाया जा सकता है

#### **सीमाएं (जहां पर SPSC कुछ नहीं कर सकता)**

- पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर
- बाकी आयोगों के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों की नियुक्ति करनी है तो SPSC का इससे कोई लेना देना नहीं है
- गवर्नर, किसी पद को SPSC के दायरे से हटा सकता है
- राज्यपाल, राज्य सेवाओं के पदों से संबंधित नियम बना सकता है इसके लिए SPSC से पूछने की जरूरत नहीं पर इस नियम को कम से कम 14 दिन तक राज्य विधानमंडल के सामने रखना होगा
- राज्य विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है

#### **भूमिका**

- मेरिट पद्धति का प्रहरी
- इनकी भूमिका सीमित नहीं है यह राज्य सरकार को सलाह भी देते हैं पर वह सलाह वाई नहीं है
- 1964 में राज्य सतर्कता आयोग (SVC) बना, इससे SPSC का टकराव रहता है
- SPSC आजाद संवैधानिक निकाय है, SVC कार्यकारी निकाय है

## Chapter 45

### वित्त आयोग

#### **वित्त आयोग**

- A-280 के अंतर्गत आता है संवैधानिक निकाय है, अर्धे न्यायिक (मतलब कि न्यायपालिका के आधे कार्य कर सकता है )
- राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल बाद या आवश्यकतानुसार इससे पहले गठित किया जाता है

#### **संरचना**

- कुल सदस्य - 5 (1 अध्यक्ष ,4 सदस्य)
- नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा
- कार्यकाल- राष्ट्रपति तय करता है
- पुनरनियुक्ति भी हो सकती है

#### **योग्यता**

संसद तय करती है

सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो

इसके अलावा चार अन्य बातें हैं

1. या तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उसके जितनी योग्यता रखता हो
2. लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो
3. जिसे प्रशासन एवं वित्त मामलों का व्यापक अनुभव हो
4. जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो

#### **कार्य**

- करो का आवंटन करता है, बताता है कि कितना कर केंद्र को मिले कितना राज्य को
- भारत की संचित निधि से जो अनुदान दिया जाता है उसकी सिफारिश भी वित्त आयोग द्वारा की जाती है
- पंचायत और नगरपालिका को कितना फंड देना है यह राज्य वित्त आयोग तय करता है पर इसकी सिफारिश केंद्र वित्त आयोग भी कर सकता है
- अगर इन बातों के अलावा कोई और मामला जो राष्ट्रपति को सही लगे तो भी राष्ट्रपति वित्त आयोग को कह सकता है
- यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति रिपोर्ट को दोनों सदनों में रखता है इसके द्वारा दी जाने वाले सिफारिश से बाध्य नहीं हैं

## Chapter 46

### अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है
- Art-338

**दूसरी तरफ-** राष्ट्रीय महिला आयोग (1992), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993), राष्ट्रीय पिछ़ा वर्ग आयोग (1993), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (1993), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2007)

यह सब सांविधिक आयोग हैं

### आयोग का उदय

- Art-338 में कहा गया कि SC, ST से संबंधित कोई विशेष अधिकारी होना चाहिए जो यह देखें कि SC, ST के खिलाफ कोई गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करें
- 1978 में एक प्रस्ताव पास किया गया और इससे एक गैर सांविधिक बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया 1987 में "आयोग का नाम" "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग" कर दिया गया
- 1990 में 65वें संविधान संशोधन में इसे उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गई
- 2003 में 89वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आयोग को दो भागों में बांटा गया और A-338 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और A-338क के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया और 2004 में अस्तित्व में आया

- एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य
- राष्ट्रपति के पास उनको नियुक्त करने, सेवाएं, कार्यकाल से संबंधित शक्तियां हैं

## कार्य

- अनुसूचित जातियों को संवैधानिक आरक्षण मिलता है या नहीं यह देखता है
- इनके हितों का उल्लंघन करने वाले मामलों की जांच करना
- उनके लिए सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाना और निरीक्षण करना
- राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष रिपोर्ट देना
- सुरक्षा, कल्याण, विकास देखते हैं अगर अलग से राष्ट्रपति कहे तो भी देखते हैं

## आयोग का प्रतिवेदन

- आयोग वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है वह जब भी उचित समझे अपनी रिपोर्ट दे सकता है राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपाल के बाद भेजता है। राज्यपाल विधानसभा में प्रस्तुत करता है

## शक्तियां

- आयोग को किसी मामले पर दीवानी शक्तियां प्राप्त हैं आपराधिक नहीं
- वह जांच के लिए, व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग से बुला सकता है कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है साक्षियों और दस्तावेजों को निकलवा सकता है
- कोई भी सबूत या अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है
- अनुसूचित जातियों के बारे में बड़े मामलों में सलाह भी दे सकता है और केंद्र राज्य सरकार से परामर्श भी कर सकता है
- यह आयोग पिछड़े वर्गों एवम आँगल भारतीयों के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा जिस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए करेगा और राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

## Chapter 47

### अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग

- A-338क में आता है

### अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक आयोग

- 1990 में 65वे संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आयोग की स्थापना की गई जो कि कल्याण और विकास करें
- 2003 के 89वे संविधान संशोधन अधिनियम की स्थापना की गई और A-338 के आया। जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग अलग कर दिया गया
- 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया
- एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन अन्य सदस्य होते हैं
- सेवा शर्तें -राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं (राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति)

### कार्य

- संविधान में लिखे अनुसार संरक्षण मिलता है या नहीं यह देखता है
- अधिकारों की रक्षा करता है
- अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक, आर्थिक विकास की योजना बनाता है और निरीक्षण करता है
- हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है
- राष्ट्रपति जो कहे वह भी देखता है

## अन्य कार्य

- 2005 में यह निकल कर आया कि किस तरह जनजातियों को सुरक्षा कल्याण ,विकास दिया जाए
- वन में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों के पास वन का स्वामित्व हो
- वन के खनिज संसाधनों पर इनके अधिकार हो
- अगर जंगल में कोई बांध वगैरह बनाना है तो इन्हें दूसरी जगह भेजा जाए
- ST की सलाह पर वन सुरक्षा करनी है
- ST को ही पंचायत के लिए अधिकार दिया जाए (पेसा 1996 )
- झूम खेती के प्रचलन को कम करना (जब धरती उपजाऊ ना रहे तो दूसरी जगह चले जाना )

## आयोग का प्रतिवेदन

- रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा ,राष्ट्रपति रिपोर्ट को संसद में रखेगा
- जब रिपोर्ट का कोई भाग किसी राज्य से संबंधित है तो ऐसे रिपोर्ट को राज्यपाल के पास रखा जाएगा राज्यपाल उसे राज्य विधानमंडल में रखेगा

## शक्तियां

- दीवानी अधिकार प्राप्त हैं ,अपराधिक नहीं
- वह जांच के लिए व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग से बुला सकता है
- कोई भी रिकॉर्ड मांग सकता है
- साक्षियों और दस्तावेजों को निकलवा सकता है
- कोई भी सबूत या अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है
- कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति कहे
- संघ और राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलो पर आयोग से परामर्श लेगी

## Chapter 48

### भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेषाधिकार

**भाषाई अल्पसंख्यक** - कोई ऐसा समूह जिनकी भाषा राज्य की भाषा से अलग हो

#### संवैधानिक उपबंध

- यह मूल रूप से संविधान में नहीं थी
- राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1956 में सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार बनी भाग 17 अनुच्छेद 350 ख जोड़ा गया

#### निम्न उपबंध

- राष्ट्रपति द्वारा, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त होंगे
- विशेष अधिकारी देखेगा कि अल्पसंख्यक को किस प्रकार सुरक्षा दी जाए
- वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट करेगा जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है संविधान में विशेष अधिकारी की योग्यता, सेवा, शर्तें, कार्यकाल, वेतन भत्ते का कोई उल्लेख नहीं है

#### भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त

- संविधान के A 350 ख के अनुसार 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिए
- विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गई
- आयुक्त (कमिश्नर) (केंद्रीय स्तर पर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन)
- मुख्यालय - इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

- आयुक्त की सहायता के लिए उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त होते हैं
- तीन क्षेत्रीय कार्यालय** ( प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का एक उप आयुक्त होता है )
  - बेलगाम (कर्नाटक)
  - चेन्नई (तमिलनाडु)
  - कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे

## कार्य

- भाषाई सुरक्षा करना
- भाषाई अल्पसंख्यकों की मुश्किलों को राष्ट्रीय स्तर पर हल करने की कोशिश करना
- सुरक्षा देना, सम्मेलन, बैठक, समीक्षा यह सब इनकी देखरेख में की जाती है

## उद्देश्य

- अल्पसंख्यकों को समान अवसर उपलब्ध करवाना
- अल्पसंख्यकों में जागरूकता पैदा करना
- अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा दी गयी सुरक्षा सुनिश्चित करवाना शिकायतों का निवारण करना

## Chapter 49

### भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- संविधान के निगरानी करने वाले निम्नलिखित चार हैं
  1. Supreme court
  2. निर्वाचन आयोग
  3. UPSC
  4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- Art-148 के तहत यह स्वतंत्र इकाई है
- यह भारतीय लेखा परीक्षक व लेखा विभाग का मुखिया होता है
- जो भी कर जनता द्वारा दिया जाता है यह देखता है उसका सही से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं
- इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है
- डॉ बी आर अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा

#### नियुक्ति एवं कार्यकाल

**नियुक्ति** - राष्ट्रपति करता है

राष्ट्रपति के सामने शपथ लेता है

1. संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा
2. एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखेगा

3. कर्तव्यों का निर्वाह करेगा
4. संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखेगा

## कार्यकाल

6 वर्ष या 65 वर्ष (दोनों में से जो पहले हो जाए)

**त्याग पत्र** - राष्ट्रपति को देगा

**हटाना** - सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रपति की तरह, दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता का प्रस्ताव पास करके हटाया जाता है।

## स्वतंत्रता

- केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जाता है।
- यह पद के बाद यह भारत सरकार या राज्य सरकार के अंदर कोई पद ग्रहण नहीं कर सकता।
- वेतन, भत्ते, संसद द्वारा निर्धारित वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन भत्ते आदि में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं।
- अगर राष्ट्रपति को लेखा विभाग कार्यालय में किसी को काम देना है तो वह महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक से सलाह लेगा।
- वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित।
- कोई भी मंत्री संसद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

## कर्तव्य एवं शक्तियां

Art-149 में रखी गई हैं।

1971 में संसद ने कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा से संबंधित अधिनियम बनाया।

1976 में केंद्र सरकार ने लेखा परीक्षा से लेखा को अलग कर दिया है।

6 माह या 1 साल  
बाद की जाने वाली  
खातों की जांच

दिन प्रतिदिन की  
गतिविधि

- भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो वहां के संबंधी लेखों की लेखा परीक्षण करता है
- आकस्मिकता निधि के लेखों की भी जांच करता है
- केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभागों की जांच करता है
- प्राप्तियों और व्यय का परीक्षण करता है
- अगर राष्ट्रपति या गवर्नर के द्वारा कहा जाए तो यह स्थानीय निकायों के लेखों का भी परीक्षण करता है
- यह राष्ट्रपति को सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए
- A-151 के तहत वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है जो उसे संसद में रखता है
- राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है जो उसे विधानमंडल में रखता है
- A-279 के तहत वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगामो का निर्धारण और प्रमाणन करता है
- संसद की लोक लेखा समिति को गाइड करता है

CAG अपनी 3 रिपोर्ट राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करता है

1. विनियोग लेखों की
2. वित्तीय लेखों की
3. सार्वजनिक उपक्रम लेखों की

राष्ट्रपति ने संसद में रखेगा फिर लोक लेखा समिति उसका निरीक्षण करेगी

## भूमिका

- जो सरकार की लिमिटेड कंपनी होती है उसे निजी लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षण किया जाता है पर उन्हें नियुक्त सरकार द्वारा CAG की सलाह पर किया जाता है

- 1968 में लेखा परीक्षक बोर्ड बनाया गया जोकि CAG का ही भाग है इसमें विशेषज्ञ होते हैं। यह प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा बनाया गया इसमें 1 अध्यक्ष एवं 2 सदस्य थे जो कि CAG के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं

## CAG तथा निगम

- सार्वजनिक निगम की लेखा परीक्षा में CAG की भूमिका सीमित है, CAG के साथ सार्वजनिक निगमों के तीन प्रकार
- कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरे तौर पर एवं प्रत्यक्ष रूप से CAG करता है उदाहरण दामोदर घाटी निगम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया इंडियन एयरलाइंस एवं अन्य
- कुछ अन्य की निजी विशेषज्ञों द्वारा जो कि सरकार द्वारा CAG की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं इनका पूरा लेखा परीक्षण कर सकते हैं जैसे भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त
- कुछ अन्य पूरी तरह निजी होते हैं इनमें CAG की कोई भूमिका नहीं होती
- यह वार्षिक रिपोर्ट सीधे संसद में पेश करते हैं जैसे RBI, LIC, SBI, भारतीय खाद्य निगम आदि

## एप्पल बोर्ड की आलोचना (अमेरिकी)

1. यह कहते हैं कि वह केवल लेखा परीक्षक होता है नियंत्रक नहीं
2. औपनिवेशिक शासन की देन
3. इसको खत्म करने की बात की जाती है क्योंकि काम होने के बाद रिपोर्ट देता है (नकारात्मक प्रभाव)
4. किसी विभाग का उप सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में CAG तथा उनके समस्त कर्मचारियों से ज्यादा जानता है

**First CAG - वी नरसिंहा राव**

**CAG, 2G SCAM और Commonwealth मामले कौन लाया - विनोद राय जी**

## Chapter 50

### भारत के महान्यायवादी

- Art-76 में रखा गया है ,यह एक संवैधानिक निकाय है

#### नियुक्ति व कार्यकाल

- महान्यायवादी- उच्च कानूनी अधिकारी
- नियुक्ति - राष्ट्रपति के द्वारा
- वेतन, भत्ते- राष्ट्रपति के द्वारा तय
- हटाव - राष्ट्रपति के द्वारा (इसे राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है) संविधान में उन्हें हटाने से लेकर कोई व्यवस्था नहीं है

#### योग्यता

- सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता चाहिए होती है
- भारत का नागरिक हो
- या तो उच्च न्यायालय के जज रह चुका हो 5 सालों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो और 10 सालों का अनुभव हो
- ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति की निगाह में न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो

## कार्यकाल

- संविधान के द्वारा कार्यकाल निश्चित नहीं है

## त्याग पत्र

- राष्ट्रपति को कभी भी देता है, जब सरकार त्यागपत्र दे दे या बदल जाए तो इसे भी त्यागपत्र देना होता है क्योंकि इसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर ही होती है

## कार्य एवं शक्तियां

- भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देना जो राष्ट्रपति कहे
- विधिक स्वरूप ऐसे कर्तव्य निभाये जो राष्ट्रपति कहे
- संविधान द्वारा प्रदान किए गए कार्य करना

## राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को सौंपे गए कार्य

- भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना
- A-143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना
- सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार

## अधिकार एवं मर्यादा

### अधिकार

- भारत के क्षेत्र में जितने भी न्यायालय आते हैं उनमें बैठकर सुनवाई सुनने का अधिकार है
- यह दोनों सदनों की कार्यवाही और संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है
- एक संसद सदस्य की तरह इसे विशेषाधिकार मिलते हैं

## सीमाएं

- ऐसी परिस्थिति में किसी को सलाह नहीं देगी जो सरकार के खिलाफ हो
- किसी अपराधिक मामले में अगर सरकार भी हो तो वह दूसरी पार्टी को सलाह नहीं दे सकता

- बिना सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद में निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता
- उसे विधिक कार्यवाही से नहीं रोका जाएगा क्योंकि वह सरकार के कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आता

## **भारत का महाधिवक्ता**

संविधान में उल्लिखित नहीं महान्यायवादी की सहायता करते हैं

1. भारत सरकार के महाधिवक्ता
2. अपर महाधिवक्ता

केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं विधिक मामलों को देखने के लिए केन्द्रीय स्तर पर अलग विधि मंत्री होते हैं

## **Chapter 51**

### **राज्य का महाधिवक्ता**

- A-165, संवैधानिक
- सर्वोच्च कानूनी अधिकारी

## **नियुक्ति एवं कार्यकाल**

- नियुक्ति -राज्यपाल द्वारा
- कार्यकाल- संविधान द्वारा निश्चित नहीं, गवर्नर तय करेगा
- हटाव -संविधान में लिखा नहीं, गवर्नर जब चाहे
- त्यागपत्र -राज्यपाल को देता है जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है तो इसे भी त्यागपत्र देना पड़ता है
- वेतन भरते -संविधान द्वारा निश्चित नहीं राज्यपाल तय करता है

## **योग्यता-**

1. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य हो
2. भारत का नागरिक हो
3. उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव हो

## कार्य एवं शक्तियां

- उन विधि संबंधी मामलों पर सलाह देना जिन पर राष्ट्रपति कहे
- ऐसे कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल कहे
- संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना

## अधिकार व सीमाएं

- राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है
- विधानमंडल के दोनों सदनों में बिना मताधिकार बोलने व भाग लेने का अधिकार है
- वे सभी विशेषाधिकार जो विधान मंडल के सदस्यों को मिलते हैं वह भी प्राप्त हैं

## सीमाएं

- सरकार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं
- निजी वकालत भी कर सकते हैं क्योंकि यह सरकार के कर्मचारी नहीं हैं

## Chapter 52

### नीति आयोग

- 1 जनवरी 2015 को मोदी सरकार द्वारा स्थापना, योजना आयोग की जगह नीति आयोग आया
- ना तो संवैधानिक ना ही संवैधानिक यह कार्यकारी निकाय है
- नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल तथा थिंक टैंक

#### तर्क आधार

#### बनाने के कारण

- संघवाद का ढांचा लाने के लिए सभी को साथ लेकर चलना है
- कोई भी field में प्रगति होती है तो उसकी निगरानी करनी है
- राज्य के विभिन्न मंत्रालयों को साथ लेकर कार्य करना है

#### गठन

- **अध्यक्ष-** भारत के प्रधानमंत्री

- **शासी परिषद** - सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री, अन्य संघ राज्यों के उपराज्यपाल
- **क्षेत्रीय परिषद** यह नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा चलाई जाएंगी या फिर जिससे अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाए
- इसे कोई Particular problem solve करने के लिए बनाया गया है इसका निश्चित कार्यकाल होता है
- **विशिष्ट आमंत्रित** - हर क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता रखने वाले लोग इसमें रहेंगे
- यह प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाएंगे
- **पूर्णकालिक संगठन ढांचा**
- **अध्यक्ष** - प्रधानमंत्री
- **उपाध्यक्ष** - प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त इसका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है
- **सदस्य** - राज्यमंत्री के पद के बराबर वाले लोग
- **अंशकालिक सदस्य** - अधिकतम दो जो कि प्रमुख विश्वविद्यालयों शोध संगठनों तथा अन्य संस्थानों से होते हैं **पदेन सदस्य** - 4 केंद्रीय मंत्री परिषद निकाले जाएंगे जिनको प्रधानमंत्री मनोनीत करेगा
- **मुख्य कार्यपालक अधिकारी** - भारत सरकार के सचिव की तरह होते हैं एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं
- **सचिवालय** - जैसा आवश्यक समझा जाए

### विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं



**शोध शाखा** - थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, हर क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं

**परामर्शदाता शाखा** - यह पैनल की एक मंडी उपलब्ध करवाता है जिसका आयोग केंद्र एवं राज्य सरकार अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकती है शोध करती हैं और बताती है किन चीजों को लागू करना चाहिए

**टीम इंडिया शाखा** - इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के सदस्य होते हैं सहयोग से कार्य करता है

## उद्देश्य

- केंद्र, राज्य, संघ राज्य को साथ में लेकर चलना
- योजना गांव से शुरू करके सभी शहरों तक पहुंचाना (Bottom to top approach)
- जिनकी आर्थिक प्रगति अच्छी नहीं है उन पर ध्यान देना
- राष्ट्रीय सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शोध और विकास पर ध्यान देना
- अगर कहीं से कोई फीडबैक मिले तो उस पर ध्यान देना, सुधार करना
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौता करना
- ऐसा पर्यावरण उत्पन्न करना कि लोगों में उद्यमिता की भावना आए
- सभी क्षेत्रों को मिलाकर काम करना
- अच्छे शासन पर ध्यान देना
- तकनीक पर ध्यान देना

## अधीनस्थ कार्यालय

- राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान नीति आयोग का अध्यक्ष कार्यालय है
- **उद्देश्य** - ऐसे संस्थागत ढांचे का निर्माण करना जिससे कि व्यावहारिक मानव संसाधन नियोजन शोध प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में स्थाई आधार पर चलाना
- पहले योजना आयोग होता था उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली

## योजना आयोग

- योजना आयोग का गठन मार्च 1950 में किया गया था
- यह कार्यकारिणी निकाय था
- योजना बोर्ड ने 1946 में इसकी सिफारिश की थी जिसके अध्यक्ष के सी नियोगी थे
- सामाजिक आर्थिक विकास का शीर्ष अंग था

## कार्य

- इसको वित्त आयोग के कार्य दिए गए थे
- पूँजी, मानव संसाधनों को किस तरह इस्तेमाल किया जाए

- योजना बनाना
- किस संसाधन को अधिक इस्तेमाल करना है किसको कम
- अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किन तत्वों का इस्तेमाल किया जाए
- कौन सी मशीनों का इस्तेमाल हो
- केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले काम करना
- अगर कोई नया निकाय बनाया जाए और समझ ना आए कि उसे कहा रखना है तो उसे योजना आयोग में रखा जाता था उदाहरण UIDAI
- यह केवल सलाहकारी निकाय था

## संरचना

- अध्यक्ष - प्रधानमंत्री
- उपाध्यक्ष - जिम्मेवारी योजना बनाना और कैबिनेट को भेजना
- वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री पदेन सदस्य
- पूर्णकालिक विशेषज्ञ 4 से 7, उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था
- एक सचिव जो एक वरिष्ठ IAS अधिकारी होता था
- **Top to bottom approach**

## आलोचना

- केवल सलाह देने का कार्य, यह इतनी शक्तिशाली बन गई कि इसकी बहुत सिफारिशों मानी जाने लगी
- इसे सुपर कैबिनेट के तौर पर देखा जाने लगा

## राष्ट्रीय विकास परिषद

- 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना में इसकी सिफारिश की
- गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक निकाय, कार्यकारी प्रस्ताव से बनाई गई

## गठन

- भारत के प्रधानमंत्री - अध्यक्ष
- समस्त कैबिनेट मंत्री

- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
- सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री प्रशासक
- योजना आयोग (नीति आयोग) के सदस्य
- योजना आयोग के सचिव ही NDC के सचिव होते हैं

## उद्देश्य

- योजना को कार्य में लाने के लिए राज्य का सहयोग लेना
- पूरे देश में किस तरह से विकास होना है उसका संतुलन बनाने की कोशिश करना
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए
- देश के सभी भागों में संतुलित एवं विकास सुनिश्चित करवाने के लिए

## कार्य

- राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना
- योजना आयोग के प्लान की निगरानी करना
- राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले तत्व का उपाय सुझाना
- राष्ट्रीय योजना के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करना
- लक्ष्य की प्राप्ति की अनुशंसा करना

## Chapter 53

### राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

#### आयोग की स्थापना

- गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ 2006 में संशोधित
- एक सांविधिक निकाय है
- मानवाधिकारों का प्रहरी है

#### उद्देश्य

- उन संस्थागत मुद्दों को मजबूत करना जिसके द्वारा मानवाधिकारों के मुद्दों का पूर्ण रूप से समाधान हो सरकार की बातों को ध्यान में रखना ताकि देख सके की कार्य हो भी रहा है या नहीं
- सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना

#### आयोग की संरचना

बहुसदस्यीय संस्था, एक अंद्यक्ष 4 सदस्य

**अध्यक्ष-** उच्चतम न्यायालय का रिटायर मुख्य न्यायाधीश

**सदस्य-** उच्चतम न्यायालय में रिटायर या कार्यरत न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या रिटायर मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए दो अन्य व्यक्ति जो कि मानवाधिकार से संबंधित जानकारी या अनुभवी हो इसके अतिरिक्त

- चार पदेन अध्यक्ष भी हो सकते हैं
- राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग एवं महिला आयोग के अध्यक्ष होने चाहिए

### नियुक्ति

राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित 6 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर

### 6 सदस्य

- प्रधानमंत्री
- लोकसभा अध्यक्ष
- राज्यसभा के उपसभापति
- संसद के दोनों सदनों के विपक्षी दल के नेता
- केंद्रीय गृहमंत्री

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है

### कार्यकाल

- 5 वर्ष यह 70 साल (जो पहले हो जाए)
- अध्यक्ष या सदस्य केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के पद योग्य नहीं रहेंगे कार्यकाल के बाद

### हटाव - राष्ट्रपति द्वारा

1. यदि वह दिवालिया हो जाए
2. कहीं और लाभ के पद पर हो
3. अस्वस्थ हो

#### 4. न्यायालय के द्वारा अपराध का दोषी हो

इसके अतिरिक्त

1. दुर्व्यवहार करें
2. असक्षम हो

सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और अपना निर्णय देगा पर उसका निर्णय बाध्य नहीं है

- वेतन, भत्ते - केंद्रीय सरकार निश्चित करेगी
- इसमें कार्यकाल के दौरान कोई चेंज नहीं

#### कार्य

- देखता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा
- जिस मानवाधिकार का न्यायालय ने फैसला नहीं दिया है उसमें हस्तक्षेप करना
- जेल में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना एवं इस बारे में भी सिफारिश करना
- देखता है सभी को संवैधानिक सुरक्षा मिली है
- मानवाधिकारों का उल्लंघन करने वाली आतंकवाद के कारणों की समीक्षा करना
- जागरूकता फैलाना
- मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के प्रयासों को सराहना

#### कार्य के तरीके

- दीवानी न्यायालय
- केंद्र, राज्य से जानकारी लेता है या रिपोर्ट लेता है
- इसका खुद का staff नहीं होता तो जांच करता है
- किसी भी जांच की मदद ले सकता है चाहे वह केंद्र की हो या राज्य की
- अगर कोई फस गया है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उसके नुकसान की भरपाई करता है
- अगर कोई सरकारी अधिकारी गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है
- पीड़ित व्यक्ति को अंतरिम सहायता प्रदान करता है
- निर्देश देता है आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम या उच्च न्यायालय में जा सकता है

- ना तो यह दोषी को सजा दे सकता है ना ही पीड़ित को सहायता दे सकता है
- सरकार इसकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है पर वह जो भी कार्यवाही
- करेगा सरकार को उसके बारे में 1 महीने के भीतर बताएगा
- सशस्त्र बल के सदस्य द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका ,शक्तियां व न्यायिकता सीमित है
- आयोग इस संदर्भ में केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है
- केंद्र सरकार को 3 माह के भीतर आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना होगा
- आयोग वार्षिक रिपोर्ट केंद्र एवं राज्य सरकार को देता है उसके बाद वह रिपोर्ट सदन में रखी जाती है और उसके ऊपर चर्चा होती है और जो आयोग की सिफारिश सरकार नहीं मानती उसके कारणों का उल्लेख देना पड़ता है

## Chapter 54

### राज्य मानवाधिकार आयोग

- मानव संरक्षण अधिनियम 1993 में ,कहा कि केंद्र एवं राज्य में मानवाधिकार आयोगों की स्थापना होनी चाहिए
- केवल 25- राज्य मानव अधिकार आयोग हैं
- राज्य मानव अधिकार आयोग केवल राज्यसूची एवं समवर्ती सूची वाले मामलों की जांच करता है लेकिन अगर केंद्र समवर्ती सूची वाले विषयों पर कदम उठा चुका है तो राज्य नहीं उठाएगा
- सांविधिक निकाय है
- 2006 में संशोधित
- यह मानव अधिकारों की निगरानी करता है

### संरचना

बहुसदस्यीय निकाय ,एक अध्यक्ष दो अन्य सदस्य

**अध्यक्ष** -उच्च न्यायालय का रिटायर मुख्य न्यायाधीश

**सदस्य-** उच्च न्यायालय का रिटायर या कार्यरत न्यायाधीश होता है या राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 वर्ष का अनुभव हो या जो मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव रखता हो

## नियुक्ति

- अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा 6 सदस्यों की सिफारिश पर

## 6 सदस्य

- मुख्यमंत्री
- विधानसभा का अध्यक्ष
- राज्य का गृहमंत्री
- राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता विधान परिषद है तो उसका विपक्ष का नेता भी
- राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (एक सदस्य के रूप में) सलाह के बाद राज्य के उच्च न्यायालय का एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है

## कार्यकाल

- 5 साल या 70 साल (जो पहले हो जाए)
- कार्यकाल के पश्चात केंद्र और राज्य के पद के लिए योग्य नहीं

## हटाव - राष्ट्रपति द्वारा

- यदि वह दिवालिया हो
- कहीं और लाभ के पद पर हो
- दिमागी, शारीरिक तौर पर अस्वस्थ हो
- दिमागी, शारीरिक तौर पर कर्तव्यों का निर्वहन करने की अयोग्य हो

## इसके अतिरिक्त

- दुर्व्यवहार
- असक्षम



सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा पर राष्ट्रपति पर बाध्य नहीं

तनखावाह व भते राज्य सरकार तय करेगी

### **कार्य, कार्यप्रणाली same as राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**

- सेना के संबंधित यहां पर कोई मामला नहीं
- वार्षिक रिपोर्ट राज्य को देंगे

### **मानव अधिकार कोर्ट**

- इसमें कहा गया कि प्रत्येक जिले में मानवाधिकार कोर्ट के स्थापना हो
- यह स्थापना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राज्य सरकार द्वारा होगी
- इसमें राज्य सरकार एक लोक अभियोजन नियुक्त करेगा जिसे कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो

### **संशोधन अधिनियम 2006**

- इसमें राज्य मानव अधिकार के सदस्य घटाकर 5 दिन कर दिए गए
- अहर्ताओं में परिवर्तन
- मशीनरी को मजबूत बनाना
- राज्य सरकार को सूचित किए बिना जेल में जाने का अधिकार
- राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों की स्थिति भिन्न भिन्न है
- राष्ट्रीय आयोग शिकायतों को राज्यों के पास भेज सकें
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्य होंगे

## Chapter 55

### केंद्रीय सूचना आयोग

#### इसकी जरूरत क्यों पड़ी

- अगर एक नागरिक को वह जानकारी उपलब्ध नहीं है जो उसे मिलनी चाहिए तो वह किसी भी समय इससे जानकारी ले सकता है
- 2005 में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया
- इसकी शक्ति पूरे भारत में चलती है

#### संरचना

- एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं ( 10 से अधिक संख्या ना हो )
- नियुक्ति** - राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर

#### समिति

- प्रधानमंत्री
- लोकसभा में विपक्ष का नेता
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री
- यह तीनों जिस नाम की सिफारिश करेंगे उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करेगा

## योग्यता

- दैनिक जीवन का अनुभव हो
- विधि, विज्ञान एवं तकनीकी सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता जनसंचार या प्रशासन का अनुभवी हो
- यह संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य ना हो
- यह लाभ के पद पर न हो ना ही राजनीतिक पार्टी से संबंध हो, ना अपना व्यापार हो

## कार्यकाल

- 5 वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो जाए)
- पुनःनियुक्त नहीं हो सकते

## हटाने की condition

- यदि वे दिवालिया हो
- यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो (राष्ट्रपति की नजर में)
- यदि अन्य लाभ के पद पर हो
- यदि जिम्मेदारी निभाने में असक्षम हो रिश्वत बगैरा ले रखी हो

## इसके अतिरिक्त

1. दुर्व्यवहार
2. असक्षमता

यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांचा जाएगा सलाह देगा, राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को हटा देते हैं बाध्यकारी नहीं हैं

**वेतन, भत्ते, सेवा शर्त -** निर्वाचन आयुक्त के समान, सेवाकाल के दौरान कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं होता

### शक्तियां एवं कार्य

- जब किसी नागरिक को कोई जानकारी ना मिले तो वह शिकायत लेकर जाता है उसकी शिकायत का निवारण करता है
- जो वह जानकारी चाहता हो उसे वह जानकारी ना मिले
- जानकारी निर्धारित समय पर ना मिले जानकारी झूठी हो
- यदि कोई ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है
- दीवानी शक्तियां प्राप्त
- किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने को कह सकता है
- दस्तावेज मांगना
- शपथ पत्र प्राप्त करना
- कोई भी सावर्जनिक दस्तावेज मांग सकता है
- वार्षिक रिपोर्ट केंद्र सरकार को देता है और केंद्र सरकार वह रिपोर्ट दोनों सदनों में रखती है

## Chapter 56

### राज्य सूचना आयोग

- 2005 में
- गैर संवैधानिक, आजाद निकाय
- यह वित्तीय संस्थानों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि की शिकायतें सुन सकते हैं

#### संरचना

- एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं (संख्या 10 से अधिक ना हो)
- नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर

#### समिति

- मुख्यमंत्री
- विधानसभा में विपक्ष का नेता
- मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री

## योग्यता

- सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए
- विधि, विज्ञान एवं तकनीक सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता जनसंचार या प्रशासन का अनुभवी हो
- संसद या राज्य विधान मंडल का सदस्य ना हो
- राजनीतिक दल से संबंधित ना हो
- तथा लाभ के पद पर ना हो
- व्यापार ना करता हो

## कार्यकाल

- 5 वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो जाए)
- दोबारा नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं

## हटाना

- यदि वे दिवालिया हो
- अपराध के संबंध में दोषी हो
- कार्यकाल के दौरान अन्य लाभ के पद पर हो
- अपने दायित्व का निर्वहन करने में असक्षम
- घोसवारी कर रहा हो

## इसके अतिरिक्त

दुर्व्यवहार  
अक्षमता  
↓  
सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा

राज्यपाल हटा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं

**वेतन भत्ते** - निर्वाचन आयुक्त के सामान (अध्यक्ष की) अन्य सूचना आयुक्त के सचिव के समान

कार्यकाल के दौरान कभी कम नहीं किए जा सकते

## शक्तियां व कार्य

- वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देना देता है फिर राज्य सरकार उसे राज्य विधानमंडल में रखती है
- बाकी same केंद्रीय सूचना आयोग वाली है

## Chapter 57

### केंद्रीय सतर्कता आयोग

#### केंद्रीय सतर्कता आयोग

- केंद्र सरकार में अष्टाचार रोकने के लिए प्रमुख संस्था है
- 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर कार्यकारी प्रस्ताव पारित कर इसकी स्थापना की गई
- यह ना तो सांविधिक संस्था है ना ही संवैधानिक , 2003 में इसे सांविधिक दर्जा मिला
- मुख्यालय - नई दिल्ली

#### मुखबिर (Whistle Blowers)

- अगर एक व्यक्ति किसी विभाग में अष्टाचार कर रहा है तो उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति केंद्रीय सतर्कता आयोग को बता दे तो उसे मुखबिर कहा जाता है इसे सुरक्षा देने के लिए सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले की सुरक्षा प्रस्ताव पास किया गया

#### संरचना

बहुसदस्यीय संस्था

एक अध्यक्ष, दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त

नियुक्ति - राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर

3 सदस्य

- प्रधानमंत्री
- लोकसभा में विपक्ष का नेता
- केंद्रीय गृह मंत्री

**कार्यकाल** - 4 वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो जाए)

कार्यकाल के पश्चात केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी पद के योग्य नहीं

दोबारा इसी पद पर नियुक्ति भी नहीं हो सकता

**हटाव**

1. यदि दिवालिया घोषित हो
2. अपराध में दोषी पाया गया हो
3. कहीं और लाभ के पद पर हो
4. यदि मानसिक एवं शारीरिक कार्य करने में असमर्थ हो
5. घूसखोरी कर रहा हो

**इसके अतिरिक्त**

1. दुराचरण
2. असक्षम

राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट को जांच के लिए कहेगा

जांच के बाद राष्ट्रपति हटा सकता है पर सुप्रीम कोर्ट की सलाह बाध्यकारी नहीं है

## वेतन , भते

अध्यक्ष -UPSC के अध्यक्ष के समान वेतन

सदस्य -UPSC के सदस्यों के समान नियुक्ति के बाद वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता

## संगठन

3 शाखाएं जो मिलकर काम करती हैं

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
2. मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा (CTE)
3. विभागीय जांच के लिए आयुक्त (CDI)

## केंद्रीय सतर्कता आयोग का सचिवालय

- इसमें एक सचिव, संयुक्त सचिवगण, अवर सचिवगण, तथा कार्यालय कर्मचारी की तकनीकी सहायक होते हैं

## मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा

- यह CVC की तकनीकी शाखा है जिसमें मुख्य तकनीकी परीक्षक तथा सहायक इंजनियर स्टाफ होता है

## कार्य

- तकनीकी ढंग से सरकारी संगठनों का निर्माण
- शिकायतों के विशिष्ट मामलों के अनुसंधान
- CBI को ऐसे मामले में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित हो
- CVC को तकनीकी मामलों से जुड़े मुद्दों पर सलाह देना

## विभागीय जांच के लिए आयुक्त (CDI)

- CDI जांच करने का कार्य करता है जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध मौखिक जांच पड़ताल करता है

## कार्य

- केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे मामलों की जांच करना जो कि भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत अपराध हो
- भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 के तहत अपराधों की जांच के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के कामकाज की देखरेख करना
- निर्देश देना
- समीक्षा करना
- केंद्र सरकार को सलाह देना
- CVC इसके अध्यक्ष होते हैं
- अगर केंद्र सरकार अखिल भारतीय अधिकारी से संबंधित मामले लेकर आ रही हैं तो भी CVC से सलाह ली जाएगी
- जब 2013 में लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट आया उसने केंद्रीय निगरानी एक्ट 2003 में तथा दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम को संशोधित कर दिया
- अगर CBI के निर्देशक की नियुक्ति करनी है तो CVC से बातचीत करनी पड़ती है
- CBI के निर्देशक की नियुक्ति को छोड़कर बाकियों की नियुक्ति करते समय CVC का अध्यक्ष, अध्यक्षता करता है
- दोनों सतर्कता आयुक्त, गृह मंत्रालय के सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिव गण, चयन समितियों के सदस्य होते हैं
- जो जांच लोकपाल करने को कहता है वह भी इन से बातचीत करके की जाती है

## कार्य क्षेत्र

- कौन-कौन से कार्य क्षेत्र इनके अंदर आते हैं
- अखिल भारतीय सेवाएं
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- RBI, NABARD और SIDBI के ग्रेडी D व इससे ऊपर के अधिकारी साधारण बीमा कंपनियां
- ,केंद्र सरकार के स्थानीय निकाय

## कार्यप्रणाली

- मुख्यालय - नई दिल्ली
- दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं
- केंद्र सरकार इनकी सलाह मानती है अगर सलाह नहीं मानती तो केंद्र सरकार को लिख कर देना पड़ेगा कि उन्होंने सलाह क्यों नहीं मानी
- यह राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति उसे संसद में रखता है
- केंद्र सरकार कि हर मंत्रालय के अंदर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो कि विभाग की देखरेख करता है

## मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्य

- भ्रष्ट आचरण संबंधी सूचना एकत्र करना
- जांच करना
- CVC सलाह देना
- रिपोर्ट की जांच करना और जांच करवाना

## विस्तर ब्लॉअर एक्ट 2011

- यह अधिनियम उस व्यक्ति को बचाता है जो कि केंद्र सरकार के अंदर की बातें बताता है और बचना चाहता है यह एक्ट इसलिए बना कि भ्रष्टाचार ना रहे लोकसभा में यह पहले ही पास हो गया था पर राज्यसभा में 21 फरवरी 2014 में पास किया गया राष्ट्रपति ने 9 मई 2014 को हस्ताक्षर किये

## लाभ

- यह एक विस्तर ब्लॉअर की पहचान की गोपनीयता रखने की विधि प्रस्तुत करता है
- ऐसी व्यवस्था स्थापित करता है कि लोग भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकें अगर कोई गलत शिकायत करता है तो शिकायतकर्ता को 2 साल की जेल और 30,000 तक का जुर्माना हो सकता है
- शिकायत लिखित रूप में ईमेल, मैसेज द्वारा भी हो सकती है
- राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सूचना को एक्ट के दायरे से बाहर रखा गया है

## कौन-कौन मुख्यिर हो सकता है

या तो सरकार का व्यक्ति या NGO

## निम्नलिखित जगह पर लागू नहीं होता

- जम्मू एवं कश्मीर
- सेना में
- विशेष सुरक्षा समूह जो प्रधानमंत्री को सुरक्षा उपलब्ध कराएं

## Chapter 58

### केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

#### CBI की स्थापना

Headquarter नई दिल्ली

- **गठन** - CBI को 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा पारित किया गया और बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया
- CBI की स्थापना संथानम आयोग द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हुई।
- यह कोई वैधानिक संस्था नहीं है इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम 1946 से शक्ति मिलती है।
- यह CVC की सहायता भी करती है

**सिद्धांत-** उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी

**लक्ष्य** - भारत के संविधान को बनाए रखना ताकि उसका कोई उल्लंघन ना करें, पुलिस को निर्देश देना

#### CBI का संगठन

भ्रष्टाचार निरोधक शाखा
आर्थिक अपराध शाखा
विशेष अपराध शाखा
नीतिगत एवं अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग शाखा
प्रशासनिक शाखा
अभियोग निदेशालय
केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला



## संरचना

- प्रमुख - निदेशक
- सहयोगी - विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशक

## इसके अतिरिक्त

- संयुक्त निदेशक, उपमहानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस कर्मियों के अन्य रैंक होते हैं
- 5000 कार्मिक
- 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक
- 250 विधि अधिकारी

## निदेशक

- दिल्ली विशेष पुलिस एवं CVC एक्ट के हिसाब से काम करता है
- कार्यकाल -2 वर्ष
- पुलिस महानिरीक्षक के पद के बराबर

लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 में दिल्ली विशेष पुलिस 1946 को संशोधित किया

## संशोधित रूप

CBI के निदेशक को नियुक्त करने के लिए 3 सदस्य कि समिति सिफारिश करती है

### 3 सदस्य

1. प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
  2. लोकसभा में विपक्ष का नेता
  3. मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो
- लोकपाल तथा लोकायुक्त एकट 2013 के तहत केसों के कार्यों के लिए एक निदेशक मंडल होना चाहिए जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा निदेशक, भारत सरकार के संयुक्त सचिव पद से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। वह CBI के नियंत्रण तथा निगरानी पर कार्य करेगा
  - CBI के अन्य अधिकारी, जिला पुलिस अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक के हो और उन्हें CVC, सतर्कता अधिकारी, गृह मंत्रालय के सचिव और कार्मिक विभाग के द्वारा नियुक्त होंगे
  - अगर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है तो जो सबसे बड़े विपक्षी पार्टी होगी उसके नेता को विपक्ष नेता समझा जाएगा

## CBI के कार्य - नेशनल सेंट्रल ब्यूरो

- भ्रष्टाचार, घूसखोर तथा दुराचार के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करना
- राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों की जांच करना
- पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों की जांच जिनका राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो
- भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा राज्य पुलिस बलों के बीच तालमेल बनाना
- राज्य सरकार के कहने पर सार्वजनिक महत्व के मामले को अपने हाथ में लेना
- अपराधिक सूचनाओं का प्रसाद
- हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राज्य सरकार के कहने पर हाथ में लेना

## पूर्व अनुमति का प्रावधान

- पहले, अगर केंद्र सरकार तथा संयुक्त सचिव या उसे उच्च अधिकारी अगर भ्रष्टाचार कर देते थे तो इस जांच के लिए केंद्रीय निगरानी ब्योरो से अनुमति लेनी पड़ती थी।
- 6 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है
- दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की धारा 6A, संविधान की धारा 14 के खिलाफ है
- मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भ्रष्ट नौकरशाह चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो उसे दंडित करना है
- IPC Act 1988 के अधीन अनिवार्य अधिदेश है

## CBI बनाम राज्य पुलिस

- विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (सीबीआई की एक शाखा) राज्य पुलिस बलों का पूरक है पर इन दोनों में दोहराव की स्थिति ना आ जाए इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है
- विशेष पुलिस प्रतिष्ठान में केवल वही मामले जो कि केंद्र सरकार तथा इसके कर्मचारियों से अनिवार्यता संबंधित है भले ही उनमें राज्य सरकार के भी कुछ कर्मचारी शामिल हो
- राज्य पुलिस बल, राज्य सरकार एवं उसके कर्मचारियों से संबंधित मामले लेगी भले ही उसमें केंद्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी शामिल हो
- विशेष पुलिस प्रतिष्ठान लोक उद्यमों, तथा वैधानिक निकाय के कर्मचारियों के विरुद्ध मामले भी हाथ में लेगा जो केंद्र द्वारा संस्थापित तथा वित्त पोषित हो

## CBI का अकादमी

Headquarter - दिल्ली

Training - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (1996)

क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर - मुंबई, चेन्नई

**लक्ष्य-** अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना

Training के दो प्रकार

**लघु अवधि** - जो थोड़े समय के लिए हो, CBI अधिकारियों, राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों तथा केंद्रीय लोक उद्यमों के लिए

**लंबी अवधि-** लंबे समय के लिए, सीधे नियुक्त DSP, उप निरीक्षक तथा CBI के सिपाहियों के लिए

## Chapter 59

# लोकपाल एवं लोकायुक्त

### विश्व परिदृश्य

- जब से हमारे देश में लोकतंत्र शुरू हुआ तब से ऐसे कई स्कीमें चलाई गई कि हमारे देश का कल्याण हो सके जब कल्याण की बातें आती हैं तो प्रशासन प्रणाली में आता है जिससे लोक सेवकों को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त होती है तो भ्रष्टाचार भी बढ़ता है यह परिस्थिति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के लिए जिम्मेदार है इन तथ्यों के निवारण के लिए विभिन्न देशों ने विभिन्न युक्तियां अपनाई
- सबसे पहले 1809 में स्वीडन में ओमनुइसमैन (लोकपाल) बना, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि जनता की ओर से काम करें
- फिनलैंड में 1919 में, डेनमार्क में 1955 में नार्वे में 1962 में बना
- न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है जिसने 1962 में ऑब्डसमैन प्रणाली को "पार्लियामेंट्री कमिशनर फॉर इन्वेस्टिगेशन" के रूप में अपनाया
- भारत में लोकपाल बोला जाता है
- लोकपाल का अर्थ है - जनता का रखवाला

- प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) में कहा गया कि भारत के केंद्र में लोकपाल होना चाहिए राज्य के लिए लोकायुक्त हो जो कि नागरिकों को मुश्किलों को देखें प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करेगा

## लोकपाल का इतिहास

- 1968 में इंदिरा गांधी के सरकार ने बिल पेश किया था
- 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने दोबारा बिल पेश किया
- 1970 में जनता सरकार ने
- 1985 में कांग्रेस सरकार ने (राजीव गांधी)
- 1989 में वीपी सिंह (राष्ट्रीय मोर्चा) 1996 में देव गौड़ा ने संयुक्त मोर्चा सरकार ने
- 1998 में अटल बिहारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने
- 2001 में अटल बिहारी की NDA सरकार ने
- अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार ने
- दिसंबर 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में UPA सरकार ने
- इस तरह 2011 तक पास नहीं किया गया

- लोकसभा विधेयक के कारण  
पास नहीं हुआ

## लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013

- 2011 में अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे तो काफी बवाल हुआ इसे निपटाने के लिए सरकार ने एक संयुक्त प्रारूप समिति गठित की जिसमें भारत सरकार के मंत्रियों में से पांच नामित मंत्री तथा श्री अन्ना हजारे जी के 5 नामित व्यक्ति थे जिन्हें लोकपाल बिल बनाना था 2011 में लोकपाल बिल लोकसभा में पारित हुआ और कमेटी ने देखा और कई सिफारिशें दी और कहा कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए पर सरकार ने वापस ले लिया
- फिर से लोकपाल से संबंधित नया बिल परिचित हुआ
- फिर 116वा संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आया और इसे संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई पर यह नहीं हो पाया

- बिल पास तो हो गया पर राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2014 को हस्ताक्षर किए और यह 16 जनवरी 2014 को एकट बन गया

## विशेषताएं

- लोकपाल -केंद्र में
- लोकायुक्त - राज्य में
- लोकपाल के क्षेत्राधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य, श्रेणी A, B, C, D और केंद्र सरकार के अफसर आएंगे
- एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होंगे इसमें 50% न्यायिक सेवा के सदस्य होंगे
- 50% SC, ST, OBC और महिलाएं तथा अल्पसंख्यक होंगे
- इसमें अध्यक्ष व सदस्य को एक समिति द्वारा चुना जाएगा इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष विपक्ष के नेता और या तो मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत कोई और जज होगा और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होगा
- एक सर्च समिति होगी जो कि सदस्यों के चयन में मदद करेगी । इसमें 50% सदस्य SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक व स्त्रियां होंगी
- प्रधानमंत्री भी लोकपाल के दायरे में आएगा
- लोकपाल के कोई Problem दिखती है तो वह मामला CVC को देता है क्योंकि जांच करने की शक्ति इसमें नहीं है
- कोई संस्था जो आधी या पूरी सरकार के Under है तो भी लोकपाल के दायरे में आएगी
- अगर ईमानदार अधिकारियों पर कोई गलत कार्यवाही करता है तो इनको सुरक्षा मिलेगी
- अगर कोई कंपनी विदेश ते 10 लाख से ज्यादा 1 वर्ष में ले रही है तो वह कंपनी भी लोकपाल के दायरे में आएगी
- पहले बोला गया कि जिस दिन लोकपाल बनेगा उसके 365 दिन के अंदर हर राज्य को लोकपाल बनाना पड़ेगा यह act राज्यों को आजादी देगा कि लोकायुक्त की बनावट कैसी हो

## कमियां

- यह अपने आप action नहीं ले सकते अगर कोई शिकायत दर्ज करें तभी ये action लेंगे
- शिकायत के आधार पर ही काम करेंगे ,विषयवस्तु पर नहीं

- झूठी शिकायतों पर भी कई बार लोगों को बड़ी बड़ी सजा दी जाती हैं
- शिकायत को सादे कागज पर लिख कर देना पड़ेगा
- जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है उसको कानूनी सहायता का प्रावधान
- 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता
- प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत को निपटाने की विधि अपारदर्शी है

## लोकायुक्त

- 2013 के एकट के आधार पर काम करता है
- पर महाराष्ट्र में 1971 से लोकायुक्त है उड़ीसा में 1970 में पारित हुआ पर 1983 में लागू हुआ
- 2013 तक 21 राज्य और दिल्ली लोकायुक्त बना चुके थे।

## ढांचागत भिन्नताएं

सभी राज्यों में ढांचा समान नहीं है

## नियुक्ति

लोकायुक्त, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता से परामर्श करता है

## योग्यता

कई राज्यों में निर्धारित, अधिकांश में निर्धारित नहीं

## कार्यकाल

- 5 वर्ष या 65 वर्ष (जो पहले हो जाये)
- लोकायुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे

इसकी सिफारिश केवल सलाहकारी है बाध्यकारी नहीं

## Chapter 60

### सहकारी समितियां

2011 में संवैधानिक संशोधन 97वे में सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान किया गया।

#### **इसमें संविधान में तीन बदलाव किए गए**

- सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (A-19)
- DPSP जोड़ा (A-43B)
- खंड -9B जोड़ा, A-243 ZH to 243 ZT- सहकारी समितियां

#### **सहकारी समितियां**

- एक ऐसा समूह जो मिलकर साथ में आए और सहयोग करें लोग अपनी इच्छा से आकर इससे जुड़ते हैं जिनका समान आर्थिक उद्देश्य हो इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता।

#### **संवैधानिक प्रावधान - Part 9 B के तहत**

#### **सहकारी समितियों का संस्थापन**

- राज्य विधानमंडल संस्थापन से संबंधित नियम बनाए गी।

#### **बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या व शर्तें**

- अधिकतम 21 जिसमें 1 SC, 1 ST, 2 महिलाएं
- यह सब राज्य विधानमंडल तय करेगा।

- कार्यकाल 5 वर्ष, कार्यकाल खत्म होने से पूर्व नए सदस्यों का चुनाव होगा

### **बोर्ड का विघटन एवं निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन**

किसी भी बोर्ड को 6 माह से अधिक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा

विघटन या निलम्बित होने के कारण

- लगातार काम नहीं करने पर
- काम में लापरवाही करने पर
- हित के खिलाफ काम करने पर
- 6 माह के अंदर चुनाव करवाने हैं

### **सहकारी समितियों के खाते के अंकेक्षण**

हर वर्ष audit करवाना है

- यह रिपोर्ट हर वर्ष राज्य विधानमंडल में रखा जाना है

### **आम सभा की बैठक बुलाना**

- आसपास की मुश्किलों के देखने के लिए 6 माह में एक बैठक तो होनी ही चाहिए

### **सूचना पाने का सदस्यों को अधिकार**

- कहा से कमाई हो रही है कहां पर निवेश हो रहा है
- हर 6 माह के अंदर सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रिटर्न दाखिल करना होगा
- Audit देखना
- सहकारी समितियों द्वारा संशोधन की सूची

### **अपराध एवं दंड**

- राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकती है
- बहुराजीय सहकारी समितियों में इन कानूनों का कार्यान्वयन
- किस तरह UT, s में लागू करना है यह केंद्र के हाथ में है

### **केंद्र शासित क्षेत्रों में**

### **मौजूदा कानून का बने रहना**

- अगर कोई पहले का कानून संशोधन के हिसाब से चल रहा है तो वह बना रह सकता है। 1 वर्षीय तक समय दिया गया कि आप नया कानून लागू कर सकते हैं।

## 97वा संशोधन

- सहकारी समितियों को अनुसचित 7 , राज्य सूची, entry 32 में रखा गया है

Chapter 61

## राजभाषा

भाग 17 ,A-324 to 351 में रखी गई है

इन भाषाओं को चार भागों में बांटा गया है

- संघ भाषा
- प्रादेशिक भाषा
- न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा
- विशेष निर्देशों की भाषा

### संघ की भाषा

- जब भाषा रखी जा रही थी तो यह बोला गया कि हमें देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा तो रखनी है पर संख्याएं देवनागरी लिपि में नहीं बल्कि उनका रूप अंतरराष्ट्रीय होगा (1,2,3,4,5 )
- 15 वर्षों तक (1950 से 1965) तक अंग्रेजी का प्रयोग उस प्रयोजन के लिए जारी रहेगा जो 1950 के पूर्व होता था
- राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह भाषा आयोग की स्थापना करें और हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और अंग्रेजी को सीमित करें

- 1955 में राष्ट्रपति ने B J Kher की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट की समीक्षा 1957 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने किया। संसद ने 1963 में अधिनियम को अधिनियमित कर दिया। अंग्रेजी जारी रहेगी साथ ही हिंदी भी प्रयोग होती रहेगी।
- 1967 में संशोधन हुआ और कहा कि कुछ विशेष मामलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य होगा।

### **क्षेत्रीय परिषद**

- संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष भाषा का का उल्लेख नहीं है।
- किसी राज्य की विधायिका एक या एक से अधिक भाषा या हिंदी का चुनाव कर सकती है जब तक ना करें तब तक अंग्रेजी भाषा होगी।
- राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव आठवीं अनुसूची तक ही सीमित नहीं है।
- दो या दो से अधिक राज्य परस्पर संवाद के लिए हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं।
- 1963 में अधिनियम के अनुसार संघ व गैर हिंदी भाषी राज्यों के मध्य अंग्रेजी संपर्क भाषा होगी।
- जब राष्ट्रपति कहे की जनसंख्या का अधिकतर भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य की भाषा के रूप में मान्यता चाहता है तो वह उसे मान्यता दे सकता है।

### **न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ**

- जब तक संसद व्यवस्था ना करें तब तक उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की कार्यवाही तथा केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमों के अधिकारिक पाठ अंग्रेजी में ही होंगे।
- अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद उच्च न्यायालय में हिंदी में कार्यवाही होने का दर्जा दे सकता है पर निर्णय अंग्रेजी में ही आएगा।
- राज्य विधानसभा में भी दूसरी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं पर सबका अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित होगा। सुप्रीम कोर्ट केवल वही याचिका सुनता है जो अंग्रेजी में है।

### **विशेष निर्देश**

### **भाषा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा**

- किसी अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है
- बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का अधिकार है
- इनकी देखरेख के लिए राष्ट्रपति विशेष अधिकारी नियुक्त करता है अगर अल्पसंख्यक के साथ कुछ गलत हो रहा तो वह राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा

## हिंदी भाषा का विकास

हिंदी भाषा का विकास किया जाए ताकि उत्तर से दक्षिण तक एक ही भाषा हो

आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं

1. असमिया
2. बंगाली
3. गुजराती
4. हिंदी
5. कन्नड़
6. कश्मीरी
7. कोकड़ी
8. मलयालम
9. मणिपुरी
10. मराठी
11. नेपाली
12. मैथिली
13. ओडिया
14. पंजाबी
15. संस्कृत
16. हिंदी
17. तमिल
18. तेलुगु

19. उर्दू
20. डोगरी
21. बोडो
22. संथाली

## आठवीं अनुसूची में रखने के दो उद्देश्य

इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए

हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए राजभाषा के विकास के लिए 1976 में समिति गठित की गई जिसमें 30 सदस्य (20 लोकसभा 10 राज्यसभा )

### शास्त्रीय भाषा का दर्जा

संस्कृत विश्व की सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा है लेटिन से भी पुरानी

**शास्त्रीय भाषा** वह भाषा जो काफी पुरानी हो, वह किसी और भाषा से ना निकली हो और उसका अपना आधार हो। उसमें प्राचीन साहित्य होना चाहिए

2004 में भारत सरकार ने एक नया वर्ग शास्त्रीय भाषा को लाया

### 6 शास्त्रीय भाषा है

तमिल 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008 में, कन्नड़ 2008 में, मलयालम 2013 में और उडिया 2014 में

### मानदंड

वह भाषा जो 15 से 2000 वर्ष पुरानी है, continuity हो

Discontinuity भी हो सकती है

### लाभ

शास्त्रीय भाषा को वित्तीय भाषा मिलती है, इसे पुरस्कार भी मिलते हैं

UGC के द्वारा उसे बढ़ाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं

## Chapter 62

### लोक सेवाएं


#### लोक सेवाएं

तीन प्रकार की होती हैं

1. अखिल भारतीय सेवाएं
2. केंद्रीय सेवाएं
3. राज्य सेवा

#### अखिल भारतीय सेवाएं

अखिल भारतीय सेवाएं में सेवाएं हैं जो राज्य व केंद्र सरकार में समान होती हैं इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के अधीन शीर्ष पदों पर होते हैं



अखिल भारतीय सेवाओं के पिता  
सरदार वल्लभभाई पटेल

## ICS कहते थे

- अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 कहता है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से सलाह करके इसके सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों संबंधी नियम बनाएं
- इनकी भर्ती ट्रेनिंग केंद्र सरकार द्वारा पर कार्य राज्यों में करेंगे
- वेतन एवं पेंशन राज्यों द्वारा दी जाती है हर राज्यों में same रहती है
- इनको केंद्र और राज्य सरकार दोनों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है पर ज्यादा केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है अगर IAS से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना है तो केंद्र सरकार के तहत किया जाएगा

## केंद्रीय सेवाएं

केंद्रीय सेवाओं के सदस्य केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं वह केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट पदों पर आसीन होते हैं

यह चार भागों में बटी हुई है

1. समूह क,
2. समूह ख
3. समूह ग
4. समूह घ

वर्तमान में समूह क में 60, ख में 25 सेवाएं हैं। समूह क की कुछ प्रमुख केंद्रीय सेवाएं निम्न हैं

1. स्वास्थ्य सेवा
2. केंद्रीय सूचना सेवा
3. केंद्रीय विधिक सेवा
4. केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा
5. केंद्रीय सचिवालय सेवा
6. भारतीय विदेश सेवा
7. भारतीय डाक सेवा

समूह ग के -लिपिकीय कर्मचारी

समूह घ -के श्रमिक कर्मचारी

समूह क व ख के अधिकारी राजपत्रित (गजट में जिनका नाम लिखा हो) अधिकारी होते हैं।

केंद्रों में भारतीय विदेश सेवा उच्चतम है IAS के बाद दूसरे नंबर पर भारतीय विदेश सेवा को ही माना जाता है इसके बाद IPS आती है

## राज्य सेवा

पूरी शक्ति राज्य सरकार के पास होती है

राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न पदों पर आसीन रहते हैं पर यह IAS ,IPS, IFS से निचले पदों पर होते हैं

राज्य सरकार में अलग-अलग पद देखने को मिलते हैं ,सिविल सेवा, पुलिस, वन, चिकित्सा ,कृषि, शिक्षा

जिस राज्य में कर्मचारी सेवा कर रहे हैं इस सेवा के आगे उन राज्यों का नाम आता है उदाहरण पंजाब पुलिस सेवा, हरियाणा कृषि सेवा।

सभी राज्यों में सिविल सेवा सबसे प्रतिष्ठित सेवा है

इनके भी 4 समूह है

class1 and 2 - राजपत्रित (गजट) - पदाधिकारी

Class 3 and 4 -राजपत्रित (गजट) में नहीं - कर्मचारी

1951 अधिनियम में कहा कि 33% सीटें हमें IAS, IPS, IFS, बगैरा से नहीं भरनी है क्योंकि जो राज्यों के पदाधिकारी होते हैं उन्हें भी तो प्रोन्नति देनी है

प्रोन्नति के लिए समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है उस समिति के अध्यक्ष के UPSC सदस्य होते हैं

## संवैधानिक प्रावधान

भाग 14 ,A - 308 to 314 में

अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं, राज्य सेवा रखी गई हैं

A-308 कहता है कि यह उपबंध जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं

A-309 के तहत संसद केंद्र की, राज्य विधान सभा राज्य की लोक सेवाओं की भर्ती के लिए नियम बनाती है राष्ट्रपति, राज्यपाल भी इन मामलों में नियम बना सकता है

### **कार्यकाल**

A-310 के तहत राष्ट्रपति केंद्र, राज्यपाल राज्य में तय करते हैं

### **सुरक्षा**

- A-311 के तहत इन्हें सुरक्षा दी गई ताकि इन पर कोई मनमानी ना कर सके
- अगर इनको हटाना है या बर्खास्त करना है तो जिस authority द्वारा नियुक्त किए गए थे उससे नीचे की authority हटा नहीं सकती
- इनके खिलाफ जांच चलेगी अगर यह दोषी पाए जाए तब इनको एक मौका दिया जाएगा अपने आप को साबित करने का
- यह ऊपर वाली दो सुरक्षाये सैन्य सेवा में नहीं मिलेगी

### **अखिल भारतीय सेवाएं**

- A-312 में इस संबंध में बात की गई है
- नियुक्तियों के लिए राज्य सभा में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित होना चाहिए
- 1951 अधिनियम के अनुसार भर्ती संसद के हाथ में
- 42वें संविधान संशोधन में कहा गया कि अखिल भारतीय, न्यायिक सेवाओं को भी उपलब्ध करवाएगा
- A 312A, 28वें संविधान संशोधन में बोला गया कि औपनिवेशिक काल में ताज के समय से जो सेवा चल रही थी उसे संसद अपने हिसाब से बदल सकती है

## Chapter 63

### अधिकरण

- मूल संविधान में यह नहीं थी
- 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया
- भाग 14 क, जिसे अधिकरण का नाम दिया गया
- A-323 क, 323 ख

**अधिकरण** - कोई जज हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, बहुत सारे समूह हो सकते हैं जो की लड़ाई को हल करने का साधन ढूँढ़ते हैं, अधिकरण कहलाते हैं

### प्रशासनिक अधिकरण

- A-323 क, 1985 में संसद द्वारा पास
- यह संसद को अधिकार देता है कि वह केंद्र व राज्य की सेवाओं स्थानीय निकायों सार्वजनिक निगमों तथा अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित विवादों को समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करेगा

- प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 केंद्र में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT), राज्य में राज्य प्रशासनिक अधिकरण (SAT) को स्थापित करने का अधिकार देता है न्याय की प्रक्रिया शीघ्र करने और खर्च कम करने के लिए बना है।

## CAT

- 1985 में बना
- मुख्य शाखा - दिल्ली
- इसकी 17 शाखाएं हैं। 15 मुख्य न्यायाधीशों की प्रधान पीठ पर और दो अन्य जयपुर एवं लखनऊ में संचालित हैं।
- CAT अपने अधिकार क्षेत्रों में आने वाले लोक सेवकों की भर्ती सेवा संबंधी मामले को देखता है।
- इनके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय लोक सेवा, केंद्र के अधीन नागरिक पद, सैन्य सेवाओं के सिविल कर्मचारी आते हैं।
- सैन्य सेवाओं के सदस्य व अधिकारी उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी और संसद के सचिवालय कर्मचारियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया।
- CAT बहुसदस्यीय निकाय है, 1 अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं।
- 2006 में संशोधन करके CAT के सदस्यों की हैसियत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर कर दी गई। इसमें एक अध्यक्ष और 65 सदस्य।
- न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों संस्थानों के लिए सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं।
- कार्यकाल- अध्यक्ष 5 साल या 65 वर्ष।
- सदस्य 5 साल या 62 वर्ष।

**नियुक्ति** - सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष अधिकार प्राप्त चयन समिति द्वारा होता है। मुख्य न्यायाधीश की सहमति के बाद कैबिनेट की नियुक्ति समिति के अनुमोदन के पश्चात नियुक्ति की जाती है।

CAT, 1908 की सिविल प्रक्रिया संहिता कानून की प्रक्रिया से बाध्य नहीं है।

शुल्क 50 रुपए, व्यक्ति खुद भी जा सकता है अपने वकील को भी भेज सकता है।

अगर CAT के विरुद्ध याचिका करनी है तो केवल उच्चतम न्यायालय में दी जा सकती है उच्च न्यायालय में नहीं मामले

चंद्र कुमार मामले में बोला गया कि उच्च न्यायालय पर प्रतिबंध है यह असंवैधानिक है

अब CAT → High Court → Supreme Court इस तरह चलता है

## राज्य प्रशासनिक सेवा

राज्यों की मांग पर केंद्र सरकार द्वारा 1985 में बनाया गया

अब तक 9 राज्य में है

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल 2010 में

मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में अब खत्म हो चुके हैं  
 ↓                   ↓  
 तमिलनाडु ने मांग की है इसने पुनर्गठन किया

- SAT भी अपने क्षेत्र में आने वाली राज्य सरकार के कर्मचारियों की भर्ती व सेवा मामले को देखता है
- SAT के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है
- दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त प्रदर्शनी अधिकरण (JAT) भी बन सकता है
- JAT के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की सलाह पर की जाती है

## अन्य मामलों के लिए प्राधिकरण

A-323 में कहा है संसद एवं विधायिका निम्न मामलों पर अधिकरण बनाने का अधिकार देता है

- कर संबंधी
- विदेशी मुद्रा, आयात और निर्यात
- औद्योगिक और श्रम
- भूमि सुधार
- नगद संपत्ति की अधिकतम सीमा

- संसद व राज्य विधायिका के लिए निर्वाचन
- खाद्य सामग्री
- किराया और किराएदार का अधिकार

### A -323 क और 323 ख में अंतर

A -323 क	A-323 ख
लोक सेवाओं से संबंधित मामले	अन्य मामले कर ,भूमि ,खाद्य etc
केवल संसद का गठन करते हैं	संसद एवं राज्य विधायिका दोनों उसका गठन कर सकती हैं
केंद्र प्रत्येक राज्य अथवा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए केवल एक अधिकरण हो सकता है	इसमें पदानुक्रम ( पहले एक बार फिर दूसरे ) देखने को मिलता है

## Chapter 64

### **सरकार के अधिकार और दायित्व**

- भाग 12, अनुच्छेद 294 से 300 में केंद्र सरकार व राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व बाध्यताये और वाद से संबंधित हैं।

#### **केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति उत्तराधिकार**

- संविधान से पूर्व सारी संपत्ति और आस्तियां राजाओं के राज्य के अधीन और अब केंद्र एवं राज्यों के पास

#### **राजगामी, व्यपगत और स्वामीविहीन**

- भारत में कोई भी संपत्ति जो इंग्लैंड के राजा, भारतीय प्रांतों के शासकों को राजगामी, व्यपगत या स्वामीविहीन द्वारा अधिकार पूर्ण स्वामित्व से मिली हो तो वह संपत्ति राज्य की। अगर इन तीनों स्थितियों के अलावा कोई संपत्ति हो तो वह केंद्र की।

**सागरीय संपदा A -297**

- भारत का जल क्षेत्र जो है उसके भारत से आगे 12 नॉटिकल मील तक फैला है इस दौरान नॉटिकल मील तक जो भी खनिज या कुछ भी मिलेगा तो भारत सरकार का होगा राज्य उस पर दावा नहीं कर सकता

## विधि द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अधिग्रहण

- संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और मांग के लिए नियम बना सकती है। दो स्थितियों में यह नियम नहीं बना सकती
  - अल्पसंख्यक की भूमि सरकार को वापस करनी हो
  - जब सरकार ने किसी व्यक्ति की भूमि ली हो जो कि उसकी निजी खेती हो

## कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत अधिग्रहण

- संघ या राज्य किसी संपत्ति को अपने विशेष शक्ति द्वारा अधिग्रहित कर सकता है, कब्जे में रख सकता है बेच सकते हैं। व्यापार को भी अधिग्रहण कर सकता है

## सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद

- A-300 के तहत भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद के लिए केंद्र सरकार के नाम का इस्तेमाल कर सकती हैं और राज्य सरकार वहां की सरकार का नाम। सरकार केवल देश का हिस्सा नहीं है, सब कुछ नहीं है भारत सरकार और राज्य सरकार को कोई सुरक्षा नहीं है सुरक्षा देश को है ताकि ब्रिटिश शासन की तरह हमारी सरकार ना बन जाए

## अनुबंध संबंधी दायित्व A -299

अगर केंद्र एवं राज्य सरकार व्यापार के लिए अनुबंध में आती है तो उसके लिए तीन शर्तें हैं

- अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल अपनी इच्छा व्यक्त करें
- राष्ट्रपति और राज्यपाल के विश्वास पर काम होता है
- राष्ट्रपति और राज्यपाल जिसको नियुक्त करेंगे काम के लिए वही करेगा अगर कोई राष्ट्रपति और राज्यपाल को बीच में नहीं लाना चाहता तो कांटेक्ट नहीं होगा

## नागरिक गलतियों की जिम्मेदारी

- पहले यह कहा गया था कि ब्रिटिश जो कुछ भी यहां कर रही है चाहे सही हो चाहे वह गलत वह संप्रभु है वह जो भी करेंगे हमारे फायदे के लिए करेंगे वही चीज है। 1947 के बाद आगे सरकार पर भी लागू करने की कोशिश की गई कि सरकार जो भी करेगी हमारे सहायता के लिए करेगी हमारे फायदे के लिए करेगी

दो मामले

1965 कस्तूरी लाल, 1994 नागेंद्र राव

इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी जो भी संप्रभुता है वह जनता के फायदे के लिए होनी चाहिए अगर आपके किसी अधिनियम से जनता को परेशानी हो रही है तो उसका मुआवजा देना पड़ेगा। आपको समाज के कल्याण के लिए चलना है

## लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद

### उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल

- अगर यह कार्य पर हैं तो इनके खिलाफ कोई मामला नहीं लाया जा सकता। इनके कार्यकाल के दौरान इन्हें संरक्षण मिलेगा। जब यह कार्य से निकल जाएं तब इनके विरुद्ध मामला चलता है

**मंत्री**- कोई संरक्षण नहीं मिलता

**न्यायिक अधिकारी** - इन्हें न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम 1850 के अनुसार संरक्षण मिलता है

**लोक सेवक** - प्रत्यक्ष रूप से कोई संरक्षण नहीं अगर इन पर कोई मामला चलता है तो इन्हें खुद को सही साबित करने का मौका दिया जाता है अगर कोई सिविल सेवक पूरे नियमों के साथ अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहा है और फिर भी उसे कोई काम गलत हो जाता है तो इस पर कोई मामला नहीं चलेगा अगर नियमों के खिलाफ काम चल रहा है तो मामला चलेगा

## Chapter 65

### हिंदी भाषा में संविधान का प्राधिकृत पाठ

#### संवैधानिक प्रावधान

- मूल संविधान में हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था
- 58वें संविधान संशोधन 1987में भाग 22 ,A-394 में इसे जोड़ा गया

प्रावधान

इसमें कहा राष्ट्रपति द्वारा करवाए गए अनुदान का प्रकाशन इस प्रकार होगा

1. जब संविधान का हिंदी में अनुवाद करना है तो अगर किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है तो वही भाषा और शब्दावली इस्तेमाल होगी जो केंद्रीय अधिनियम द्वारा हिंदी के लिए स्वीकार की गई है
  2. संविधान का प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद होगा
- जो उस पाठ का अंग्रेजी में मतलब है वही हिंदी में समझा जाएगा यदि हिंदी अंग्रेजी के मतलब में कोई असुविधा हो तो राष्ट्रपति उसकी जांच करेगा

- प्रत्येक संशोधन जो अंग्रेजी में है हिंदी में अनुवाद किया जाएगा और इसे हिंदी भाषा का प्राधिकृत पाठ माना जाएगा

## 58वें संशोधन के कारण

- 26 नवंबर 1949 वाला संविधान अंग्रेजी में था 1950 में इसका हिंदी में अनुवाद करवाया गया उसके बाद कहा जो भी संविधान हो वह हिंदी में ही हो इससे कानूनी कार्यों में भी सहायता मिलेगी। आगे होने वाले संशोधनों का हिंदी में भी अनुवाद होगा
- A-394 के तहत भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुवादित हिंदी पाठ को प्राधिकृत पाठ के रूप में राजपत्र में प्रकाशित करने की व्यवस्था करता है

Chapter 66

### वशिष्ठ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान

विशेष प्रावधान का औचित्य

संविधान में SC, ST, OBC, आंगल भारतीयों के लिए, भाग 16

A-330 to 342 में विशेष प्रावधान किए गए हैं

- विधायिकाओं में इन्हें आरक्षण मिलेगा
- विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व
- नौकरी एवं पदों में आरक्षण
- शैक्षणिक अनुदान
- राष्ट्रीय आयोग का गठन
- जांच आयोग का गठन

## वर्गों का आधार

- संविधान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कुछ नहीं लिखा है राष्ट्रपति को शक्ति है कि वह देखें कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में किसको अनुसूचित जाति मानना है और किस को अनुसूचित जनजाति नहीं मानना है।
- राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह करके अधिसूचना जारी करता है।
- पर अगर किसी को अनुसूचित जाति या जनजाति में हटाया या शामिल किया जाना है तो वह कार्य संसद करेगी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित संविधान में नहीं लिखा है वह भी संसद निश्चित करती है।
- आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए संविधान में लिखा है।

## विशेष प्रावधान

**विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण तथा आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व**

- SC,ST को संसद व राज्य विधानसभा में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा।
- उचित प्रतिनिधित्व ना होने पर राष्ट्रपति संसद में दो आंग्ल भारतीय और राज्यपाल राज्य विधायिका में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। पहले यह दोनों प्रावधान केबल 1960 तक थे फिर 2009 में 95 संविधान संशोधन में इसे 2020 तक बढ़ा दिया गया।

## नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति का दावा

- कोई नौकरी या पद बगैरा निकल रहे हैं तो उसमें इनको आरक्षण मिलेगा।

## आंग्ल भारतीय नौकरी में विशेष प्रावधान तथा शिक्षा अनुदान

- शिक्षा संस्थानों में आरक्षण मिलता है और इन्हें अनुदान बगैरा भी दिए जाते हैं।

## अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग

- ताकि संविधान में जो भी इनके बारे में सुविधाएं लिखी हैं वह इन्हें मिल रही हैं या नहीं यह देखने के लिए राष्ट्रीय आयोग बने हैं।

## अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण

अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण रहता है।

### पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति

- अब इसे संवैधानिक स्थिति देने की बात हो रही है ताकि इनकी बातों को ध्यान से सुना जा सके

A-332 में राज्य विधायिका में SC, ST का आरक्षण

A-333 में राज्य विधायिका में ऑँगल भारतीयों का आरक्षण

## Chapter 67

### राजनीतिक दल

- यह एक संगठन होता है जो कि किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ है सभी व्यक्ति अपनी इच्छा से आकर मिलेंगे जो कि समान दृष्टिकोण रखते हैं। इन्हें संविधान के जरिए शक्ति मिलेगी। यह चुनाव लड़ते हैं और जब चुनाव जीते हैं तो यह राष्ट्रीय रुचि को लेकर आगे बढ़ाते हैं।

राजनीतिक दल चार प्रकार के होते हैं

1. **प्रतिक्रियावादी दल** -जो पुरानी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं
2. **रुद्धीवादी दल** -जो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं
3. **उदारवादी दल** - जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है
4. **सुधारवादी दल** -जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है

## दलीय व्यवस्था के प्रकार

एक दलीय USSR

दो दलीय USA

बहुदलीय। INDIA

## भारत में दलीय व्यवस्था

बहुदलीय व्यवस्था है

2014 में 6 राष्ट्रीय पार्टी, 47 राज्य पार्टी 1593 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त पार्टी थी

भारत में हर तरह की पार्टियां देखने को मिलती हैं

दायी, बायी, केंद्रीय, संप्रदायिक और गैर सांप्रदायिक

**एक दलीय व्यवस्था** - 1947 से 1967 तक हर जगह कांग्रेस पार्टी थी। 1967 के बाद जनता दल आए। छोटी छोटी पार्टियां आई। केंद्र राज्य में टकरा आये

**स्पष्ट विचारधारा का अभाव** - केवल कुछ पार्टी ही अपनी स्पष्ट विचारधारा लेकर चलती है बाकी पार्टियों में विचारधारा का अभाव है

**व्यक्तित्व का महिमामंडन** - बहुधा दलों का संगठन एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है मतलब एक ही व्यक्ति पर सारी पार्टी टिकी होती है

**पारंपरिक कारकों पर आधारित** - धर्मों के आधार पर इस तरह की पार्टियां बनती हैं

**क्षेत्रीय दलों का उद्भव** - ऐसे दल जो केवल क्षेत्रों के लिए ही बनते हैं पहले वह क्षेत्रीय राजनीति तक ही सीमित है किंतु कुछ समय से केंद्र में साझा सरकार के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका अहम हो गयी

**दल बनाना तथा दल परिवर्तन** - 1967 तक शांति बनी हुई थी क्योंकि केंद्र व राज्य में एक ही पार्टी थी पर जब केंद्र और राज्य में अलग-अलग सरकार बननी शुरू हुई टकराव होने लगे परिवर्तन भी होने लगे इसलिए इसके लिए भी कानून आया ताकि कोई अपना दल परिवर्तन ना कर सके

**प्रभावशाली विपक्ष का अभाव** - हमारे देश में प्रभावशाली विपक्ष का अभाव है वह देश के बारे में ना सोच कर पार्टी की मुश्किलों पर ज्यादा ध्यान देता है

### राष्ट्रीय पार्टी बनने की Condition

अगर नीचे लिखी तीन परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति पूरी हो जाए तो पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा

अगर कोई पार्टी को 6% वैध मत मिले 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा के चुनाव में (विधानसभा में भी) इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है

Or

लोकसभा के चुनाव में 2% सीट मिले 3 राज्यों में

Or

किसी भी 4 राज्यों में उसे राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो

### राज्य स्तर दल के लिए मान्यताएं

5 मान्यताओं में से अगर कोई एक भी पूरी हो तो वह पार्टी राज्य स्तर की पार्टी बन जाएगी

6% वैध मत विधानसभा के चुनाव में मिले हो और 2 सीटें जीती हो

Or

6% वैध मत या तो राज्य की तरफ से लोकसभा के चुनाव में और साथ ही एक लोकसभा की सीट जीती हो

Or

3% सीटें विधानसभा में जीती हो और 3 सीटें जीती हो

Or

उसने हर 25 सीट पर 1 सीट लोकसभा में जीती हो अगर 25 सीटें state को मिली ही नहीं हैं तो खुद में निश्चित करेंगे कि कितनी सीटें चाहिए

Or

8% वैध मत मिले हो राज्य के अंदर लोकसभा के आम चुनावों में या राज्य विधानसभा में मिली हो तो उसे राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा

## Chapter 68

### निर्वाचन

#### निर्वाचन व्यवस्था

भाग 15 A-324 to 329

1. A-324, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग जो कि संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है
2. संसद तथा राज्य विधायिका चुनाव के लिए केवल एक मतदाता सूची होनी चाहिए
3. मतदाता सूची में शामिल होने के लिए केवल धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं
4. लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन, वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है

5. संसद उन सभी व्यवस्थाओं का उपबंध करती है जो कि संसद तथा राज्य विधायिका का निर्वाचन, मतदाता सूची की तैयारियों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा सभी मामलों में संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं
6. निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकता
7. संसद और राज्य विधायिका के निर्वाचन पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता

## चुनाव तंत्र

### भारत का निर्वाचन आयोग (ECI)

- भारत का निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है
- तीन सदस्यीय निकाय

1 मुख्य आयुक्त, 2 अन्य आयुक्त

इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है

**मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)** - किसी राज्य या संघीय क्षेत्र का CEO राज्य क्षेत्र का चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। निर्वाचन आयोग राज्य या संघ सरकार के अधिकारी को मुख्य चुनाव अधिकारी नामित करता है।

**जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)** - CEO की निगरानी में DEO जिले में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के अधिकारी को राज्य सरकार की सलाह पर नामित कर सकता है।

**चुनाव अधिकारी (RO)** - संसदीय या विधानसभा के चुनाव कार्यों का संचालन करने वाला। निर्वाचन आयोग राज्य सरकार या संघीय सरकार से सलाह करके इसे नियुक्त करता है।

**चुनाव निबंधन पदाधिकारी (ERO)** - संसदीय चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है।

निर्वाचन आयोग राज्य सरकार या संघीय सरकार से सलाह करके इसे नियुक्त कर सकता है (1 या 1 से अधिक ERO की नियुक्ति हो सकती है)

### पीठासीन अधिकारी (PO)

- मतदान कार्य करता है
- इसकी नियुक्ति करता है
- संघीय क्षेत्रों में RO इनकी नियुक्ति करता है

### पर्यवेक्षक

**सामान्य पर्यवेक्षक** - चुनाव को सुचारू रूप से करवाता है, चुनाव प्रक्रिया पर ध्यान देता है

**व्यय पर्यवेक्षक** - केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त, इनका कार्य उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर निगरानी रखना है यह ये भी देखते हैं कि वोटरों को कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा

**पुलिस पर्यवेक्षक** - भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को पुलिस पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया जाता है। यह नागरिक और पुलिस प्रशासन में तालमेल बनाता है जागरूकता पर्यवेक्षक

यह पहली बार 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 में तैनात किए गए थे इनका कार्य फील्ड पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल एवं प्रभावकारी प्रबंधन को देखना, जागरूकता फैलाना है

**लघुस्तरीय पर्यवेक्षक** - पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव के दिन निगरानी करना, ये EVM को सील एवं दूसरे दस्तावेज को सील करते हैं

**सहायक पर्यवेक्षक** - विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किए जाते हैं चुनाव अनियमितताओं की शिकायतों का तुरंत निवारण हो

### चुनाव प्रक्रिया

**चुनाव का समय** - हर 5 साल में चुनाव होते हैं

## चुनाव कार्यक्रम

- जब चुनाव अधिसूचना जारी होती है तो जो उम्मीदवार क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाहता है अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को चुनाव अभियान के लिए मतदान की तिथि के पहले 2 हफ्ते का समय मिलता है। मतदान की गणना की तिथि निर्धारित की जाती है और परिणाम घोषित किए जाते हैं।

## शपथ ग्रहण

- उम्मीदवार निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेता है।
- जो उम्मीदवार बंदी हो तो संबंधित कारागार अधीक्षक के समक्ष शपथ लेंगे।
- जो उम्मीदवार अस्पताल में हो वह चिकित्सा अधीक्षक के समक्ष शपथ लेंगे।
- जो उम्मीदवार भारत के बाहर हो और राजनयिक काउंसलर के समक्ष शपथ लेंगे।

## चुनाव प्रचार

- उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार आचार संहिता का पालन करें।
- उद्देश्य-** चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के पक्ष में मत डालने के लिए लोगों को प्रेरित करना।

## मतदान दिवस

- मतदान की तिथियां अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं।

## मतपत्र एवं चुनाव चिन्ह

- मतपत्रों में उम्मीदवारों के नाम एवं चुनाव चिन्ह होते हैं।

## मतदान प्रक्रिया

- मतदान गुप्त होता है, मतदान केंद्र की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक नहीं होती। मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाता नहीं आते।
- मतदाता का नाम मिलाया जाता है फिर वह वोट देता है।

- 1998 में EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुआ। 2003 में राज्यों के चुनाव में भी EVM का इस्तेमाल हुआ।

EVM - इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, मतपत्रों के स्थान पर मतों का रिकॉर्ड करने में उपयोग होता है।

## लाभ

- EVM से अवैध मतों की संभावना समाप्त
- मतदान की प्रक्रिया आसान
- कागज की खपत कम
- छपाई की लागत कम

## चुनाव का पर्यवेक्षण

- यह देखते हैं कि मतदान स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से कराया जाए

## मतगणना

- चुनाव अधिकारी तथा पर्यवेक्षक की देखरेख में मतगणना की प्रक्रिया आरंभ होती है जिसने सबसे अधिक मत मिलते हैं वह विजय होता है
- लोकसभा चुनाव "फर्स्ट पास्ट द पोस्ट" पद्धति के अनुसार कराए जाते हैं

## जन माध्यमों में कवरेज

- मीडिया को चुनाव प्रक्रिया की कवरेज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है

## चुनाव याचिका

- कोई भी चुनावकर्ता अथवा उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है राज्य के उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है। यदि शिकायत सही है तो चुनाव दुबारा करवाए जाएंगे

## Chapter 69

### मतदान व्यवहार

#### मतदान व्यवहार का अर्थ

- मतदाताओं का व्यवहार, चुनाव के संदर्भ में कैसा है

#### मतदान व्यवहार का महत्व

- सेफोलोजी (चुनाव विश्लेषण) राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है

निम्नलिखित कारणों से मतदान व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण है

1. राजनीतिक समाजीकरण को समझने में सहायता होती है
2. राजनीतिक विकास के संबंध में आधुनिकता तथा प्राचीनता को मापने में सहायता करता है
3. देखता है कि चुनावी राजनीति किस हद तक अतीत से जुड़ी है

## मतदान व्यवहार के निर्धारक

- वह तत्व जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं

**जाति** - मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तथ्य है

**धर्म** - राजनीतिक दल संप्रदायिक प्रचार में शामिल होते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं

**भाषा** - चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों की भाषाये भावनाये उभारकर उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं

**क्षेत्र** - क्षेत्रीय दल, क्षेत्रीय अस्मिता तथा भावनाओं के आधार पर मत की अपील करते हैं

**व्यक्तित्व** - व्यक्तित्व भी मत डालने वाले को प्रभावित करता है

**धन** - चुनाव पर करोड़ों रुपए का खर्चा किया जाता है

**सत्ताधारी दल का प्रदर्शन** - चुनाव के मौके पर राजनीतिक दल अपना घोषणापत्र जारी करता है इसमें मतदाताओं से अनेक प्रकार के वादे किए जाते हैं

**दलीय पहचान** - लोग राजनीतिक दलों के साथ निजी व भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं जो लोग किसी दल के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं वह लाखों कर्मियों एवं खूबियों के बाद भी उसी दल के लिए मतदान करेंगे

**विचारधारा** - कुछ लोगों की विचारधारा होती है कि वह उन्हीं उम्मीदवारों को मत देते हैं जो कि उसी विचारधारा को मानते हैं

## अन्य कारक

- आयु
- मीडिया
- चुनाव अभियान
- परिवार एवं नातेदारी इत्यादि

## चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका

### सूचना प्रसार

- चुनाव से संबंधित सूचना प्रसार सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव कब, कहां, कैसे है इसकी जानकारी भी मतदाताओं को मीडिया से मिलती है

### आदर्श आचार संहिता तथा अन्य कानून

- मीडिया पेशी बल एवं धन बल की घटनाओं को फौरन उभारता है तथा मतदाताओं को मतदान के लिए शिक्षित करता है यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को भी ला सकता है

### चुनाव कानूनों का पालन

मीडिया भी चुनाव कानूनों का पालन करती है

#### जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A

- यह एग्जिट पोल तथा उसके परिणामों के प्रसार पर प्रथम चरण के चुनाव शुरू होने के पहले और अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के आधा घंटा बाद तक की अवधि पर रोक लगाता है

#### 1951 की धारा 126

- यह धारा चुनाव सामग्री के सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य ऐसे ही उपकरणों के माध्यम से चुनाव संपन्न होने के 40 घंटे के भीतर प्रदर्शित करने से रोकती है

#### धारा 127A

- चुनाव संबंधी पंपलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन आदि इनके द्वारा शासित होता है जिसके अंतर्गत ऐसी मुद्रित सामग्री पर मुद्रा एवं प्रकाशन का नाम पता मुद्रित रहेगा

## भारतीय दंड संहिता की धारा 171H

- यह चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की अनुमति के बिना विज्ञापन आदि खर्चों पर रोक लगाता है

## मतदाता शिक्षण एवं सहभागिता

- मीडिया मतदाताओं को जागरूक करती है

## सरकारी मीडिया का दायित्व

Chapter 70

चुनाव सुधार

## जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

- सीट, लोकसभा और राज्य विधानसभा की जनसंख्या के हिसाब से बांटी जाती है
- यह वोटरों के बारे में बात करता है

जनप्रतिनिधित्व 1950	जनप्रतिनिधित्व 1951
यह वोटरों के बारे में बात करता है	यहां पर सांसदों के बारे में जानकारी दी जाती है
यहां पर वोटर की योग्यता देखी जाती है (18 साल की उम्र या उससे ज्यादा हो)	चुनाव किस प्रकार करवाए जाये प्रशासनिक मशीनरी क्या रहे (चुनाव करवाने में)
वोटरों की लिस्ट तैयार की जाती है	सांसदों की योग्यता और निरहर्ता देखी जाती है
परिसीमन आयोग क्षेत्रों को Constituters में बाटता है	चुनाव के झगड़ों के बारे में इसमें लिखा गया है
संसद और राज्य विधानसभा की सीटों के बारे में भी बताया जाता है	राजनीतिक दलों का पंजीकरण यहीं पर होता है

## चुनाव से संबंधित नियमावलिया

- निर्वाचक के लिए ,1960
- चुनाव संचालन संबंधी नियम ,1961
- समकालिक सदस्यता निषेध नियमावली, 1950
- लोकसभा सदस्य ,1985 राज्यसभा सदस्य, 1985
- राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली ,1974
- लोकसभा सदस्य (संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा), 2004
- Same राज्यसभा

## चुनाव चिन्ह

- हर पार्टी को चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं इसके मामले चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) 1968 में हल किए जाते हैं

## Chapter 71

### चुनाव सुधार

#### चुनाव सुधार से संबंधित समितियां

- संयुक्त संसदीय समिति ने 1971-72 में चुनाव कानूनों में संशोधन की बात कही
- तारकुडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण ने किया, यह गैर सरकारी समिति थी 1974 में बनी ,1975 में अपनी रिपोर्ट पेश की
- दिनेश गोस्वामी समिति 1990

- वोहरा समिति 1993 ,ये अपराधियों को राजनीति से हटाना चाहती थी
- 1998 में निर्वाचन आयोग की सिफारिशें
- इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 उन्होंने कहा state का अपना फंड होना चाहिए
- चुनाव पर विधि आयोग की 170वी रिपोर्ट में चुनाव कानूनों का सुधार संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (2002-2002) M N वैकेट चलेया इसके अध्यक्ष थे ।
- 2nd ARC Report 2007

### 1996 के पहले के चुनाव सुधार

- **वोट देने की आयु** - 61 वा संविधान संशोधन 1988 में वोट देने की आयु 21 से 18 कर दी गई
- **चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति** - खुद की कोई टीम नहीं होती वह राज्य व केंद्र की मशीनरी का इस्तेमाल करके चुनाव करवाता है उसके हाथ में शक्ति होती है कि वह चुनाव के दौरान नियुक्त या ट्रांसफर कर सकता है
- **प्रस्तावको की संख्या में वृद्धि** - राज्यसभा और राज्य विधान परिषद में कोई फालतू निर्वाचक चुनाव में खड़ा ना हो जाए इसलिए जिसे चुनाव में खड़ा होना है उसके लिए 10 प्रस्तावक हो
- **बूथ कब्जा** - पहले 1989 में बूथ कब्जा (किसी गुंडे द्वारा बूथ पर कब्जा) होने पर चुनाव स्थगित करने या रद्द करने का प्रावधान किया गया ताकि जनता स्वतंत्र रूप से वोट डाल सकें
- **इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन** - 1998 में पहली बार प्रयोव के तौर पर इस्तेमाल की गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराएं। 1999 में पूर्ण ढंग से गोवा में विधानसभा में पहली बार इस्तेमाल की गयी
- **मतदाता पहचान पत्र (EPIC)** - हर व्यक्ति जो 18 साल की आयु या 18 वर्ष का हो चुका है उसके पास होता है ताकि किसी के बोर्ड का गलत इस्तेमाल ना हो

### 1996 के चुनाव सुधार

- दिनेश गोस्वामी जोकि बी पी सिंह की सरकार में विधि मंत्री थे ,की अध्यक्षता में समिति गठित की गई समिति ने चुनाव प्रणाली पर सुझाव दिए
- **उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना** -
- चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 3 वर्गों में बांटा गया है

- मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल
- पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त
- अन्य
- चुनाव में भी उम्मीदवारों के नाम इसी प्रकार रहेंगे
- **राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून 1971** - संसद एवं राज्य विधानसभा का सदस्य झांडे का अनादर, संविधान का अनादर, राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध करता है तो उसे 6 वर्ष के लिए अयोग्य करार कर दिया जाएगा
- **शराब बिक्री पर प्रतिबंध** - जहां पर लोग वोट डालने जाते हैं उसके नजदीक शराब की बिक्री मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे तक नहीं होनी चाहिए ऐसा करने वालों को छह माह की कैद या 2000 जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है
- **प्रस्तावकों की संख्या** - पंजीकृत पार्टी - एक प्रस्तावक
- आजाद - 10 प्रस्तावक चाहिए
- **उम्मीदवार की मृत्यु** - अगर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की की मृत्यु हो जाए तो पार्टी 7 दिन में नया उम्मीदवार ला सकती है
- **उप चुनाव के समय सीमा** - 5 साल के कार्यकाल में अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है या अयोग्य हो जाता है तो उसकी सीट पर दोबारा चुनाव करवा दिए जाते हैं
- दो मामलों में ऐसा नहीं होगा
- 5 साल में से 1 साल का कार्यकाल रह गया हो
- अगर निर्वाचन आयोग को लगे क्षेत्र में आसानी से चुनाव ना हो सके निर्वाचन आयोग यह बातें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सलाह लेने के बाद करता है
- **मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश** - आखिर वोटरों को बढ़ावा मिल सके अगर वह काम पर जाएंगे तो वोट नहीं डाल पाएंगे
- **दो या दो से अधिक चुनाव सेत्रों में चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध** - कोई भी उम्मीदवार दो या दो से अधिक सीटों के लिए अपना पर्चा नहीं भर सकता
- **हथियार पर रोक** - चुनाव क्षेत्र में हथियार लेकर जाने की आज्ञा नहीं है ऐसा करने पर 2 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है

- **चुनाव प्रचार की अवधि की कमी** - पहले 20 दिन प्रचार होता था अब 14 दिन प्रचार होता है

## 1996 के बाद के चुनाव सुधार

- **राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव** - राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई
- उपराष्ट्रपति के लिए 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई
- **चुनाव में इयूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना** - स्टाफ स्कूल, अध्यापक, जीवन बीमा निगम उपक्रमों के कर्मचारियों को तैनात कर दिया जाता है
- **डाक मतपत्र के जरिए वोट** - डालना कुछ लोग जो वोट डालने नहीं आ पाते वह डाक के जरिए या उनकी जगह कोई और वोट डाल सकता है
- **प्रॉक्सी के जरिए वोट की सुरक्षा** - सशस्त्र सेना में कार्य कर रहे लोगों या ऐसे लोगों जिनकी इयूटी कहीं और लगी है वह प्रॉक्सी के जरिए वोट डाल सकते हैं
- **उम्मीदवारों द्वारा अपराधिक ऐतिहासिक संपत्ति की घोषणा** - 2003 में कहा गया उम्मीदवारों को बताना पड़ेगा कि उनके पास कितनी संपत्ति है, उन्होंने कितने अपराध किए हैं अगर कोई गलत जानकारी देगा तो उसे निर्हं कर दिया जाएगा
- **राज्यसभा चुनाव में बदलाव** - पहले होता था कि उम्मीदवार जहां के रहने वाले होते थे वहीं से अपना पर्चा भरते थे अब कहीं से भी अपना पर्चा भर सकते हैं
- पहले यह नहीं दिखाते थे कि कौन किसे वोट डाल रहा है अब यह दिखाना पड़ता है कि कौन किसे वोट डाल रहा है
- **राजनीतिक पार्टी जो पंजीकृत होती है उनके free चुनाव करवाए जाते हैं**
- **राजनीतिक दलों को चंदा करने की स्वतंत्रता** - पहले राजनीतिक दलों को 20000 तक चंदा लेने की स्वतंत्रता थी। अब 2000 तक केवल कैश ले सकते हैं इससे ज्यादा बगैर Draft के रूप में ले सकते हैं
- **इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन** - पंजीकृत पार्टी को प्रचार करने का समय आवंटन किया जाता है
- **ईवीएम में ब्रेल लिपि को शुरू करना** - ताकि कोई जो देख नहीं सकता उसे ब्रेल लिपि में वोट डालने की सुविधा दी जाए

## 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार

- **एग्जिट पोल पर प्रतिबंध** - किसी जगह अगर 1 दिन में चुनाव नहीं हो सकते तो वहां पर दो-तीन दिन में चुनाव करवाए जाते हैं और एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है वरना लोग जीतने वाले पार्टी को ही वोट डालेंगे
- **अयोग्य घोषित कराने के लिए मामला दर्ज करने की समय सीमा** - जिस व्यक्ति पर भ्रष्ट मामला दर्ज है उस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करना, 3 माह के अंदर राष्ट्रपति के पास पेश करने का समय अधिकृत अधिकारियों को दिया जाता है
- **भ्रष्ट तरीके के सभी अधिकारी** - भ्रष्ट गतिविधियों पर रोक लगानी है ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो सके
- **जमानत की राशि में बढ़ोतरी** - जो उम्मीदवार चुनाव लड़ता है उसे कुछ राशि जमानत के तौर पर जमा करवानी पड़ती है उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है ताकि गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सके लोकसभा के लिए 10,000 से 25000 (जनरल के लिए के लिए)
- 5000 से 12500 (SC, ST) कर दिया गया
- राज्य विधानसभा -(जनरल के लिए) 5000 से 10000
- SC, ST के लिए 2500 से 5000 कर दिया गया
- **जिला में अपीलीय अधिकारी** - अगर किसी क्षेत्र के व्यक्ति का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है या कुछ और है तो वो जिले में अपीलीय अधिकारी के पास जा सकता है अगर Problem फिर भी ना solve हो तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जा सकता है
- **विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट डालने का अधिकार** - अगर वह दूसरे देश की नागरिकता हासिल नहीं करते हैं तो उन्हें भी वोट देने का अधिकार है, लोकसभा में भी राज्य विधानसभा में भी
- **मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन** - अब 2013 के बाद व्यक्ति अपने आप को ऑनलाइन फाइलिंग भी कर सकते हैं
- **नोटा विकल्प शुरू करना** - 2001 में निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की, 2013 में यह बटन देखने को मिला इसका मतलब है कि हम ऊपर दिए गए किसी नेता या पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं अगर नोटा

के वोट सबसे ज्यादा भी हो जाएं तो भी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा केवल बेजजती होगी फिर भी जिसको ज्यादा वोट पड़ेंगे वही पार्टी जीतेगी

- **मतदाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल (VVPAT) की शुरूआत** - जब वोटिंग मशीन के साथ VVPAT को भी रखा जाता है इसके अंदर जो पेपर लगा होता है जब हम वोट डालते हैं तो उस पर लिख जाता है कि हमने किसे वोट डाला है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके
- **जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है** - क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाता है कई बार निर्दोषों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है इसलिए वह चुनाव लड़ सकते हैं
- **दोषसिद्धि सांसदों एवं विधायकों की तत्काल योग्यता प्रभावी** - अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे तत्काल ही अयोग्य करार कर दिया जाता है
- **चुनाव खर्च की सीमा** - लोकसभा चुनाव के लिए 40 लाख से 70 लाख
- राज्य और संघ शासित प्रदेशों में 54 लाख कर दी गई (पहले 16 से 40 लाख थी)
- राज्य विधानसभा बड़े राज्यों के लिए 16 से 28 लाख
- छोटे राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए 16 से 28 लाख
- **EVM एवं मतपत्रों पर उम्मीदवार का फोटो** - अब मत पत्रों एवं ईवीएम पर उम्मीदवार का फोटो होता है ताकि उम्मीदवार के प्रति वोटरों का कोई confusion ना हो

## Chapter 72

### दल परिवर्तन कानून

**दल परिवर्तन कानून** - 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता के बारे में प्रावधान किया गया है परिवर्तन किया गया

- 4 Article ,101,102,190,191 और दसवीं अनुसूची जोड़ी गई
- 51वें संविधान संशोधन 2003 में इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए जब राजनीतिक पार्टी की विभाजित हो जाती है तो अयोग्यता नहीं मानी जाएगी

## अधिनियम के उपबंध

### निरहता

#### राजनीतिक दलों के सदस्य -

1. एक दल के सदस्य के तौर पर चुनाव लड़कर जीतने के बाद दल से निकल जाने पर उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है
2. अगर कहीं पर दल द्वारा कोई बुलाया जाए तो या तो सदस्य ना आए या आने के बाद उनके विपरीत वोट कर दें तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा

**निर्दलीय सदस्य** - यदि वह चुनाव के बाद किसी पार्टी में मिल जाए तो उसे अयोग्य करार कर दिया जाएगा

**नाम निर्देशित सदस्य** - अगर नाम निर्देशित सदस्य 1 से 6 माह के अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा अन्यथा नहीं

### अपवाद

यदि 2/3 सदस्य दूसरे पार्टी में मिल रहे हैं तो उस पर दल बदल कानून परिवर्तित होता है

अगर पीठासीन अधिकारी अपने पार्टी छोड़ देता है तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा

### निर्धारण प्राधिकारी

पीठासीन अधिकारी निर्धारित करते हैं कि किसे अयोग्य घोषित करना है मूल रूप से इन्हें कोर्ट में भी challenge नहीं किया जा सकता पर आगे चलकर ऐसा नहीं रहा।

1993 में है तो हेतो होलोहन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा पीठासीन अधिकारी की इस शक्ति को कोर्ट में challenge नहीं किया जा सकता यह असंवैधानिक है क्योंकि इसका गलत use किया जा सकता है

जिसे अयोग्य घोषित करना है उसे explanation देने का मौका देना है

### नियम बनाने की शक्ति

अध्यक्ष को प्राप्त है, सदन इन नियमों को स्वीकार कर सकता है, सुधार सकता है अस्वीकार कर सकता है।  
अधिनियम का मूल्यांकन

## लाभ

1. राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता है
2. अब बार-बार चुनाव की जरूरत नहीं
3. भ्रष्टाचार कम, खर्च कम
4. राजनैतिक दलों को संवैधानिक पहचान दी गई

## आलोचना

- ये मतभेद में भेदभाव नहीं कर पाता मतलब की छोटी बात है या बड़ी सीधा अयोग्य घोषित कर देता है
- पार्टी के हिसाब से चलना होगा
- 2/3 सदस्य जा सकते हैं पर एक व्यक्ति नहीं जा सकता
- यह केवल पार्टी के अंदर ही लागू होता है बाहर नहीं
- निर्दलीय सदस्य और नाम निर्देशित सदस्य में भेदभाव है

## 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003

- लोकसभा के सदस्यों में से मंत्रिमंडल की संख्या 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए (A-75)
- अगर किसी को दलबदल के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसको फिर मंत्री नहीं बनाया जा सकता
- राज्य में मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री को मिलाकर आकार 15% से अधिक नहीं हो सकता और कुछ संख्या 12 से कम है ना हो
- लाभ के राजनैतिक पद पर नहीं रह सकता अगर अयोग्य ठहराया गया है
- अगर 1/3 सदस्य निकलते हैं तो दसवीं सूची के अनुबंध उस पर लागू नहीं

# AroRaiAS

## Chapter 73

### दबाव समूह

अर्थ एवं तकनीक

- वह ग्रुप जो कि सरकार या किसी गलत गतिविधि पर दबाव बना सके
- इसका उद्भव अमेरिका से हुआ
- किसी एक issue के लिए बनाया गया ग्रुप
- यह चुनाव नहीं लड़ते

- पूरे विश्व में हैं
- सरकार को प्रभावित करते हैं
- उद्देश्य- अपनी बात को मनमाना

## भारत में दबाव समूह

- **व्यवसाय समय** - सबसे शक्तिशाली समूह, अगर कोई ऐसी नीति बनाई जाए जो इनके लिए सही नहीं है तो सारे समूह यहां पर इकट्ठा हो जाते हैं
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
- एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया
- फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूड मैन डीलर्स एसोसिएशन
- ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर ऑर्गनाइजेशन
- **व्यापार संघ (श्रमिक समूह)** - व्यापार संघ, औद्योगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में आवाज उठाते हैं यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं
- **खेतिहार समूह** - खेतिहार समूह किसानों और कृषि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं
- **पेशेवर समितियां** - ऐसे लोग जो डॉक्टर, वकील, पत्रकार और अध्यापकों से संबंधित मांग उठाते हैं
- **छात्र समितियां** - राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं छात्र समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं
- **धार्मिक संगठन** - धार्मिक आधार पर बने संगठन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं
- **जातीय समूह** - जाति के आधार पर बने केवल protest करते हैं ( समूह द्वारा )
- हरिजन सेवक संघ
- **आदिवासी संगठन** - Trival से related issue को solve करने के लिए
- नेशनल सोशियोलॉजिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड
- झारखण्ड मुक्ति मोर्चा
- **भाषागत समूह** - भाषा से संबंधित
- **विचारधारा आधारित समूह** - हाल ही में कई दबाव समूह एक विचारधारा के प्रभाव प्रसार के लिए निर्मित हुए
- पर्यावरण- नर्मदा बचाओ और चिपको

- महिला अधिकार
- **विलोम समूह** - वह जो समाज से राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समानांतर व्यवस्था से है
- जब समाज में कुछ गलत होता है तो बनते हैं

## Chapter 74

### राष्ट्रीय एकता

#### राष्ट्रीय एकता

भारत धर्म, भाषा, जाति, जनजाति क्षेत्र आदि में विभिन्नता के बावजूद भी एकता वाला देश है। हमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम से मिलजुल कर रहते हैं

**राष्ट्रीय एकता में अवरोध** - जो एकता होने से रोकते हैं

**क्षेत्रवाद** - जब राजनीतिक दल को राष्ट्रीय स्तर पर जगह ना मिले तो वह क्षेत्र में पार्टी बनाती है और लोगों में भी वह भावना उत्पन्न करती है, नदियों को लेकर लड़ाई भी क्षेत्रवाद उत्पन्न करते हैं जो कि राष्ट्रीय एकता के लिए सही नहीं हैं

**जातिवाद** - कई पार्टी जाति आधार पर बनती हैं जो कि जातिवाद की भावना उत्पन्न करती हैं

बहुजन समाज पार्टी

हरिजन सेवक संघ

अगर ऐसी चीजें दूर हो तो हमारी राष्ट्रीय एकता बनी रहेगी

**सांप्रदायिकता** - ब्रिटिश ने 1909, 1919, 1935 में यह जहर घोल दिया कि मुस्लिम को मुस्लिम वोट दें सके अन्य नहीं। आज भी सांप्रदायिकता देखने को मिलती है कई पार्टी हैं जो कि सांप्रदायिक हित को बढ़ावा देती हैं

**भाषावाद** - 1950 के बाद यह आया। पहले हिंदी को पूरी भारत की भाषा बनाने की बात की गई पर दक्षिण वाले राज्य हिंदी समझ नहीं पाते तब से अलग-अलग भाषाएं आयीं

## राष्ट्रीय एकता परिषद

- इसका गठन 1961 में किया गया (प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू)
- उद्देश्य - क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद की समस्या को हल करना
- Language - हिंदी
- देश में एकता बनाने के लिए सरकार को सलाह देने वाला निकाय थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री राज्यों के मुख्यमंत्री राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, 200 शिक्षा शास्त्री अनुसूचित जाति व जनजाति का आयुक्त तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 सदस्य शामिल होते हैं
- पहले इसके सदस्य 39 थे फिर 55 कर दिए गये। अब इसके 147 सदस्य हैं
- बाद में इसमें औद्योगिक और व्यापार क्षेत्र के लोग भी आगे आने लगे
- हम राष्ट्रीय एकता परिषद के कारण क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और जातिवाद पर नियंत्रण कर पाए
- इस परिषद की पहली बैठक 23 जून 1962 में हुई अंतिम 16वीं बैठक 23 सितंबर 2013 में हुई

## सांप्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन (NFCH)

कि किस तरह से हम सांप्रदायिक सौहार्द बना कर रख सकते हैं

जाति, धर्म पर लड़ाई ना करके इस सबसे ऊपर उठे। इसे गृह मंत्रालय के अंदर रखा गया था

दंगों को दूर कर रखना है, भाईचारे पर ध्यान देना है, राष्ट्रीय एकीकरण पर Focus

**दृष्टि** - भारत हर प्रकार की हिंसा से मुक्त हो, बच्चों को दंगों से दूर रखना लक्ष्य सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ करना

भारत की सभी सुरक्षा शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना

## गतिविधियां

- हिंसा से प्रभावित बच्चों की देखभाल, वित्तीय सहायता देना
- एकता पर ध्यान देना
- छात्रवृत्ति प्रदान करना
- योगदान देने वाले को पुरस्कार देना सूचना प्रदान करना

## Chapter 75

### विदेश नीति

**विदेश नीति** - भारत की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करती है

### भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत

**विश्व शांति को बढ़ावा देना** - विदेश नीति का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय, शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना है

A-51, DPSP अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने का निर्देश देता है

**गैर औपनिवेशवाद** - भारत की विदेश नीति औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध करती है क्योंकि औपनिवेशवाद शोषण को बढ़ावा देती है

**गैर नस्लवाद** - यह नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध करते हैं क्योंकि यह शांति में विघ्न डालते हैं

**गुटनिरपेक्षता** - गुटनिरपेक्षता का अर्थ भारत किसी भी समूह में शामिल देश अथवा किसी भी देश को साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा भारतीय विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा होगी। भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा

## पंचशील

ये पांच सिद्धांत हैं

1. एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान
2. गैर आक्रमण
3. एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल ना देना
4. समानता व परस्पर लाभ
5. शांतिपूर्वक सह - अस्तित्व

**एफ्रो एशियाई झुकाव** - भारत का एफ्रो एशियाई देशों के प्रति विशेष झुकाव रहा है इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए भारत अंतरराष्ट्रीय सहायता की मांग करता है

**राष्ट्रमंडल से संबंध** - 1949 में भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की

**संयुक्त राष्ट्र संघ को सहयोग (UNO)** - भारत 1945 में स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना तब से वह संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों व कार्यक्रमों का समर्थन करता है

## UN के संबंध में कुछ तथ्य

- UN के माध्यम से भारत औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद और अब नव औपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद के विरुद्ध नीतियां लागू की

- भारत संयुक्त राष्ट्र के खुले कार्य समूहों में सक्रियता से भाग लेता रहा
- भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य रह चुका

### **निशस्त्रीकरण - हथियारों के विरुद्ध है**

विश्व शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना है

### **भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य**

- राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना
- स्वायत्ता बनाना
- आतंकवाद के खिलाफ समर्थन विकास
- P-5 समूह के देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करना
- पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाना
- आतंकवाद को समाप्त करना
- भारत की एकट ईस्ट नीति को समाप्त करना
- खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करना
- G-20 के साथ संबंध

### **भारत का गुजराल सिद्धांत**

- 1996 में प्रतिपादन, देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री आई के गुजराल ने किया। यह सिद्धांत कहता है कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एक तरफा रियायत दे दे यह भारत में अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है। गुजराल सिद्धांत के पीछे तर्क यह था कि हमें उत्तर एवं पश्चिम से दो मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों का सामना करना था अतः हमें अन्य निकटतम पड़ोसियों के साथ पूर्ण शांति की स्थिति सुनिश्चित करनी थी

### **भारत का परमाणु सिद्धांत**

- 2003 में भारत ने अपना परमाणु सिद्धांत अंगीकार किया।

### **भारत की एकट ईस्ट नीति**

- इसकी शुरुआत 1992 में नरसिम्हा राव ने की पहले इसे लुक ईस्ट नीति कहा जाता था। 2014 में इसे एक्ट ईस्ट नीति कहा जाने लगा

**लुक ईस्ट** - वह देश जो हमारे पूर्व में हम उनसे अच्छे संबंध चाहते हैं जापान, ऑस्ट्रेलिया और ASEAN देश

**एक्ट ईस्ट** - लुक ईस्ट में मोदी जी ने कहा कुछ अच्छा काम नहीं हुआ अब उससे असल में अच्छा बनाना है। इसका नाम एक्ट ईस्ट कर दिया

## परिवर्तन

- देश की संख्या बढ़ा दी गई
- लुक ईस्ट केबल आर्थिक तौर पर था एक्ट ईस्ट सुरक्षा के रूप में भी जरूरी है

## विशेषताएं

- ASEAN के साथ अच्छे संबंध रखने हैं (भारत ASEAN का सदस्य नहीं है )
- ASEAN रीजनल फोरम में हम भाग लेते हैं
- ईस्ट एशिया Summit में हम अपनी महत्वपूर्णता बढ़ा रहे हैं
- BIMSTEC (बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश)
- ईस्ट एक्ट नीति ने हमारे घरेलू कार्य सूची में भारत आसियान सहयोग को प्राथमिकता दी

## उद्देश्य –

- आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध के साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सामरिक संबंध बढ़ाना है
- उत्तर पूर्व को प्राथमिकता देनी है
- नये संपर्क मजबूत करना
- समुद्री सुरक्षा करना

# AroraIAS

## Chapter 76

### संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग

- 2000 में स्थापना
- 11 सदस्यीय आयोग ,
- अध्यक्ष- उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश M N वेकंट चलेया थे इसने 2002 में अपनी रिपोर्ट सौंपी

#### आयोग के कार्य

देखना संविधान के उपबंध कहां तक सफल रहे हैं तथा अगर सुधार की जरूरत है तो संविधान के दायरे में रहकर सिफारिश देनी है यह सिफारिशें सलाहकारी प्रकृति की होंगी संसद निर्धारित करेगी सिफारिश माननी है या नहीं

आयोग ने ऐसे 11 क्षेत्रों की पहचान की जिसकी उसे समीक्षा करनी थी

1. संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को सशक्त बनाना
2. निर्वाचन सुधार, राजनीतिक जीवन का मानकीकरण
3. संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन एवं विकास की गति
4. साक्षरता को प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना, निर्धनता का उन्मूलन करना
5. केंद्र राज्य संबंध
6. विकेंद्रीकरण एवं अवनति
7. मौलिक अधिकारों का विस्तारीकरण
8. मौलिक कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन
9. DPSP का प्रभावी क्रियान्वयन एवं संविधान में वर्णित उद्देश्य प्राप्त करना
10. वित्तीय एवं राजकोषीय नीति पर विधायी नियंत्रण, लोक लेखा प्रचलन
11. प्रशासकीय तंत्र एवं लोक जीवन में मानकीकरण

## संविधान के कार्यकरण के 50 वर्ष

1950 से 2000 तक के लिए निष्कर्ष इस प्रकार है

### राजनैतिक उपलब्धियां

- विकेंद्रीकरण हो पाया ( 73वा , 74वा संशोधन )
- संसद एवं राज्य विधानमंडल के शैक्षिक योग्यता में सुधार हुआ

### आर्थिक ढांचा प्रभावी प्रदर्शन

- उत्पादन में प्रशंसनीय एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। नई तकनीक एवं आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा इंजीनियरिंग एवं सूचना तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है

- कृषि उत्पादन सूचकांक बढ़ा है - गेहूं, चावल का उत्पादन बढ़ा
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का विस्तार हुआ - विद्युत उत्पादन बढ़ा
- सकल राष्ट्रीय उत्पादन बढ़ा

## सामाजिक ढांचा उपलब्धियां

- शिशु मृत्यु दर घटी
- जीवन प्रत्याशा 32 से बढ़कर 63 वर्ष हो गई
- आज केरल में जन्म लेने वाला एक बच्चा वाशिंगटन में जन्म लेने वाले एक बच्चे से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने की सामर्थ रखता है केरल में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 75 हो चुकी है
- भारत ने लोग ने स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा नेटवर्क में अधिक प्रोन्नति की है
- प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या बढ़ी है

## राजनीतिक असफलताएं

- दोषी निर्वाचन प्रक्रिया- अपराधियों असामाजिक तत्व एवं अवांछित लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से रोकने में असफल रही है।
- निर्वाचन आयोजित करने में अत्यधिक व्यय एक बड़ी वाधा है
- राजनैतिक दलों में अपराधिक तत्वों की पर्याप्त घुसपैठ एवं प्रभाव है
- देश के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल समान राष्ट्रीय उद्देश्य के संबंध में भी एकमत नहीं है
- प्रस्तावना में बंधुत्व की जो भावना व्यक्त की गई उसके बारे में कोई प्रयास नहीं किया गया

## आर्थिक असफलताएं

- 83% आय धनी लोगों के पास है 260 मिलीयन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं

## सामाजिक असफलताये

- में एक लाख जन्म पर माताओं की मृत्यु 407 थी
- कुपोषण

## प्रशासनिक असफलताएं

लैंगिक समानता एवं न्याय असफलताएं, न्याय प्रणाली असफलताएं

AroraIAS

## Chapter -77

### राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (National Investigation Agency-NIA) भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जाँच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जाँच एजेंसी विधेयक, 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में आई थी।
- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी को 2008 के मुंबई हमले के पश्चात् गठित किया गया, क्योंकि इस घटना के पश्चात् आतंकवाद का मुकाबला करने के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की ज़रूरत महसूस की गई।

#### NIA के प्रमुख उद्देश्य

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी का लक्ष्य एक ऐसी बेहतरीन जाँच व्यवस्था बनाना है जो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित हो।
- NIA का उद्देश्य उच्च स्तर पर प्रशिक्षित, साझेदारी उन्मुख कार्यबल बनाकर आतंकवाद और राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा संबंधी अन्य जाँचों में उत्कृष्टता के मानक स्थापित करना है।
- NIA का उद्देश्य मौजूदा और संभावित आतंकवादी समूहों/व्यक्तियों पर लगाम लगाना है।
- इसके अलावा आतंकवाद से जुड़ी सूचनाओं/जानकारियों का डेटाबेस विकसित करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण बिल (संशोधन), 2019 के अंतर्गत किये गए प्रावधान

### 1. सूचीबद्ध अपराध (Scheduled offences)

- इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की एक सूची बनाई गई है जिन पर NIA जाँच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है। इस सूची में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (Atomic Energy Act) और गैर-कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम, 1967 (Unlawful Activities Prevention Act) जैसे अधिनियमों के तहत सूचीबद्ध अपराध शामिल हैं।
- यह अधिनियम NIA को निम्नलिखित अपराधों की जाँच करने की अनुमति देता है:
  - मानव तस्करी,
  - जाली मुद्रा या बैंक नोटों से संबंधित अपराध,
  - प्रतिबंधित हथियारों का निर्माण या बिक्री,
  - साइबर आतंकवाद ,
  - विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (Explosive Substances Act) के तहत अपराध।

### 2. NIA का क्षेत्राधिकार (Jurisdiction of the NIA)

- NIA के अधिकारियों के पास पूरे भारतवर्ष में उपरोक्त अपराधों की जाँच करने के संबंध में अन्य पुलिस अधिकारियों के समान ही शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- NIA के पास भारत के बाहर घटित ऐसे अनुसूचित अपराधों, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन हैं, की जाँच करने की शक्ति होगी।
- केंद्र सरकार, NIA को भारत में घटित सूचीबद्ध अपराध के मामलों की जाँच के सीधे निर्देश दे सकती है।
- सूचीबद्ध अपराधों के मामले नई दिल्ली की विशेष अदालत के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगे।

### 3. विशेष न्यायालय (Special Courts)

- यह अधिनियम सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई हेतु केंद्र सरकार को विशेष न्यायालयों का गठन करने की अनुमति देता है।
- साथ ही इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार सूचीबद्ध अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिये सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालयों के रूप में नामित कर सकती है।
- यदि केंद्र सरकार किसी सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में नामित करना चाहती है तो पहले उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है, जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्यरत होता है।
- यदि किसी क्षेत्र के लिये एक से अधिक विशेष न्यायालय नामित किये जाते हैं, तो वरिष्ठतम न्यायाधीश इन न्यायालयों के मध्य मामलों का वितरण करेगा।
- इसके अलावा राज्य सरकारें भी सूचीबद्ध अपराधों की सुनवाई हेतु विशेष न्यायालयों के रूप में सत्र न्यायालयों को भी नामित कर सकती हैं।

Source- PRS website

## Chapter -78

### GST परिषद

GST परिषद के बारे में :

- यह वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिये एक संवैधानिक निकाय है।
- 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279A(1) में GST परिषद का प्रावधान किया गया है।
- सदस्य- सभी 28 राज्यों एवं तीन संघ-शासित क्षेत्रों (दिल्ली, पुदुच्चेरी और जम्मू-कश्मीर) के वित्त मंत्री या राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित कोई अन्य मंत्री अर्थात् कुल मिलाकर 31 सदस्य होते हैं।
- GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं।

- यह एक संघीय निकाय के रूप में माना जाता है जहाँ केंद्र और राज्यों दोनों को उचित प्रतिनिधित्व मिलता है।

GST परिषद की मतदान प्रणाली :

- GST परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थित और मतदान के 75% भारित बहुमत (तीन चौथाई बहुमत) होने के बाद ही लिया जाता है।
- भारित बहुमत का सिद्धांत- केंद्र सरकार का मान एक तिहाई वोट माना जाता है। सभी राज्य सरकारों का एक साथ मिलकर कुल मान दो-तिहाई वोट माना जाता है।

GST परिषद के कार्य :

GST परिषद का कार्य निम्नलिखित विषयों पर केंद्र और राज्यों की सिफारिश करना है -

- केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों द्वारा वसूले जाने वाले कर, उपकर तथा अधिशुल्क; जिन्हें GST के अंतर्गत समाहित किया जा सके
- ऐसी वस्तुएँ और सेवाएँ, जिन्हें GST के अधीन या उससे छूट प्रदान की जा सके
- आदर्श GST कानून, उद्ग्रहण के सिद्धांत, IGST का बैंटवारा और आपूर्ति के स्थान को प्रशासित करने वाले सिद्धांत
- वह सीमा रेखा, जिसके नीचे वस्तु और सेवा के टर्नओवर को GST से छूट प्रदान की जा सके
- वह दिनांक, जबसे कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टरबाइन फ्लूल पर GST वसूला जा सके
- किसी भी प्राकृतिक आपदा या विपदा के दौरान अतिरिक्त संसाधन इकट्ठा करने हेतु किसी विशेष अवधि के लिये कोई विशेष दर या दरें
- उत्तर-पूर्वी एवं पर्वतीय राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड के संबंध में विशेष प्रावधान
- GST परिषद द्वारा यथा निर्णय एवं GST से संबंधित कोई अन्य मामला, जिस पर परिषद निर्णय ले सकती है।

Note- 18 दिसंबर, 2019 को GST परिषद (GST council) की 38वीं बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सभी लॉटरी (राज्य द्वारा संचालित या राज्य द्वारा अधिकृत किंतु निजी संस्था द्वारा संचालित) पर कर की 28% की एक समान दर को मंजूरी दे दी है।

- कर की यह दर 1 मार्च, 2020 से लागू होगी। यह बैठक इस कारण भी अत्यंत चर्चा का विषय है क्योंकि पहली बार GST परिषद में किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिये मतदान करना पड़ा। ध्यातव्य है कि इसके पहले GST परिषद द्वारा लिये गए सभी फैसले सर्वसम्मति से लिये जाते थे।

**बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:**

- लॉटरी के संबंध में कर की दर 28% करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित नहीं हो सका इसलिये GST इतिहास में पहली बार किसी विषय पर मतदान किया गया। गौरतलब है कि केरल के वित्त मंत्री के प्रस्ताव पर इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया जिसे 21-7 के मतों से पारित किया गया। ध्यातव्य है कि इससे पहले लॉटरी के संदर्भ में दोहरी दर

व्यवस्था थी, राज्य द्वारा संचालित लॉटरी पर 12% तथा राज्य द्वारा अधिकृत किंतु निजी संस्थाओं द्वारा संचालित लॉटरी पर 28% की दर से कर का प्रावधान था।

- जिन करदाताओं ने जुलाई, 2017 से नवंबर, 2019 तक का GSTR-1 (GST Return- 1) दाखिल नहीं किया है और यदि वे 10 जनवरी, 2020 तक रिटर्न दाखिल करते हैं तो उनका विलंब भुगतान शुल्क माफ कर दिया जाएगा किंतु यदि वे समयसीमा में रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो उनके ई-वे बिल भी ब्लाक कर दिया जाएगा।
- परिषद ने वर्ष 2017-18 के लिये वार्षिक रिटर्न GSTR-9 और GSTR-9(c) की अंतिम तिथि को भी 31 दिसंबर, 2019 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2020 कर दिया है।
- जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों की परिस्थितियों को देखते हुए कर भुगतान की समय सीमा नवंबर से बढ़ाकर वर्ष के अंत तक कर दी गई है।
- औद्योगिक पार्कों की स्थापना को सरल बनाने के उद्देश्य से परिषद ने केंद्र व राज्य सरकारों के 20% स्वामित्व वाली सभी संस्थाओं को 1 जनवरी, 2020 से दीर्घकालिक भूमि पट्टों में GST से छूट प्रदान की जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले केवल 50% सरकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं को ही यह छूट प्रदान की जाती थी।
- परिषद ने बुने हुए और बिना बुने हुए बैग पर 1 जनवरी, 2020 से 18% की दर से GST लगाने का प्रावधान किया है।

GST के संदर्भ में राज्यों की चिंताएँ :

- कर राजस्व में कमी वर्तमान में आर्थिक मंदी और न्यूनतम खपत के समय व्यापक चिंता का विषय बना हुआ है। गौरतलब है कि पहले आठ महीनों में GST संग्रह के लक्ष्य का केवल 50% व क्षतिपूर्ति उपकर संग्रह के लक्ष्य का केवल 60% ही संग्रहीत किया गया है।
- GST क्षतिपूर्ति में देरी राज्यों के लिये चिंता का विषय है। GST लागू करते समय राज्यों को 5 वर्षों तक क्षतिपूर्ति देने का आश्वासन दिया गया था। राज्यों द्वारा प्रायः यह शिकायत की जाती है कि केंद्र सरकार फंड होने के बावजूद राज्यों को पैसा नहीं देती है।

Source- The Hindu

## Chapter -79

### राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन.डी.एम.ए.)

- यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिये एक सर्वोच्च निकाय है, जिसका गठन 'आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005' के तहत किया गया था।
- यह आपदा प्रबंधन के लिये नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों का निर्माण करने के लिये ज़िम्मेदार संस्था है, जो आपदाओं के वक्त समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है।
- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा इस प्राधिकरण की अध्यक्षता की जाती है।

## उद्देश्य

- इस संस्था का उद्देश्य एक समग्र, प्रो-एकिटव, प्रौद्योगिकी ड्रिवेन टिकाऊ विकास रणनीति के माध्यम से एक सुरक्षित और डिजास्टर रेसिलिएंट भारत का निर्माण करना है, जिसमें सभी हितधारकों को शामिल किया गया है।
- यह आपदा की रोकथाम, तैयारी एवं शमन की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

### राष्ट्रीय आपदा मोचन बल

- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा 19 जनवरी को अपना 13वाँ स्थापना दिवस मनाया गया। भारत में NDRF का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के दौरान विशेष प्रतिक्रिया के उद्देश्य से किया गया है।
- वर्तमान में, एनडीआरएफ में 12बटालियन हैं , जिनमें BSF और CRPF से तीन-तीन और CISF, SSB और ITBP से दो-दो बटालियन हैं।

### आपदा प्रबंधन में NDRF की भूमिका

- मानवीय और प्राकृतिक आपदा के दौरान विशेषज्ञ प्रतिक्रिया उपलब्ध करना, जिससे बचाव एवं राहत कार्य का प्रभावी निष्पादन संभव हो सके।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल आपदाओं के दौरान चलाए जाने वाले राहत कार्यों में अधिकारियों की मदद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती संभावित आपदाओं के दौरान भी की जाती है।
- आपदाओं में बचाव या राहत कार्य के दौरान अन्य संलग्न एजेंसियों के साथ समन्वय कर यह बल बचाव या राहत कार्य को संपूर्णता प्रदान करता है।
- NDRF की सभी बटालियन तकनीकी दक्षता से युक्त हैं और विभिन्न प्रकार की विशेषज्ञ योग्यताओं से सुसज्जित हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के साथ-साथ यह बल अपनी चार टुकड़ियों के माध्यम से रेडियोलॉज़िकल, जैविक, नाभिकीय और रासायनिक आपदाओं से निपटने में भी सक्षम है।

Source- PIB

# Arora IAS

## Chapter -80

पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCBC)

### NCBC क्या है?

- 102 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
- यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार दिया गया है।
- पहले NCBC सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय था।

### पृष्ठभूमि

- 1950(काका कालेलकर) और 1970(बी.पी. मंडल) के दशक में दो पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त किए गए।

- 1992 के इंद्रा साहनी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वह लाभ और सुरक्षा के उद्देश्य से विभिन्न पिछड़े वर्गों के समावेश करने के लिए एक स्थायी निकाय बनाए।
- इन निर्देशों के अनुपालन में संसद ने 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित किया और NCBC का गठन किया।
- 2017 का 123 वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में पिछड़े वर्गों के हितों को अधिक प्रभावी ढंग से संरक्षित करने के लिए पेश किया गया था।
- संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 को निरस्त करने के लिए एक अलग विधेयक भी पारित किया है, इस प्रकार 1993 अधिनियम विधेयक पारित होने के बाद अप्रासंगिक हो गया।
- अगस्त 2018 में विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति मिली और उसने एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

### एनसीबीसी की संरचना

- आयोग में पांच सदस्य होते हैं, जिसमें एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के कार्यालय की सेवा और कार्यकाल की शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

### संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 340, अन्य बातों के साथ, उन "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों" की पहचान करने की आवश्यकता से संबंधित है, जो उनके पिछड़ेपन की स्थितियों को समझते हैं, और उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए सिफारिशें करते हैं।
- 102 वां संविधान संशोधन अधिनियम ने नए लेख 338 बी और 342 ए को जोड़ा गया
- संशोधन भी अनुच्छेद 366 में बदलाव लाता है।
- अनुच्छेद 338 बी एनसीबीसी को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के बारे में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 342 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए एक राष्ट्रपति का अधिकार देता है। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकता है। हालाँकि, संसद द्वारा अधिनियमित कानून की आवश्यकता होगी यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन किया जाना है।
- यह राष्ट्रपति को रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है

Source- PIB

AroraIAS

### Important Current Affairs

#### Topic- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर- National Register of Citizens (NRC)

##### संदर्भ

- हाल ही में असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे को जारी किया गया। जिसके अनुसार 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत की नागरिकता नहीं मिली है।
- उल्लेखनीय है कि एनआरसी में शामिल होने के लिये 3.29 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था जिनमें से 2.89 करोड़ लोगों के नाम ही एनआरसी द्वारा जारी अंतिम सूची में शामिल हैं।
- इस बात को लेकर सङ्क से लेकर संसद तक चर्चाएँ जारी हैं।

##### राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर

- एनआरसी वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।

- इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं। उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- एनआरसी उन्हीं राज्यों में लागू होती है जहाँ से अन्य देश के नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं। एनआरसी की रिपोर्ट ही बताती है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं।

### एनआरसी की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- 1947 में जब भारत-पाकिस्तान का बँटवारा हुआ तो कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी ज़मीन असम में थी और लोगों का दोनों ओर से आना-जाना बँटवारे के बाद भी जारी रहा। जिसके चलते वर्ष 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था।
- वर्ष 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद भी असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा जिसके चलते राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा।
- 80 के दशक में अखिल असम छात्र संघ (All Assam Students Union-AASU) ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों की पहचान करने तथा उन्हें वापस भेजने के लिये एक आंदोलन शुरू किया। AASU के छह साल के संघर्ष के बाद वर्ष 1985 में असम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

### असम समझौता

- 15 अगस्त, 1985 को AASU और दूसरे संगठनों तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है।
- इस समझौते के अनुसार, 25 मार्च, 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वाले हिंदू-मुसलमानों की पहचान की जानी थी तथा उन्हें राज्य से बाहर किया जाना था।
- इस समझौते के तहत 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिये गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इसके अंतर्गत असम के आर्थिक विकास के लिये विशेष पैकेज भी दिया गया।
- साथ ही यह फैसला भी किया गया कि असमिया भाषी लोगों के सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषायी पहचान की सुरक्षा के लिये विशेष कानून और प्रशासनिक उपाय किये जाएंगे। असम समझौते के आधार पर मतदाता सूची में संशोधन किया गया।

### राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला

- वर्ष 2005 में सरकार ने 1951 के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला किया और तय किया कि असम समझौते के तहत 25 मार्च, 1971 से पहले असम में अवैध तरीके से प्रवेश करने वाले लोगों का नाम भी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप में जोड़ा जाएगा।
- लेकिन यह विवाद सुलझाने की बजाय और अधिक बढ़ता गया तथा मामला कोर्ट पहुँच गया। इसके बाद साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम में नागरिकों के सत्यापन का कार्य शुरू किया गया। इसके लिये पूरे राज्य में कई NRC केंद्र खोले गए।

- नागरिकों के सत्यापन के लिये यह अनिवार्य किया गया कि केवल उन्हें ही भारतीय नागरिक माना जाएगा जिनके पूर्वजों के नाम 1951 के एनआरसी में या 24 मार्च 1971 तक के किसी वोटर लिस्ट में मौजूद हों।

### नागरिकता की समाप्ति से उत्पन्न होने वाली समस्याएँ

- एनआरसी की सूची जारी होने के बाद लोग स्टेटलेस हो गए हैं, अर्थात् वे किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। ऐसी स्थिति में राज्य में हिंसा का खतरा बना हुआ है।
- जो लोग दशकों से असम में रह रहे थे, भारतीय नागरिकता समाप्त होने के बाद वे न तो पहले की तरह वोट दे सकेंगे, न इन्हें किसी कल्याणकारी योजना का लाभ मिलेगा और अपनी ही संपत्ति पर भी इनका कोई अधिकार नहीं रहेगा।
- जिन लोगों के पास स्वयं की संपत्ति है वे दूसरे लोगों का निशाना बनेंगे।

### "अपडेटेड" NRC क्या है?

- असम दशकों से बांग्लादेश (पूर्व में पूर्वी बंगाल और फिर पूर्वी पाकिस्तान) से होने वाले प्रवास का साक्षी रहा है, यहाँ पहले से ही एक NRC है, जो वर्ष 1951 में उस वर्ष की जनगणना के आधार पर प्रकाशित की गई थी। इस तरह के दस्तावेज़ वाला यह देश का एकमात्र राज्य है, वर्तमान में असम अपने नागरिकों की पहचान करने के लिये NRC को अपडेट कर रहा है।
- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजापित एवं निरीक्षित यह अपडेटेड NRC वर्ष 1985 के असम समझौते की असफलता का परिणाम है, जो 24 मार्च, 1971 को नागरिकता के निर्धारण की अंतिम तिथि तय करता है। इस तारीख से पहले असम में प्रवेश करने वाले लोगों को असम के नागरिक के रूप में मान्यता दी जाती है।

### क्या पिछले साल जारी की गई NRC अपडेटेड नहीं थी?

- यह एक मसौदा था, जो जुलाई 2018 में प्रकाशित हुआ था। उस सूची में भारतीय नागरिकों के रूप में 2.89 करोड़ निवासियों को शामिल किया गया था, जबकि 40 लाख लोगों को सूची से बाहर कर दिया गया था।
- सूची से बाहर किये गए लोगों को पुनः सूची में शामिल करने के लिये आवेदन दायर करने की अनुमति दी गई थी। इस बीच नागरिकों के पास यह विकल्प भी मौजूद था कि यदि उन्हें लगता है कि किसी व्यक्ति को सूची में गलत तरीके से शामिल किया गया है तो वे उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कर सकते थे।
- इस वर्ष की शुरुआत में NRC अधिकारियों ने 1 लाख व्यक्तियों के साथ एक अतिरिक्त बहिष्करण सूची तैयार की, जिन्हें मूल रूप से NRC मसौदे में शामिल किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें योग्य (Eligible) पाया गया।

### क्या NRC से बाहर किये गए लोग अवैध प्रवासी हैं?

- ज़रूरी नहीं है कि ये सभी अवैध प्रवासी ही हों। अभी भी इनके पास अपील करने का विकल्प मौजूद है। ये लोग एक समय-सीमा के भीतर NRC से अस्वीकृति आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील के लिये संपर्क कर सकते हैं।
- 100 मौजूदा विदेशी न्यायाधिकरणों के अलावा और 200 न्यायाधिकरणों को जल्द ही कार्यात्मक बनाया जाएगा।
- यदि आवेदक ऐसे अधिकरण के समक्ष केस हार जाता है, तो वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो उच्चतम न्यायालय में भी जा सकता है।
- कोई ऐसा व्यक्ति जिसे न केवल अंतिम NRC से बाहर कर दिया गया है, बल्कि वह विदेशी ट्रिब्यूनल में भी केस हार जाता है, को गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे डिटेंशन कैंप/शरणार्थी शिविर में भेजे जाने की संभावना भी है।

### **किस आधार पर दावा कर सकते हैं सूची से बाहर किये गए लोग?**

- ऐसे लोगों को यह साबित करने की आवश्यकता होगी कि वे या उनके पूर्वज 24 मार्च, 1971 को या उससे पहले असम के नागरिक थे। वर्ष 1985 के असम समझौते में यही निर्दिष्ट तारीख है।
- वर्ष 1951 की NRC के नागरिक स्वचालित रूप से अपडेटेड NRC में शामिल होने के लिये पात्र हैं। जीवित बचे लोगों और मृतकों के वंशजों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपनी वंशावली को साबित कर सकें। हालाँकि वर्ष 1951 की NRC के साथ संलग्नता अनिवार्य नहीं है।
- असम समझौते के तहत निर्दिष्ट तिथि के अनुसार 24 मार्च, 1971 तक जो कोई भी व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल है, या ऐसे नागरिकों के वंशज हैं, वे अपडेटेड NRC में शामिल होने के पात्र हैं। दूसरे अन्य दस्तावेज़ भी स्वीकार्य हैं जैसे- जन्म प्रमाण-पत्र और भूमि रिकॉर्ड, ऐसे दस्तावेज़ जो कि निर्दिष्ट तिथि से पहले जारी किये गए थे।

### **यदि सूची से बाहर किये गए लोगों के लिये कानूनी सहारा भी विफल हो जाता है तो क्या उन्हें निर्वासित किया जाएगा?**

- हालाँकि असम आंदोलन की शुरुआत निर्वासन के मुद्दे को केंद्र में रख कर की गई थी, बांग्लादेश ने कभी भी आधिकारिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि उसके किसी भी नागरिक ने अवैध रूप से असम में पलायन किया।
- राज्य में मौजूदा जेलों के भीतर अवैध प्रवासियों के लिये 6 निरोध शिविर (Detention Camps) हैं और 3,000 लोगों की क्षमता वाले 7वें शिविर का निर्माण करने का प्रस्ताव है। हालाँकि इन शिविरों में सभी बहिष्कृत लोगों को समायोजित करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

## निर्वासित न किये जाने अथवा शरणार्थी शिविर में न भेजे जाने की स्थिति में

- ये आधिकारिक तौर पर गैर-नागरिक होंगे, लेकिन इनके साथ किस प्रकार का रवैया अपनाया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है। गृह मंत्रालय के अनुसार, भारत में नागरिकताहीन (Stateless) व्यक्तियों के लिये अभी कोई निश्चित नीति नहीं है।
- एकमात्र पहलू जो कम या ज़्यादा स्पष्ट तरीके से जात है, वह यह कि एक नागरिकताहीन व्यक्ति के पास मतदान का अधिकार नहीं होगा। अभी तक ऐसे लोगों के लिये रोज़गार, आवास और सरकारी स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा के उनके अधिकारों के बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। असम में कुछ इस प्रकार के सुझाव दिये गए हैं कि ऐसे लोगों को वर्क परमिट दिया जाए, हालाँकि कुछ वर्गों द्वारा इस विचार का विरोध भी किया जा रहा है।

## क्या शरणार्थियों के लिये कोई नीति नहीं है?

- नागरिकताहीन होना शरणार्थी होने जैसा नहीं है। भारत में तिब्बत, श्रीलंका (तमिल) और पश्चिम पाकिस्तान के शरणार्थी निवास करते हैं।
- इनमें से केवल अंतिम समूह को लोकसभा चुनावों में मतदान का अधिकार है, हालाँकि विधानसभा चुनावों में इन्हें भी मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है।
- तिब्बतियों को सरकार एक विशेष संशोधन के साथ भारतीय नागरिकता की अनुमति देती है कि वे तिब्बती बस्तियों को छोड़ दें और शरणार्थी लाभों का परित्याग कर दें।
- कुछ राज्यों द्वारा अंगीकृत तिब्बती पुनर्वास नीति (Tibetan Rehabilitation Policy) 2014 के तहत शरणार्थी श्रम, राशन, आवास और ऋण के लिये सरकारी योजनाओं के तहत प्रदत्त कुछ लाभों के लिये पात्र हैं।

## Topic- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR)

### चर्चा में क्यों?

- असम में 19 लाख लोगों को राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) से बाहर रखने के विवाद की पृष्ठभूमि में भारत सरकार द्वारा देशभर में नागरिकों की जनसंख्या का लेखा-जोखा रखने के लिये राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (National Population Register- NPR) को तैयार करने का निर्णय लिया गया है। इसने देश में नागरिकता के मुद्दे पर बहस को तीव्र कर दिया है।

### क्या है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

- NPR 'देश के सामान्य निवासियों' की एक सूची है।
- गृह मंत्रालय के अनुसार, 'देश का सामान्य निवासी' वह है जो कम-से-कम पिछले छह महीनों से स्थानीय क्षेत्र में रहता है या अगले छह महीनों के लिये किसी विशेष स्थान पर रहने का इरादा रखता है।
- NPR के पूरा होने और प्रकाशित होने के बाद नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड (National Registration Identity Card- NRIC) तैयार करने के लिये इसका एक आधार बनने की आशा है।
- NRIC असम के NRC का अखिल भारतीय प्रारूप होगा।
- NPR का संचालन स्थानीय, उप-ज़िला, ज़िला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर किया जा रहा है।
- भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) ने पहले ही 5,218 गणना ब्लॉकों के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करने के लिये 1,200 से अधिक गाँवों और 40 कस्बों और शहरों में एक पायलट परियोजना शुरू कर दी है।
- अंतिम गणना अप्रैल 2020 में शुरू होगी और सितंबर 2020 में समाप्त होगी।

## NPR और NRC में अंतर

- NRC असम में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सूची है जिसे असम समझौते को लागू करने के लिये तैयार किया जा रहा है।
- इसमें केवल उन भारतीयों के नाम को शामिल किया जा रहा है जो कि 25 मार्च, 1971 के पहले से असम में रह रहे हैं।
- उसके बाद राज्य में पहुँचने वालों को बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा।
- NRC के विपरीत, NPR एक नागरिकता गणना अभियान नहीं है, क्योंकि इसमें छह महीने से अधिक समय तक भारत में रहने वाले किसी विदेशी को भी इस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।
- NPR के तहत असम को छोड़कर देश के अन्य सभी क्षेत्रों के लोगों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह किया जाएगा।
- एक राष्ट्रव्यापी NRC के संचालन का विचार केवल आगामी NPR के आधार पर होगा।
- निवासियों की एक सूची तैयार होने के बाद उस सूची से नागरिकों के सत्यापन के लिये एक राष्ट्रव्यापी NRC को शुरू किया जा सकता है।

## NPR का वैधानिक आधार?

- NPR नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र निर्गमन) नियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जा रहा है।
- भारत के प्रत्येक "सामान्य निवासी" के लिये NPR में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- गृह मंत्रालय के तहत भारत के रजिस्ट्रार जनरल (RGI) के कार्यालय द्वारा, जनगणना-2021 के पहले चरण के साथ इसका संचालन किया जाएगा।

## क्या NPR एक नया विचार है?

- NPR का विचार UPA शासन के समय का है जब वर्ष 2009 में तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदंबरम द्वारा इसका प्रस्ताव रखा गया था।
- लेकिन उस समय नागरिकों को सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिये सबसे उपयुक्त आधार प्रोजेक्ट (UIDAI) का NPR से टकराव हो रहा था।
- गृह मंत्रालय ने तब आधार की बजाय NPR के विचार को आगे बढ़ाया क्योंकि यह NPR में पंजीकृत प्रत्येक निवासी को जनगणना के माध्यम से एक परिवार से जोड़ता था।
- NPR के लिये डेटा को पहली बार वर्ष 2010 में जनगणना-2011 के पहले चरण, जिसे हाउसलिस्टिंग चरण कहा जाता है, के साथ एकत्र किया गया था।
- वर्ष 2015 में इस डेटा को एक डोर-टू-डोर सर्वेक्षण आयोजित करके अपडेट किया गया था।
- हालाँकि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2016 में आधार को सरकारी लाभों के हस्तांतरण के लिये महत्वपूर्ण माना और NPR की बजाय आधार कार्ड की संकल्पना को आगे बढ़ाया।
- 3 अगस्त को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से RGI द्वारा NPR के विचार को पुनर्जीवित किया गया है।
- अतिरिक्त डेटा के साथ NPR-2015 को अपडेट करने की कवायद शुरू कर दी गई है जो वर्ष 2020 में पूरी हो जाएगी। अद्यतन जानकारी का डिजिटलीकरण भी पूरा हो चुका है।

## NPR किस तरह की जानकारी एकत्र करेगा?

- NPR जनसांख्यिकीय (Demographic) और बायोमेट्रिक (Biometric) दोनों प्रकार के डेटा एकत्र करेगा।
- जनसांख्यिकीय डेटा की 15 अलग-अलग श्रेणियाँ हैं जिनमें नाम और जन्म स्थान से लेकर शिक्षा और व्यवसाय जैसी जानकारी शामिल है।
- बायोमेट्रिक डेटा के लिये यह आधार पर निर्भर करेगा, जिसके लिये यह निवासियों के आधार पहचान की भी जानकारी एकत्र करेगा।
- इसके अलावा RGI देश भर में परीक्षण के लिये मोबाइल नंबर, आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड तथा पासपोर्ट संबंधी जानकारी भी इकट्ठा कर रहा है और जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के नागरिक पंजीकरण प्रणाली को अपडेट करने के लिये भी काम कर रहा है।
- वर्ष 2010 में RGI ने केवल जनसांख्यिकीय आँकड़े एकत्र किये थे।
- वर्ष 2015 में इसने मोबाइल, आधार और निवासियों के राशनकार्ड नंबरों के साथ आँकड़ों को अपडेट किया।
- वर्ष 2020 के अभ्यास के लिये इसने राशन कार्ड संख्या को इसमें से हटा दिया लेकिन अन्य श्रेणियों को जोड़ दिया।
- गृह मंत्रालय के अनुसार NPR के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य है लेकिन पैन नंबर, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और मतदाता पहचान पत्र जैसी अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करना स्वैच्छिक है।

- मंत्रालय ने निवासियों के विवरण को NPR में ऑनलाइन अपडेट करने का विकल्प भी प्रस्तुत किया है।

### NPR और आधार नंबर(UID Number) के बीच संबंध

- NPR सामान्य निवासियों का एक रजिस्टर है। इसमें एकत्र किये गए डेटा को आधार कार्ड जारी करने और इनके दूहराव को रोकने के लिये भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) को भेजा जाएगा।
- इस प्रकार NPR में जानकारी के तीन भाग होंगे- (i) जनसांख्यिकीय डेटा (ii) बायोमेट्रिक डेटा (iii) आधार नंबर (UID Number)।

### NPR पर विवाद क्या है?

- NPR का विचार ऐसे समय में चर्चा में आया है जब असम में लागू किये जा रहे NRC से 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया गया है।
- आधार तथा निजता के मुद्दे पर बहस जारी है और NPR भारत के निवासियों की निजी जानकारी का एक बड़ा हिस्सा इकट्ठा करने पर आधारित है।
- NPR पहले से मौजूद आधार, वोटर कार्ड, पासपोर्ट जैसे एक और पहचान पत्र की संख्या में वृद्धि करेगा।

### सरकार को नागरिकों के बारे में इतना डेटा क्यों चाहिये?

- प्रत्येक देश में प्रासंगिक जनसांख्यिकीय विवरण के साथ अपने निवासियों का व्यापक पहचान डेटाबेस होना चाहिये। यह सरकार को बेहतर नीतियाँ बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में भी मदद करेगा।
- इससे न केवल लाभार्थियों को बेहतर तरीके से लक्षित करने में मदद मिलेगी बल्कि काग़जी कार्रवाई और लालफीताशाही में भी कमी होगी।
- इसके अलावा यह विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर निवासियों के डेटा को सुव्यवस्थित करेगा। जैसे- विभिन्न सरकारी दस्तावेजों में किसी व्यक्ति के जन्म की अलग-अलग तारीख होना आम समस्या है। NPR से इस समस्या का समाधान होने की संभावना है।
- NPR डेटा के कारण निवासियों को दिन-प्रतिदिन के कार्यों हेतु उम्र, पता और अन्य विवरण के लिये विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत नहीं करने होंगे।
- यह मतदाता सूचियों में दूहराव को भी समाप्त करेगा।

### NPR और निजता का मुद्दा

- वर्तमान में निजता के मुद्दे पर भी वाद-विवाद बना हुआ है लेकिन पायलट प्रोजेक्ट से पता चला है कि अधिकाँश लोगों को ऐसी जानकारी को साझा करने में कोई समस्या नहीं है लेकिन दिल्ली जैसे कुछ शहरी क्षेत्रों में कुछ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा है।
- हालाँकि सरकार का पक्ष है कि NPR की जानकारी निजी और गोपनीय है, अर्थात् इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन डेटा की इस विशाल मात्रा के संरक्षण के लिये किसी व्यवस्था पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है।

### Topic- नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 (CAA)

#### संदर्भ

- देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच लोकसभा में नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित कर दिया गया। विदित हो कि नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया जाएगा।
- इस विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव किया गया है।
- ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2016 में भी केंद्र सरकार ने नागरिकता (संशोधन) विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया था, हालाँकि लोकसभा से पारित होने के बावजूद भारी विरोध प्रदर्शन के कारण सरकार ने इसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया।
- वर्तमान विधेयक को लेकर भी देश के कई हिस्सों खासकर पूर्वतर के राज्यों में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धार्मिक आधार पर देश की नागरिकता को परिभाषित करना भारतीय संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है।

#### क्या कहता है नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019?

- विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।
  - नागरिकता अधिनियम, 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम के तहत अवैध प्रवासी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है: (1) जिसने वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया हो, या (2) जो अपने निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय तक भारत में रहता है।

- विदित हो कि अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को उपरोक्त लाभ प्रदान करने के लिये उन्हें विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के तहत भी छूट प्रदान करनी होगी, क्योंकि वर्ष 1920 का अधिनियम विदेशियों को अपने साथ पासपोर्ट रखने के लिये बाध्य करता है, जबकि 1946 का अधिनियम भारत में विदेशियों के प्रवेश और प्रस्थान को नियंत्रित करता है।
- वर्ष 1955 का अधिनियम कुछ शर्तों (Qualification) को पूरा करने वाले व्यक्ति (अवैध प्रवासियों के अतिरिक्त) को नागरिकता प्राप्ति के लिये आवेदन करने की अनुमति प्रदान करता है। अधिनियम के अनुसार, इसके लिये अन्य बातों के अलावा उन्हें आवेदन की तिथि से 12 महीने पहले तक भारत में निवास और 12 महीने से पहले 14 वर्षों में से 11 वर्ष भारत में बिताने की शर्त पूरी करनी पड़ती है।
- उल्लेखनीय है कि लोकसभा द्वारा पारित हालिया संशोधन विधेयक अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई प्रवासियों के लिये 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 5 वर्ष करने का प्रावधान करता है।
- विधेयक के अनुसार, नागरिकता प्राप्त करने पर ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा और अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाहियाँ बंद कर दी जाएंगी।
- अवैध प्रवासियों के लिये नागरिकता संबंधी उपरोक्त प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे।
  - इसके अलावा ये प्रावधान बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 के तहत अधिसूचित 'इनर लाइन' क्षेत्रों पर भी लागू नहीं होंगे। जात हो कि इन क्षेत्रों में भारतीयों की यात्राओं को 'इनर लाइन परमिट' के माध्यम से विनियमित किया जाता है।
  - वर्तमान में यह परमिट व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और नगालैंड में लागू है।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 के अनुसार, केंद्र सरकार किसी भी OCI कार्डधारक के पंजीकरण को निम्नलिखित आधार पर रद्द कर सकती है:
  - यदि OCI पंजीकरण में कोई धोखाधड़ी सामने आती है।
  - यदि पंजीकरण के पाँच साल के भीतर OCI कार्डधारक को दो साल या उससे अधिक समय के लिये कारावास की सज़ा सुनाई गई है।
  - यदि ऐसा करना भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिये आवश्यक हो।
- प्रस्तावित विधेयक में OCI कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने के लिये एक और आधार जोड़ने की बात की गई है, जिसके तहत यदि OCI कार्डधारक अधिनियम के प्रावधानों या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य कानून का उल्लंघन करता है तो भी केंद्र के पास उस OCI कार्डधारक के पंजीकरण को रद्द करने का अधिकार होगा।

## 2016 के विधेयक और 2019 के विधेयक में प्रमुख अंतर

- प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जान और अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद करने जैसे प्रावधान वर्ष 2019 के नागरिकता संशोधन विधेयक में नए हैं, जबकि ये वर्ष 2016 के नागरिकता संशोधन विधेयक में नहीं थे। साथ ही छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों के अपवाद का बिंदु भी 2019 के विधेयक में नया है।
- वर्ष 2016 के विधेयक में अफगानिस्तान, बांगलादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी तथा ईसाई प्रवासियों के लिये 11 वर्ष की शर्त को घटाकर 6 वर्ष करने का प्रावधान किया गया था, जबकि हालिया विधेयक में इसे और कम (5 वर्ष) कर दिया गया है।

### विधेयक से संबंधित विवाद

- विधेयक को लेकर विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि यह विधेयक एक धर्म विशेष के खिलाफ है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। विधेयक के आलोचकों का कहना है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जा सकता।
  - विदित हो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है अर्थात् कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। यह कानून भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है।
- विशेषज्ञों का मानना है कि यह विधेयक अवैध प्रवासियों को मुस्लिम और गैर-मुस्लिम में विभाजित कर कानून में धार्मिक भेदभाव को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है, जो कि लंबे समय से चली आ रही धर्मनिरपेक्ष संवैधानिक लोकनीति के विरुद्ध है।
- नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों मुख्यतः असम में खासा विरोध हो रहा है, क्योंकि वे इस विधेयक को वर्ष 1985 के असम समझौते (Assam Accord) से पीछे हटने के एक कदम के रूप में देख रहे हैं।
  - असम के अलावा पूर्वोत्तर के कई अन्य राज्यों में भी इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि वहाँ के नागरिकों को नागरिकता संशोधन विधेयक के कारण जनांकिकीय परिवर्तन का डर है।
- साथ ही OCI कार्डधारक का पंजीकरण रद्द करने का नया आधार केंद्र सरकार के विवेकाधिकार का दायरा विस्तृत करता है। क्योंकि कानून के उल्लंघन में हत्या जैसे गंभीर अपराध के साथ यातायात नियमों का मामूली उल्लंघन भी शामिल है।

### विधेयक को लेकर सरकार का पक्ष

- सरकार का कहना है कि इन प्रवासियों ने अपने-अपने देशों में काफी 'भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न' का सामना किया है। प्रस्तावित संशोधन देश की पश्चिमी सीमाओं से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में आए उत्पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करेगा।

- इन छह अल्पसंख्यक समुदायों सहित भारतीय मूल के कई लोग नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता पाने में असफल तो रहते ही हैं और भारतीय मूल के समर्थन में साक्ष्य देने में भी असमर्थ रहते हैं। इसलिये उन्हें देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिये आवेदन करना पड़ता है, जो कि अपेक्षाकृत एक लंबी प्रक्रिया है।

### असम समझौते का विवाद

- वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की हिंसक कार्रवाई शुरू हुई तो वहाँ के लगभग 10 लाख लोगों ने असम में शरण ली। हालाँकि बांग्लादेश बनने के बाद इनमें से अधिकांश वापस लौट गए, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी असम में ही अवैध रूप से रहने लगे।
- वर्ष 1971 के बाद भी जब बांग्लादेशी अवैध रूप से असम आते रहे तो इस जनसंख्या परिवर्तन ने असम के मूल निवासियों में भाषायी, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न कर दी और 1978 के आस-पास वहाँ एक आंदोलन शुरू हुआ।
- असम में घुसपैठियों के खिलाफ वर्ष 1978 से चले लंबे आंदोलन और 1983 की भीषण हिंसा के बाद समझौते के लिये बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई।
- इसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त, 1985 को केंद्र सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समझौता हुआ जिसे असम समझौते (Assam Accord) के नाम से जाना जाता है।
- असम समझौते के मुताबिक, 25 मार्च, 1971 के बाद असम में आए सभी बांग्लादेशी नागरिकों को यहाँ से जाना होगा, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान। इस तरह यह समझौता अवैध प्रवासियों के बीच धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है।
- इस समझौते के तहत 1951 से 1961 के बीच असम आए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और मतदान का अधिकार देने का फैसला लिया गया। साथ ही 1961 से 1971 के बीच असम आने वाले लोगों को नागरिकता तथा अन्य अधिकार दिये गए, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
- असम में इस विधेयक को लेकर विरोध की एक बड़ी वजह यही है कि हालिया नागरिक संशोधन विधेयक असम समझौते का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके तहत उन लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 1971 एवं 2014 से पहले भारत आए हैं।

### धर्म आधारित परिभाषा- अनुच्छेद 14 का उल्लंघन?

- विधेयक के अनुसार, जो अवैध प्रवासी अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के निर्दिष्ट अल्पसंख्यक समुदायों के हैं, उनके साथ अवैध प्रवासियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इन देशों से आने वाले अवैध प्रवासी जिनका संबंध इन 6 धर्मों से नहीं है, वे नागरिकता के लिये पात्र नहीं हैं।

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय तथा विदेशी नागरिकों सभी को समानता की गारंटी देता है। यह अधिनियम दो समूहों के बीच अंतर करने की अनुमति केवल तभी देता है जब यह उचित एवं तर्कपूर्ण उद्देश्य के लिये किया जाए।
- ऐसे में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद के तहत प्रदत्त समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह अवैध प्रवासियों के बीच (1) उनके मूल देश (2) धर्म (3) भारत में प्रवेश की तारीख और (4) भारत में रहने की जगह आदि के आधार पर भेदभाव करता है।
- विधेयक में बांग्लादेश और पाकिस्तान को शामिल करने के पीछे तर्क दिया गया है कि विभाजन से पूर्व कई भारतीय इन क्षेत्रों में रहते थे, परंतु अफगानिस्तान को शामिल करने के पीछे कोई तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं दी गई है।
- सरकार बार-बार यह दोहरा रही है कि इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य धार्मिक आधार पर उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, परंतु यदि असल में ऐसा है तो विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश एवं पाकिस्तान के अतिरिक्त अन्य पड़ोसी देशों का ज़िक्र क्यों नहीं है।
  - यह तथ्य नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता कि श्रीलंका में भी भाषायी अल्पसंख्यकों जैसे-तमिल ईलम के उत्पीड़न का एक लंबा इतिहास रहा है। वहीं भारत को म्याँमार के रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुए अत्याचारों को भी नहीं भूलना चाहिये।
- जानकारों का कहना है कि विधेयक में मात्र 6 धर्मों को शामिल करने का उद्देश्य भी काफी हद तक अस्पष्ट है, क्योंकि गत कुछ वर्षों में पाकिस्तान के अल्पसंख्यक अहमदिया मुसलमानों, जिन्हें पाकिस्तान में गैर-मुस्लिम माना जाता है, के उत्पीड़न की खबरें भी सामने आती रही हैं।
- 31 दिसंबर, 2014 की तारीख का चुनाव करने के पीछे का उद्देश्य भी स्पष्ट नहीं किया गया है।

## NRC और नागरिकता संशोधन विधेयक

- NRC या राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर वह रजिस्टर है जिसमें सभी भारतीय नागरिकों का विवरण शामिल है। इसे वर्ष 1951 की जनगणना के बाद तैयार किया गया था। रजिस्टर में उस जनगणना के दौरान गणना किये गए सभी व्यक्तियों के विवरण शामिल थे।
- गौरलतब है कि असम वह पहला राज्य था जहाँ 1951 के बाद NRC को अपडेट किया गया था। इसी वर्ष 31 अगस्त को अपडेट करने का कार्य पूरा हुआ था और अंतिम सूची जारी की गई थी।
- NRC की अंतिम सूची में 19,06,657 लोगों का नाम शामिल नहीं किया गया था, जात हो कि NRC से बाहर होने वालों की सूची में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग शामिल थे।
- नागरिकता संशोधन विधेयक में NRC से जुड़ा एक विवाद यह भी है कि इसके आने से असम के गैर-मुस्लिमों को नागरिकता प्राप्त करने का एक और अवसर मिल जाएगा, जबकि वहाँ के मुस्लिमों को अवैध

प्रवासी घोषित कर उन पर विटेशी कानून लागू किये जाएंगे। जानकारों का मानना है कि इससे NRC का कार्यान्वयन प्रभावित होगा।

### अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया

- नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी चर्चाएँ हो रही हैं। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम (United States Commission on International Religious Freedom-USCIRF) ने लोकसभा में इस विधेयक के पारित होने पर चिंता जताई है।
- USCIRF ने अपने बयान में कहा है कि यदि यह विधेयक भारतीय संसद से पारित हो जाता है तो वह भारतीय गृह मंत्री सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर सकता है।
- वहीं इस संदर्भ में भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि आयोग द्वारा दिया गया बयान न तो सही है और न ही वांछित है। मंत्रालय के अनुसार, USCIRF अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर ही अपनी धारणाएँ बना रहा है।

### Topic- आर्थिक आधार पर मिलेगा 10% आरक्षण

- 8 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में गरीब अगर्डों को 10 फीसदी आरक्षण देने वाला संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इसके लिये सरकार ने राज्यसभा का सत्र भी बढ़ा दिया है।
- यह आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े सभी धर्मों के लोगों को मिलेगा। सरकार के इस फैसले के पीछे राजनीतिक जानकार तीन राज्यों की विधानसभाओं के लिये हुए हालिया चुनावों को जिम्मेदार मान रहे हैं।

### क्या है इस आरक्षण का उद्देश्य?

- आरक्षण देने का उद्देश्य केंद्र और राज्य में शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, चुनाव और कल्याणकारी योजनाओं में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है।

### किसको माना गया है आर्थिक रूप से पिछड़ा?

- परिवार की आय आठ लाख रुपए सालाना से कम
- यह OBC आरक्षण में लागू क्रीमीलेयर की सीमा है
- जिनकी कृषि योग्य भूमि पाँच एकड़ से कम
- आवासीय घर एक हजार वर्ग फीट से कम
- अधिसूचित नगरपालिका में 100 गज से कम का प्लॉट
- गैर अधिसूचित नगरपालिका इलाके में आवासीय प्लॉट की सीमा 200 गज़

## फिलहाल क्या है आरक्षण की व्यवस्था?

- मौजूदा कानून के तहत कुल 49.5 फीसद आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जाति (SC) को 15 फीसद, अनुसूचित जनजाति (ST) को 7.5 फीसद और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 फीसद आरक्षण दिया जाता है।

## आरक्षण और मंडल आयोग

- 1979 में केंद्र सरकार ने आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के पूर्व मुख्य मंत्री बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Class Commission) का गठन किया था।
- इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। मंडल आयोग ने जातियों को आरक्षण के सूत्र में बांधने के लिये 1931 की जातिगत जनगणना को अपनी रिपोर्ट का आधार बनाया था।
- इसमें 3743 जातियाँ तथा समुदाय शामिल थे, जिन्हें OBC का दर्जा देकर 27 फीसद आरक्षण देने का सुझाव दिया गया था।
- 13 अगस्त, 1990 को आयोग की सिफारिशों के आधार पर पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में 27 फीसद आरक्षण देने की अधिसूचना जारी हुई।
- तमाम विरोधों के बीच यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा, जहाँ अंततः 9 न्यायाधीशों वाली संविधानिक पीठ ने 16 नवंबर, 1992 को कोर्ट ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के फैसले को सही ठहराया।
- इसके बाद केंद्र सरकार ने 8 सितंबर, 1993 को केंद्र की नौकरियों में पिछड़े वर्गों को 27 फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की।

## संविधान संशोधन प्रस्ताव

- सरकार ने इसके लिये आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु संवैधानिक संशोधन विधेयक, 2018 (Constitution Amendment Bill to Provide Reservation to Economic Weaker Section 2018) के ज़रिये संविधान के अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। यह 124वाँ संविधान संशोधन विधेयक है।

## संविधान का अनुच्छेद 15 और 16

- अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 (1) के अनुसार, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई अंतर नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है। लेकिन यहाँ कहीं भी आर्थिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसीलिये सर्वणों को आरक्षण देने के लिये सरकार को इस अनुच्छेद में आर्थिक रूप से कमज़ोर शब्द जोड़ने के लिये संविधान संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी।
- अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों और सेवाओं में समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। लेकिन 16(4), 16(4)(क), 16(4)(ख) तथा अनुच्छेद 16(5) में राज्य को अधिकार दिया गया है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण दे सकता है। यहाँ भी आर्थिक शब्द का जिक्र कहीं नहीं है।

इसलिये सरकार को गरीब सर्वणों को आरक्षण देने के लिये संविधान के इन दो अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा।

**सुप्रीम कोर्ट में कई बार जा चुका है आरक्षण का मामला**

- **श्रीमती चंपकम (1951):** 1921 में मद्रास प्रेसीडेंसी ने एक जातिगत सरकारी आजापत्र जारी किया, जिसमें गैर-ब्राह्मणों के लिये 44 फीसद, ब्राह्मणों के लिये 16 फीसद, मुसलमानों के लिये 16 फीसद, एंग्लो-इंडियन/ईसाइयों के लिये 16 फीसद और अनुसूचित जातियों के लिये आठ फीसद आरक्षण दिया गया था। इस आदेश को 1951 में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया।
- **एम.आर. बालाजी (1963):** 1963 के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि पिछड़े वर्ग का वर्गीकरण करना असंवैधानिक है। कोई विशेष वर्ग पिछड़ा वर्ग है या नहीं, इसके निर्धारण के लिये व्यक्ति की जाति ही एकमात्र कसौटी नहीं हो सकती। इसके निर्धारण के लिये आर्थिक दशा, निर्धनता, पेशा, निवास स्थान आदि पर भी ध्यान देना चाहिये।
- **टी. देवदासन (1963):** इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 1963 में बालाजी बनाम मैसूर राज्य मामले में सरकार के एक आदेश को ज़रूरत से ज़्यादा मानते हुए खारिज कर दिया। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये 68 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिये।
- **इंदिरा साहनी (1992):** आरक्षण के मुद्दे पर इस मामले में दिये गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मील का पत्थर माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्रीय सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अलग से आरक्षण लागू करने को सही ठहराया। इस मामले में पहली बार यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये प्रमोशन में रिजर्वेशन अनुमन्य नहीं होगा। संसद ने इस पर विचार किया और संविधान में 77वाँ संशोधन किया गया। इस संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रमोशन में भी आरक्षण दे सकती है। लेकिन यह मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तब न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन वरिष्ठता नहीं मिलेगी। इसके बाद 85वाँ संविधान संशोधन हुआ और यह कहा गया कि परिणामी ज्येष्ठता (Consequential Seniority) भी दी जाएगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 11 जजों वाली संविधानिक पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण को सही नहीं माना तथा यह आदेश दिया कि इन वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण केवल अगले 5 वर्ष तक ही जस-का-तस रखा जाए।
- **एम. नागराज (2006):** इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 77वें व 85वें संविधान संशोधनों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती दी गई। न्यायालय ने अपने निर्णय में इन संवैधानिक संशोधनों को तो सही माना, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण देना चाहती है तो इसके लिये उसे इन वर्गों के पिछड़ेपन, राजकीय सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं

सरकार के काम की दक्षता पर प्रभाव के संबंध में आँकड़े जुटाकर आधार तैयार करना होगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अगर प्रमोशन में आरक्षण देना है, तो तीन बातों का ध्यान रखना होगा- 1. इन वर्गों के लोगों में आज भी पिछापन है या नहीं? 2. इस वर्ग के लोगों का सेवाओं में सक्रिय प्रतिनिधित्व है या नहीं? 3. यदि अनुसूचित जाति, जनजाति के अधिकारी और कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है, तो यह भी देखना होगा कि प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा?

- आर्थिक रूप से कमज़ोर अगड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण देने का मुद्दा कोई नया नहीं है। लेकिन यह पहली बार है जब किसी वर्ग की आर्थिक हैसियत को आरक्षण से जोड़ा गया है। अभी तक देश में जो भी और जैसा भी आरक्षण दिया जा रहा है, उसमें आर्थिक आधार कोई पैमाना नहीं है। दरअसल, आरक्षण को दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का सशक्तीकरण कर उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने वाला एक 'टूल' माना जाता है। आरक्षण को कभी भी आर्थिक पिछापन दूर करने का 'टूल' नहीं माना गया। अब सरकार ने इस दिशा में एक नई पहल की है तो यह कदम समाज के एक बड़े वर्ग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने वाला माना जाएगा।